चतुर्दश माला, खंड 2, अंक 3

बुधवार, 7 जुलाई, 2004
16 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 3, बुधवार, 7 जुलाई, 2004/16 आषाढ़, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 45	3–42
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 46 से 60	43–69
अतारांकित प्रश्न संख्या 330 से 495	69–297
सभा पटल पर रखे गए पत्र	297–299
समितियों के लिए निर्वाचन	
(एक) केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड	300–301
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	301
(तीन) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	301–302
(चार) भारतीय नर्स परिषद, नई दिल्ली	302
(पांच) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आर्युविज्ञान संस्थान, शिलांग की शासी परिषद	302–303
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए अपर्याप्त व्यवस्था के बारे में	304–307
(दो) जयपुर में मेट्रो रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में	327
कार्यमंत्रणा समिति	
पहला प्रतिवेदन	332
नियम 377 के अधीन मामले	332–340
(एक) तमिलनाडु के डिंडीगुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चीनी मिलों को चालू किए जाने तथा इस क्षेत्र की मिलों के लिए निर्धारित गन्ने को भी रजिस्टर किए जाने की आवश्यकता	
श्री एन.एस.वी. चित्तन	333
(दो) प्रधानमंत्री अनुदान परियोजना को फिर से शुरू किए जाने तथा 'मुम्बई रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड' के लिए पर्याप्त धन दिए जाने की आवश्यकता	
श्री मिलिन्द देवरा	333–334
(तीन) देश में प्लास्टिक बैगों के उपयोग और निपटान को विनियमित किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम.एम. पल्लमराजू	335
(चार) अरुणाचल प्रदेश में विद्यमान कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री खीरेन रिजीजू	335
(पांच) मध्य प्रदेश के विदिशा नगर में खरीफाटक रोड पर एक रेल अंडर ब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री शिवराज सिंह चौहान	335–336

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(छह)	उत्तरांचल में अतिवृष्टि और बादल फटने से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री बची सिंह रावत 'बचदा'	336
(सात)	एन्डोसल्फान कीटनाशक के प्रयोग के कारण केरल के कासरगोड जिले में काजू बागानों के आसपास के स्थानीय निवासियों के सामने आ रही कठिनाइयों पर विचार किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. करुणाकरन	337
(आठ)	त्रिपुरा सरकार को गैर-योजना गैप अनुदान के रोके गए हिस्से को जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री खगेन दास	337–338
(नौ)	उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भयंकर तूफान से प्रभावित लोगों को सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री कीर्ति वर्धन सिंह	338
(दस)	बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ के लिए स्थायी समाधान खोजे जाने की आवश्यकता	
	श्री सीता राम सिंह	338
(ग्यारह)	उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खिडहर और करमैनी के बीच सड़क की मरम्मत किए जाने और उसका दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री भाल चन्द्र यादव	338–339
(बाहर)	बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए नेपाल सरकार से विचार-विमर्श करके उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	339
(तेरह)	दीमापुर रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने और उसे एक उपमंडल घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक	339–340
रेल बजट, 2004-05—सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें (रेल), 2004-05		340–414
	श्री सुशील कुमार मोदी	343–354
	चौधरी विजेन्द्र सिंह	354–357
	श्री बसुदेव आचार्य	357–374
	श्री रामजीलाल सुमन	374–379
	श्री रघुनाथ झा	379–383
	श्री राजेश वर्मा	384–385
	श्री अनंत गुढ़े	385–388
	श्री ए.पी.वाई. रेड्डी	388–391
	श्री तथागत सत्पथी	391–397
	श्री प्रभुनाथ सिंह	397–405
	श्री खगेन दास	405–407
	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	407–409
	योगी आदित्यनाथ	409–414
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	415–416
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	415–422
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	423–424
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	423–424

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका*
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री गिरिधर गमांग
श्री मानवेन्द्र शाह

महासचिव
श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

---

*भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29.5.2004 को नामनिर्देशित

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29 मई 2004 को निम्नलिखित आदेश जारी किया गया:

''मैं एतद्द्वारा सर्वश्री सोमनाथ चटर्जी, बालासाहिब विखे पाटील, गिरिधर गमांग और मानवेन्द्र शाह को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करता हूं जिनमें से किसी के भी समक्ष लोक सभा के सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के उपबंधों के अनुसार शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
भारत का राष्ट्रपति।''

लोक सभा

बुधवार, 7 जुलाई, 2004/16 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में पिछले दो महीने में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं, प्रश्नकाल के बाद आपकी बात सुनूंगा। आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, मामला बहुत गम्भीर है। आप खाली मामला सुन लीजिए क्योंकि मामला बहुत गम्भीर है। अध्यक्ष जी, पिछले दो महीनों में अनुसूचित जनजाति के एक हजार बालक ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया, अभी नहीं। यह प्रश्नकाल है। आप सब वरिष्ठ संसद सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: महाराष्ट्र में हजारों बालकों की मृत्यु हो गई है। यह मामला बहुत गम्भीर है। पिछले एक साल में नौ हजार अनुसूचित जनजाति के बालकों की कुपोषण के कारण मृत्यु हो गई है। इस मृत्यु की खबर जब 'टाइम्स आफ इंडिया' में आती है तो इस खबर को लेकर मुम्बई उच्च न्यायालय ने स्वयं आगे आकर जनहित याचिका दायर की है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इसे प्रश्नकाल के बाद उठाएं। अब श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं पी.एम.ओ. का भी जिक्र कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, आप पहले पूरा मामला सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, आप मामला सुन लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्नकाल के बाद मामले को उठाइए। कृपया, इस मामले को उठाने का यह समय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, आप खाली मामला सुन लीजिए। पी.एम.ओ. ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ट्राइबल विभाग को बुलाकर इसकी जानकारी मांगी है, इसीलिए हम इसे यहां उठा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस मामले को उठाने का यह समय नहीं है। जैसा मैंने कहा कि प्रश्नकाल के बाद मैं आप सब की बातों को सुनूंगा। कृपया अभी बैठ जाइए। श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पिछड़े जिले

***41. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सम्पूर्ण देश में 100 जिलों का सर्वाधिक पिछड़े जिलों के रूप में चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस श्रेणी में आने वाले और जिलों का चयन करने हतु कोई सर्वेक्षण करा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार पता लगाये गए जिलों को कब तक लाभ पहुंचने की संभावना है?

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय सम विकास योजना के पिछड़े जिले पहल घटक के अन्तर्गत कवरेज के लिए एक सौ पिछड़े जिलों की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 32 जिलों को भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किया गया है।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किए गए जिलों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न अनुबंध-I और II में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त जिलों को चुनने के लिए सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध I

राष्ट्रीय सम विकास योजना: पिछड़े जिले पहल जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों के नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. आदिलाबाद
		2. वारंगल
		3. चित्तूर
		4. महबूब नगर
		5. विजयनगरम्
2.	छत्तीसगढ़	1. बस्तर
		2. दांतेवाड़ा
		3. कांकर
		4. बिलासपुर
3.	गुजरात	1. डांग्स
		2. दोहाद
		3. पंचमहल
4.	हरियाणा	1. सिरसा
5.	झारखंड	1. लोहरदग्गा
		2. गुमला
		3. सिमदेगा
		4. सरायकेला
		5. सिंघभूम पश्चिम
		6. गोड्डा
6.	कर्नाटक	1. गुलबर्गा
		2. बीदर
		3. चित्रदुर्गा और
		4. दावनगिरी
7.	केरल	1. पलक्काड़
		2. वायनाड
8.	मध्य प्रदेश	1. मांडला
		2. बरवानी
		3. पश्चिम नीमाड़
		4. सिओनी
		5. शहडोल
		6. उमरिया

1	2	3
		7. बालाघाट
		8. सतना
		9. सिद्धि
9.	महाराष्ट्र	1. गढ़चिरौली
		2. भण्डारा
		3. गोंडिया
		4. चंद्रापुर
		5. हिंगोली
		6. नांदेड
		7. धुले
		8. नंदरबार
		9. अहमदनगर
10.	पंजाब	1. होशियारपुर
11.	राजस्थान	1. बांसवाड़ा
		2. डुंगरपुर
		3. झालावाड़
12.	तमिलनाडु	1. तिरुवन्नामलाई
		2. डिंडीगल
		3. कुड्डालोर
		4. नागापट्टिनम
		5. सिवगंगै
13.	उत्तर प्रदेश	1. सोनभद्र
		2. रायबरेली
		3. उन्नाव
		4. सीतापुर
		5. हरदोई
		6. बांदा
		7. चित्रकूट
		8. फतेहपुर
		9. बाराबंकी
		10. मिर्जापुर
		11. गोरखपुर
		12. कुशीनगर
		13. ललितपुर
		14. जौनपुर
		15. हमीरपुर
		16. जालौन
		17. महोबा
		18. कौशाम्बी
		19. आजमगढ़
		20. प्रतापगढ़
14.	पश्चिम बंगाल	1. पुरुलिया
		2. 24 दक्षिण परगना
		3. जलपाईगुडी
		4. मिदनापुर पश्चिम
		5. दक्षिण दिनाजपुर
		6. बांकुरा
		7. उत्तर दिनाजपुर
		8. बीरभूम
15.	असम	1. कोकराझार
		2. उत्तरी लखीमपुर
		3. करबी आंगलांग
		4. धीमाजी
		5. उत्तरी कछार हिल्स

1	2	3
16.	अरुणाचल प्रदेश	1. अपर सुबनसिरी
17.	हिमाचल प्रदेश	1. चम्बा
		2. सिरमौर
18.	जम्मू व कश्मीर	1. डोडा
		2. कुपवाड़ा
		3. पुंछ
19.	मणिपुर	1. तमेनलांग
20.	मेघालय	1. पश्चिम गारो हिल्स
21.	मिजोरम	1. लांगतलाई
22.	नागालैंड	1. मोन
23.	सिक्किम	सिक्किम
24.	त्रिपुरा	1. धलाई
25.	उत्तरांचल	1. चम्पावत
		2. टिहली गढ़वाल
		3. चमोली
	कुल	100

अनुबंध II

राष्ट्रीय सम विकास योजना: पिछड़े जिले पहल उग्रवाद प्रभावित 32 जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिले
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. करीमनगर
		2. खमाम
		3. मेढक
		4. नलगोंडा
		5. निजामाबाद
2.	बिहार	1. औरंगाबाद
		2. गया
		3. जहानाबाद
		4. रोहतास
		5. नालंदा
		6. पटना
		7. भोजपुर
		8. कैमूर
3.	झारखंड	1. हजारीबाग
		2. पलामू
		3. चतरा
		4. गढ़वा
		5. रांची
		6. लातेहार
		7. गिरीडीह
		8. कोडरमा
		9. बोकारो
		10. धनबाद
4.	मध्य प्रदेश	1. डिंडोरी
5.	छत्तीसगढ़	1. कावर्धा
		2. राजनंदगांव
		3. सरगुजा
		4. जशपुर
6.	उड़ीसा	1. गंजम
		2. गजपति
		3. मयूरभंज
7.	उत्तर प्रदेश	1. चंदौली

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय

सम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित सौ जनपद हैं, उनमें पिछड़े जनपदों को अब तक कुल कितनी सहायता राशि दी जा चुकी है तथा ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

श्री निषाद, आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: तथा उसे किन-किन मदों पर खर्च किये जाने पर प्राथमिकता दी जायेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरा आपसे अनुरोध है। मैं आपकी बात 12 बजे के बाद सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल पूरक प्रश्न ही कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य बातों को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री एम.वी. राजशेखरन: पिछड़े जिलों की पहचान करने के लिए कार्य किया गया। गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए 100 जिलों में से 80 जिले आबंटित किए गये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: आप पहला अवसर मुझे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मैंने बोला है तो आपको मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आप लोगों से बार-बार अनुरोध कर रहा हूं कि मैं आप सब की बात प्रश्नकाल के बाद सुनूंगा। कृपया धैर्य रखें। मैं आप सब की बात प्रश्नकाल के बाद सुनूंगा। आप वरिष्ठ संसद सदस्य हैं। आप से अनुरोध है कि कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया धैर्य रखें और इन मामलों को प्रश्नकाल के बाद उठाए।

[हिन्दी]

कार्यस्थगन प्रस्ताव इस समय नहीं आता है, यह आप जानते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अगर हमें नहीं सुना जाएगा तो कार्यस्थगन प्रस्ताव देने का मतलब क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: मैं प्रश्नकाल के निलम्बन के बारे में सूचना दे चुका हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, आप जानते हैं कि इस मामले को उठाने का समय यह नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, वह फर्जी मुठभेड़ थी।

[अनुवाद]

श्री एम.वी. राजशेखरन: पिछड़े जिले पहल घटक, राष्ट्रीय सम विकास योजना के तीन घटकों में से एक घटक है। इसके अन्तर्गत एक सौ पिछड़े जिलों के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 32 जिलों को भी शामिल किया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया प्रतीक्षा करें।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, आप ने कार्यस्थगन का नोटिस दिया है। लेकिन यह समय उसके लिए नहीं है और यह आप अच्छी तरह जानते हैं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: अध्यक्ष महोदय, 15 जून को अहमदाबाद में चार आतंकवादी मारे गये। उनमें से दो पाकिस्तानी थे। मुम्बई से एक सुश्री इश्रत थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि सत्ताधारी पक्ष आतंकवाद की निंदा करने के बजाय गुजरात सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक आतंकवादी समर्थक सरकार है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस आधार पर प्रश्नकाल का निलम्बन नहीं किया जा सकता है। जी हां, मंत्री महोदय, कृपया जारी रखें, मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अक्ष्यक्ष महोदय, वह फर्जी मुठभेड़ थी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री एम.वी. राजशेखरन: अध्यक्ष महोदय, पिछड़े जिले की पहल के अन्तर्गत *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। आप क्यों खड़े हैं?

...(व्यवधान)

श्री एम.वी. राजशेखरन: अध्यक्ष महोदय, एक सौ जिलों के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 32 जिले शामिल है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उस नोटिस को अस्वीकार कर दिया है। मैंने आपकी बात सुनी और इसे अस्वीकार कर दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैंने आपके नोटिस को अस्वीकार कर दिया है। यह प्रश्नकाल है। मैं आप लोगों से बार-बार अनुरोध कर रहा हूं कि अगर आप लोगों के पास महत्वपूर्ण मुद्दे हों तो उसे प्रश्नकाल के बाद उठाएं। मैं आपकी बात सुनूंगा। आप सब वरिष्ठ संसद सदस्य हैं। मैं चाहता हूं कि सभा विधिवत् चले। इसके लिए कृपया सहयोग करें। कृपया यह देखें कि मुद्दे को उठाने की अनुमति आपको है या नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे आप सहयोग नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले: अध्यक्ष महोदय, ये कोआपरेट नहीं करना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: रामदास श्री, कृपया बैठ जाइए। हमें जिम्मेदारीपूवर्क व्यवहार करना चाहिए।

श्री एम.वी. राजशेखरन: अध्यक्ष महोदय, पिछड़े जिले की पहल जो कि राष्ट्रीय सम विकास योजना के तीन घटकों में से एक घटक है, के अंतर्गत एक सौ जिलों के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 32 जिलों को भी शामिल किया जा रहा है। विकास एवं सुधार संबंधी सुविधाएं जो राष्ट्रीय सम विकास योजना के नाम से जानी जाती हैं उनके लिए वर्ष 2002-03 के बजट में प्रस्ताव थे जिसके लिए 2500 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य केन्द्र एवं राज्यों के संयुक्त प्रयास से कार्यक्रम एवं नीतियों को क्रियान्वित करते हुए विकास के बाधक तत्वों को दूर करना तथा विकास की प्रक्रिया को तेज करना था ताकि लोगों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाया जा सके।

विकास सुधार सुविधा अर्थात राष्ट्रीय सम विकास योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में मुख्य विकास कार्यक्रम के माध्यम से विकास एवं सुधार करना है जिससे असंतुलन में कमी आएगी और विकास की गति तेज होगी। इस योजना के अंतर्गत तीन विशेष घटक हैं; अविभाजित कालाहांडी, बोलंगीर तथा कोरापुत जिलों, जो कि उड़ीसा के के.बी.के. जिलों के नाम से जाने जाते हैं, के लिए पिछड़े जिले पहल विशेष योजना तथा बिहार के लिए विशेष योजना अब बिहार के लिए विशेष योजना तथा उड़ीसा के अविभाजित कालाहांडी जिले के लिए विशेष योजना का अनुमोदन आर्थिक मामले संबंधी कैबिनेट समिति ने 21.6.03 को किया तो पिछड़े जिले पहल का अनुमोदन आर्थिक मामले संबंधी कैबिनेट समिति ने *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगर यह लम्बा वक्तव्य है तो आप इसे सभापटल पर रख दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा की कार्यवाही मुझे विधिवत चलाने दें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्रीजी से जानना चाहा था कि चयनित सर्वाधिक पिछड़े जनपदों को अब तक कुल कितनी सहायता राशि दी गयी है और उस सहायता राशि को किन-किन योजना मदों पर खर्च किया जाना है? मंत्री जी ने मेरे इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। मैं पुन: एक बार पूछना चाहूंगा कि क्या राष्ट्रीय सम विकास योजना के संचालन के लिए कोई मार्ग-निर्देश जारी किए गये हैं? यदि हां, तो उसमें सर्वाधिक पिछड़े जनपदों से संबंधित संसद सदस्यों का क्या हस्तक्षेप रहेगा, क्या रोल होगा? इस संबंध में माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया माननीय संसद सदस्य को बताएं कि क्या कोई मार्ग-निर्देश जारी किए गये हैं या नहीं।

श्री एम.वी. राजशेखरन: माननीय सदस्य का कहना ठीक है। योजना आयोग द्वारा मार्ग-निर्देश जारी किए गये हैं। तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं: प्रति कृषि कर्मकार उत्पादन मूल्य, कृषि मजदूरी दर तथा जिलों की जनसंख्या में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत।

इन दिशानिर्देशों के आधार पर उन जिलों को सहायता प्रदान की जाएगी जिन्हें पिछड़ा जिला माना जाएगा।

जहां तक धनराशि के आवंटन के मामले का संबंध है तो तीन वर्ष की अवधि में प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं जिसका अर्थ है प्रत्येक जिले को 45 करोड़ रुपए मिलेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: मान्यवर अध्यक्ष महोदय, पिछड़े जिलों का चयन करते समय जिस क्राईटिरिया का निर्धारण किया गया था, क्या उस क्राइटिरिया का सख्ती के साथ पालन किया गया है अथवा राजनैतिक दबावों के कारण कई जिलों को सूची में सम्मिलित किया गया है? सूची देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि जो राज्य काफी विकसित हैं, उन राज्यों के कई जिलों को सम्मिलित कर लिया गया है जबकि राजस्थान के केवल मात्र तीन जिले-बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़ जबकि अन्य कई जिले दूसरे राज्यों के मुकाबले अति पिछड़े हैं, उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से केवल यह जानना चाहता हूं कि चयन के समय क्या निर्धारित क्राईटिरिया का सख्ती से पालन किया गया है और कितनी राशि कब तक उन जिलों के विकास के लिए खर्च की जाएगी और राजस्थान में उसका क्या अनुपात है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने हर एक पर ध्यान दिया है।

श्री एम.वी. राजशेखरन: महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि मानदंड निर्धारित किया गया है और योजना आयोग ही समय-समय पर पूरे मामले की निगरानी करेगा। योजना आयोग भी राज्यों से रिपोर्टें प्राप्त करेगा जिनके आधार पर समय-समय पर धनराशि जारी की जाएगी।

महोदय, मैं माननीय सदस्य की टिप्पणी से सहमत नहीं हूं कि यह किसी राजनीतिक दबाव के अन्तर्गत किया जा रहा है। मैं इस विचार का समर्थन नहीं करता।

श्री अजय माकन: महोदय, क्या सरकार इन पिछड़े जिलों के लिए सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों की प्रगति एवं प्रभाव का पता लगाने के लिए नियमित अन्तराल पर जिला स्तरीय मानव विकास सूचकांक की गणना करती है?

श्री एम.वी. राजशेखरन: महोदय, जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि योजना आयोग समय-समय पर इसकी समीक्षा करता है। जब भी वे राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। राज्य स्तर पर उन्होंने समिति गठित की है जो रिपोर्ट भेजती है। इसकी समय-समय पर समीक्षा की जा रही है जिसके आधार पर धनराशि जारी की जा रही है।

[हिन्दी]

प्रो. रामगोपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जब वे हिन्दुस्तान के सर्वाधिक पिछड़े जिले हैं तो क्या आप इस सदन को आश्वासन देंगे कि उनके सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक करने के लिए, शिक्षण संस्थाएं खोलने के लिए और शुद्ध पानी देने के लिए सारा इंतजाम केन्द्र सरकार की मदद से किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री एम.वी. राजशेखरन: महोदय, यह एक मुख्य मानदंड है। वास्तव में योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए पूरा ध्यान दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं प्रत्येक पार्टी को अवसर देने का प्रयास करूंगा। अब श्री प्रभुनाथ सिंह प्रश्न पूछेंगे। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें और अपने विषय तक सीमित रहें। आप एक अनुभवी सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, उत्तर में जो सूची दी गई है, उसमें बिहार के मात्र आठ जिले हैं जो उग्रवाद से प्रभावित हैं जबकि सारे देश में कहा जाता है कि बिहार पिछड़ा राज्य है। हम जानना चाहते हैं कि जो सर्वेक्षण कराया गया है, उसमें बिहार के पिछड़े जिलों को सूची में नहीं रखने का क्या कारण है? अगर उनको नहीं रखा गया है तो क्या पुन: नया सर्वेक्षण करवाकर बिहार में जो अति पिछड़े जिले हैं जैसे छपरा, सीवान, गोपालगंज आदि, क्या सरकार उन जिलों को शामिल करने का प्रयास करेगी?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. राजशेखरन: महोदय, मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बिहार को एक-विशेष पैकेज दिया गया है। अब इसके अन्तर्गत उन्हें लगभग 1000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: क्या आपने हमारे ऊपर कोई कृपा की है? *...(व्यवधान)* आपने हमारे ऊपर क्या कृपा की? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न डालें। मैं आपको अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अवसर दूंगा। यह तरीका नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठिए। श्री रघुनाथ झा मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

चूंकि मैं बोल रहा हूं इसलिए आप बैठ जाइए। कृपया अपने स्थान पर बैठिए। कृपया माननीय मंत्री जी को ध्यान से सुनें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: हमारा सारा धन काटकर पैकेज दिया है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम.वी. राजशेखरन: महोदय, मैं अति विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि न तो मैं सभा और न ही माननीय सदस्य को गुमराह कर रहा हूं। मैं बिहार के विकास के लिए राज्य को वित्तीय पैकेज की आवश्यकता के बारे में डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं *...(व्यवधान)* कृपया मुझे पढ़ने दीजिए *...(व्यवधान)* मुझे आपको सही उत्तर देने दीजिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ठीक नहीं कह रहे हैं। सदन को गुमराह कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री के उत्तर को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधान मंत्री उत्तर देना चाहते हैं।

प्रधान मंत्री (डा. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि पिछली सरकार जब यह कार्यक्रम बना रही थी तो उसने बिहार के पिछड़े जिलों को छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने सोचा कि बिहार के पास विशेष पैकेज है। यह मामला बाद में सभा में उठाया गया और तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री ने सभा को आश्वासन दिया कि बिहार और उड़ीसा के अन्य पिछड़े जिलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसे देखते हुए योजना आयोग ने बिहार के तेरह जिलों और उड़ीसा के दो जिलों की पहचान की है। इस जिलों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया धैर्य रखें। यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

श्री खारवेल स्वाईं: उन्हें रहने दीजिए कि उड़ीसा बिहार से निर्धन है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैं अगले प्रश्न पर आऊंगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा है कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का आपने चयन किया, हम जानना चाहते हैं कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्टस का चयन करने का आधार क्या था और क्या कारण था कि उसमें बिहार को छोड़ दिया गया? *...(व्यवधान)* हम लोगों ने जब यहां ध्यानाकर्षण उठाया था, उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि बिहार के बंटवारे के बाद जो पैकेज मिलना था, वह नहीं मिल रहा था—इसी विषय पर हमारा ध्यानाकर्षण था। जिन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्टस को हमारे इलाके पूर्वी चम्पारण और पश्चिमी चम्पारण के अलावा उत्तर एवं मध्य बिहार इन लोगों ने, भारत की सरकार ने छोड़ा था, हम जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें जोड़ने का सरकार विचार रखती है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए। आप सभी अपने स्थानों पर बैठिए। माननीय सदस्य आपको अध्यक्षपीठ का सम्मान करना चाहिए। आप नए सदस्य हैं।

बात यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं प्रत्येक राज्य की प्रत्येक पार्टी के सदस्य को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। आपको पूरक प्रश्न पूछने के लिए मेरे द्वारा आपको बोलने की अनुमति देने की प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं है। मैं बार-बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं। कार्यवाही में बाधा डालकर आपको वह हासिल नहीं हो सकता जो आप चाहते हैं और अधिक महत्वपूर्ण ढंग से उठा सकते हैं यदि आप अपनी बारी पर बोलें। कृपया प्रतीक्षा करें। यदि आप बाधा करते हैं तो मैं अगले प्रश्न पर आ जाऊंगा। आपको उससे क्या फायदा होगा? आप अध्यक्ष के साथ सहयोग क्यों नहीं करते? माननीय प्रधान मंत्री ने इस मामले के महत्व को समझा और उन्होंने हस्तक्षेप किया। उन्होंने उत्तर दिया है। ऐसा करने के कई तरीके हैं। यदि आप इस मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा के लिए मुझे नोटिस दें तो मैं उस पर विचार के लिए तैयार हूं। किन्तु आप नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। बाधा उत्पन्न कर आपको इस महत्वपूर्ण उत्तर से कुछ नहीं मिलेगा।

श्री रघुनाथ झा, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं डाल सकते।

मैंने आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए बुलाया है। आप एक अनुपूरक प्रश्न पूछिए और उत्तर लीजिए। यदि आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो क्या होगा?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: हुजूर, हमें रिप्लाई नहीं मिला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आवाज मत कीजिए। मंत्री जी यदि आपके पास उत्तर है तो उत्तर दीजिए।

श्री एम.वी. राजशेखरन: मैं माननीय सदस्य के उत्तेजित मन को भली-भांति समझ सकता हूं। मुझे जो जानकारी मिली है उसे मैं रखना चाहता हूं।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दसवीं योजना के दौरान 2531.35 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की क्रियान्वयन हेतु पहचान की गई है और परियोजना की लागत और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए अप्रैल 2004 तक 521.12 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि वे कौन सी परियोजनाएं हैं जिनके लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

अध्यक्ष महोदय: आप माननीय सदस्य को संबंधित जानकारी दे सकते हैं।

श्री एम.वी. राजशेखरन: मैं उनके पास विवरण भेज दूंगा *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: जब प्रधान मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है कि जो जिले छूट गए हैं, उनको जोड़ा जाएगा, हम उससे संतुष्ट हैं फिर मंत्री जी क्यों ऐसा उत्तर देकर उसे डाइवर्ट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री के वक्तव्य को कोई तोड़-मरोड़ नहीं सकता है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: प्रधान मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो जिले छूट गए हैं, वे जोड़े जाएंगे।

श्री भंवर सिंह डांगावास: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नया सदस्य हूं लेकिन मुझे अनुभव काफी है इसलिए मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, धैर्य का फल मीठा होता है। आप धर्यवान होना सीखें। कृपया बैठ जाइए। मैंने आपको नहीं बुलाया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कोई भी मुझ पर कुछ करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता है। कृपया आश्वस्त रहें।

...(व्यवधान)

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, जब माननीय मंत्री उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने मेरे जिले कालाहांडी का नाम लिया था।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें। हमने 25 में से 15 मिनट बर्बाद कर दिए हैं।

श्री बिक्रम केशरी देव: माननीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि उड़ीसा सरकार ने कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट जिलों के लिए संशोधित कार्य योजना प्रस्तुत की है। क्या इस योजना का अनुमोदन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है अथवा क्या इसका अनुमोदन किया जाने वाला है? मैं केन्द्र सरकार की ओर से इन जिलों के लिए राज्य सरकार को जारी धनराशि के बारे में जानना चाहता हूं।

मानव अधिकार आयोग ने कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट जिलों में भूख से हुई मौतों और लोगों के आम की गुठली खाने के बारे में जांच शुरू की है। मानवाधिकार आयोग में एक के.बी.के. प्रकोष्ठ बनाया गया है और उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि के.बी.के. प्रकोष्ठ बनाया गया है और उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि के.बी.के. जिलों में स्वास्थ्य क्षेत्र की पूर्ण रूपेण अनदेखी की गई है। सरकार इस समस्या को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठा रही है।

श्री एम.वी. राजशेखरन: जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों का संबंध है, तो एक पृथक प्रश्न पूछा जा सकता है ताकि संबंधित मंत्रालय उत्तर दे सके। उससे कोई संबंध नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव: किन्तु मेरे जिले का उल्लेख किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री के उत्तर देने के समय कृपया व्यवधान न डालें।

श्री एम.वी. राजशेखरन: कृपया मुझे उत्तर देने दीजिए ताकि मैं कतिपय बातों को स्पष्ट कर सकूं।

जहां तक उड़ीसा के कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट जिलों का प्रश्न है, उड़ीसा के अविभाजित के.बी.के. जिलों हेतु विशेष योजना को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 21 जून, 2003 को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य संबंधी समिति ने सितम्बर 2003 में हुई अपनी बैठक में इसकी पुन: स्वीकृति दी थी।

जहां तक उड़ीसा का प्रश्न है, मैं एक और सूचना देना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि राज्य सरकार को कितनी धनराशि जारी की गई है। इसके बारे में मेरा कहना यह है कि इसका संबंध दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र से है। वर्ष 2002-03 में विशेष योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई है और योजना अभी चल रही है और वर्ष 2003-04 के लिए राज्य सरकार को 250 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। यही स्थिति है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कराने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप इसकी सूचना दे सकते हैं।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, राष्ट्रीय सम विकास योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। राष्ट्रीय सम विकास योजना के कार्यान्वयन में क्या तरीका अपनाया जा रहा है और इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में कौन-कौन सी कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

श्री एम.वी. राजशेखरन: जैसाकि आपको ज्ञात है राज्य सरकार कार्यान्वयन एजेंसी है। लेकिन योजना आयोग समय-समय पर इस कार्यक्रम पर निगरानी रखता है।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है इसमें तीन प्रमुख घटक हैं। हम कृषि मेहनताने संबंधी ढांचे, जो कुछ उन्हें प्राप्त होता है और गरीबी अनुपात—विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी तथा शेष अन्य बातों पर विचार करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर आधा घंटे की चर्चा कराने की अनुमति दूंगा। कृपया इसकी सूचना दें।

फ्लूरोसिस से संक्रमित बच्चे

*42. **श्रीमती नीता पटैरिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में फ्लोराइड से संदूषित पेयजल पीने के कारण हजारों बच्चे फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर इत्यादि जिलों में रहने वाले हजारों बच्चे भी इसी प्रकार पीड़ित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

देश में पय जल में फ्लोरीन के अंश संबंधी यूनीसेफ की वर्ष 1999 की रिपोर्ट के आधार पर 19 राज्यों में फ्लूरोसिस एक समस्या है। ये राज्य हैं—आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, दिल्ली, जम्मू व कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़। अनुमान है कि 14 वर्ष से कम आयु के 60 लाख बच्चों को इससे खतरा है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले सहित 14 जिले पेय जल में फ्लोराइड होने के कारण फ्लूरोसिस की महामारी से ग्रस्त हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी रिपोर्टों से इन्कार किया है कि सिवनी, जबलपुर और नरसिंहपुर जैसे विभिन्न जिलों में फ्लूरोसिस से हजारों बच्चे पीड़ित हैं। वर्ष 2001 से पहले फ्लूरोसिस की थोड़ी व्याप्तता देखी गई थी लेकिन पिछले दो वर्षों में ऐसी स्थिति होने की कोई सूचना नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि फ्लोराइड के लिए जिम्मेदारी स्रोतों के स्थान पर स्वच्छ पेय जल स्रोतों की व्यवस्था की गई है।

फ्लोरोसिस को स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करके रोका जाता है। स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का विषय है। तथापि, भारत सरकार ग्रामीण पेय जल आपूर्ति के संबंध में गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं और पेय जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत धन प्रदान करके राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करती है। पेय जल आपूर्ति विभाग, राज्यों में फ्लूरोसिस की स्थानिक मारिता (एन्डेमिसिटि) संबंधी आंकड़े एकत्र करने में लगा है। पेयजल आपूर्ति विभाग के साथ-साथ यूनीसेफ ने पेय जल में फ्लोराइड की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न राज्यों को आयन-मीटर प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जन स्वास्थ्य इंजीनियरों और चिकित्सा व्यवसायियों को फ्लूरोसिस के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा देश में फ्लूरोसिस के प्रसार को रोकने के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

श्रीमती जयाप्रदा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कृपया इस विषय पर एक प्रश्न पूछने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप प्रश्न पूछना चाहती हैं तो आपको इसकी अनुमति दी जायेगी।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया: अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। मध्य प्रदेश शासन से आपने जो रिपोर्ट मांगी, वह कब आपके पास आई। क्या आपने वर्तमान में कोई रिपोर्ट मांगी है? साथ ही केन्द्रीय शासन कितने दिनों के अंतराल के बाद सर्वे करवाता है, आप स्पष्ट रूप से यहां बताएं?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: माननीय अध्यक्ष, महोदय, जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने हमें लिखित रूप में बताया है कि गत दो वर्षों के दौरान फ्लोरोसिस का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। नरसिंहपुर जिले में, फ्लोरोसिस का कोई मामला नहीं है। जबलपुर के सात गांव प्रभावित हैं। सिवनी में 631 गांव प्रभावित हैं। इन जिलों में 2,362 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या कोई अन्य अनुपूरक प्रश्न है? क्या इतना ठीक है? क्या आप संतुष्ट हैं?

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया: अध्यक्ष जी, हमारे यहां पर पेयजल से संबंधित समस्याएं हैं। जहां भी फ्लोराइड से संदूषित पेयजल है वहां पर कोई योजना लागू नहीं हुई है। मेरे संसदीय क्षेत्र सिवनी में बच्चे स्थाई रूप से विकलांग हो रहे हैं, उनके दांत खराब हो

रहे हैं तथा हड्डियां टेढ़ी हो गयी हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आपके पास इस समस्या के हल के लिए कौन सी योजना है और तुरंत उस पर अमल करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का जवाब गोलमोल है, कृपया उसे स्पष्ट करके दीजिए। हमारे यहां बच्चों का विकास रुक गया है।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: माननीय अध्यक्ष महोदय, देश भर में 14 वर्ष से कम लगभग 6 मिलियन बच्चे प्रभावित हुए हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? यह लोक महत्व का महत्वपूर्ण मामला है? माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं और उन्हें सुनने की किसी में एकाग्रता नहीं है।

डा. अंबुमणि रामदास: इस समस्या का एकमात्र समाधान फ्लोरोसिस से प्रतिरक्षण है। यदि बच्चों को प्रथम दस वर्ष तक फ्लोरोसिस से बचाया जा सके तो इन्हें इससे प्रतिरक्षित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया: अध्यक्ष जी, मुझे प्रश्न का जवाब नहीं मिला है। *...(व्यवधान)*

श्री रामदास बंडु आठवले: अध्यक्ष जी, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान: अध्यक्ष जी, इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र सिवनी के बारे में प्रश्न पूछा है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुमित्रा महाजन: अध्यक्ष जी, हमारी महिला सदस्य पहली बार चुनकर आई हैं, इन्हें बोलने का अवसर दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती सुमित्रा महाजन, कृपया उन्हें उत्तेजित न करें।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: सर, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्रीमती गीता पटैरिया: मंत्री जी, आप हमारे क्षेत्र में इस समस्या से निपटने के लिए वर्तमान में क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री ब्रजेश पाठक, मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है। आपका आचरण जिम्मेदारीपूर्ण होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथ: अध्यक्ष जी, आज अशुद्ध पानी के कारण कई इसी तरह की बीमारियां नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में फैली हुई हैं, जैसे पीलिया या लीवर से संबंधित बीमारियां। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि गाजियाबाद, नौएडा और दिल्ली में कितने लोग इस दूषित पानी को पीकर बीमार हुए हैं, क्या ऐसी कोई लिस्ट उनके पास है? अगर है, तो उसकी जानकारी सदन को दी जाए। इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहती हूं कि इस समस्या को हल करने के लिए अस्पतालों में आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आपके पास जानकारी है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है। कृपया बैठ जाएं।

डा. अंबुमणि रामदास: यह समस्या फ्लोरेसिस से उत्पन्न होती है। इसका दूषित जल से कोई संबंध नहीं है। इससे जल में फ्लोराइड की मात्रा तीन भाग प्रति मिलियन *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आपको गाजियाबाद की कोई जानकारी है?

डा. अंबुमणि रामदास: नहीं, मैं उन्हें इससे अवगत करा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: कृपया माननीय सदस्य को बाद में जानकारी दे दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे सभा का संचालन करने दीजिए। मैं सभी पक्षों को अवसर देना चाहता हूं।

श्रीमती मेनका गांधी: मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि फ्लोराइड का उपयोग टूथपेस्टों में भी किया जाता है। विश्व भर में इस प्रकार के परिणाम आते हैं कि फ्लोराइड स्वास्थ्य विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य हेतु हानिकारक है। वास्तव में टूथपेस्ट में यह लिखा होता है कि फ्लोराइड टूथपेस्ट का उपयोग सात वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं करना चाहिए। क्या भारत में ऐसा किए जाने का कोई प्रस्ताव है?

डा. अंबुमणि रामदास: फ्लोराइड बच्चों और वयस्कों दोनों के शरीर में अस्थि निर्माण हेतु एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक पदार्थ है। यह विनियमित फ्लोराइड है। भारत में टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा अनुमत्य भेषज सीमा से अधिक नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्षपीठ से सहयोग करने वाले सदस्यों को बेहतर अवसर प्राप्त होगा।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, आंध्र प्रदेश के भूजल, विशेषकर रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्र के भूजल में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक है। फ्लोरोसिस उन्मूलन तथा रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है। अत: क्या सरकार लोगों की कठिनाइयों को समाप्त करने और इस समाप्त करने हेतु किसी विशेष योजना की घोषणा करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से उत्तर चाहता हूं।

डा. अंबुमणि रामदास: आंध्र प्रदेश में फ्लोरोसिस अत्यधिक व्याप्त है। यह राज्य का विषय है, राज्य सरकार को इसके लिए योजना शुरू करनी होगी। *...(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: सभी विषय राज्य से संबंधित हैं। भारत सरकार को आंध्र प्रदेश के लोगों की सहायता करनी होगी। कृषि राज्य का विषय है। ग्रामीण विकास राज्य का विषय है। *...(व्यवधान)* इस प्रकार सभी विषय राज्य का है। *...(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम चलाई है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप राज्य सरकार से संपर्क करके उन्हें सहयोग पहुंचाने की कोशिश करें।

डा. अंबुमणि रामदास: जी हां, श्रीमान।

अध्यक्ष महोदय: श्री ब्रजेश पाठक

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: अध्यक्ष महोदय, मेरा जनपद उन्नाव है, जहां अभी भी हम लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा सके हैं। गंगा नदी के किनारे बसा होने के कारण वहां लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी मिल रहा है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, इस वजह से लूले-लंगड़े बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमारे गांव की मातायें-बहनें इसे दैवी प्रकोप समझ रही हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए।

श्री ब्रजेश पाठक: महोदय, मेरा प्रश्न भी वही है, जो अभी माननीय सदस्या ने पूछा है कि सरकार हमारे क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कब तक व्यवस्था करेगी?

डा. अंबुमणि रामदास: अध्यक्ष महोदय, फ्लूरोसिस का एकमात्र समाधान स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से और योजना आयोग के माध्यम से भी प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना द्वारा राज्यों की सहायता की जा रही है।

श्री अजय चक्रवर्ती: सबसे पहले मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस समस्या की निगरानी के लिए विशेष कृतिक बल के गठन पर विचार कर रही है। दूसरा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ग्रामीण भारत में इस रोग को रोकने के लिए गोष्ठियां और सेमिनार का आयोजन करके जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्णय किया है।

डा. अंबुमणि रामदास: उनके प्रश्न के भाग (क) के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि कृतिक बल गठित करने का हमारा कोई प्रस्ताव नहीं है। भाग (ख) के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठा सकते हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहती हूं, जो नए माननीय सदस्य चुनकर आए हैं,

खासतौर से महिला सदस्य, आपकी निगाह उन लोगों पर पड़े, ताकि उन्हें भी बोलने का अवसर मिले।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको इसमें कोई संदेह है?

श्रीमती करुणा शुक्ला: नहीं।

अध्यक्ष महोदय: आज सबसे पहले जिन तीन सदस्यों का नाम मैंने पुकारा वे महिला सदस्य हैं। आप क्यों आरोप लगा रही हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं। मैंने आपको अवसर दिया। आप इस सभा की माननीय सदस्या हैं। कृपया अपना पूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला: मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देती हूं।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद की जरूरत नहीं है।

श्रीमती करुणा शुक्ला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ भी पेयजल की समस्या से प्रभावित है। क्या माननीय मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के लिए कोई योजना बनायी है और आप राज्य सरकार को इस समस्या से ग्रसित होने के कारण कितना धन उपलब्ध करा रहे हैं तथा उन्होंने छत्तीसगढ़ के कौन-कौन से जिलों का इस कार्य के लिए सर्वे कराया है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, स्वास्थ्य मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस समस्या पर ध्यान देना है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आप अपना प्रश्न ग्रामीण विकास मंत्री से कीजिए।

[हिन्दी]

विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी

***43. श्री महेश कनोडीया: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में केन्द्र सरकार के विभिन्न सरकारी अस्पतालों के विभिन्न विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी महसूस की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस कमी को पूरा करने हेतु कुछ उपाय करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

देश में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में विशेषज्ञों की आवश्यकता को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण और गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्गों से पूरा किया जाता है। इन दो उप-संवर्गों में स्वीकृत पदों की संख्या 1484 है, जिनमें से इस समय 1144 पद भरे हुए हैं और 340 पद रिक्त हैं।

सरकार में पदों की संख्या को कम करने की दृष्टि से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने 16.5.2001 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/8/2001-पी.आई.सी. द्वारा सभी विभागों को सीधी भर्ती को वर्ष में होने वाली रिक्तियों के एक तिहाई तक सीमित करने का निर्देश दिया है और इस भर्ती पर यह शर्त भी लागू की गई है कि भर्ती विभाग की कुल स्वीकृत संख्या के 1 प्रतिशत से अधिक न हो। समूह 'क' पदों के लिए इस बारे में वार्षिक भर्ती योजना को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठिक एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जानी है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेषरूप से विशेषज्ञों की रिक्तियों के संबंध में उक्त दिशानिर्देशों को लागू करना कठिन होगा, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने तकनीकी/वैज्ञानिक पदों (जिनमें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सभी पद शामिल हैं) को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 मई, 2001 के अनुदेशों के दायरे से बाहर रखने के लिए इस मामले को उच्चतम स्तर पर उठाया है।

[हिन्दी]

श्री महेश कनोडीया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में प्रति वर्ष एमबीबीएस की डिग्री लेने वाले करीब 22 हजार 500 स्नातक हैं जो मेडिकल की मास्टर डिग्री लेने के इच्छुक हैं लेकिन इनमें से एक-चौथाई छात्र भी मास्टर डिग्री नहीं ले पाते हैं। क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्रवाई करने जा रही है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, यह प्रश्न विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी से संबंधित है। माननीय सदस्य ने उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले लोगों के बारे में पूछा है। यह एक सतत प्रक्रिया है और कई कालेज चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

श्री महेश कनोडीया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मेडिकल कालेजों में मेडिकल में मास्टर डिग्री लेने के इच्छुक छात्रों की संख्या की तुलना में बहुत कम सीटें हैं? क्या सरकार मेडिकल कालेजों में अगले सत्र से कुछ सीटों को बढ़ाने का विचार कर रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह पूरी तरह से इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य एक पृथक सूचना दें।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आप पृथक सूचना दीजिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित सीजीएचएस के सभी अस्पतालों में, खासतौर पर विशेषज्ञ रोग के चिकित्सकों की कमी है। क्या सरकार इसका पूरे देश में सर्वे करा कर केन्द्र सरकार द्वारा संचालित सीजीएचएस अस्पतालों में विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति कराएगी?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, हमारे सामने स्वास्थ्य मंत्रालय में विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी की समस्या है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में स्टाफ की कटौती और विद्यमान रिक्तियों में सीधी भर्ती रोकने के लिए 16.5.2001 को आदेश जारी किया है। उन्होंने हमसे कहा है कि पांच वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 2 प्रतिशत स्टाफ जो कि कुल मिला कर 10 प्रतिशत बैठता है अथवा कुल नियोजित लोगों के एक प्रतिशत दोनों में से जो भी कम है में कटौती की जाए। इस आदेश के कारण हमें यह कठिनाई है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए। वह अपना उत्तर दे रहे हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: सी एच एस में रिक्तियां हैं। शिक्षण-विशेषज्ञों के 169 पद रिक्त हैं और गैर-शिक्षण विशेषज्ञों के 171 पद रिक्त हैं।

जहां तक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का संबंध है 21 रिक्तियां हैं। सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों की संख्या 414 हैं और केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में कुल 782 रिक्तियां डाक्टरों की हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या इतना पर्याप्त है? वह कह रहे हैं कि यह पर्याप्त नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं?

डा. अंबुमणि रामदास: हम इस मामले को सर्वोच्च स्तर पर उठा रहे हैं और इस पर काम चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं।

श्री अनंत कुमार: सर्वोच्च स्तर क्या है?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने अपनी विवशता व्यक्त कर दी है।

श्री जे.एम. आरून रशीद: अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र पेरियाकुलम में कोडइकनाल और अन्य क्षेत्रों में अस्पताल हैं जहां डाक्टर उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि चुनाव के दौरान जब कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की जोरदार पिटाई की तो उसके उपचार के लिए कोई डाक्टर उपलब्ध नहीं था। कोडइकनाल जो कि पर्वतीय स्थल है में पर्याप्त डाक्टर नहीं हैं। यदि वे उपचार के लिए नीचे मैदानी भाग में आना चाहते हैं तो उन्हें सड़क तक आने में ढाई घंटे लगते हैं। क्या सरकार कोइडाकनाल क्षेत्र में डाक्टर उपलब्ध कराएगी?

अध्यक्ष महोदय: वह इस पर विचार करेंगे।

डा. अंबुमणि रामदास: यह राज्य का विषय है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के सरकारी अस्पतालों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 1484 है, जिनमें 1144 पद भरे हुये हैं जबकि 340 पद रिक्त हैं। अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश में कई मेडिकल कालेजों की मान्यता इस आधार पर रद्द कर दी गई कि उन मेडिकल कालेजों में पिछले दस वर्षों से जो प्रोफेसर्स और स्पेशलिस्ट्स के पद रिक्त थे, उन्हें

भरा नहीं गया था। मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त करने के लिये ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न का मूल प्रश्न से ताल्लुक नहीं है।

श्री वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। मैं कह रहा था कि कई मेडिकल कालेजों के बहुत सारे पायलट प्रोजैक्ट्स यहां केन्द्र सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं। जबलपुर मेडिकल कालेज के कलर्ड एक्सरे और सी.टी. स्कैन के पायलट प्रोजैक्ट्स केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के पास विचाराधीन है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश सरकार के सभी पायलट प्रोजैक्ट्स को स्वीकृति देकर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को आगे बढ़ाने में केन्द्र सरकार सहयोग करेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ये विशेष प्रश्न हैं। ये मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं हैं। तथापि, यदि माननीय मंत्री सहमत हों, तो वह इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: माननीय सदस्य का प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। किंतु मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश द्वारा स्टाफ में कटौती के कारण चिकित्सा क्षेत्र में हमारे सामने समस्या है। हम इस मामले को सर्वोच्च स्तर पर उठा रहे हैं।

श्री पी. करुणाकरन: महोदय, विशेषज्ञ डाक्टरों के संबंध में क्या माननीय मंत्री बता सकेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञ डाक्टरों की वास्तविक आवश्यकता कितनी है, अभी हम कितनी कमी का सामना कर रहे हैं और सरकार इस संबंध में क्या उपाय करने जा रही है?

डा. अंबुमणि रामदास: मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। तीन प्रकार के विशेषज्ञ हैं। एक शिक्षण विशेषज्ञ हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: संख्या बताइये।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, स्वीकृत संख्या 699 है, विद्यमान संख्या 530 और रिक्त संख्या 169 है। जहां तक गैर-शिक्षण विशेषज्ञों का संबंध हैं स्वीकृत संख्या 786 है, 615 पद भरे हुए हैं और रिक्त पदों की संख्या 171 है। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के संबंध में स्वीकृत संख्या 78, भरे हुए पदों की संख्या 57 और रिक्त पदों की संख्या 21 है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप रिक्त पदों को भरने के लिए कुछ धन की आशा रखते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: धन की नहीं।

[हिन्दी]

भारतीय सैन्य टुकड़ियों को इराक भेजना

\+

*44 **श्री शिवराज सिंह चौहान:**
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय सैन्य टुकड़ियों को इराक भेजने के संबंध में दिनांक 12 जून, 2004 के हिंदी दैनिक ''हिन्दुस्तान'' में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या विदेश मंत्री ने हाल ही में वाशिंगटन में इस आशय का वक्तव्य दिया था कि उक्त मामले पर नए सिरे से विचार किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो वर्तमान में इराक में बदलते परिदृश्य पर सरकार की धारणा क्या है;

(घ) क्या सरकार को मंत्री महोदय के कथित वक्तव्य के आलोक में तीव्र आलोचना की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारतीय सेनाओं को इराक में भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे काबिल विदेश मंत्री माननीय नटवर सिंह जी अभी अमरीका गये थे। वहां इनकी अमरीका के विदेश मंत्री श्री पावेल से भेंट हुई। उस मुलाकात में इन्होंने कहा कि भारत इराक में सेनायें भेजने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगा क्योंकि इराक की परिस्थितियां बदल गई हैं। बाद में इन्होंने वाशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन

को सम्बोधित किया और उसमें भी इन्होंने कहा कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जायेगा। इसे हिन्दुस्तान के लाखों लोगों ने टी.वी. पर इन्हें ऐसा कहते हुये सुना। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी अखबारों ने इस समाचार को प्रमुखता से छापा है। अब मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि मैंने ऐसा बयान नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी गलतबयानी कर रहे हैं। यह संसद की अवमानना है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिये।

श्री शिवराज सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं कि माननीय मंत्री जी गलतबयानी क्यों कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, सारी दुनिया ने इसे सुना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे यह प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री को उत्तर देने का अवसर दीजिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अब कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री शिवराज सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, सारे देश ने आपको बोलते हुए सुना है कि इराक में सेना भेजने के मामले पर भारत पुनर्विचार करेगा। उसके बाद जो उत्तर आपने दिया है, क्यों आप यहां कह रहे हैं कि मैंने ऐसा बयान नहीं दिया है। यह संसद की अवमानना है। आप गलतबयानी कर रहे हैं। इस मामले में स्थिति साफ होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब आप एक प्रश्न पूछिए। बहुत अच्छा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इसका नटवर सिंह जी जवाब दें, यहां आप कैसे जवाब दे रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी मंत्री को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। प्रश्न का उत्तर देना पूर्ण रूप से उन पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान: माननीय नटवर सिंह जी जवाब दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप उन्हें बाध्य कैसे कर सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान: इनका बयान सारे देश ने सुना है। यह सदन को गुमराह कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* यह गलतबयानी कर रहे हैं। जो बयान इन्होंने वहां दिया था, वह यहां क्यों बदला। अपना बयान बदलने के कारण, आप गलतबयानी कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद: महोदय, इससे पूर्व कि आप बोलें मुझे कुछ कहने की अनुमति दी जाये। ...*(व्यवधान)* माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान इससे पूर्व कि आप कुछ कहें मुझे इस घटना के बारे में कुछ कहने दें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान: इसका जवाब माननीय नटवर सिंह जी को देना चाहिए। वहां मि. पावेल से इनकी क्या बात हुई संवाददाता सम्मेलन में इन्होंने क्या बयान दिया और उसे यहां आकर क्यों बदला, इसका उत्तर माननीय नटवर सिंह जी दें।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद: महोदय, कल सभा में माननीय विदेश मंत्री ने यह अच्छी तरह स्पष्ट किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी विशेष मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता। आप यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यह संबंधित मंत्री पर निर्भर करता है। यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है।

[हिन्दी]

विदेश मंत्री (श्री के. नटवर सिंह): अध्यक्ष महोदय, कल दोपहर को इराक के विषय पर साढ़े तीन घंटे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कल हम सभा में उपस्थित नहीं थे। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: ये कल का उल्लेख क्यों कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: आप यह भी आदेश दें कि किसी को किस प्रकार उत्तर देना चाहिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसी स्थिति मत पैदा कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसके पश्चात्, श्री चंद्रकांत खैरे आपकी बारी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कृष्णदास, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें।

[हिन्दी]

श्री अधीर चौधरी: पार्लियामैंट में हमने रिजोल्यूशन पास करवाया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमें कुछ पद्धतियों का पालन करना चाहिये। कम से कम अध्यक्षपीठ के प्रति कुछ तो सम्मान व्यक्त कीजिए।

आपने मुझे यहां भेजा है। मैं प्रत्येक व्यक्ति को अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूं। मंत्री महोदय ने पूरे सम्मान के साथ उत्तर देना आरम्भ किया है। कोई किस प्रकार आदेश दे सकता है? क्या मैं आदेश दे सकता हूं? मैंने उन्हें बैठने को कहा है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: वे आदेश दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कोई भी माननीय मंत्री के भाषण में व्यवधान न डाले। मैं श्री चंद्रकांत खैरे का नाम पुकारूंगा। अगला नाम उन्हीं का है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान: मेरे सवाल का जवाब आने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: अभी जवाब देने दीजिए। ये कैसे बोल सकते हैं जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं।

श्री के. नटवर सिंह: क्या यह कोई गुनाह है कि कल जो बहस हुई है, उसकी मैं चर्चा करूं, मैं नहीं समझता कि यह कोई गुनाह है ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान: आज का जवाब दे दीजिए।

श्री के. नटवर सिंह: मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप जरा सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं—भाई साहब, ये धूप में सफेद नहीं हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान: मैंने बालों की सफेदी पर प्रश्न नहीं पूछा।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये। यह सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज की बात बोलिये। कल की बात छोड़िये।

श्री के. नटवर सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने आज सवाल पूछा है, मैं आज ही जवाब दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: वे इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री के. नटवर सिंह: श्री अनंत कुमार, आप एक भूतपूर्व केबिनेट मंत्री हैं, आप इन्हें क्यों नहीं सुनते?

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न का उत्तर दीजिए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री प्रश्न का उत्तर देंगे।

श्री के. नटवर सिंह: महोदय, मैं उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। 8 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा एक संकल्प पारित किया गया था। मैं 10 और 11 जून को वहां था। संकल्प सुरक्षा परिषद द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। अमरीका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पाकिस्तान, स्पेन, अंगोला, चिली, अल्जीरिया, रोमानिया, फिलिपिन्स, ब्राजील और बेनिन द्वारा इसका समर्थन किया गया था। इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा ''आप इसके बारे में क्या सोचते हैं''। मैंने कहा ''नये प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में यह एक बहुत गम्भीर विषय है। हमारी गठबंधन सरकार है। हमें अपनी सरकार से पूछना चाहिये था और वास्तव में जब प्रस्ताव हमारे द्वारा पढ़ा गया हमने इसे नहीं पढ़ा है—इराक में हमारे द्वारा सेना भेजने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। वहां सेना नहीं भेजी जायेगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री शिवराज सिंह चौहान, कृपया अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए अन्यथा मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: महोदय, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, कृपया बैठ जाइए। आप सभी जानते हैं। आप सभी को विदित है और मुझे आपको सलाह देने की जरूरत नहीं है। यदि माननीय मंत्री ने सभा को गुमराह किया है, तो आप जानते हैं कि इसका उपचार क्या है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: महोदय, वह सभा को गुमराह नहीं कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि उन्होंने सभा को गुमराह किया है, तो नियमों में कई प्रावधान है जिसके अधीन कार्यवाही की जा सकती है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हमें मालूम है।

अध्यक्ष महोदय: आपको मालूम है। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री शिवराज सिंह चौहान, कृपया अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, जब इस सदन में निर्णय हो गया, ...*(व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, इलैक्ट्रोनिक मीडिया के सामने स्पष्ट कहा था जिसे देश के लाखों लोगों ने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि इराक में भारतीय सेनाएं भेजने के मामले पर भारत पुनर्विचार करेगा। अब मंत्री जी बयान बदल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। यह पूरे सदन की अवमानना है। यह पूरी संसद की अवमानना है। पूरे देश ने इन्हें यह कहते हुए इलैक्ट्रोनिक मीडिया पर सुना और देखा। अब ये उसके विपरीत उत्तर देकर पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, इस सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था और फैसला लिया था कि इराक में हम अपनी सेनाएं नहीं भेजेंगे। फिर माननीय मंत्री जी ने उस फैसले पर पुनर्विचार की बात क्यों कही और अब ये अपना बयान क्यों बदल रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप स्थिति पर पुनर्विचार कर रहे हैं? प्रश्न यह है।

श्री के. नटवर सिंह: महोदय, जैसे ही अगले दिन भारत से यह समाचार आया कि जो मैंने कहा था उसका गलत अर्थ निकल गया है तो मैंने एक प्रेस कांफ्रेंस बुलाई और पूरी स्थिति को स्पष्ट किया और हम किसी से कम नहीं हैं। यह तो उनकी सरकार थी जिसने ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री चन्द्रकांत खैरे बोलेंगे उनका नाम इस सूची में है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं अगला प्रश्न शुरू कर दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अपने ही सदस्य को बोलने नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री चन्द्रकान्त खैरे का प्रश्न ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, इस सदन में भारत की सेनाएं इराक नहीं भेजने के बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया था, फिर मंत्री जी ने वहां ऐसा बयान क्यों दिया। जब एन.डी.ए. सरकार ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था, फिर सम्मानीय विदेश मंत्री जी ने यह बात क्यों कही कि पुनर्विचार होगा? *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, सम्मानित विदेश मंत्री जी ने यह बात कही है। इसे सारे हिन्दुस्तान ने देखा, सारे लोगों ने सुना और मैंने भी देखा और सुना। एन.डी.ए. सरकार पर कल इन्होंने आरोप लगाया और सोनिया गांधी जी ने इस बारे में कहा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एन.डी.ए. सरकार के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और हमारे शिवसेना प्रमुख श्री बाला साहेब ठाकरे ने भी इस बारे में कहा था कि भारत की सेनाएं इराक में नहीं भेजी जानी चाहिए। मेरा कहना यह है कि भारत की सेनाएं इराक में नहीं भेजे जाने के बारे में केवल श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ही नहीं कहा था, बल्कि उक्त नेताओं ने भी कहा था। सब कुछ होने एवं सर्वसम्मति से निर्णय होने के बावजूद इन्होंने वहां ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? जो चौहान साहब ने कहा, वह बराबर है, वह ठीक है। आज इराक में सैनिक और हमारे लोग तकलीफ में हैं। उन्हें वहां से सम्मान के साथ लाने की बात भी मंत्री जी ने कही थी, उस बारे में मंत्री जी बताएं कि क्या स्थिति है?

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: किसने उल्टा अर्थ निकाला था? समीक्षा पर उनके वक्तव्य का गलत अर्थ निकाला गया। अतः, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि किसने गलत अर्थ निकला है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि आपको अध्यक्षपीठ पर किसी के बैठे होने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप क्या चाहते हैं? आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। मैंने श्री चन्द्रकांत खैरे को प्रश्न पूछने के लिए कहा है। मैंने आपको नहीं बुलाया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री चन्द्रकान्त खैरे के भाषण और मंत्री के उत्तर के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: ठीक है आप इसे सुनना नहीं चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकान्त खैरे: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं यहां सभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए हूं। आप बार-बार खड़े क्यों हो रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आप सुनने के इच्छुक नहीं हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा नहीं कर सकते।

अब माननीय प्रधानमंत्री बोलेंगे।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रधान मंत्री (डा. मनमोहन सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की विदेश नीति से सम्बन्धित मामलों में हमारी सरकार का प्रयास हर संभव राष्ट्रीय सर्वसम्मति के अनुसार काम करना होगा। हम इस देश अथवा इस सभा को संवेदनशील मामलों पर विभक्त नहीं करना चाहते हैं। जहां तक इराक संबंधी नीति का संबंध है, तो संसद का संकल्प है जिसमें हम सभी दलों ने अपनी सहमति व्यक्त की है और यदि अन्य मामलों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तो हम संसद में सभी दलों की राय जानते हुए यथासम्भव अधिकतम परामर्श करेंगे। अत:, इस समय उस नीति में कोई परिवर्तन नहीं है। ईराक में भारतीय सेना भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं आपको अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आग्रह करता हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए माननीय प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के पश्चात्, जिसमें सरकार की राय को स्पष्ट रूप से बताया गया है। मैं नहीं समझता कि कुछ और पूछने की गुंजाइश है। मैंने सुझाव दिया है यदि आपके अनुसार मंत्री जी ने सभा को गुमराह किया है तो तरीके भी हैं। आप सभी को भली भांति मालूम है हम उन पर कार्यवाही कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.59 बजे

(इस समय श्री अनन्त कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपने स्थान पर बैठ क्यों नहीं जाते हैं?

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना करना

*45. **श्री वरकला राधाकृष्णन:**
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को केरल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने हेतु केरल राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(ङ) क्या सरकार इन संस्थानों के निर्माण की प्राथमिकता में परिवर्तन कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (च) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पिछले वर्ष प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नामक एक स्कीम बनाई गई जिसमें सिद्धान्त रूप में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय किया गया कि बिहार (पटना), छत्तीसगढ़ (रायपुर), मध्य प्रदेश (भोपाल), उड़ीसा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर) और उत्तरांचल (ऋषिकेश) राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसा एक-एक संस्थान स्थापित किया जाए। इन राज्यों का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि ये राज्य चिकित्सा संबंधी आधारभूत सुविधा के मामले में अल्पसेवित थे, यहां उच्च मृत्यु दर एवं रुग्णता दर रही है तथा सुपरस्पेशियल्टी सेवाओं आदि की सुविधाएं अपर्याप्त रही हैं। यह योजना है कि प्रत्येक संस्थान में 500 बिस्तर वाला अस्पताल होगा और इसके साथ-साथ यहां 35 स्पेशियलिटी/सुपर स्पेशियलिटी विषयों में चिकित्सा उपचार दिया जाएगा। यह संस्थान 100 अभ्यर्थियों को स्नातक पूर्व चिकित्सा शिक्षा तथा विभिन्न स्पेशियलिटी/सुपर स्पेशियलिटी विषयों में स्नातकोत्तर/डाक्टरल पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय को मुख्यमंत्री, केरल द्वारा भेजा गया एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें केरल राज्य में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना करने का अनुरोध किया गया था। पिछले वर्ष बनाई गई स्कीम में केवल उपरोक्त विनिर्दिष्ट स्थानों पर 'एम्स' की स्थापना का प्रावधान था जिसमें केरल राज्य शामिल नहीं था। इस स्कीम में 'एम्स' की तरह के छह संस्थान सामानान्तर रूप से स्थापित करने हैं और उनके बीच किसी एक स्थान विशेष को प्राथमिकता नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया जल्दी से अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता

*46. श्री पी.के. वासुदेवन नायर:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तरीय वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या हाल ही में दोनों देशों के बीच परमाणु क्षेत्र में आपसी विश्वास स्थापित करने के उपायों के बारे में वार्ता हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत सरकार पाकिस्तान के साथ नियमित सम्पर्क हेतु 'हाट लाइन' स्थापित करने पर सहमत हो गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या हाल ही में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी;

(ज) यदि हां, तो इसमें की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस मुलाकात से दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में कहां तक सुधार होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) 27-28, जून 2004 को नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तरीय वार्ताओं का आयोजन किया गया। उन्होंने आतंकवाद और हिंसा मुक्त वातावरण में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर अपने दृष्टिकोण का आदान-प्रदान किया। 28 जून को वार्ता समाप्त होने पर जारी संयुक्त विवरण में, विदेश सचिवों ने अन्य बातों के साथ-साथ 19-20 जून, 2004 को नई दिल्ली में परमाणु क्षेत्र में आपसी विश्वास स्थापित करने के उपायों संबंधी विशेषज्ञ स्तरीय बैठक द्वारा सुझाए गए उपायों को अनुमोदित किया। दोनों पक्षों ने पारम्परिक विश्वास बढ़ाने के उपायों के लिए एक व्यापक संरचना का प्रस्ताव किया जिसका उद्देश्य संचार, समन्वय और सम्पर्क कायम करना व बढ़ाना था। उच्चायोग के 110 कर्मचारियों के वास्तविक स्तर को तत्काल पुन: बहाल करने; एक दूसरे की हिरासत में पकड़े गए सभी मछुआरों को तत्काल मुक्त करने और खुले सागर में गलती से घुस आये मछुआरों और उनकी नौकाओं को लौटाने के लिए एक तन्त्र स्थापित करने; तथा असैनिक कैदियों को शीघ्र मुक्त करने पर भी सहमति हुई। करांची और मुम्बई में महाकौंसुलावास पुन: स्थापित करने पर भी सैद्धान्तिक रूप से सहमति हुई है।

(ग) और (घ) 19-20 जून, 2004 को नई दिल्ली में परमाणु क्षेत्र में विश्वास बढ़ाने के उपायों पर विशेषज्ञ स्तरीय बैठक आयोजित की गई। 20 जून की बैठक के बाद जारी संयुक्त विवरण, अभिसरण के क्षेत्रों की पहचान करने; कार्यान्वित किए जाने वाले संचार सम्पर्कों पर विश्वास बढ़ाने के उपाय करने; मिसाइल के उड़ान परीक्षण की पूर्व अधिसूचना संबंधी तकनीकी मानदण्डों वाला करार, जिसका मसौदा भारतीय पक्ष द्वारा सौंपा गया था, करने की दिशा में कार्य करने और अन्य परमाणु शक्तियों सहित कार्य स्तर पर वार्ताएं करने हेतु एक संयुक्त आह्वान के लिए महत्वपूर्ण था।

(ङ) और (च) परमाणु क्षेत्र में विश्वास बढ़ाने के उपायों पर हुई विशेषज्ञ स्तरीय बैठक के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि डी जी एम ओ के बीच विद्यमान हाटलाइन को संवर्द्धित, समर्पित और सुरक्षित किया जाएगा और यह कि समर्पित और सुरक्षित हाटलाइन को गलतफहमी रोकने और परमाणु मुद्दों से संबंधित खतरों को कम करने के लिए अपने संबंधित विदेश अधिकारियों के माध्यम से दोनों विदेश सचिवों के बीच स्थापित किया जाएगा।

(छ) और (ज) विदेश मंत्री श्री के. नटवर सिंह और पाकिस्तानी विदेश मंत्री श्री खुर्शिद एम. कसूरी ने एशियाई सहयोग संवाद बैठक के दौरान 21 जून, 2004 को किंगदाऊ में मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों की सभी पहलुओं पर हो रही प्रगति और दोनों के विदेश सचिवों द्वारा फरवरी 2004 में की गई संवाद प्रक्रिया की संरचना के कार्यान्वयन की समीक्षा की । उन्होंने बी॰एस॰एफ॰ और पाकिस्तान रेंजर्स, दोनों देशों के नार्कोटिक्स नियंत्रण प्राधिकरण और परमाणु क्षेत्र में विश्वास बढ़ाने के उपायों पर विशेषज्ञ स्तरीय संवाद सहित वार्ताओं में हो रही प्रगति पर सकारात्मक रूप से मूल्यांकन किया। दोनों मंत्री एक दूसरे के नियमित सम्पर्क में रहने और चालू प्रक्रिया को नियमित राजनैतिक दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने पर सहमत हुए।

(झ) भारत और पाकिस्तान के बीच ये सम्पर्क, आतंकवाद और हिंसा के खतरे से मुक्त वातावरण में विश्वास बढ़ाने, सहयोग और संवाद की चालू प्रक्रिया को आगे बढ़ाने संबंधी दृष्टिकोण के आदान-प्रदान में महत्वपूर्ण हैं।

[हिन्दी]

सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता

*47. **श्री निखिल कुमार चौधरी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंग्लैंड ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु भारत का नाम प्रस्तावित किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक पहल की जा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने ब्रिटेन द्वारा व्यक्त किए गए समर्थन का स्वागत किया है।

(ग) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार और पुन:संरचना का मुद्दा कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र में विचाराधीन है। संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 1993 में एक ओपन एन्डेड वर्किंग ग्रुप (ओ ई डब्ल्यू जी) का गठन किया गया जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार और पुन:संरचना की सभी पहलुओं पर वार्ता हुई है। भारत ने पहली बार वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रत्येक सत्र, ओ ई डब्ल्यू जी, और उच्च स्तरीय द्विपक्षीय सम्पर्क बैठकों में यह मामला उठाना जारी रखा है। स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी को काफी समर्थन मिल रहा है।

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

*48. **डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम शांडिल्य:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित कुछ योजनाओं को वापस लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) योजना आयोग समय-समय पर मौजूदा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की समीक्षा करता है और उन पर शून्य आधारित बजट (जेडबीबी) बनाता है और केवल उन्हीं स्कीमों को रखता है, जो निश्चित रूप से अनिवार्य होती हैं।

(ख) यह प्रक्रिया स्कीमों को और अधिक संकेन्द्रित करके उन्हें युक्तिसंगत बनाने में सहायक होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनके लाभ लक्षित वर्गों तक पहुंचे तथा यह डिलीवरी प्रणाली को भी कारगर बनाती है।

(ग) सरकार द्वारा जो साझा न्यूनतम कार्यक्रम अपनाया गया है, उसमें परिवार नियोजन जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को छोड़कर समस्त केन्द्र प्रायोजित स्कीमें राज्यों को अंतरित करने का उल्लेख किया गया है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में जीवन रक्षक दवाएं

*49. **श्री वीरेन्द्र कुमार:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में उच्च कोटि की दवाएं, विशेषकर जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का पुनर्गठन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (च) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी जी एच एस) के लाभार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर जीवन-रक्षक सहित अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। इस प्रयोजन के लिए सरकारी एजेंसियों के माध्यम से विनिर्माताओं से दवाइयां

खरीदी जाती हैं और औषधालयों में रखी जाती हैं। यदि सरकारी डाक्टर द्वारा लिखी गई (प्रेसक्राइब्ड) दवाइयां औषधालय में उपलब्ध नहीं होती हैं तो लाभार्थी के व्यक्तिगत पर्चे (प्रिसक्रिप्सन) के आधार पर अधिकृत स्थानीय केमिस्ट से दवाइयां खरीदकर लाभार्थी को प्रदान की जाती हैं। आपातकाल की स्थिति में लाभार्थी को एक प्राधिकार पर्ची दी जाती है जिसके आधार पर वह अधिकृत स्थानीय केमिस्ट से सीधे ही दवा ले लेता है।

उपर्युक्त के मद्देनजर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पुनर्गठन का प्रश्न नहीं उठता है।

अप्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता

*50. **श्री सुकदेव पासवान:**
श्री एस.पी.वाई. रेड्डी:

क्या **अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अप्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विशेषाधिकार केवल कुछ चुनिन्दा देशों के अप्रवासी भारतीयों को ही दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इससे अप्रवासी भारतीयों को कितना फायदा होने की संभावना है?

अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी नहीं। तथापि, भारत सरकार ने भारतीय मूल के उन लोगों को विदेशी नागरिकता की अनुमति प्रदान की है जो सोलह विनिर्दिष्ट देशों में से किसी एक देश के नागरिक हैं। अनिवासी भारतीय पहले ही भारतीय नागरिक हैं और इसलिए इन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

कैंसर उन्मूलन

*51. **श्री जी. विनोद कुमार:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कैंसर के राज्य-वार कितने मामले प्रकाश में आए;

(ग) क्या सरकार ने कैंसर रोगियों को आवश्यक सहायता और दवाएं उपलब्ध कराई हैं;

(घ) क्या देश में कैंसर की दवाएं महंगी हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन दवाओं के मूल्य पर नियंत्रण रखने/उनका मूल्य कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार के पास देश में कैंसर अनुसंधान केन्द्रों को विकसित करने एवं उनका आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार-ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस रोग पर नियंत्रण करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ज) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्य कर रहे जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों द्वारा एकत्र की गई सूचना के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि हर वर्ष लगभग 7-9 लाख नए कैंसर रोगियों का पता लगाया जाता है और इस समय देश में 2-2.5 मिलियन कैंसर के रोगी हैं। इन आंकड़ों से सभी स्थानों की समेकित कैंसर की घटना दर में कोई खास वृद्धि इंगित नहीं होती है। राज्य-वार पता लगाए गए कैंसर रोगियों की संख्या से संबंधित आंकड़ों के रख-रखाव का कार्य केन्द्रीय रूप से नहीं किया जाता है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए कैंसर रोगियों को उपचार सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार उपकरणों की खरीद और अनुसंधान के लिए राज्यों में मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के उपचार सुविधाएं और आवर्ती अनुदान प्रदान करने के वास्ते राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों में विकिरण चिकित्सा एककों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने में सहयोग दे रहे ही। केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अन्तर्गत जरूरतमंद तथा निर्धन रोगियों को उपचार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि में भी अंशदान दे रही है। यद्यपि, औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 1995 के उपबन्धों के अन्तर्गत सरकार द्वारा कैंसर रोधी औषधों की कीमतों को नियंत्रित नहीं किया जाता है, तथापि अधिकतर आयात किये जाने

वाले कैंसररोधी औषधों को जीवन रक्षक औषधों की सूची में रखा गया है और उनको सीमा शुल्क से मुक्त रखा जाता है।

इस मंत्रालय ने कैंसर के क्षेत्र में व्यापक उपचार प्रदान करने और अनुसंधान कार्यकलाप शुरू करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों में 20 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता दी है। क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इस समय इन क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को उपकरणों की खरीद और अनुसंधान करने के लिए आवर्ती वित्तीय सहायता दी जाती है। उन राज्यों जहां इस समय इन क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता ही दी गई है, में नए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों और अधिक आबादी वाले राज्यों में और अधिक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता देने तथा 10वीं योजना के दौरान बुनियादी सुविधाओं के विकास के वास्ते क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

चूंकि यदि कैंसर का प्रारंभिक अवस्था में ही पता लग जाए तो उसकी ठीक किया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से इसका शुरू में ही पता लगाने और उसका उपचार करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, चूंकि कैंसर तम्बाकू उत्पादों इत्यादि के उपभोग जैसी जीवन-शैली से संबंधित है, इसलिए जन-साधारण में इलेक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से कैंसर के विभिन्न पहलुओं के बारे में जन-जागरूकता उत्पन्न की जा रही है।

विवरण

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची

कमला नेहरू स्मारक अस्पताल,
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल

किदवई स्मारक अर्बुद विज्ञान संस्थान,
बंगलौर, कर्नाटक

क्षेत्रीय कैंसर संस्थान (डब्ल्यू.आई.ए.),
अड्यार, चैन्नई, तमिलनाडु

आचार्य हरिहर कैंसर अनुसंधान एवं उपचार हेतु
क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, कटक, उड़ीसा

क्षेत्रीय कैंसर नियंत्रण सोसायटी,
शिमला, हिमाचल प्रदेश

कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र,
ग्वालियर, मध्य प्रदेश

भारतीय रोटरी कैंसर संस्थान, (एम्स), नई दिल्ली

आर.एस.टी. अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र,
नागपुर, महाराष्ट्र

पंडित जे.एन.एम. चिकित्सा महाविद्यालय,
रायपुर, छत्तीसगढ़

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र,
तिरूवनन्तपुरम्

गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान,
अहमदाबाद, गुजरात

एम.एन.जे. अर्बुद विज्ञान संस्थान,
हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

पांडिचेरी क्षेत्रीय कैंसर सोसायटी,
जिपमेर, पांडिचेरी

डा. बी.बी. कैंसर संस्थान,
गुवाहाटी, असम

टाटा स्मारक अस्पताल,
मुम्बई, महाराष्ट्र

इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान,
पटना, बिहार

आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर न्यास एवं अनुसंधान संस्थान
(आर.सी.सी.), बीकानेर, राजस्थान

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, पंडित बी.डी. शर्मा स्नातकोत्तर
आयुर्विज्ञान संस्थान रोहतक हरियाणा

सिविल अस्पताल,
आइजल, मिजोरम

[हिन्दी]

पाकिस्तानी जेलों में भारतीय युवक

***52. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तानी जेलों में आज भी कई भारतीय युवक बन्द हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उनकी शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तबके के लोगों से हाल ही में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) इन युवकों की रिहाई कब तक होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार बताया गया है कि अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश किए गए कुछ युवकों सहित पाकिस्तान में अनेक भारतीय सिविलियन कैदी हैं।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) भारत सरकार, राजनयिक माध्यमों से भारतीय सिविलियन कैदियों की शीघ्र रिहाई और उन्हें वापिस भेजने के मामले को लगातार पाकिस्तान के साथ उठाती रही है। मामले को पुन: एक बार 27-28 जून, 2004 को नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तरीय वार्ता के दौरान उठाया गया और इसे संयुक्त वक्तव्य में शामिल किया गया।

[अनुवाद]

''फिक्स्ड लाईन'' सेवाओं की विफलता

***53. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवाओं में गुणवत्ता संबंधी ''ट्राई'' (टीआरएआई) के मानदण्ड को प्राप्त करने में ''फिक्स्ड लाईन'' सेवा प्रदाता विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) वायरलाइन (फिक्स्ड लाइन) सेवाओं सहित विभिन्न सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता संबंधी विनियम जारी करता है। सेवा की गुणवत्ता के लिए अनेक मापदण्ड (पैरामीटर) निर्धारित किए जाते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कोई भी प्रचालक सेवा-गुणवत्ता मापदण्डों के लिए ट्राइ द्वारा निर्धारित सभी मापदण्ड-लक्ष्यों (बैंचमार्क) को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

मार्च 2004 को समाप्त तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार जिन प्रमुख मापदण्डों के लिए निर्धारित मापदण्ड-लक्ष्य संबंधी अपेक्षाओं को अधिकांश सेवा प्रदाताओं द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) प्रति 100 उपभोक्ता लाइनों में दोष उत्पन्न होने संबंधी घटनाएं

(2) सेवा की श्रेणी

(3) स्थानीय नेटवर्क में काल समापन दर

(4) मीटरिंग तथा बिलिंग की विश्वसनीयता, और

(5) स्थानान्तरण (शिफ्ट)।

दिसम्बर 2003 को समाप्त तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), उड़ीसा, पूर्वोत्तर, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा असम सेवा क्षेत्रों में संपूर्णत: संतोषजनक सेवा (सेवा-गुणवत्ता मूल्यांकन सापेक्ष) के लिए मापदण्ड-लक्ष्य संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया।

मापदण्ड-लक्ष्य पूरा न कर पाने के कारण ये हैं: कार्यरत प्रचालकों के बाह्य संयंत्र वायरलाइन नेटवर्क (जिसमें काफी समय पूर्व बिछाए गए विभिन्न प्रकार के भूमिगत केबल और ओवरहैड अलाइनमैंट हैं) तथा उपभोक्ता केंद्रों की खराब गुणवत्ता और दूरसंचार संस्थापनाओं में विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति की अनुपलब्धता।

उपद्रवों के कारण भी देश के कई भागों में दूरसंचार नेटवर्कों का अनुरक्षण कार्य प्रभावित होता है, जिसके परिणामत: विभिन्न सेवा प्रदाताओं की सेवा-गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रचालकों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी करता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने एक एजेन्सी को भी नामित किया है जिसके द्वारा सेवा प्रदाताओं के नेटवर्कों का निरीक्षण करके सेवा पैरामीटरों की गुणवत्ता-मूल्यों को सत्यापित किया जाएगा। सेवा-गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों के सत्यापन के परिणामों को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है तथा उन्हें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर रखा जाता है। प्राधिकरण सेवा प्रदाताओं के साथ परस्पर बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से तथा उपभोक्ताओं के बीच व्यापक जागरूकता उत्पन्न करके सेवा-गुणवत्ता पैरामीटरों का अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। प्रतिस्पर्धा, सेवा प्रदाताओं को एक स्व-विनियमन के रूप में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बाध्य करती है। ट्राई ने सेवा-गुणवत्ता के मापदण्डों का अनुपालन न करने वाले प्रचालकों के खिलाफ अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की सिफारिश नहीं की है।

भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच साझा परमाणु नीति सिद्धान्त

***54. श्री कैलाश मेघवाल:**
श्री शिवाजी अधलराव पाटील:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच एक साझा परमाणु नीति तैयार की है ताकि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता लायी जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में इन देशों के साथ कोई चर्चा हुई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पहल से इन देशों के बीच कितना सहयोग बढ़ने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (ङ) विशेष रूप से समान परमाणु नीति स्थापित करने के लिए अभी तक चीन और/अथवा पाकिस्तान की सरकारों के साथ न तो कोई चर्चा हुई है और न ही कोई प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। पाकिस्तान के आधिकारिक प्रवक्ता ने 1 जून 2004 के विदेश मंत्री के मीडिया को दिए वक्तव्य में निहित इस विचार को "अभिनव" बताया जिसमें "और गहरी जांच" की आवश्यकता है। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए चीन ने "परमाणु शस्त्रों के पूर्ण प्रतिबंध और उसे समूल नष्ट करने" पर अपनी स्थिति को दोबारा स्पष्ट किया।

[हिन्दी]

अन्तरिक्ष अनुसंधान

***55. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत द्वारा अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अभी तक कितनी प्रगति की गई है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) अन्तरिक्ष अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए अनेक देशों और अन्तरिक्ष एजेंसियों अर्थात् आस्ट्रेलिया, ब्राजील, ब्रुनेई दारूसलाम, कनाडा, चीन, यूमेटसैट, यूरोपियन अन्तरिक्ष एजेंसी, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इन्डोनेशिया, इजरायल, इटली, मारीशस, मंगोलिया, नार्वे, पीरू, रूस, स्वीडन, सीरिया, थाईलैण्ड, यू.के., यूक्रेन और यू.एस.ए. के साथ करारों अथवा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) भारत में अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में हुई प्रमुख उपलब्धियों में आत्मनिर्भर रूप में विश्व श्रेणी के उपग्रहों और प्रमोचक राकेटों का विकास करना तथा राष्ट्रीय विकास से संबद्ध अनेक क्षेत्रों में लागत प्रभावी रूप में अन्तरिक्ष प्रणालियों का उपयोग करना शामिल है। भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय विकास में योगदान देते हुए स्वदेशी रूप में निर्मित दो प्रचालनात्मक उपग्रह प्रणालियां स्थापित की हैं अर्थात् भारतीय सूदूर संवदेन उपग्रह (आई.आर.एस.) और भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इन्सैट)। भारत का ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) लगातार सात सफल उड़ानों के माध्यम से भली प्रकार प्रमाणित है और यह ध्रुवीय सूर्यतुल्यकाली कक्षाओं में 1.4 टन भार की श्रेणी के सुदूर संवदेन उपग्रहों को स्थापित करने में आत्मनिर्भर प्रमोचन क्षमता

प्रदान करता है। भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) की दो बार सफल उड़ान जांच की जा चुकी है, जिसने भारत को भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचन की क्षमता प्रदर्शित करने वाले देशों में विश्व में छटा राष्ट्र बना दिया है। बहुउद्देश्यी इन्सैट उपग्रह प्रणाली, जोकि विश्व में बृहत्तम घरेलू उपग्रह प्रणालियों में से एक है, 1100 से अधिक दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की संयोजकता के माध्यम से दूरदर्शन प्रसारण सेवाओं, रेडियो स्टेशनों की नेटवर्किंग, चक्रवात संबंधी चेतावनी प्रदान करने, मौसमविज्ञानीय आंकड़ों को एकत्र करने, मौसम के पूर्वानुमान में सहायता देने तथा खोज और बचाव सहायता प्रदान करने के लिए एक मुख्य आधार है। इन उपग्रहों का दूरचिकित्सा और दूरस्थ शिक्षा जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी व्यापक रूप में उपयोग किया जा रहा है। आई.आर.एस. उपग्रह कृषि फसलों के मानीटरन और भूमिजल की उपलब्धता के स्थानों की खोज सहित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध के लिए उपयोगी सूचना व्युत्पन्न करने हेतु विश्व में श्रेष्ठ उपग्रह हैं। आई.आर.एस. उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का वाणिज्यिक आधार पर सम्पूर्ण विश्व में उपयोग किया जा रहा है। उपग्रहों, बेलूनों, परिज्ञापी राकेटों और भूयंत्रों का उपयोग करते हुए खगोलविज्ञान, वायुमण्डलीय विज्ञान तथा दीर्घकालीन जलवायुवी अनुसंधान के क्षेत्रों में अग्रणी अन्वेषण कार्य किए जा रहे हैं। भारत चन्द्रमा की सतह के बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण के लिए चन्द्र कक्षा में उपग्रह स्थापित करने हेतु चन्द्रयान-1 नामक एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू कर रहा है। संक्षेप में, सम्पूर्ण विश्व में यह मान्यता है कि संतुलित बजट आवंटन से राष्ट्रीय विकास के अनेक क्षेत्रों में भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम का योगदान महत्वपूर्ण है।

[अनुवाद]

कार्डियो वास्कुलर रोग संबंधी अध्ययन

*56. **डा. एम. जगन्नाथ:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोलम्बिया विश्वविद्यालय में अर्थ इंस्टीट्यूट द्वारा भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से कराए गए हाल ही के अध्ययन में कार्डियों वास्कुलर रोगों के कारण मृत्यु तथा विकलांगता की बढ़ती हुई घटनाओं की चेतावनी दी गई है जैसाकि 13 जून, 2004 के 'हिन्दू' में प्रकाशित हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन रोगों को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए उपाय सुझाने हेतु किसी अध्ययन समूह का गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) आज विश्व में हृदयवाहिका रोग रुग्णता और मृत्यु का एक प्रमुख कारण हैं और ये 2020 तक पूरे विश्व में मृत्यु और अशक्तता का प्रमुख कारण बन जाएंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के अनुसार, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस में अन्तरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ आयोजित किए गए अर्थ इंस्टीट्यूट आफ कोलम्बिया यूनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में जारी एक अध्ययन में यह चेतावनी दी गई है कि हृदयवाहिका रोगों के कारण बढ़ती हुई मृत्यु और अशक्तता की दरें उत्पादकता को गंभीर रूप से प्रभावित करेंगी और इन देशों पर आर्थिक बोझ डालेंगी। अल्प आयु में मृत्यु और अशक्तता से भारतीय बुरी तरह से प्रभावित होगा जिसमें 35-64 वर्ष के आयु-समूह में मृत्यु के कारण उत्पादकता जीवन वर्ष की हानि होगी जो 2000 में 9.2 मिलियन से बढ़कर 2030 में 17.9 मिलियन हो जाएगी। इस वृद्धि को घटी हुई शारीरिक क्रियाशीलता, खाद्य आदतों में बदलाव, वसा और शूगर के उपभोग में वृद्धि फाइबर और सूक्ष्म पोषकों (फालिक एसिड, एंटिटाक्सिडेंट्स) को निम्न मात्रा में लेने आदि जैसे जीवनशैली में होने वाले बदलाव से जोड़ने का संकेत किया गया है। सरकार हृदय रोगों और स्वस्थ जीवन पद्धतियों के बारे में जन स्वास्थ्य जागरूकता में वृद्धि करने के लिए इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों के जरिए स्वास्थ्य संदेशों का प्रचार कर रही है।

सरकार ने 10वीं योजना के दौरान कार्यान्वित करने हेतु हृदयवाहिका रोग, मधुमेह, स्ट्रोक आदि सहित विभिन्न गैर-संचारी रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए कार्यनीतियां और उपाय सुझाने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक कार्य समूह गठित किया। तथापि, हृदयवाहिका रोग, मधुमेह, स्ट्रोक आदि के लिए कार्यक्रम को इस विभाग के योजना आवंटन के भीतर शुरू नहीं किया जा सका।

एच आई वी/एड्स पर सम्मेलन

*57. **श्री बसुदेव आचार्य:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में एड्स से पीड़ित रोगियों की राज्य-वार संख्या कितनी थी;

(ख) क्या एच आई वी/एड्स के संबंध में संसदीय मंच द्वारा जुलाई, 2003 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए "एच आई वी/एड्स पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के राष्ट्रीय अभिसमय" सम्मेलन में एच आई वी पोजिटिव लोगों के इलाज का आश्वासन दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के 'हेल्थ केयर सिस्टम' के माध्यम से एच आई वी पीड़ित लोगों को मुफ्त एंटी-रिट्रोवल (ए आर वी) अथवा हाइली एक्टिव रिट्रोवल एच ए आर वी टी ट्रीटमेंट प्रदान करने के लिए कोई कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) विगत तीन वर्षों, जून, 2004 तक, के दौरान एड्स रोगियों की सूचित संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

नई दिल्ली में 26-27 जुलाई, 2003 को एचआईवी/एड्स संबंधी संसदीय मंच के एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसका उद्देश्य एचआईवी/एड्स कार्यक्रम में निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करना था। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था और इसे उप प्रधान मंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, राज्य सभा की उप-सभापति, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा संबोधित किया गया था। यूएनएड्स के कार्यकारी निदेशक ने भी प्रतिनिधियों को संबोधित किया। सम्मेलन का समापन एचआईवी/एड्स के विरुद्ध लड़ाई के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की एक प्रति विवरण-II के रूप में संलग्न है। सरकार द्वारा 1 दिसम्बर, 2004 को विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एण्टीरिट्रोवाइरल उपचार शुरू करने के बारे में घोषणा की गई। दिए गए आश्वासन के अनुसार अप्रैल, 2004 में आठ निर्दिष्ट सरकारी अस्पतालों में एण्टीरिट्रोवाइरल उपचार शुरू किया गया था। यह उपचार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और नागालैण्ड के छह उच्च व्याप्तता वाले राज्यों में प्रत्येक में एक-एक अस्पताल में और दिल्ली में दो अस्पतालों में 1 अप्रैल, 2004 से एचआईवी/एड्स रोगियों के निम्नलिखित तीन प्राथमिकता वाले समूहों में शुरू किया गया था:

(1) माता-पिता से बच्चे को होने वाले संचरण की रोकथाम संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत गर्भवती महिलाएं:

(2) 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे; और

(3) सरकारी अस्पतालों से उपचार प्राप्त कर रहे एड्स के रोगी।

भारत सरकार ने छह उच्च व्याप्तता वाले राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में निम्नलिखित 8 चिकित्सा संस्थानों से नि:शुल्क एआरवी रोल आउट शुरू किया है, अर्थात्—

1. सर जे.जे. अस्पताल, मुम्बई,
2. इंस्टीट्यूट आफ थोरासिक मेडिसिन, ताम्बरम,
3. सीएमसी, वैल्लूर,
4. उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद,
5. बेंगलूर मेडिकल कालेज, कर्नाटक
6. आरआईएमएस, कोहिमा, इम्फाल,
7. लोकनायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल, दिल्ली,
8. डा. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल, नई दिल्ली।

1. अप्रैल, 2004 से एचआईवी/एड्स से ग्रस्त लगभग 900 व्यक्ति पहले ही इन केन्द्रों से एण्टीरिट्रोवाइरल उपचार प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संसाधनों की कमी वाले देशों हेतु दिसम्बर, 2003 में तैयार दिशा-निर्देशों को सैद्धांतिक रूप से अंगीकार किया है और इनका अनुपालन किया जा रहा है।

सरकार चालू वर्ष में उच्च व्याप्तता वाले राज्यों में अतिरिक्त एआरटी उपचार केन्द्रों के माध्यम से एआरटी का विस्तार करेगी। उच्च व्याप्तता वाले राज्यों के सभी चिकित्सा कालेजों में और बाद में जिला स्तरीय अस्पतालों में एआरटी का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान और जून, 2004 तक एड्स रोगियों की सूचित की गई संख्या
(राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों द्वारा सूचित किए गए अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	2001 में सूचित	2002 में सूचित	2003 में सूचित	2004 में जून तक सूचित
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	5	6	5	0
2.	आंध्र प्रदेश	732	1085	4123	1195

1	2	3	4	5	6
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4.	असम	47	16	50	13
5.	बिहार	63	28	9	0
6.	चंडीगढ़	189	223	161	67
7.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
8.	दमण और दीव	0	0	0	0
9.	दिल्ली	158	106	114	30
10.	गोवा	48	68	174	37
11.	गुजरात	713	1030	756	686
12.	हरियाणा	76	53	54	46
13.	हिमाचल प्रदेश	51	29	28	0
14.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
15.	कर्नाटक	541	294	201	76
16.	केरल	259	385	626	73
17.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	156	156	124	80
19.	महाराष्ट्र	2043	2801	2159	892
20.	मणिपुर	307	582	1187	132
21.	मेघालय	0	0	0	0
22.	मिजोरम	5	14	18	0
23.	नागालैंड	131	87	84	14
24.	उड़ीसा	47	15	1	0
25.	पांडिचेरी	21	140	0	0
26.	पंजाब	40	59	21	37
27.	राजस्थान	98	292	266	78
28.	सिक्किम	2	2	2	0
29.	तमिलनाडु	7354	9101	7130	0

1	2	3	4	5	6
30.	त्रिपुरा	0	5	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	229	359	339	121
32.	पश्चिम बंगाल	207	969	611	0
33.	अहमदाबाद नगर निगम	189	78	0	0
34.	मुम्बई नगर निगम	0	1017	2913	919
	कुल	13711	19000	21156	4496

विवरण-II

एचआईवी/एड्स का सामना करने में राजनीतिक नेतृत्व की घोषणा 26-27 जुलाई को आयोजित एचआईवी/एड्स संबंधी भारत के संसदीय मंच के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में 26 जुलाई, 2003 को नई दिल्ली में अंगीकृत

हम, राजनीतिक दलों के सक्रिय कार्यकर्ता:

स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रूप में हमारी व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक रूप से लोगों और सरकार के बीच सम्पर्क के रूप में, लोगों के अधिकारों और जरूरतों के लिए अधिवक्ताओं के रूप में, इन अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून बनाने हेतु विधायकों के रूप में और संसाधन जुटाने के लिए नीति निर्माताओं के रूप में एचआईवी/एड्स से लड़ने के लिए सिविल समाज को शामिल करने तथा आवश्यक सामर्थ्यकारी वातावरण बनाने हेतु एक निर्णायक भूमिका है।

कायल हैं कि हम इकट्ठे होकर एचआईवी/एड्स की महामारी पर विजय प्राप्त पर सकते हैं; इसे और आगे फैलने से रोक सकते हैं, एक सामर्थ्यकारी वातावरण के लिए काम कर सकते हैं और महामारी के प्रभाव को कम कर सकते हैं।

एचआईवी/एड्स के फैलाव और प्रभाव के विरुद्ध समुदायों को एकजुट करने के लिए अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करने हेतु विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आज हो रहे निर्वाचित प्रतिनिधियों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में इकट्ठे हुए हैं। हम दृढ़तापूर्वक:

प्रत्येक द्वारा अपने उत्तरदायित्व के क्षेत्र में अनुसमर्थन में वृद्धि करके, संसाधनों का आवंटन करके और उनमें वृद्धि करके एचआईवी/एड्स के विरुद्ध लड़ाई में विशेष रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर और पूरे देश में रोकथाम और परिचर्या दोनों में एचआईवी/एड्स महामारी के प्रति बचाव के बारे में मार्गदर्शन करने में अगुआई सुनिश्चित करने हेतु;

कलंक की समस्या, चुप्पी और प्रतिवाद से निपट कर भेदभाव को समाप्त करके एक सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देने और एचआईवी/एड्स के साथ रह रहे लोगों द्वारा सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को पूरी तरह से भोगना सुनिश्चित करने हेतु;

एचआईवी/एड्स के प्रति महिलाओं और बच्चों की अतिसंवेदनशीलता में कमी करने में लैंगिक समानता और एक मौलिक तत्व के रूप में महिलाओं को सशक्त बनाने का आश्वासन देने हेतु;

इस अनुक्रिया में युवाओं पर ध्यान केन्द्रित करने को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने हेतु; और

बहु-क्षेत्रीय सहयोग जुटाने में तथा एचआईवी/एड्स के प्रति अनुक्रिया की योजना बनाने, उसे कार्यान्वित करने तथा उसका मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक स्तर पर गैर-सरकारी संगठनों, व्यापारिक क्षेत्र, मीडिया, समुदाय आधारित संगठनों, धार्मिक नेताओं, परिवारों, नागरिकों और एचआईवी/एड्स से संक्रमित तथा प्रभावित लोगों को पूरी तरह से और सक्रिय भाग लेने के लिए एकजुट करने के कार्य में तेजी लाने तथा उसे सुदृढ़ करने हेतु;

घोषणा करते हैं।

भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन

***58. श्री सुशील खां:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वतंत्र विदेश नीति हेतु कोई ढांचा तैयार किया गया है; और

(ख) विदेश नीति में प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

1. सरकार, राष्ट्रीय मतैक्य और सर्वोपरि राष्ट्रीय हितों पर आधारित भारत की स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अपने दायरे को बढ़ा रहा है—पारम्परिक सहयोगियों के साथ एकात्मता को संजों रहा है और नए भागीदारियों को सुदृढ़ कर रहा है। भारत समानता, बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था के लिए समान दृष्टिकोण रखने वाले उन राष्ट्रों के साथ कार्य कर रहा है जो विकासशील देशों की युक्तियुक्त आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हों।

2. शांति और समृद्धता से युक्त पड़ोस में रहने की हमारी इच्छा के अनुरूप भारत के पड़ोसियों के साथ संबंधों को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, जैसाकि पाकिस्तान के साथ हाल ही की चर्चाओं, भारत में बंगलादेश और श्रीलंका के विदेश मंत्रियों की यात्रा, नेपाल में विदेश मंत्री की यात्रा के स्पष्ट है। इस प्रतिबद्धता की विदेश मंत्री की क्विंगदाओं और जकार्ता में अपने पाकिस्तानी समकक्षों के साथ हाल ही की बैठकों के पश्चात ज्यादा बल देते हुए पुन: पुष्टि की गई है और जून में आयोजित विदेश सचिव स्तर की वार्ता के दौरान भी इस बात को दोहराया गया था कि दोनों देशों के बीच वार्ता का आधार जम्मू कश्मीर सहित सभी द्विपक्षीय मुद्दों का निवारण आतंकवाद और हिंसा से मुक्त माहौल में, दोनों पक्षों की संतुष्टि पर शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए।

3. श्रीलंका के लिए सरकार ने इस बात पर बल दिया है कि वह संयुक्त श्रीलंका के स्वरूप के भीतर और लोकतंत्र, बहुत्वाद और व्यक्तिगत अधिकारों के लिए सम्मान के अनुरूप श्रीलंका के समाज के सभी वर्गों को स्वीकार्य बातचीत से तय निवारण की प्रक्रिया का समर्थन करती है। सरकार का मानना है कि सार्थक समाधान आंतरिक प्रक्रिया के माध्यम से ही निकल सकता है। भारत, श्रीलंका की सुरक्षा के प्रति निष्ठावान है और उसकी क्षेत्रीय अखण्डता और प्रभुसत्ता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत शांतिप्रक्रिया में मौजूदा गतिरोध के निवारण और शीघ्र बातचीत आरम्भ करने का स्वागत करेगा। किसी भी अंतरिम व्यवस्था को अंतिम समाधान का अभिन्न अंग होना चाहिए और उसे श्रीलंका की एकता और क्षेत्रीय अखण्डता के स्वरूप के भीतर होना चाहिए।

4. विदेश मंत्री के पहले गंतव्य स्थान के तौर पर नेपाल का चयन उस महत्व को दर्शाता है जो भारत ने अपने निकटतम पड़ोसी को प्रदान किया है। भारत की नीति नेपाल को उसकी सुरक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने और जल संसाधनों के क्षेत्र सहित ढांचागत व्यवस्था विकसित करने में समर्थन करने की रही है। भारत नेपाल के चुनाव आयोग के साथ चुनाव के आयोजन में अपना अनुभव बांटने के लिए सहमत है और नेपाल के चुनाव आयुक्त को भारत में शीघ्र यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

5. सरकार अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को उच्च प्राथमिकता देती है जिसके साथ हमारे गहन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। हाल ही में अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जलमे रसूल की भारत यात्रा से यह परिलक्षित होता है कि अफगानिस्तान की सरकार भारत को कितना महत्व प्रदान करती है।

6. चीन के साथ भारत के संबंधों में हुए सकारात्मक घटनाक्रमों से दोनों देश इन संबंधों के विविधीकरण और विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के हितों, समानता और पंचशील के सिद्धान्तों के प्रति पारस्परिक संवेदनशीलता के आधार पर दीर्घावधि सकारात्मक और सहयोगात्मक भागीदारी विकसित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। जून 2004 में क्विंगदाओं चीनी विदेश मंत्री ली जाओजिंग के साथ विदेश मंत्री की बैठक में चीनी पक्ष ने भारत के साथ गहन संबंध विकसित करने के लिए कार्य करने की इच्छा जताई। सीमा विवाद के निवारण की प्रक्रिया को भी भारत-चीनी द्विपक्षीय संबंधों के राजनैतिक संदर्श से देखा जाना चाहिए।

7. सरकार सभी क्षेत्रों में भागीदारी को समेकित करने के लिए संयुक्त राज्य प्रशासन के साथ निकटता से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों देशों के पास लोकतांत्रिक और बहुवादी विश्वव्यवस्था को स्वरूप प्रदान करने के

लिए समान दृष्टिकोण है जो आतंकवाद से मुक्त हो। वाशिंगटन और जकार्ता में पिछले एक महीने के दौरान संयुक्त राज्य के राज्य सचिव श्री कोलिन पावेल के साथ विदेश मंत्री की दो बैठकों में द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर खुले और मैत्रीपूर्ण माहौल में चर्चा हुई।

8. रूस के साथ आर्थिक सहयोग का संवर्द्धन करते हुए भारत-रूस संबंधों के और विविधिकरण पर कार्य हो रहा है, विशेषकर रक्षा, उच्च प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। रूसी नेतृत्व के साथ विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की हाल ही में बैठकों से राजनैतिक, सामरिक, आर्थिक और रक्षाक्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को समेकित करने और गहन करने की दोनों पक्षों की इच्छा की पुनः पुष्टि हुई है।

9. सरकार इराक पर सर्वमत से पारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प संख्या 1546 का स्वागत करती है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका सर्वस्वीकार्य है और भारत की यह अपेक्षा है कि वह ईराक में हो रहे घटनाक्रमों में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। सरकार का मानना है कि ईराक की अंतरिम सरकार को दी गई मंजूरी ईराकी जनता को पूर्ण प्रभुसत्ता के पारदर्शी अंतरण के प्रति पहला कदम है और उसका कहना है कि यह सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि ईराक की जनता के लिए सुरक्षा और सामान्य परिस्थितियां शीघ्र लौटें।

10. सांस्कृतिक व आर्थिक संबंधों और सक्रिय भारतीय प्रवासी समुदाय के आधार पर दक्षिणपूर्वी और पश्चिमी एशिया के साथ हमारे पारम्परिक सुदृढ़ संबंधों को और सुदृढ़ किया जा रहा है।

11. विदेश मंत्री श्री ई. अहमद ने 13-16 जून के बीच सऊदी अरब की यात्रा की। भारत में नई सरकार बनने के पश्चात सऊदी अरब के साथ यह प्रथम उच्च स्तरीय संपर्क था। इस यात्रा के दौरान सऊदी हज मंत्री के साथ भारतीय हज यात्रियों से संबंधित मुद्दों पर समझौता भी संपन्न हुआ।

12. 11वीं आसियान क्षेत्रीय मंच बैठक के लिए हाल ही में विदेश मंत्री की जकार्ता यात्रा के दौरान आसियान देशों के साथ संबंधों को और सुदृढ़ करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने न्यूजीलैंड, कनाडा, रूस, मंगोलिया, वियतनाम, कोरिया गणराज्य, इण्डोनेशिया, म्यामां, पाकिस्तान, चीन और लाओ पी.डी.आर. के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय परामर्श किए। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने अपने इण्डोनेशियाई समकक्ष के साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना करने पर इण्डोनेशिया के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

13. सरकार फिलिस्तीनी जनता की युक्तिसंगत आकांक्षाओं का पूर्ण समर्थन जारी रखेगी। इस्राइल के साथ संबंध जो कि पारस्परिक हित सहयोग के आधार पर विकसित किए जा रहे हैं, का फिलिस्तीनी जनता की युक्तिसंगत आकांक्षाओं के लिए भारत के सैद्धान्तिक समर्थन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14. भारत का यह दृष्टिकोण भी है कि सार्क को एक सक्रिय निकाय होना चाहिए। सार्क के प्रति भारत का रवैया सकारात्मक है। मौजूदा सरकार सहयोग के सभी क्षेत्रों में सार्क के सभी सदस्यों के साथ सक्रिय भागीदारी की प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

15. सरकार ने इस बात पर भी बल दिया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में परिवर्तन की आवश्यकता है। 21वीं शाताब्दि का अंतर्राष्ट्रीय एजेण्डा उस युग से भिन्न है जिसमें इस आंदोलन की संकल्पना की गई थी। सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया है ताकि इसे और लोकतांत्रिक बनाया जा सके ताकि वह मौजूदा विश्वव्यवस्था और वास्तविकता से परिलक्षित करे।

[हिन्दी]

जनसंख्या वृद्धि दर

***59. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:**
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है;

(ख) क्या जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा जनसंख्या स्थिर रखने हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या स्थिर रखने हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) वर्ष 1991 और 2001 के बीच हुई जनगणना के परिणामों के अनुसार जनसंख्या की वार्षिक दर 1.93 प्रतिशत बैठती है।

(ख) वर्ष 1981, 1991 तथा 2001 की दशकीय जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दरें नीचे दी गई हैं:

वर्षों के मध्य	वार्षिक वृद्धि दर (%)
1981	2.22
1991	2.14
2001	1.93

जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है, जनसंख्या वृद्धि दर में पिछले तीन दशकों के दौरान कमी आई है।

(ग) सरकार ने विगत में निम्नलिखित कदम उठाए तथा अनेक कार्यक्रम शुरू किए जो नीचे दिए गए हैं:

* सरकार ने फरवरी, 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनायी है जिसमें परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने में सामुदायिक भागीदारी के साथ जनसंख्या स्थिरीकरण लाने हेतु एक अन्तर-क्षेत्रीय कार्यसूची की व्यवस्था है।

* स्वास्थ्य अवसंरचना, स्वास्थ्य कार्मिकों से संबंधित अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करना, सामाजिक विपणन के जरिए गर्भनिरोधन/गर्भनिरोधकों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु विशेष विक्रय अधिकार देना तथा परिवार नियोजना सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के चिकित्सा कार्मिकों का अधिष्ठापन।

* जनांकिकीय दृष्टि से आठ कमजोर राज्यों में परिवार नियोजन सहित सेवाओं की कवरेज तथा आउटरीच में सुधार लाने पर संकेन्द्रित ध्यान देने के लिए एक अधिकारप्राप्त कार्य समूह गठित किया गया है। परिवार नियोजन संबंधी प्रक्रियाओं की लागत वहन करने के लिए ई.ए.जी. राज्यों के सार्वजनिक तथा प्रत्यायित गैर-सरकारी संगठन/निजी/सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों, दोनों, में प्रतिपूर्ति की उच्चतर दर प्रदान की जा रही है।

* 1997 से ही परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरुष की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पुरुष बन्ध्याकरण की नो स्कैलपेल वैसेक्टोमी (एनएसवी) विधि (बिना चीरे के अथवा बिना टांके के) शुरू की गई है।

* छोटे परिवार के मानदण्डों सहित जनसंख्या के मुद्दों के संबंध में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, विभाग, प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सूचना और प्रसारण की सेवाओं का निरंतर उपयोग कर रहा है।

* सरकार कुछ दक्षिणी तथा अन्य राज्यों द्वारा परिवार नियोजन के क्षेत्र में प्राप्त सफलता को देश भर में दोहराने हेतु प्रतिबद्ध है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार 150 शेष उच्च जन्म दर वाले जिलों में अपने चल रहे परिवार नियोजन कार्यक्रम पर अत्यधिक ध्यान देगी।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के लिए नियत लक्ष्यों का ब्यौरा इस प्रकार है:

* 1999-2001 के दशक की 21.34% दर के मुकाबले 2001 तथा 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि की दशकीय दर को कम करके 16.2% पर लाना।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में औषधियों का अभाव

***60. श्री खीरेन रिजीजू:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 11 जून, 2004 के "दैनिक हिन्दुस्तान" में प्रकाशित समाचार के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बड़े पैमाने पर औषधियों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने औषधियों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) जी, नहीं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जीवन रक्षक अनिवार्य औषधों की कोई कमी नहीं है। ऐसी औषधों और शल्यक उपभोज्य सामग्री का प्रापण पर्याप्त मात्रा में किया जाता है और सभी रोगी परिचर्चा क्षेत्रों को जारी की जाती हैं। प्रापण की मौजूदा पद्धति के अनुसार, संस्थान की इन मदों की आपूर्ति के लिए वार्षिक दर संविदा है। उपभोग पैटर्न के अनुसार

आपूर्ति आदेश दर-संविदा में अनुमोदित फर्मों को दिए जाते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने संबंधी किसी भी समस्या की सूचना नहीं दी है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डार में भ्रष्टाचार

330. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** केन्द्रीय भण्डार में भ्रष्टाचार के बारे में 4.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2447 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना संकलित और एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और इसे कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) इस बारे में सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आय से अधिक परिसम्पत्तियां

331. **श्री रघुनाथ झा:**
श्री विजय कृष्ण:

क्या **प्रधान मंत्री** आय से अधिक परिसम्पत्तियों के बारे में 9.12.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1180 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना संकलित और एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां।

(ख) समूह आवास सहकारी समितियां केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आतीं। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सहकारी समितियां अधिनियम/विनियमों में केन्द्रीय सकार के उन चूककर्त्ता कर्मियों के विरुद्ध जांच-पड़ताल करवाए जाने के लिए उपयुक्त प्रावधान मौजूद हैं जो ऐसी समिति के पदाधिकारी भी हैं और पदाधिकारी की हैसियत से निधियों के गोल-माल/गबन में लिप्त हैं। उनके विरुद्ध आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अनुपात में परिसंपत्तियां प्राप्त करने के कारण केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 अथवा अन्य संगत आचरण नियमों के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा सकती है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण दूरसंचार सुविधा के लिए पृथक कोष

332. **श्री प्रदीप गांधी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण दूरसंचार सुविधा के लिए पृथक कोष स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कोष के अंतर्गत अब तक कितनी राशि एकत्रित की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) को सांविधिक दर्जा प्रदान करते हुए संसद के दोनों सदनों द्वारा भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2003 पारित कर दिया गया था। इसे 1 अप्रैल, 2002 से लागू समझा जाएगा। निधि का उपयोग केवल सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

(ग) भारतीय संचित निधि से विनियोजन द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि में अब तक जमा कुल राशि 566.66 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंज

333. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं;

(ख) क्या राज्य के सभी एक्सचेंजों में डिजिटल माइक्रोवेव प्रणाली और उपग्रह एवं एस.टी.डी. तथा आई.एस.डी. सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) राजस्थान में 2340 टेलीफोन एक्सचेंज हैं।

(ख) सभी 2340 एक्सचेंज, ओएफसी, माइक्रोवेव, उपग्रह इत्यादि जैसे विश्वस्त माध्यमों पर कार्यरत हैं। इन एक्सचेंजों में से 44 एक्सचेंजों में माइक्रोवेव प्रणालियां तथा 19 एक्सचेंजों में उपग्रह प्रणालियां उपलब्ध कराई गई हैं।

राजस्थान में संस्थापित सभी 2340 टेलीफोन एक्सचेंजों में एसटीडी और आईएसडी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हेपेटाइटिस 'बी' टीके की कमी

334. श्री मोहन रावले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हेपेटाइटीस 'बी' टीके की अत्यधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो देश में ही हेपेटाइटीस 'बी' टीके के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कुष्ठ रोग का उन्मूलन

335. श्री सुरेश चन्देल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कुष्ठ रोगियों की प्राक्कलित संख्या कितनी है;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों में कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस रोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस रोग के उन्मूलन हेतु उठाए गए कदमों से कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) देश में 31 मार्च, 2004 को कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या 2.66 लाख थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश कुछ को समाप्त करने के लक्ष्य अर्थात् कुष्ठ की व्याप्तता दर प्रति 10,000 आबादी पर 1 से नीचे लाने के लक्ष्य की ओर निरंतर और सन्तोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा है। वर्ष 1981 में 57.6 की व्याप्तता दर की तुलना में 1 अप्रैल, 2004 को व्याप्तता दर घट कर प्रति 10,000 पर 2.4 हो गई है। 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अब तक कुष्ठ उन्मूलन स्तर अर्थात् प्रति 10,000 आबादी पर एक रोगी की दर प्राप्त कर ली है और अन्य 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में व्याप्तता दर प्रति 10,000 आबादी पर 1 और 2 के बीच है और इस प्रकार वे उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट हैं। कुष्ठ सेवाओं को अब सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या के साथ एकीकृत किया गया है और कुष्ठ निदान और उपचार की सेवाएं सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में सप्ताह के सभी कार्यदिवसों में उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

एस.टी.डी. दरों में कमी

336. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एस.टी.डी. दरों को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) दिनांक 5.11.2003 के दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (टीटीओ) के 28वें संशोधन के द्वारा एसटीडी प्रशुल्क एक परिहार्य (फारबार्न) मद है और सेवा प्रदाता बाजार के रुख के अनुसार एसटीडी प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

सतारा में डब्ल्यू.एल.एल. टावरों की स्थापना

337. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के सतारा जिले में डब्ल्यू.एल.एल. टावरों की स्थापना में अत्यधिक विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सतारा जिले में डब्ल्यू.एल.एल. टावरों के लिए विभिन्न स्थानों की सूची क्या है; और

(घ) इन टावरों द्वारा कार्यकरण कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) शिनाख्तशुदा स्थानों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) टावरों का निर्माण पूरा होने की संभावित अवधि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

30.6.2004 की स्थिति के अनुसार सतारा एसएसए (गौण स्विचिंग क्षेत्र) में डब्ल्यूएलएल टावरों की स्थिति

क्र.सं.	स्थान का नाम	टावर की स्थिति
1	2	3
1.	पाटन	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
2.	मनगाव	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
3.	मालहरपेठ	कार्य पूरा हो गया है
4.	शिन्देवाडी	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
5.	तारले	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
6.	धेबेवाडी	कार्य पूरा कर दिया गया है
7.	भलेघरवाडी	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
8.	मेधा	कार्य पूरा हो गया है
9.	तपोला	कार्य पूरा हो गया है
10.	करहार	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
11.	कुदाल	कार्य पूरा हो गया है
12.	रेंगदी	कार्य पूरा हो गया है

1	2	3
13.	वदूज	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
14.	भोसरे	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
15.	औंध एम/डब्ल्यू	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
16.	निमसोद	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
17.	कालेधोने	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
18.	पुसेसावली	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
19.	गोपुज	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
20.	लोनंद	कार्य पूरा हो गया है
21.	खंडाला	कार्य पूरा हो गया है
22.	शिरवाल	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
23.	जवाले	कार्य पूरा हो गया है
24.	लोनी	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
25.	नयागांव	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
26.	पाडेगांव	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
27.	महसवाड	कार्य पूरा हो गया है
28.	कारखेल	कार्य पूरा हो गया है
29.	धकानी	कार्य पूरा हो गया है
30.	वारकुटे. एम	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
31.	वी. मालवाडी	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
32.	दहीवाडी	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
33.	बीदल	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
34.	बोथे	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
35.	खण्डेचिवाडी/मथ	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
36.	बिजवाडी	मार्च' 05 तक कार्य पूरा होने की संभावना
37.	पलाशी	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
38.	रेनांद	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
39.	वाथर स्टेशन	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना

1	2	3
40.	पेठ किनाही	मार्च' 05 तक कार्य पूरा होने की संभावना
41.	वधोली	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
42.	नंदवाल	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
43.	पलाशी	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
44.	शाकरवाडी	कार्य पूरा हो गया है
45.	तबांवे	कार्य पूरा हो गया है
46.	तारदगांव	दिसंबर' 04 तक कार्य पूरा होने की संभावना
47.	बिबी	मार्च' 05 तक कार्य पूरा होने की संभावना
48.	अदारकी	मार्च' 05 तक कार्य पूरा होने की संभावना
49.	कारद	कार्य पूरा हो गया है
50.	फलटन	कार्य पूरा हो गया है
51.	सतारा	कार्य पूरा हो गया है
52.	वाय	कार्य पूरा हो गया है
53.	कोरेगांव	कार्य पूरा हो गया है

मानसरोवर यात्रा के लिए वित्तीय सहायता

338. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानसरोवर यात्रा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त यात्रा के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) विदेश मंत्रालय यात्रियों द्वारा खर्च किए गए व्यय की आंशिक राहत के रूप में कुमांऊ मंडल विकास निगम (के एम वी एन) को प्रति व्यक्ति 3250/रु. उपलब्ध करता है। (के एम वी एन भारतीय पक्ष की ओर यात्रियों के लिए खाने और ठहरने की व्यवस्था करता है)। सरकार यात्रा की अवधि के दौरान लिपुलेख पास तक नि:शुल्क चिकित्सा जांच और सहायता, सुरक्षा एवं मार्ग रक्षण बीमा तथा संचार सम्पर्क उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार जाने और आने के समय यात्रियों को 5 रातों के लिए नि:शुल्क प्रवास उपलब्ध कराती है। सरकारी खर्च पर यात्रियों के प्रत्येक जत्थे के साथ एक सम्पर्क अधिकारी होता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

सौर लपटें

339. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सूर्य पर अब तक की सबसे बड़ी सौर लपटें उठ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ''कोरोनल मास इजेक्शन'' कही जाने वाली सामग्री के विस्फोट से हमारे ग्रह को प्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंच रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां। अक्तूबर 28, 2003 को भारतीय समयानुसार 15.33 बजे से 17.00 बजे तक एक बृहत्तम/शक्तिशाली सौर प्रज्वाल दिखाई पड़ी थी।

(ख) उपर्युक्त प्रज्वाल से संबद्ध एक बृहत् सी.एम.ई. (किरीटीय द्रव्यमान निष्कासन) घटना लगभग 18000 कि.मी./से. की प्रारंभिक गति से पृथ्वी की ओर आई और लगभग 17 घंटों के बाद पृथ्वी तक पहुंच गई। पृथ्वी पर मानवजाति को हुए किसी भी प्रकार के जोखिम की कई सूचना नहीं मिली है, क्योंकि सी.एम.ई. केवल उर्जस्वी आवेशित कणों से युक्त थी, जिनका पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा परिरक्षण किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) इस प्रज्वाल को अपने दैनिक प्रज्वाल मानीटरन कार्यक्रम के भाग के रूप में उदयपुर सौर वेधशाला में रिकार्ड किया गया। इस सी.एम.ई. ने अक्तूबर 29, 2003 को एक प्रमुख भू-चुम्बकत्व तूफान व्युत्पन्न किया, जिसका अध्ययन किया जा रहा है। सम्पूर्ण विश्व में वैज्ञानिक पृथ्वी के चुम्बकमंडल और आयनमंडल पर ऐसे सौर स्फोटनों और इनके प्रभावों के कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। सौर चुम्बकीय क्षेत्रों, जोकि ऐसे स्फोटनों पर महत्वपूर्ण सूचना प्रदान कर सकते हैं, के मापन के लिए अन्तरिक्ष विभाग ने उदयपुर सौर वेधशाला में विशेष परियोजनाओं को निधि प्रदान की है।

[हिन्दी]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

340. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने पर विचार कर ही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस समय राज्य-वार कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या बढ़ाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

* स्वास्थ्य उप-केन्द्रों, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों, राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो तथा प्रसवोत्तर केन्द्रों के लिए किराए, फुटकर खर्च, दवाइयों की आपूर्ति के मानदण्डों में 2002 में संशोधन किया गया।
* वर्ष 1991 के जनसंख्या मानदण्ड के अनुसार 8669 नए उपकेन्द्र स्वीकृत किए गए हैं।
* उपकेन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रतिवर्ष डिलीवरी किटों और अनिवार्य औषधों की आपूर्ति की जाती है।
* प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के माध्यम से उपकेन्द्रों को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करना।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस समय संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में 2001-02 से खोले गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 84 है।

विवरण

उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कार्यरत संख्या 31 मार्च, 2003 की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	उपकेन्द्र	प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र	सा.स्वा. केन्द्र
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10568	1386	219
2.	अरुणाचल प्रदेश	400	78	25

1	2	3	4	5
3.	असम	5109	610	100
4.	बिहार	10337	1648	101
5.	छत्तीसगढ़	3818	512	114
6.	गोवा	172	19	5
7.	गुजरात	7274	1048	248
8.	हरियाणा	2299	402	64
9.	हिमाचल प्रदेश	2089	302	65
10.	जम्मू और कश्मीर	1807	336	59
11.	झारखण्ड	4462	561	47
12.	कर्नाटक	8143	1677	249
13.	केरल	5094	941	107
14.	मध्य प्रदेश	8864	1193	229
15.	महाराष्ट्र	9725	1768	351
16.	मणिपुर	420	72	16
17.	मेघालय	413	85	13
18.	मिजोरम	351	57	12
19.	नागालैंड	350	68	14
20.	उड़ीसा	5927	1352	157
21.	पंजाब	5927	1352	105
22.	राजस्थान	9926	1674	287
23.	सिक्किम	147	24	2
24.	तमिलनाडु	8682	1436	72
25.	त्रिपुरा	540	73	9
26.	उत्तरांचल	1525	228	36
27.	उत्तर प्रदेश	18577	3551	287
28.	पश्चिम बंगाल	8126	1262	99
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	107	19	4

1	2	3	4	5
30.	चंडीगढ़	13	0	1
31.	दादरा एवं नगर हवेली	36	6	1
32.	दमण और दीव	21	3	1
33.	दिल्ली	42	8	0
34.	लक्षद्वीप	14	4	3
35.	पांडिचेरी	75	39	4
	भारत	138285	22926	3106

आंकड़े अनंतिम हैं।

[अनुवाद]

कम्प्यूटरों की खरीद में भ्रष्टाचार

341. श्री विजय कृष्ण: क्या **प्रधान मंत्री** कम्प्यूटरों की खरीद में भ्रष्टाचार के बारे में 02.12.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना संकलित और एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त सूचना कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) इस बारे में सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हैजे का उन्मूलन

342. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैजा देश के अनेक भागों में फैल गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्य-वार हैजे के कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्तमान वर्ष (12.6.2004 तक) में सूचित किए गए हैजे के अधिसूचित रोगियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) महामारी के रूप में फैलने वाले संचारी रोगों, जिनमें हैजा भी शामिल है, के प्रकोप की रोकथाम और नियंत्रण के प्रकोप का शुरू में ही पता लगाने और समुचित कार्रवाई करने के वास्ते निगरानी कार्यकलापों को सुदृढ़ करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की स्वास्थ्य स्कीम के अन्तर्गत "राष्ट्रीय संचारी रोग निगरानी कार्यक्रम" 1997-98 से चरणबद्ध रूप से चलाया जा रहा है। इस समय राष्ट्रीय संचारी रोग निगरानी कार्यक्रम देश के 101 जिलों में चलाया जा रहा है।

विवरण

भारत में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 2004 (12.6.2004 तक) में हैजे के अधिसूचित रोगियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रोगी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
3.	असम	अप्राप्त

1	2	3
4.	बिहार	अप्राप्त
5.	छत्तीसगढ़	शून्य
6.	गोवा	शून्य
7.	गुजरात	अप्राप्त
8.	हरियाणा	शून्य
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
10.	जम्मू और कश्मीर	शून्य
11.	झारखण्ड	अप्राप्त
12.	कर्नाटक	49
13.	केरल	9
14.	मध्य प्रदेश	10
15.	महाराष्ट्र	65
16.	मणिपुर	शून्य
17.	मेघालय	अप्राप्त
18.	मिजोरम	शून्य
19.	नागालैंड	शून्य
20.	उड़ीसा	अप्राप्त
21.	पंजाब	शून्य
22.	राजस्थान	शून्य
23.	सिक्किम	शून्य
24.	तमिलनाडु	585
25.	त्रिपुरा	शून्य
26.	उत्तर प्रदेश	अप्राप्त
27.	उत्तरांचल	शून्य
28.	पश्चिम बंगाल	57
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य
30.	चंडीगढ़	3
31.	दादरा एवं नगर हवेली	शून्य
32.	दमण और दीव	शून्य
33.	दिल्ली	331
34.	लक्षद्वीप	शून्य
35.	पांडिचेरी	शून्य
	कुल	1109

[अनुवाद]

मलेरिया का उन्मूलन

343. श्री अनन्त नायक: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में, विशेषकर उड़ीसा में मलेरिया के बढ़ते मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मलेरिया का उन्मूलन करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) देश में मलेरिया के रोगियों की संख्या वर्ष 2001 में 2.08 मिलियन थी जो वर्ष 2003 में घटकर 1.67 मिलियन हो गई है। उड़ीसा में मलेरिया के रोगियों की पिछले तीन वर्षों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	मलेरिया के रोगियों की संख्या
2001	454541
2002	473223
2003*	417276

*अनंतिम

(ख) मलेरिया के रोगियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार एक राष्ट्रव्यापी मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिसके निम्नलिखित घटक हैं:

(1) दवा वितरण केन्द्र और बुखार उपचार डिपो स्थापित करके स्वास्थ्य पचिर्या कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य संस्थाओं और सामुदायिक स्वयंसेवकों के जरिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निगरानी करके मलेरिया रोगियों की शुरू में ही जांच करना और उपचार करना।

(2) एकीकृत वेक्टर नियंत्रण जिसमें चुनिंदा घरों में अवशिष्ट कीटनाशी का छिड़काव करना, कीटनाशी युक्त मच्छरदानी के उपयोग को बढ़ावा देना और लार्वाभक्षी मछलियों का पालन शुरू करना शामिल है।

(3) मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण।

(4) मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यकलापों में स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षत करके और राज्य एवं जिला मलेरिया नियंत्रण सोसाइटियों को सुदृढ़ करके क्षमता निर्माण।

(5) प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा और राज्य कार्यक्रम अधिकारियों के साथ आवधिक बैठक के जरिए कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन।

विवरण

वर्ष 2003 के दौरान मलेरिया के रोगियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मलेरिया के रोगी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	35995
2.	अरुणाचल प्रदेश	34810
3.	असम	76570
4.	बिहार	2550
5.	छत्तीसगढ़	53093
6.	गोवा	11370
7.	गुजरात	113372
8.	हरियाणा	4374
9.	हिमाचल प्रदेश	133
10.	जम्मू और कश्मीर	309
11.	झारखण्ड	112740
12.	कर्नाटक	99889
13.	केरल	2380
14.	मध्य प्रदेश	93780
15.	महाराष्ट्र	62947
16.	मणिपुर	2589
17.	मेघालय	18366
18.	मिजोरम	7293
19.	नागालैंड	3370
20.	उड़ीसा	417276
21.	पंजाब	377
22.	राजस्थान	142738
23.	सिक्किम	278
24.	तमिलनाडु	43382
25.	त्रिपुरा	13807
26.	उत्तरांचल	2350
27.	उत्तर प्रदेश	81853
28.	पश्चिम बंगाल	232846
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	753
30.	चंडीगढ़	84
31.	दादरा एवं नगर हवेली	468
32.	दमण और दीव	144
33.	दिल्ली	810
34.	लक्षद्वीप	6
35.	पांडिचेरी	63
	कुल	1673165

*अनन्तिम

असम में भूकम्प

344. श्री किरिप चालिहा: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में भूकंपों की संभावना रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अनुसंधान अथवा भूकंप विज्ञान संबंधी अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या रहे हैं; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के अनुसार असम सहित सम्पूर्ण पूर्वोत्तर भारत भूकंपीय क्षेत्र-V में आता है, जिसे सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है।

(ख) से (घ) भूकंपीय गतिविधि का अनुवीक्षण करने के लिए असम तथा इसके समीपवर्ती इलाकों में अधुनातन डिजीटल सीस्मोग्राफ लगाए गए हैं। इन प्रणालियों का रख-रखाव तथा संचालन विभिन्न एजेंसियों जिनमें क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय भू-भौतिक अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की आदि शामिल हैं, द्वारा परियोजना मोड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से किया जाता है। साथ ही, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जो कि देश में भूकंपीय गतिविधि का अनुवीक्षण करने वाली मुख्य एजेंसी है, इस क्षेत्र में कुछ भूकंपीय स्टेशनों का संचालन एवं रख-रखाव करता है। आपदा उपशमन तथा प्रबंधन नीतियों के संबंध में बेहतर योजना बनाने में सहायता के लिए भूकंप के खतरे एवं जोखिम मूल्यांकन के लिए बहु-संस्थानिक पहलों के माध्यम से गुवाहाटी क्षेत्र के माइक्रोजोनेशन अध्ययन भी शुरू किए गए हैं।

आर सी सी सेतु का निर्माण

345. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी पर 'शंकर महादेव सेतु' नामक आर सी सी सेतु का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सेतु द्वारा कौन-कौन से क्षेत्रों के जुड़ने की संभावना है; और

(ग) उक्त सेतु का निर्माण कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवा

346. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवा प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सेवा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उपर्युक्त क्षेत्र में अन्य संपर्क सेवा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) दूरसंचार विभाग ने लाइसेंस प्रदाता के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामत: महानगर टेलीफोन निगम लि. और भारत संचार निगम लि. तथा विभिन्न अन्य निजी प्रचालकों को महाराष्ट्र राज्य में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु लाइसेंस प्रदान किया है। इन्होंने पहले ही सभी जिला मुख्यालयों में सेल्यूलर मोबाइल कवरेज प्रदान कर दिए हैं और अब उनकी तहसील मुख्यालयों को मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं

347. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजना बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं त्रिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली अर्थात्-उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के जरिए प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) उपकेन्द्र, प्राथमिक परिचर्या प्रणाली और समुदाय के बीच सबसे नजदीकी सम्पर्क बिंदु है और इसे 3000-5000 की जनसंख्या मापदण्डों पर स्थापित किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 4-6 बिस्तर वाला स्वास्थ्य केन्द्र है और यह 6 उपकेन्द्रों के लिए रेफरल यूनिट के रूप में काम करता है। इस केन्द्र में एक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और 14 अधीनस्थ परामेडिकल एवं अन्य स्टाफ काम करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 30 बिस्तर वाला ग्रामीण अस्पताल है जहां विशेष सेवाएं उपलब्ध होती हैं और यह 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए विशेष यूनिट के रूप में काम करता है। देश में 145980 उपकेन्द्र, 22926 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 3106 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं।

डाकघरों की स्थापना

348. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में मंडलवार कितने गांवों में डाकघर नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का ऐसे गांवों में डाकघर खोलने पर विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त डाकघरों के कब तक खुलने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) डाकघर रहित गांवों की डिवीजनवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) डाकघर आवश्यकता के आधार पर खोले जाते हैं, बशर्ते कि विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध रहें। अत: कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

विवरण

क्रम सं.	डिवीजन का नाम	डिवीजन में डाकघर रहित गांवों की संख्या
1	2	3
	आगरा क्षेत्र	
1.	आगरा	643
2.	अलीगढ़	1285
3.	बुलंदशहर	808
4.	एटा	1223
5.	इटावा	1183
6.	झांसी	1855
7.	मैनपुरी	1331
8.	मथुरा	668
	कुल	8996
	इलाहाबाद क्षेत्र	
1.	इलाहाबाद	3054
2.	गाजीपुर	2226
3.	जौनपुर	2867
4.	मिर्जापुर	2758
5.	प्रतापगढ़	1832
6.	वाराणसी (पूर्व)	2379
7.	वाराणसी (पश्चिम)	866
	कुल	15982
	बरेली क्षेत्र	
1.	बरेली	2664
2.	बिजनौर	1870
3.	बदायूं	1489
4.	गाजियाबाद	708

1	2	3
5.	हरदोई	1594
6.	खीरी	1342
7.	मेरठ	588
8.	मुरादाबाद	3171
9.	मुजफ्फरनगर	611
10.	सहारनपुर	1100
11.	शाहजहांपुर	1867
	कुल	17004
	गोरखपुर क्षेत्र	
1.	आजमगढ़	4613
2.	बस्ती	6265
3.	बलिया	1457
4.	बहराइच	1507
5.	देवरिया	3073
6.	गोंडा	2347
7.	गोरखपुर	3523
	कुल	22785
	कानपुर क्षेत्र	
1.	बांदा	1689
2.	फतेहपुर	1112
3.	फतेहगढ़	1318
4.	कानपुर (एम)	2740
5.	कानपुर (शहर)	138
	कुल	6997
	लखनऊ क्षेत्र	
1.	लखनऊ	885
2.	फैजाबाद	2038
3.	बाराबंकी	1669
4.	सीतापुर	1930
5.	सुल्तानपुर	2019
6.	रायबरेली	1314
	कुल	9855
	उत्तर प्रदेश में डाकघर रहित गांवों की कुल संख्या	81619

[अनुवाद]

खाद्य वस्तुओं/दवाइयों में मिलावट

349. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाजार में उपलब्ध अधिकांश ब्रांड के देशी घी में मिलावट होती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा खाद्य वस्तुओं और दवाइयों में मिलावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार कलेंडर वर्ष 1999 से 2001 के दौरान घी, मक्खन, आईसक्रीम और अन्य दुग्ध उत्पादों के नमूनों में पाई गई मिलावट की प्रतिशतता इस प्रकार है:

वर्ष	मिलावट की प्रतिशतता
1999	18.08
2000	19.36
2001	16.57

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बने नियमों के उपबंधों का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों द्वारा अपने प्रवर्तन कर्मचारियों के माध्यम से किया जाता है जो घी सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के अचानक (रेन्डम) नमूने लेते हैं। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अंतर्गत दोषियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों

को बाजार से खाद्य पदार्थों, जिनमें घी भी शामिल है, की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखने की समय-समय पर सलाह दी जाती है।

औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के उपबंधों के अंतर्गत औषधियों के विनिर्माण और बिक्री, जिनमें उनकी गुणवत्ता पर निगरानी रखना भी शामिल है, को विनियमित करने का दायित्व राज्य सरकारों पर है। राज्य सकारों को अन्तरराज्यीय व्यापार में शामिल नकली/घटिया दवाइयों का पता लगाने और उन्हें खोजने तथा अपनी राज्य स्तरीय परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलने के लिए विनियामक आधारभूत ढांचे प्रदान करने तथा उन्हें सुदृढ़ करने के लिए अपने कार्यान्वयन तंत्र को सुदृढ़ करने की समय-समय पर सलाह दी जाती है ताकि औषध नमूनों का तेजी से विश्लेषण किया जा सके जिसके लिए उन्हें राज्य प्रयोगशालाओं में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने और बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे संदिग्ध डीलरों पर कड़ी निगरानी रखें; एन एस क्यू डी कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वेक्षण नमूने एकत्र करें, स्टेक औषध सलाहकार समितियां गठित/पुनर्गठित करें जिनमें विभिन्न व्यापार एवं उद्योग संगठन और उपभोक्ता संगठन अभ्यावेदन दे सकते हैं; पृथक आसूचना-सह-कानूनी प्रकोष्ठ स्थापित करें, सक्षम सम्प्रेषण सुविधाएं विकसित करें वापस लेने की और प्रक्रियाएं समाप्त करें, नकली दवाओं के मामले आदि से निपटने के लिए अनुभवी परामर्शदाता की सेवा लें।

चूंकि नकली दवाओं का विनिर्माण और बिक्री का कार्य असामाजिक व्यक्तियों द्वारा मुख्यतया गुप्त रूप से किया जाता है। इसलिए अन्तरराज्यीय व्यापार में नकली दवाओं का पता लगाने और उनका पर्दाफास करने के लिए राज्यों के प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं। भारत सरकार ने नकली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

(1) नकली औषधों के विनिर्माण और बिक्री पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए नकली दवाओं की आवाजाही पर कुशल निगरानी रखने हेतु अपनाई जाने वाली अपेक्षित कार्यनीतियों से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य सरकार को नवम्बर, 1991 में भेज दिए गए थे।

(2) केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 12-13 जुलाई, 2001 को आयोजित केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद के सम्मेलन में नकली दवाओं की कथित बिक्री से संबंधित विषय को राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उठाया था। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने मत व्यक्त किया कि नकली/मिलावटी दवाओं की बढ़ती हुई घटनाओं से निपटने के लिए संबंधित औषध नियंत्रण संगठनों में पृथक आसूचना-सह-कानूनी प्रकोष्ठ स्थापित करके और फार्मा उद्योग, व्यापार और पुलिस की सहायता लेकर ऐसे गैर-कानूनी कार्यकलापों की मानीटरिंग करने और इनको उजागर करने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(3) स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार ने नकली दवाओं की समस्या से संबंधित विषयों की जांच करने के लिए जुलाई, 2001 में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में व्यापक आधार वाली समिति गठित की है। इस समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी राज्य औषध नियंत्रकों को 16 सितम्बर, 2002 को भेज दी गई थीं।

(4) नकली दवाओं के पूर्ण उन्मूलन को सामूहिक रूप से सुनिश्चित करने के लिए नकली उत्पादों की किसी भी सम्भावना को रोकने हेतु आवश्यक कार्यनीतियों को राज्यों में सख्ती से लागू करने के लिए पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करने के वास्ते व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 8 अक्तूबर, 2002 को नकली औषधों के बारे में सभी मुख्य मंत्रियों को विशेष रूप से पत्र लिखा था।

(5) देश के प्रमुख 13 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 12.11.2002 को एक बैठक की थी ताकि देश में नकली औषधों के चलन की संभावना के विषय में ठोस कार्रवाई सुनिश्चित हो सके और सभी लाभभोगी इस खतरे का मुकाबला कर सकें। विचार-विमर्श से प्राप्त सुझावों/मतों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 8 जनवरी, 2003 की सभा राज्य सरकारों को भेज दिया गया था। उक्त विचार-विमर्श का एक परिणाम अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई करने हेतु राज्य सरकार द्वारा गुजरात समाज विरोधी कार्यकलाप अधिनियम, 1985 को लागू करना था।

(6) देश में औषधों के नमूनों की परीक्षण संख्या बढ़ाने तथा वर्तमान में कई प्रयोगशालाओं द्वारा रिपोर्टिंग समय 3 से 6 महीने को घटाकर एक महीने से कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत एक वृहद योजना चलाई गई है।

(7) सभी राज्य तथा केन्द्रीय औषध नियंत्रक कार्यालयों और प्रयोगशालाओं के बीच तीव्र सूचना आदान-प्रदान और नेटवर्क सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा एक कम्प्यूटरीकृत परियोजना चलाई गई है।

(8) नकली औषधों के सम्भावित चलन पर निगरानी रखने हेतु जिम्मेदारी सभी राज्य सरकारों के औषध नियंत्रण अधिकारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया जिसे एफ.डी.ए. महाराष्ट्र की सहायता से मुम्बई में दिनांक 24-27 जून, 2003 को आयोजित किया गया। एफ.डी.ए. मुम्बई में आयोजित इस जांच संबंधी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में अलग-अलग राज्यों के 26 औषध नियंत्रण अधिकारियों ने भाग लिया था।

(9) भारत सरकार ने औषध नियंत्रण प्रशासन से संबंधित विषयों की जांच-पड़ताल करने और नकली दवाओं की समस्या की गंभीरता का अनुमान लगाने और इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उपाय सुझाने हेतु वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता में 27 जनवरी, 203 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट में विहित अनुशंसाओं के आधार पर औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के दाण्डिक उपबंधों में संशोधन करने के लिए 22 दिसम्बर, 2003 को लोक सभा में औषध में एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक पेश किया गया ताकि उनको और अधिक कड़ा बनाया जा सके।

खाद्य वस्तुओं में हानिकारक सामग्रियां

350. श्री कैलाश बैठा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ''अमेरिकन एकेडमी आफ एलर्जी अस्थमा एण्ड इम्यूनोलोजी'' के हाल के इस खुलासे की जानकारी है कि केचअप, इंस्टैंट नूडल्स, चाकलेट ''आरेंज कलर्ड ड्रिंक्स'' आदि में हानिकारक सामग्रियां मिली होती हैं जिसके कारण बच्चों को दमा हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्वदेशी रूप से उत्पादित खाद्य वस्तुओं का कोई वैज्ञानिक विश्लेषण किया है जिससे यह पता लगाया जा सके कि इन वस्तुओं का उपभोग, विशेषकर बच्चों द्वारा कितना सुरक्षित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार स्वाद बढ़ाने, खाद्य पदार्थों को रंगने अथवा मियाद (शेल्फ लाइफ) बढ़ाने हेतु उपयोग किए गए खाद्य योजकों के दुष्प्रभावों में व्हिजीजिंग अथवा अस्थमा का रोग हो सकता है। अमरीका की एलर्जी, अस्थमा और रोगप्रतिरक्षा विज्ञान अकादमी के अनुसार खाद्य संवेदनशीलता 1-2 प्रतिशत वयस्कों को तथा 6 वर्ष से कम आयु के लगभग 8 प्रतिशत बच्चों को प्रभावित करती है। एलर्जी के सामान्य स्रोत कृत्रिम रंग टरट्राजिन और सनसेट यैलो, जो खाद्यों को पीला और नारंगी रंग देते हैं, खुश्बू बढ़ाने वाला मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो तुरन्त तैयार होने वाले नूडल और चिप्स में मिलाया जाता है, फल के जूस, जैम और चटनी में मिलाए जाने वाले बेनजोएट्स जैसे संरक्षक, चाकलेट और केचअप में मिलाए जाने वाले तेल तथा पानी के संघटकों को अलग होने से रोकने वाले इमल्सीकारक हैं।

(ख) और (ग) भारत में विषयगत सीमित सूचना को देखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इतिहास एवं रोग प्रतिरक्षण संबंधी पेरामीटरों पर आधारित खाद्य एलर्जी का पता लगाने तथा त्वचा परीक्षणों द्वारा इसकी पुष्टि करने के संबंध में एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के शुरूआती आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली में अध्ययन में शामिल होने वाले 1200 रोगियों में से 782 (65.1 प्रतिशत) व्यक्तियों में एक अथवा अधिक खाद्य पदार्थों से एलर्जी पाई गई है। तथापि, त्वचा के परीक्षण से पता चला है कि 327 रोगियों में से 144 रोगियों को एक या अधिक खाद्य-पदार्थों से एलर्जी है। रोग संबंधी पूर्व विवरण और त्वचा परीक्षण में पाई गई कमी के उच्च स्तर को देखते हुए सूचित एलर्जी वाले खाद्यों के विषय में एलर्जी की पुष्टि करने हेतु भोजन खिलाकर जांच की जा रही है। यह अध्ययन शीघ्र ही पूरा होने वाला है।

(घ) खाद्य योजकों का प्रयोग खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954/नियम, 1955 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। सुरक्षित समझे जाने वाले खाद्य योजकों को खाद्य पदार्थों में सीमित मात्रा में मिलाने की अनुमति दी जाती है। वैज्ञानिक अध्ययनों अथवा प्रकाशित लेक्चरों के आधार पर खाद्य पदार्थों में योजकों के उपयोग की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

बोतलबंद पेयजल में कीटनाशी

351. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न ब्रांड के बोतलबंद पेयजलों में कीटनाशियों के होने के मामलों को गंभीरता से लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय मानक ब्यूरो का इस संबंध में जांच के मानकों में परिवर्तन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) जी हां, सुरक्षित बोतलबंद पेयजल को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत बोतलबंद पानी के संशोधित मानकों में कीटनाशी अवशिष्टों की मौजूदगी का इस प्रकार निर्धारण किया गया है:

(1)	कीटनाशी अवशिष्टों पर अलग-अलग ढंग से विचार	0.0001 मिली ग्राम/प्रति लीटर से अधिक नहीं (यहां पर प्रस्तुत की गई अवशिष्ट सीमा को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित जांच पद्धतियों को प्रयोग में लाते हुए ही यह विश्लेषण किया जाएगा)।
(2)	कुल कीटनाशी अवशिष्ट	0.0005 मि. ग्राम/प्रति लीटर से अधिक नहीं (यहां पर प्रस्तुत की गई अवशिष्ट सीमा को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित जांच पद्धतियों को प्रयोग में लाते हुए ही यह विश्लेषण किया जाएगा)।

बोतलबंद पानी भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) के अनिवार्य प्रमाणन योजना के अंतर्गत आता है। तदनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो इस पदार्थ की गुणवत्ता की जांच एवं निरीक्षण भारतीय मानक ब्यूरो की निरीक्षण एवं जांच योजना के अनुबंधों के अनुसार करता है।

(ग) और (घ) भारतीय मानक ब्यूरो ने कीटनाशी अवशिष्टों की जांच पद्धतियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य जांच पद्धतियों के अनुरूप संशोधित कर दिया है जो 1.1.2004 से लागू हो गई है।

[अनुवाद]

पाक अधिकृत कश्मीर में प्रशिक्षण केन्द्रों का पुनः शुरू होना

352. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:**
श्री गुरूदास कामत:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 21 जून 2004 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार के अनुसार, पाक अधिकृत कश्मीर में बड़ी संख्या में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए आतंकवादी प्रशिक्षण केन्द्रों को पुन: आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित मामले की सत्यता अथवा अन्य अर्थ क्या हैं;

(ग) क्या उक्त मामले को पाकिस्तान के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) 6 जनवरी, 2004 को संयुक्त प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ ने इस बात का पुन: आश्वासन दिया था कि वह पाकिस्तान के नियंत्रण के अधीन किसी प्रदेश का उपयोग किसी प्रकार के आतंकवाद का समर्थन करने की अनुमति नहीं देगा। चूंकि जम्मू तथा कश्मीर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा तथा वास्तविक भू-स्थिति पर 25 नवम्बर, 2003 का युद्ध-विराम से घुसपैठ में कमी आयी है। तथापि, पाकिस्तान ने अभी तक उक्त देश में आतंकवाद का समर्थन करने वाली अवसंरचना को ध्वस्त करने के लिए कोई विश्वसनीय उपाय नहीं किए हैं। हाल की खबरों में कुछ प्रशिक्षण शिविरों और लांचिंग पैडों को पुन: शुरू करने से संबंधित सुझाव दिए गए हैं।

भारत ने बार-बार पाकिस्तान को भारत में सीमा पार से घुसपैठ और आतंकवाद को समाप्त करने तथा उक्त देश में स्थायी आधार पर आतंकवाद को समर्थन करने वाली अवसंरचना को ध्वस्त करने पर जोर दिया है। यह मसला नई दिल्ली में 27-28 जून, 2004 को सम्पन्न विदेश सचिव स्तर की बातचीत के दौरान भी उठाया गया था । 28 जून को जारी संयुक्त वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया है कि दोनों देशों के विदेश सचिवों ने आतंकवाद तथा हिंसा से मुक्त वातावरण में प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विचारों का आदान-प्रदान किया।

[हिन्दी]

निजी अस्पतालों द्वारा नियमों का उल्लंघन

353. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान:**
श्री खीरेन रिजीजू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी अस्पताल सरकार के उन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं जिनके अन्तर्गत उन्हें रियायती दर पर भूमि आबंटित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अस्पतालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में उक्त अस्पतालों को नए निदेश जारी किए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते प्राइवेट अस्पतालों को रियायती दरों पर भूमि के आबंटन हेतु दिशानिर्देश तैयार करना तथा इन दिशानिर्देशों का उन अस्पतालों द्वारा जिन्हें रियायती दरों पर भूमि आबंटित की गई है, पालन सुनिश्चित करना सम्बन्धित राज्य सरकारों का कार्य है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में नए डाकघर खोलना

354. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल के पश्चिमी 24-परगना जिले में नये डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त जिले में कितने नये डाकघर खोले गए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24-परगना जिले में सुभाषनगर में एक नए विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। औचित्यता तय करने के लिए इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिले में खोले गए डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है:

2001-2002	-	(4) चार
2002-2003	-	(4) चार
2003-2004	-	(1) एक

असम मेडिकल कालेज का नवीनीकरण

355. **श्री सर्वानन्द सोनोवाल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम में डिब्रूगढ़ स्थित असम मेडिकल कालेज को सभी आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित अग्रणी चिकित्सा कालेज बनाने के लिए वित्तीय सहायता संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उपरोक्त कालेज का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समकक्ष पूर्णत: सुसज्जित स्नातकोत्तर राष्ट्रीय चिकित्सा संस्थान के रूप में उन्नयन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिलने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग (डी ओ एन ई आर) ने वर्ष 2002-03 के दौरान डिब्रूगढ़ में असम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (होप) की बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के सुदृढ़ीकरण के वास्ते डिब्रूगढ़ में असम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के विकास के लिए नान लेप्सेबल सेन्ट्रल पूल आफ रिर्सोसिस (एन.एल.सी.पी.आर.) से 20.00 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस समय असम चिकित्सा महाविद्यालय, डिब्रूगढ़ का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्तर के स्नातकोत्तर राष्ट्रीय चिकित्सा संस्थान में उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बिलासपुर-मुंगेली-पोण्डी को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करना

356. **श्री पुन्नूलाल मोहले:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बिलासपुर-मुंगेली-पोण्डी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग-12ए से जोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव लंबित पड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक मूर्त रूप ले लेगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में पासपोर्ट कार्यालय खोलना

357. श्री बची सिंह रावत 'बचदा': क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नवगठित राज्य उत्तरांचल में एक पासपोर्ट कार्यालय खोलने और विभिन्न जिला मुख्यालय/तहसीलों में इसकी शाखाएं खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने उत्तरांचल राज्य स्थित देहरादून में पासपोर्ट कार्यालय और जिला स्तर पर पासपोर्ट आवेदन-पत्रों को जमा कराने के लिए विकेन्द्रीयकरण की योजना के तहत जिला पासपोर्ट सैल खोलने का निर्णय लिया है। जिला पासपोर्ट सैल राज्य सरकारों द्वारा खोले गए हैं। अभी तक उत्तरांचल राज्य में कोई जिला पासपोर्ट सैल नहीं खोला गया है।

(ग) कार्यान्वयन के लिए कोई सुनिश्चित समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि इसमें कई आवश्यक अपेक्षाएं शामिल हैं जैसे कि उपयुक्त परिसर का पता लगाना जिसके लिए राज्य सरकार की सहायता ली गई है और कार्मिकों आदि की नियुक्ति।

[अनुवाद]

उड़ीसा में अकार्यशील पी.सी.ओ.

358. श्री परसुराम माझी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में कार्यरत सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकतर पी.सी.ओ. विशेषत: राज्य के के.बी.के. जिलों में अकार्यशील रहते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) 31.5.2004 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में कार्यरत सार्वजनिक काल घरों (पीसीओ) की संख्या निम्नानुसार है:

शहरी	ग्रामीण	जोड़
18074	9816	27890

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) के स्तर पर प्रतिदिन पीसीओ की मानीटरिंग की जाती है। पीसीओ की खराबी के संबंध में कोई शिकायत आने पर, पीसीओ की बहाली करने के लिए तत्परता से कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

पोलियो उन्मूलन

359. श्री सुशील कुमार मोदी:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2004-2005 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(घ) क्या देश में पोलियो के मरीजों की संख्या में कमी आई है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्तमान में पोलियो परियोजनाओं की संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यकलाप तेज कर दिए गए हैं। वर्ष 2004 के दौरान तीन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जनवरी, फरवरी और अप्रैल महीने में आयोजित किए गए हैं और एक उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, झारखण्ड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में मई महीने में आयोजित किया गया है। दो और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस अक्तूबर एवं नवम्बर 2004 के दौरान आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, पोलियो विषाणु के नए रोगियों का पता चलने पर जुलाई से सितम्बर के बीच वृहत क्षेत्रों में माप-अप आपरेशन चलाए जाएंगे।

(ग) वर्ष 2004-05 के लिए अनुमोदित परिव्यय 1123 करोड़ रुपए हैं।

(घ) जी, हां। पोलियो के नए रोगियों की संख्या में कमी आई है। पोलियो के रोगियों की संख्या वर्ष 2002 में 1600 थी जो वर्ष 2003 में घटकर 225 और वर्ष 2004 में (26 जून, 2004 तक) केवल 14 रह गई है।

(ङ) भारत सरकार राज्यों और अन्य विकास सहभागियों के सहयोग से केवल एक ही पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चला रही है।

[अनुवाद]

रोजगार चाहने वालों की समस्या का समाधान

360. श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री पी.सी. थामस:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यू.ए.ई. में रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता और अन्य प्रमाण-पत्रों के सत्यापन संबंधी समस्याओं से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा किये जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों ने आवेदकों की कठिनाइयों के समाधान के उद्देश्य से इस मसले पर चर्चा की है। विदेश मंत्रालय ने सुझाव दिया कि कि दिल्ली से दूर के स्थानों से शैक्षिक प्रमाणपत्रों के साक्ष्यांकन के लिए आने वाले आवेदकों को पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए मानव संसाधन विकास विभाग ने उनके साक्ष्यांकन के कार्य का विकेन्द्रीयकरण करने का निर्णय लिया है और केरल के मामले में, उन्होंने केरल सरकार के शिक्षा विभाग को पहले से ही शैक्षिक दस्तावेजों को सत्यापित करने का अधिकार-पत्र जारी कर दिया है।

दसवीं योजना के दस्तावेज की समीक्षा

361. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री एस.पी.वाई. रेड्डी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दसवीं योजना के दस्तावेज में सरकार बदलने के फलस्वरूप इसमें उल्लिखित उद्देश्यों और प्राथमिकताओं की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) इस मामले पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दसवीं योजना के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं की समीक्षा मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान की जाएगी जो चालू वर्ष के दौरान किया जाना निर्धारित है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामले

362. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्णीत केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) दोषमुक्त करार दिए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विचारणोपरांत निर्णीत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों की संख्या, ऐसे मुकदमे/विचारण में दोषी पाए गए तथा दोषमुक्त/रिहा कर दिए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है:

	2001	2002	2003
निर्णीत मामले	448	673	692
दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या	551	794	673
दोषमुक्त/रिहा कर दिए गए व्यक्तियों की संख्या	478	572	461

हालांकि, विचारण न्यायालयों द्वारा अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिए जाने के आदेश, अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को तुलनात्मक महत्व देने के बाद ही घोषित किए गए मामला दर मामला आधारित निर्णय हैं, फिर भी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार अभियुक्तों को दोषमुक्त/रिहा कर दिए जाने के कुछ सामान्य कारण इस प्रकार हैं:

(1) शिकायतकर्त्ता और स्वतंत्र गवाहों का मुकर जाना;

(2) मामलों के विचारण में बहुत अधिक देरी लगने से उन्हीं जांच अधिकारियों और अभियोजकों को मुकदमे के साथ जोड़े रखने का कार्य कठिन हो जाना;

(3) दोषपूर्ण मंजूरी आदेश;

(4) अभियोजन के मुख्य साक्ष्यों का उपलब्ध न होना;

(5) संदेह का लाभ;

(6) अधिकार क्षेत्र का अभाव; और

(7) लंबे समय तक खिंचने वाले मुकदमों में साक्ष्य प्रदर्शों को संरक्षित रख पाने में मुश्किल सामने आना।

[अनुवाद]

पिछड़े राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देना

363. श्री तथागत सत्पथी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उड़ीसा सहित देश के पिछड़े राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) मौजूदा विशेष श्रेणी राज्यों के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री पर रोक

364. श्री रामकृपाल यादव:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामान्य सौंदर्य प्रसाधन जैसे टेल्कम पाउडर, नाखुन पालिश और लिपस्टिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और उत्पाद कैंसर का कारण भी हो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं को इन सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों से सावधान करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन कृत्रिम अजैविक सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी कोई विशिष्ट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि

टेलकम पाऊडर, पर्फूम, साबुन, नाखून पालिस और लिपिस्टिक जैसे सौंदर्य प्रसाधन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और इससे कैंसर हो सकता है। तथापि, औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अन्तर्गत प्रसाधन-सामग्री निर्माताओं को उस उत्पाद, जिसके उपयोग करने पर जोखिम होता है, के लिए निम्नलिखित सूचना देना अपेक्षित है:

(1) सुरक्षित उपयोग के लिए पर्याप्त निर्देश,

(2) उपभोक्ता के अनुपालन के लिए अपेक्षित कोई चेतावनी, सावधानी अथवा विशेष निर्देश,

(3) जोखिमयुक्त अथवा विषैले अवयवों के नाम और मात्रा का विवरण।

औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के उपबन्धों को लागू करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

इसके अतिरिक्त, किसी वस्तु को बिक्री के लिए जारी करने के पहले उत्पाद की सुरक्षा के बारे में अपने आप को सन्तुष्ट करना निर्माता का उत्तरदायित्व है। केवल उन्हीं रासायनिक अवयवों को कच्ची सामग्री और योजकों के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है जिनको संयोजन के समय प्रसाधन उत्पादों में त्वचीय उपयोग के लिए सुरक्षित माना जाता है। ऐसी प्रसाधन सामग्री और योजकों को भारतीय मानक ब्यूरो ने दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:

(1) सामान्यत: सुरक्षित माने/पहचाने जाने वाले (जी आर ए एस), और

(2) सामान्यत: जिनको सुरक्षित नहीं माना/पहचाना गया हो (जी एन आर ए एस)।

नये औषध योग की सुरक्षा अथवा पुराने औषध योग उपयोग की गई नई कच्ची सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए आई.एस. 4011:1997, प्रसाधन सामग्री की सुरक्षा की दृष्टि से मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण की विधियों का संदर्भ दिया जाएगा।

(ग) और (घ) सरकार उक्त प्रसाधन सामग्री के उत्पादन और बिक्री को वर्जित करने/रोकने के ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

दूर संवेदन उपग्रह आंकड़े

365. श्री निहाल चन्द: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इसरो दूर संवेदी उपग्रहों के आंकड़े उपलब्ध करवाने में अन्य देशों की तुलना में अग्रणी है;

(ख) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन से हैं जिनमें इन आंकड़ों का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ग) इनसे वर्ष 2003-2004 के दौरान अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्ध जैसे वानिकी, कृषि फसल का मूल्यांकन, जल संसाधनों का मानिटरन, मत्स्यपालन और मानचित्रण संबंधी क्षेत्रों में यू.एस.ए., यूरोप, थाईलैण्ड, म्यांमार, जापान, दक्षिण कोरिया गणराज्य, यू.ए.ई., रूस, इक्वेडर और अर्जेन्टीना सहित अनेक देशों में इन आंकड़ों का उपयोग किया जा रहा है।

(ग) वर्ष 2003-2004 के दौरान इन आंकड़ों से 2.63 मिलियन अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

[हिन्दी]

डाक डिलीवरी प्रणाली में सुधार

366. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग के पास डाक प्रेषण तथा डिलीवरी की नियमित समीक्षा के लिए कोई प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए और इस संबंध में क्या अनियमितताएं पाई गईं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) डाक के पारेषण और वितरण की निम्नलिखित विभिन्न विधियों के जरिये निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है:

1. वर्ष में एक बार समूचे देश में एक साथ अखिल भारत लाइव मेल सर्वेक्षण किया जाता है।
2. मासिक आधार पर देशभर के बड़े शहरों के बीच राष्ट्रीय परीक्षण-पत्र रन (नेशनल टेस्ट लेटर रन) किया जाता है।

3. माह में एक बार चयनित डाकघरों में लाइव मेल सर्वेक्षण किया जाता है।

4. सर्किल स्तर पर सर्किल परीक्षण-पत्र रन किया जाता है।

5. डिवीजन स्तर पर डिवीजन परीक्षण-पत्र रन किया जाता है।

6. परीक्षण (टेस्ट) पत्रों और जांच (ट्रायल) कार्डों को, डाक-वितरण की कार्यकुशलता और रूटिंग प्रणाली में आने वाली दिक्कतों को मानीटर करने के लिए डाक में डाला जाता है।

(ग) गत दो वर्षों में हुई पुनरीक्षा के दौरान, डाक वितरण के निर्धारित मानदण्डों से हटकर डाक वितरण संबंधी मामले ध्यान में आए थे। हवाई जहाज के जरिये डाक न ढ़ोने के कारण डाक-वितरण में देरी होने, डाक ले जाने वाले हवाई जहाजों, रेलगाड़ियों एवं राज्य परिवहन की बसों के विलम्ब से चलने संबंधी मामले भी ध्यान में आये थे। 2002 और 2003 के दौरान अखिल भारत लाइव मेल सर्वेक्षण (ग्रामीण एवं शहरी) के परिणामों के आधार पर निर्धारित मानदण्डों के भीतर वितरित रजिस्टर्ड डाक और साधारण डाक का प्रतिशत निम्न प्रकार था:

वर्ष	शहरी (मानदण्डों के अंतर्गत वितरित डाक का औसत प्रतिशत)		ग्रामीण (मानदण्डों के अंतर्गत वितरित डाक का औसत (प्रतिशत)	
	अपंजीकृत	पंजीकृत	अपंजीकृत	पंजीकृत
2002	91	88.4	89.2	89.1
2003	92.3	92.1	89.7	89.2

प्रणाली में सुधार लाने के लिए किए गए उपाय

1. परीक्षण-पत्रों और जांच कार्डों को डाक में डालकर डाक रूटिंग, पारेषण और डाक-वितरण की नियमित मानीटरिंग।

2. डाक पारेषण रूटों और विधियों की सावधिक पुनरीक्षा की जाती है ताकि डाक पारेषण की त्वरित एवं अधिक विश्वसनीय ढंग की व्यवस्था हो सके।

3. समय पर डाक प्रेषण, पारेषण, डाक वितरण और समय-समय पर यथापेक्षित तुरन्त पूरक या वैकल्पिक बन्दोबस्त सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है।

4. अपेक्षानुसार पर्याप्त मानवशक्ति लगाने के विचार से डाक हैन्डलिंग संबंधी प्रणालियों का युक्तिकरण/पुनः संरचना करना।

5. डाक परिवहन और इसके वितरण करने का प्रगामी यांत्रिकीकरण।

चार लेन वाला दिल्ली-मुजफ्फरनगर-हरिद्वार मार्ग

367. श्री मुनव्वर हसन: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली-मुजफ्फरनगर-हरिद्वार मार्ग को चार लाइनों वाले मार्ग में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मार्ग को कब तक चार लाइनों वाले मार्ग में परिवर्तित कर लिया जाएगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) दिल्ली-मेरठ-हरिद्वार सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 का हिस्सा है। यह सड़क दिल्ली से मेरठ तक पहले से ही चार लेने की है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के मेरठ से हरिद्वार खंड को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर चार लेन का बनाए जाने का प्रस्ताव है। मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच सिविल कार्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं। शेष खंडों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ग) इस कार्य को दिसंबर, 2008 तक पूरा किए जाने की संभावना है जो बी ओ टी के अंतर्गत निविदादाताओं की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना

368. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद के लोग बड़ी संख्या में प्रति वर्ष विभिन्न देशों में जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हैदराबाद और सिकन्दराबाद दोनों शहरों के लिए केवल एक पासपोर्ट कार्यालय है;

(ग) क्या भारी भीड़ के कारण लोगों को पासपोर्ट बनवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) पासपोर्ट कार्यालय हैदराबाद एक वर्ष में लगभग 2,45,000 पासपोर्ट जारी करता है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी नहीं। प्रति दिन औसतन 1200-1300 आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं। साधारणतया पासपोर्ट कार्यालय आवेदन पत्र जमा कराने के लिए 14 पब्लिक काउंटर चलाता है। भारी भीड़ होने की स्थिति में पब्लिक काउंटरों की संख्या बढ़ा दी जाती है, अतिरिक्त स्टाफ तैनात कर दिए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर काउंटर पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम किया जाता है।

यूरोपीय संघ के साथ संबंध मजबूत करना

369. श्री सुरेश कुरूप: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ संबंध मजबूत करने के लिए कुछ नए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच कोई वार्ता हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त वार्ता का ब्यौरा और इसके परिणाम क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (ग) जून, 2000 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच वार्षिक शिखर-स्तर की वार्ता के संस्थायन के पश्चात, द्विपक्षीय संबंध बहु-आयामी, भागीदारी में परिवर्तित हो गए हैं। भारत-यूरोपीय संघ त्रोइका मंत्रिस्तरीय वार्ता नई दिल्ली में 16 फरवरी, 2004 को हुई। दनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों का पुनरीक्षण किया और क्षेत्रीय तथा वैश्विक गतिविधियों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

[हिन्दी]

झारखंड में यूरेनियम संयंत्र

370. श्री बाबू लाल मरांडी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के समक्ष झारखंड में एक यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित कर लिया जाएगा?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) इसे मार्च, 2006 तक स्थापित किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

एक्सेल मोबाइल फोन कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची

371. श्री पी. करुणाकरन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में एक्सेल मोबाइल फोन कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदक हैं;

(ख) क्या सरकार स्वदेशी सिम कार्ड निर्मित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत से अमरीका तथा अन्य पश्चिमी देशों और खाड़ी देशों को की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय ट्रंक काल की वर्तमान दर कितनी है;

(ङ) क्या सरकार के समक्ष खाड़ी देशों को की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय ट्रक काल की दरों को कम करने का कोई प्रस्ताव है, जिससे कि दरों को अमरीका तथा अन्य पश्चिमी देशों को की जाने वाली कालों के समान किया जा सके;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 30.6.2004 की स्थिति के अनुसार, केरल सर्किल में एक्सेल मोबाइल फोन कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में 145744 आवेदक दर्ज हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। मै. आईटीआई लिमिटेड देश में सिम कार्डों का स्वदेशी आपूर्तिकर्ता है।

(घ) बीएसएनएल की मौजूदा आईएसडी दरें निम्नलिखित हैं:

(1) अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन के लिए	-	7.20 रु./मिनट
(2) यूरोप (ब्रिटेन को छोड़कर), सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इण्डोनेशिया और हांगकांग के लिए	-	9.60 रु./मिनट
(3) शेष विश्व के लिए (खाड़ी के देशों सहित)	-	18.00 रु./मिनट

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपरोक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) उच्च व्यवस्थापन दरों (विदेश कालों के टर्मिनेशन के लिए प्रभार) के कारण खाड़ी देशों की आईएसडी काल दरों को कम करके अमरीका के लिए निर्धारित दरों के बराबर करना संभव नहीं है।

दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार

372. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फैलते हुए संचार नेटवर्क जैसे कि मोबाइल हैंडसैटों, ए टी एम, वायरलैस सैटों तथा अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरणों के कारण सुरक्षा को और खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले वर्ष नई दिल्ली में हुए विशेषज्ञों के एक सम्मेलन में सरकार को इस बारे में सावधान किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) गृह मंत्रालय से आवेदक की सुरक्षा-जांच के पश्चात ही निजी बेतार संचार नेटवर्कों के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

(ख) पिछले वर्ष संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में इस विषय पर विशेषज्ञों का कोई सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था।

(ग) लागू नहीं।

भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन

373. **श्री के.एस. राव:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूकम्प से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक कितनी रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं;

(ग) रिपोर्टों का परिणाम क्या निकला; और

(घ) रिपोर्टों के निष्कर्षों के आधार पर क्या कार्रवाई की गई?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपनी भूकंपनीयता कार्यक्रम (सिज्मिसिटी प्रोग्राम) के अंतर्गत भूकंप और इससे संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास को सहयोग प्रदान किया जाता है। भूकंप से संबंधित अध्ययनों, विशेषत: भूकंप की क्रियाविधि एवं स्रोत प्रक्रियाओं को समझाने के लिए विभिन्न अकादमिक एवं अनुसंधान संस्थानों को कई परियोजनाएं वित्तपोषित की गई हैं। हाल के प्रमुख भूकंपों नामत: भुज 2001, चमोली 1999, जबलपुर 1997, लातूर 1993 और उत्तरकाशी 1991 के बाद विशिष्ट अध्ययन भी संचालित किए गए हैं और इनसे प्राप्त तथ्यों को इन भूकंपों से संबंधित रिपोर्टों के रूप में प्रलेखित किया गया है।

(ग) और (घ) इन रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के अनुसार भूकंप से पहले तथा इसके बाद आपदा उपशमन एवं प्रबंधन संबंधी कार्यनीतियां शुरू की गई हैं। इनमें चयन किए गए शहरी केन्द्रों के माइक्रोजोनेशन अध्ययन, पूर्व-सूचनाओं के क्रमबद्ध अध्ययनों के लिए मल्टी-पैरामिट्रिक भूगर्भभौतिक वेधशालाओं की स्थापना, भूकंपीय मानीटरन नेटवर्कों का स्तरोन्नयन और भूकंप संबंधी शिक्षण एवं लोक जागरूकता आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौतें

374. **श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाईं;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आबंटित की गई;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटित राशि खर्च नहीं की गई; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2000, 2001 और 2002 में सड़क दुर्घटनाओं के कारण देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्रमशः कुल 30216, 30628 और 29031 (अनंतिम) व्यक्ति मारे गए।

(ख) और (ग) सड़क सुरक्षा कार्य, इंजीनियरी परियोजनाओं/अनुरक्षण कार्यक्रमों का अभिन्न हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों से संबंधित सड़क इंजीनियरी के लिए निर्धारित धनराशि के बारे में सही-सही बता पाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार अनेक सड़क सुरक्षा स्कीमों का संचालन करती है जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी सड़क प्रयोक्ताओं में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सड़क सुरक्षा उपस्करों के लिए सहायता प्रदान करना है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में 37.42 करोड़ रु. के परिव्यय की तुलना में इस मद पर 30.24 करोड़ रु. खर्च किए गए।

(घ) मुख्यतः राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण पूरे परिव्यय का उपयोग नहीं किया जा सका।

केबल की मांग और आपूर्ति

375. श्री पी.सी. थामसः क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) देश में विशेषकर केरल में आवश्यकतानुसार दूरभाष केन्द्रों को पर्याप्त केबल उपलब्ध कराने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केरल में स्थानवार मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केरल के सभी दूरभाष केन्द्रों में पर्याप्त केबल उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) वर्ष 2003-04 के दौरान केबल निविदा के संबंध में मुकदमेबाजी के कारण, निविदा को अंतिम रूप देने तथा सर्किलों को केबल आबंटित करने में देरी हुई। केबल-निविदा को अंतिम रूप देने के बाद सर्किलों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त केबल आबंटित किए गए। केरल सर्किल के लिए नवम्बर, 2003 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के कोटे से 4.6 एलसीकेएम केबल तथा केबल निविदा 2003-04 से मार्च, 2004 में 21.08 एलसीकेएम केबल आबंटित किए गए। केरल सर्किल की वर्ष 2003-04 की 28.03 एलसीकेएम केबल की कुल आवश्यकता की तुलना में उसे 25.68 एलसीकेएम केबल आबंटित किया गया है। केरल, सर्किल, सर्किल की विभिन्न स्थानों की अपेक्षाओं/के अनुरूप आगे केबल आबंटित करेगा।

वर्ष 2003-04 की आवश्यकता हेतु, केरल सर्किल को पर्याप्त केबल (25.68 एलसीकेएम आबंटित किया गया है। क्रयादेश के अनुसार कंपनियों द्वारा केबल की आपूर्ति चरणबद्ध रूप से किए जाने की आशा है, जो संभवतः अक्टूबर, 2004 तक पूरी हो जाएगी।

सड़कों का अधिग्रहण

376. श्री आलोक कुमार मेहताः क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने के लिए अन्य विभागों (ग्रामीण विकास तथा अन्य विभागों) से सड़कों का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बिहार में अधिग्रहीत की गई सड़कों की संख्या कितनी है;

(ग) किस तारीख को इन सड़कों को अधिग्रहीत किया गया; और

(घ) ऐसे मार्गों को परिवर्तित करने की वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। बिहार के राज्य सड़क निर्माण विभाग को छोड़कर ऐसे किसी विभाग से किसी सड़क का अधिग्रहण नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र में सुधार

377. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र में सुधार करने तथा विकासशील लोकतांत्रिक देशों तथा गुट-निरपेक्ष देशों को शामिल करके सुरक्षा परिषद का विस्तार किए जाने की आवश्कता की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र में सुधार करने के लिए चीन तथा अन्य गुट-निरपेक्ष देशों के साथ मिलकर क्या रचनात्मक कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) जी, हां। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार और पुन: संरचना की अनिवार्य आवश्यकता पर सतत और सक्रिय बल दिया है। विस्तारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के रूप में कुछ विकासशील देशों सहित विकासशील देशों के वृहत प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर भी हमारे द्वारा बल दिया गया है।

(ख) यह प्रश्न कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र में विचाराधीन है। इसमें कई जटिल मुद्दे शामिल हैं: विस्तारित परिषद का आकार, मानदंड, सन्तुलित प्रतिनिधित्व, आदि। इन मुद्दों के संबंध में, गुट निरपेक्ष देशों और चीन सहित विकासशील देशों के बीच कुछ समानता है। इन सभी देशों को शामिल करते हुए संयुक्त राष्ट्र में विचार-विमर्श जारी है।

श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केन्द्र में विस्फोट

378. डा. पी.पी. कोया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीहरिकोटा स्थित इसरो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केन्द्र में विस्फोट हुआ था जिसके परिणामस्वरूप कुछ तकनीकी कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विस्फोट की सरकार द्वारा कराई गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा में 23 फरवरी, 2004 को एक अग्नि दुर्घटना हुई थी।

(ख) यह अग्नि दुर्घटना एस.डी.एस.सी. शार केन्द्र के ठोस प्रणोदक अन्तरिक्ष वर्धक संयंत्र (स्रोब) में विकासात्मक ठोस राकेट मोटर के खण्ड में 23.2.2004 के आपराह्न में हुई थी। यह दुर्घटना उपस्करों को हटाने के अन्तिम प्रचालन कार्यों के समय हुई जबकि खण्ड में रहे प्रणोदक में अनायास आग लग गई। इस दुर्घटना में सात व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

(ग) इस दुर्घटना की जांच के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस दुर्घटना का मुख्य कारण दो स्लाइडिंग धात्विक सतहों के बीच प्रणोदक का रिसाव था। संचकित उपस्करों के हटाने के दौरान हुए घर्षण से व्युत्पन्न उष्मा के कारण रिसाव वाला प्रणोदक प्रज्वलित हो गया।

(घ) समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

परियोजना का धीमा क्रियान्वयन

379. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक अपने नियत समय से पीछे चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्धारित समय से ज्यादा लगने वाले समय के परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं की लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडिस): (क) दिनांक 1.4.2004 तक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रबोधित की जा रही 20 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक लागत वाली 568 केन्द्रीय परियोजनाओं में से 18 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी थीं, 198 परियोजनाएं अपनी अद्यतन अनुमोदित अनुसूची की तुलना में नियत समय से पीछे चल रही थीं। क्षेत्र-वार परियोजना संख्या एवं समयवृद्धि की अवधि संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) 198 विलंबित परियोजनाओं की कुल प्रत्याशित लागत, अद्यतन अनुमोदित लागत के संदर्भ में 9.5 प्रतिशत बढ़ गई है।

(ग) समापन तिथि परियोजना-दर-परियोजना भिन्न होती है। परियोजना कब पूर्ण होगी, इस आशय की परियोजना-वार सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) परियोजना कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्न शामिल हैं;

(1) दो चरणों वाली निकासी व्यवस्था को अपनाया जाना और निवेश अनुमोदन से पूर्व परियोजना रिपोर्टों का पूर्ण मूल्यांकन;

(2) निधियों को पूर्णरूप से एकत्रित किए जाने के पश्चात् ही परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू करना;

(3) सरकार द्वारा परियोजनाओं की मासिक और साथ ही त्रैमासिक आधार पर गहन समीक्षा;

(4) विभाग द्वारा परियोजनाओं की समीक्षा हेतु प्रशासनिक मंत्रालयों में शक्ति प्रदत्त समितियों का गठन।

(5) समय और लागत वृद्धि के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालयों/विभागों में स्थायी समितियों का गठन;

(6) प्रत्येक परियोजना की अवधि के लिए केन्द्रक अधिकारियों की नियुक्ति; और

(7) मानक बोली दस्तावेजों को अपनाने के लिए दिशा-निर्देशों का जारी किया जाना।

विवरण I

अद्यतन अनुसूची के संबंध में परियोजनाओं में समयवृद्धि की सीमा

(01.04.2004 तक की स्थिति)

क्र.सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या		विलंब की अवधि (माह में)
1.	परमाणु ऊर्जा	1		81
2.	नागर विमानन	2		13
3.	कोयला	17	3—	108
4.	उर्वक	1		27
5.	सूचना और प्रसारण	1		63
6.	खान	2	23—	52
7.	इस्पात	2	18—	20
8.	पेट्रोलियम	13	3—	15
9.	विद्युत	18	2—	60
10.	रेलवे	40	3—	156
11.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	71	2—	65
12.	जहाजरानी और पत्तन	20	3—	63
13.	दूरसंचार	7	3—	24
14.	शहरी विकास	3	6—	38
	कुल	198		

विवरण II

अद्यतन अनुमोदित के संदर्भ में विलंबित परियोजनाओं की क्षेत्रवार सूची

(01.04.2004 की स्थिति)

क्र.सं.	परियोजना	चालू होने की अब प्रत्याशित तिथि
1	2	3
परमाणु ऊर्जा		
	इंदिरा गांधी परमाणु शोध केंद्र	
1.	पीएफबीआर-स्टेज ए फेज-2	3/2005
नागर विमानन		
	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण	
2.	जयपुर एयर रनवे का विस्तार	3/2004
3.	अमृतसर पत्तन का विकास	12/2004
कोयला		
	भारत कोकिंग कोल लि.	
4.	पुतकी-बलहारी यूजी	3/2004
	केंद्रीय कोल फील्ड लि.	
5.	जे.पी. रेलवे लाईन	3/2005
6.	बोकारो ओसी	3/2005
	पूर्वी कोल फील्ड लि.	
7.	अमडंड व बरतराय	3/2005
8.	बागदेवा यूजी, आरपीआर	7/2005
9.	झांझर यूजी	3/2004
10.	जे.के. नगर यूजी	3/2004
	सिंगरेनी कोइलरी कंपनी लि.	
11.	मनुगुरू ओसी	3/2007
	दक्षिणी-पूर्वी कोल फील्ड लि.	
12.	माहन ओसी	3/2004
13.	पिंडोरा यूजी संव	3/2004
14.	विजया यूजी संव	3/2004
15.	रेहार यूजी आरपीआर	3/2004
16.	गायत्री यूजी आरपीआर	3/2004
	पश्चिमी कोल फील्ड लि.	
17.	नहरिया यूजी	3/2004
18.	अडासा यूजी	3/2006
19.	दुरवासा ओसी	3/2007
20.	टांडसी यूजी एक्स.	3/2005
उर्वरक		
	ब्रह्मपुत्र वेली उर्वरक नि. लि.	
21.	नामरूप संयंत्र रिवेम्प	5/2004
सूचना एवं प्रसारण		
	दूरदर्शन	
22.	डी डी भवन, दिल्ली-2/सीबी पीपीएफ वेन	6/2004
खान		
	राष्ट्रीय अल्यु.कं. लि. (नेल्को)	
23.	केप सेमिलेटर-सीपीपी का विस्तार	4/2004
24.	स्पे. ग्रेड अल्यूमिना	4/2004
इस्पात		
	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	
25.	पिग आयरन प्लांट	6/2006 (सभी बंद हुई)
	स्टील अथो. इंडिया लि. (सेल)	
26.	ईआरडब्ल्यू पी पी ई संयंत्र उन्नयन	5/2005
क्षेत्र: पेट्रोलियम		
	भारत पेट्रोलियम का. लि.	
27.	रिफाईनरी का आधुनिकीकरण	10/2004

1	2	3
	चैन्नई पेट्रोलियम का. लि.	
28.	रिफ.एक्स. कम आधुनिकीकरण	6/2004
	गैस. अथा. आफ इंडिया लि.	
29.	विशाक-सिंकदरा. एलपीजी	4/2004
30.	दहेज-हजिरा-उरन पाइप.	12/2005
	हिन्दु प्रैट्रो. का. लि.	
31.	ग्रिन फ्यूल एमिशन कंट्रोल	12/2005
	इंडियन आयल का. लि.	
32.	पानीपत रिफाईनरी का विस्तार	4/2005
33.	लिनियर अल्काईन बेनलीन	8/2004
34.	एमएस क्वालिटी उच्चीकरण	12/2004
35.	पोल पी पी ए टी-रियू	12/2004
36.	एमएस क्वालिटी उच्चीकण फेसी	6/2006
37.	पानीपत रिव्यू पाइपलाईन पीआरओ	11/2004
	तेल एवं प्राकृतिक गैस का. लि.	
38.	आईओआर गंधार	12/2004
39.	आईओआर योजना नीलम	10/2004
विद्युत		
	राष्ट्रीय हाईड्रो इलैक्ट्रिक पावर कोपरेशन	
40.	दुल्हस्ती एच ई पी	11/2004
41.	लोकटक डी/एस एच ई पी	12/2008
	पावर ग्रिड का. इंडिया लि.	
42.	टिहरी पारेषण सिस्टम	12/2004
43.	पश्चिमी रिज का यूएलडीसीएस	12/2004
44.	कैगा-नरेंद्रा पारे. सिस्टम	3/2006
45.	मदुरै-तिरूवनंतपुर	9/2004
46.	यूएलडीसीएस-डब्ल्यूआर	8/2005
47.	स्ट्रेथिंग टांस. सिस्टम	6/2004
48.	एचवीडीसी बैक टू बैक जी ए जैड यू बी ए के	3/2005
49.	400 केवी डीसी-2 काह.-विहार	12/2004
50.	रंगना-0 पारे. 132 के वी	3/2004
51.	बारीपाडा 400 केवी एस/एस	6/2004
52.	तल्ला-सिलिगुडी ट. लाईन	6/2005
53.	उत्तर-पूर्व में प्रणाली सुदृढ़ीकरण	11/2006
54.	सिस्टम-1 स्ट्रेथिंग	11/2006
55.	स्ट्रेथिंग टांस सिस्टम-2	12/2006
	सतलुज जल विद्युत नि. लि.	
56.	नाथपा झाकरी हाई.	7/2004
	टिहरी हाइड्रो विकास का. लि.	
57.	टिहरी बांध एच.पी.पी.	3/2004
रेलवे		
	मालभाड़ा प्रचालन सूचना प्रणाली	
58.	मालभाड़ा प्रचालन सूचना प्रणाली	12/2004
	गेज परिवर्तन	
59.	इलाहाबाद-मुडखेड	3/2007
60.	राजकोट-वेरावल, डब्ल्यू आर	3/2004
61.	अरसिकरी-हसन-मंगलोर	12/2004
62.	होटगी-गडग, एस डब्ल्यू आर	3/2006
63.	आगरा-बांदीकुई	3/2005
64.	वीरम-भिल्डी डब्ल्यू आर	6/2004
65.	न्यू जलपाई.-बोगईगांव	6/2004
	लाईन डबलिंग	
66.	कानपुर-पनकी 3 लाईन एनआर	6/2005
67.	होस्पेट-गुंटाकल एससीआर	6/2004

1	2	3
	महानगर परिवहन परियोजना	
68.	तुरूवेलेचरी, मार्ट एक्स.	3/2005
69.	इलै. बरासात-हसनाबाद	6/2004
70.	बोरीवली-विरार, डब्ल्यू आर	3/2005
71.	तौलीगंज-गरिया (एमटीपी)	6/2007
	नई लाईन	
72.	जम्मूतवी-उधमपुर, एनआर	4/2004
73.	नागल डेम-तलवारा, एनआर	3/2008
74.	तमलूक डिगा एसईआर	6/2005
75.	गुना-ईटावा ईसीआर	3/2005
76.	देत्री-क्योंझार-बनस	12/2004
77.	अमरावती-नारखेर सीआर	3/2005
78.	उधमपुर-एस. नगर, मूला	8/2007
79.	कोटर-हरिहर, एसवेआर	4/2005
80.	कादर-सी, मंगलौर-एसपुर	3/2005
81.	कोडेरमा-रांची (बरकाना)	3/2006
82.	देवघर-दुमका, ईआर	3/2007
	रेलवे का विद्युतीकरण	
83.	अम्बाला-मुरादाबाद,	3/2005
84.	खाडगपुर-भुवनेश्वर	12/2004
85.	अरनाकुलम-त्रिवेंद्रम	12/2004
86.	रेनिगुंडा-गुंटाकल	3/2004
	सिगनलिंग और दूरसंचार	
87.	सी.सी.जी.वी.आर. डिसकाईबर	3/2004
	ट्रैफिक सुविधा	
88.	यार्ड का आधु. फेज-1-एसटी-1 ईआर	3/2004
	वर्कशाप एवं उत्पादन इकाई	
89.	आरसीएफ कपूरथला फेज-2 उ.पू.	3/2006

1	2	3
90.	एमएफआर हाई एचपी एबीबी	3/2005
91.	लुधियाना इलै.लो. शेड	3/2005
92.	सीएलडब्ल्यू इले.लो.	3/2004
93.	वर्कशाप संवर्धन	12/2004
94.	4000/3000 एचपी डीजल	3/2006
95.	400 डीएलड. डी. लोको	3/2005
96.	लोको शेड सैटिंग अप	12/2005
97.	50 लोको शेड का निर्माण	3/2004
सड़क परिवहन		
	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पैकेज)	
98.	जयपुर बाईपास फेज-2 जीक्यू	10/2004
99.	जवाहर लाल पोर्ट ट्रस्ट कनैक्शन एनएच-4 बी	8/2004
100.	लखनऊ-कानपुर कि.मी. 21.8-44 ईडब्ल्यू-2	6/2004
101.	जालंधर-पठानकोट के-4, 26	3/2004
102.	हल्दिया पत्तन कन्टेकट	3/2005
103.	देहली-हरि. के-44-66 एनएस 2	9/2004
104.	नंनदीगांव-विजयवाड़ा अन्य एन एच 9	4/2004
105.	जालंधर बाईपास के 372-387 एनएस 1	4/2004
106.	8 लेन दिल्ली-हरि. के 17-9 एनएस 2	9/2004
107.	8 लेन दिल्ली के 8-16 एन एस 1	11/2004
108.	विजाग पोर्ट (पीसी)	12/2004
109.	पूर्णिया-गयाकोटा-410-419 ईडब्ल्यू 1	12/2004
110.	गुवाहाटी बाईपास के 146-157 ईडब्ल्यू 2	6/2004
111.	धौलपुर-सैक्शन के 24-41 एनएस 2	3/2004
112.	धकौला-आईपुर के 447-470 ईडब्ल्यू 1	3/2004
113.	आगरा-ग्वालियर के 70-85 एन एस 2	3/2004
114.	डलकोला-इस्लामपुर के 476-500 ईडब्ल्यू 1	12/2004

1	2	3
115.	नागपुर-हैदराबाद के-464-74 एन एन 2	7/2004
116.	बंगलौर-मदूरै के-180-199 एन एस 2	10/2004
117.	केसरियाजी-रतनपुर जी क्यू	7/2004
118.	बंगलौर-सेलेम मदुरै	3/2004
119.	अलाव-अगुमल्ली के-333-16 एन एस 2	4/2004
120.	हैदराबाद-बंगलौर एनएन 2	12/2004
121.	हिम्मतनगर-चिलोडा जीक्यू	12/2004
122.	लखनऊ-कालपुर कि.मी. 44.5.5 ईडब्ल्यू 9	6/2004
123.	पूर्णिया-जी. कोट 2	12/2004
124.	सूरत-अतूल जीक्यू	6/2004
125.	लक बाईपास ईड. एनएच-25 एवं 28	12/2004
126.	सतारा-कमल जीक्यू	8/2004
127.	बेलगांव-बाईपास जीक्यू	7/2004
128.	बेलगांव-घारावाड़	10/2004
129.	हुबली-हरवेरी जीक्यू	12/2004
130.	हरवेरी-हरीहर जीक्यू	12/2004
131.	हरिहर-चिडुगा जीक्यू	12/2004
132.	वी. बादी-पी. कोन जीक्यू	9/2004
133.	पी. कॉंडा-ड. पेट, जीक्यू	9/2004
134.	कांची-पमाल जीक्यू	12/2004
135.	डी. कूनी-कोलाघाट जीक्यू	12/2004
136.	के. घाट-खा.पुर जीक्यू	6/2004
137.	खां.पुर-लक्षमणनाथ जीक्यू	5/2004
138.	एल.नाथ-बी.सवार जीक्यू	12/2004
139.	बालासोर-बडक जीक्यू	6/2004
140.	बडरक-चि, खोल जीक्यू	6/2004
141.	भुवनेश्वर-खुरडा जीक्यू	5/2004
142.	खूर्दा-एस.खाला. जीक्यू	6/2004
143.	एस.खाला-जी.जाम. जीक्यू	12/2004
144.	गुंजम-आई.पुरम जीक्यू	12/2004
145.	आई.पुरम-कोरलम जीक्यू	9/2004
146.	के.लाम-पलासा जीक्यू	9/2004
147.	पलासा-एस. ककूलम जीक्यू	12/2004
148.	एस. ककूलम-चम्पावती जीक्यू	6/2004
149.	चम्पावती-विजाग जीक्यू	5/2004
150.	दिवसचेरू गौतमी जीक्यू	6/2004
151.	एपी 19 वी वी सेक्शन ब्रिज	9/2004
152.	एपी 20 जीक्यू ब्रिज वे-सैक्शन	6/2004
153.	चि.पेट-अंगुल जीक्यू	9/2004
154.	अंगुल-कक्कली जीक्यू	12/2004
155.	कक्कली-एनएलआर जीक्यू	12/2004
156.	एनएलआर बाईपास जीक्यू	5/2004
157.	टाडा-चेन्नई जीक्यू	12/2004
158.	फतेहपुर-खागा	12/2004
159.	खागा-के.राज जीक्यू	6/2004
160.	हंडिया-वाराणसी जीक्यू	12/2004
161.	मोहनिया-सासाराम जीक्यू	12/2004
162.	देहरी आनसोन-औरंगाबाद	6/2004
163.	ब्रिज विवेकानंद ए.पी.सी. एज एवं जीक्यू	12/2005
164.	तुमकर बाईपास के-75-62	3/2004
165.	डी, कुंज-के.पुरम 18-136	6/2004
166.	ईटावा बाईपास के-308-321	6/2004
167.	नैनी ब्रिज एनएच-2 एवं एनएच 27	5/2004
168.	लक कानपुर के 60-76 जीक्यू ईडब्ल्यू 1	5/2005

1	2	3
जहाजरानी एवं पत्तन		
	भारतीय जल परिवहन	
169.	कटर सै.-डरेगर एवं वेस	3/2005
170.	घईघाट टरमिनल का निर्माण	3/2005
171.	परमा. टरमिनल का निर्माण	4/2005
	पत्तन	
172.	मोट. जेट्टी का आधु.	12/2004
173.	कोलेरून ड्रेजर बदलना	3/2004
174.	आरआरएम फार आईएमपी	12/2004
175.	400 एक्स वेस्ल का निर्माण	8/2004
176.	आयल जेटी का निर्माण	5/2004
177.	परोक्यूर: गरब हुपर ड्रेजर	6/2004
178.	पं.क्वे का निर्माण	4/2004
179.	कोमन सौर पाईप. को बदलन	3/2004
180.	7 नं. व्यर्फ केन बदलना	4/2004
181.	अति. जनरल बर्थ का निर्माण	12/2005
182.	क्यूआरएस क्यू को आर.ई.एस.	12/2004
183.	ओपन प्लाट का उच्ची./वि.	7/2004
184.	बंडर बेसिन का आधु.	3/2005
185.	4 वर्फ केन प्रोक्यूर	10/2004
186.	9 कारगो बर्थ का निर्माण	6/2004
187.	कैपिटल ड्रेजर	3/2004
जहाजरानी		
188.	ऐसटेबलिश टी.वी.एस. एन गल्फ	6/2006
दूरसंचार		
	टेलीमेटिक्स, टेलिफोन प्रौद्योगिकी का विकास	
189.	कैंप का निर्माण सी ब्रोट परि.	3/2004
190.	2 एवं 3 जेन. मोबाईल काम.	6/2006
	भारतीय टेलिफोन उद्योग	
191.	बंगलौर: सीएसएन	11/2006
192.	मानकपुर: सीएसएन-एमएम	11/2006
	महानगर टेलिफोन निगम लि.	
193.	मारोल एक्स. का विस्तार	3/2004
194.	फाड मैनेज सेन्टर (एफएमसीसी)	5/2004
195.	फेज-2 जीएसएम अति. इक्यू	2/2004
शहरी विकास		
	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	
196.	केन्द्रीय एक्साईज भवन	2/2005
197.	आईटी विभाग का रिहाईशी कम्पाउन्ड	12/2006
	दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन	
198.	दिल्ली मेट्रो रेपिड सिस्टम-1	9/2005

राम मनोहर लोहिया अस्पताल का स्वास्थ्य संवर्द्धन अस्पताल के रूप में विकास

380. श्रीमती कृष्णा तीरथ: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार डब्ल्यू.एच.ओ. कार्यक्रम के अंतर्गत राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पतालों को "स्वास्थ्य संवर्द्धन अस्पतालों" के रूप में विकसित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) डब्ल्यू.एच.ओ. कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में विकसित किए जाने वाले अस्पतालों की संख्या और ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से प्रायोगिक आधार पर स्वास्थ्य संवर्धन अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

(1) ऐसे अस्पतालों में स्वास्थ्य कार्मिकों की स्वास्थ्य स्थिति और उनमें खतरे का आकलन करना।

(2) अस्पताल में स्वास्थ्य संवर्धन यूनिट का विकास और स्वास्थ्य संवर्धन की आवधारणा के बारे में कर्मचारियों को जानकारी देना।

(3) अस्पताल में आरंभ में अपने कर्मचारियों के लिए और बाद में आम जनता के लिए स्वास्थ्य संवर्धन कार्यकलापों को आरंभ करना।

इस समय किसी अन्य अस्पताल को स्वास्थ्य संवर्धन अस्पताल के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मुरगांव पत्तन न्यास में रिक्तियों को भरा जाना

381. श्री अलीमाऊ खर्बील: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मुरगांव पत्तन न्यास को वर्ष-वार हुए लाभ एवं हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त न्यास में बड़ी संख्या में रिक्तियां विद्यमान हैं और लंबे समय से इन रिक्तियों को भरा नहीं गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को इन रिक्तियों को भरने में हुई किन्हीं अनियमितताओं का पता चला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने कौन से उपचारात्मक उपाय किए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान मुरगांव पत्तन न्यास के प्रचालन तथा निबल अधिशेष का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

	प्रचालन व्यय	2001-02	2002-03	2003-04
1.	प्रचालन आय	187.56	187.59	207.69
2.	प्रचालन व्यय	132.73	128.32	134.73
3.	प्रचालन अधिशेष	54.83	59.27	72.96
4.	कुल आय	196.95	195.45	215.16
5.	कुल व्यय	189.23	172.09	187.79
6.	निबल अधिशेष	7.72	23.36	27.37

(ख) और (ग) एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त होने के कारण समाप्त मान लिए गए पदों को छोड़कर मुरगांव-पत्तन-न्यास में 130 पद रिक्त पड़े हैं। महापत्तनों में बेशी जनशक्ति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने जनशक्ति में कमी लाने के उपाय सुझाए हैं, जैसे कि पत्तन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से कम करके 58 वर्ष करना तथा सितम्बर, 2000 के दौरान प्रवेश के स्तर की सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों को भरे जाने पर प्रतिबंध लगाना। अत: सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों को नहीं भरा जा सका। तथापि, सरकार ने बाद में दिसम्बर, 2003 के दौरान अपने पहले के निदेशों को संशोधित कर दिया है और संगठन के कुल संस्वीकृत पदों की संख्या के 1% के अध्यधीन और सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन सीधी भर्ती से भरे जाने वाली रिक्तियों की 1/3 रिक्तियां भरने की अनुमति दे दी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

झारखंड के लिए विशेष पैकेज

382. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा नव सृजित झारखंड राज्य को उपलब्ध कराए गए विशेष पैकेजों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान राज्य को उपलब्ध कराए जाने वाले ऐसे विशेष पैकेजों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) नवगठित झारखंड राज्य को भारत सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में से प्रत्येक में न तो कोई विशेष पैकेज उपलब्ध कराया गया था और न ही चालू वर्ष के दौरान इस तरह का कोई पैकेज उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। तथापि, राष्ट्रीय सम विकास योजना के पिछड़े जिले पहल घटक के अंतर्गत झारखंड राज्य के सोलह जिले कवर किए गए हैं जिन्हें तीन वर्षों के लिए 100% अनुदान के रूप में प्रति जिला 15 करोड़ रु. प्रति वर्ष की दर पर विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दसवीं योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र द्वारा राज्य को इन जिलों के विकास हेतु कुल 720 करोड़ रु. दिए जाएंगे।

डाकघरों का आधुनिकीकरण

383. श्री दिनशा पटेल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में नौवीं पंचर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा डाकघरों के आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य के सभी डाकघरों को इसमें शामिल किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा गुजरात में बचे हुए डाकघरों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में योजना स्कीम "डाकघरों के आधुनिकीकरण (एर्गोनामिक्स में सुधार)" के अंतर्गत संघ सरकार द्वारा डाकघरों के आधुनिकीकरण के लिए 1.8 करोड़ रु. की कुल राशि व्यय की गई।

(ख) नौवीं योजना तक, गुजरात में 118 डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया है।

(ग) डाकघरों का आधुनिकीकरण एक अनवरत प्रक्रिया है। दसवीं योजना के अंतर्गत 2003-04 तक नौ डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया है। आगामी वर्षों के दौरान निधियों की उपलब्धता के आधार पर गुजरात के बाकी प्रमुख डाकघरों के चरणबद्ध रूप में आधुनिकीकरण पर विचार किया जाएगा।

लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के आयात पर रोक को हटाना

384. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में वस्तुओं के आयात पर लगी रोक को हटाने संबंधी निर्णय देश के लघु उद्योगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इस नीति के कारण लघु उद्योगों को हुई हानि के आकलन के लिए कोई सर्वेक्षण/अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार लघु उद्योगों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति किस प्रकार करने का है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) सरकार मात्रात्मक प्रतिबन्धों (क्यूआर.एस.) को हटाए जाने के प्रभाव तथा देश में लघु उद्योगों सहित अर्थव्यवस्था संबंधी डब्ल्यू.टी.ओ. करारों का निरंतर मूल्यांकन तथा मानीटरिंग कर रही है। यद्यपि, क्यू.आर. के हटाए जाने से लघु उद्योगों के समक्ष बड़ी स्पर्धा पैदा कर दी है, तब भी लघु उद्योग सेक्टर को निरंतर विकास करना है। तथापि, क्यू.आर. के हटाए जाने के उपरांत भी उद्योग को सीमा-शुल्क ड्यूटी को बाउंड लेवल तक बढ़ाए जाने, पाटन-रोधी डयूटीज लगाने, आयातों, इत्यादि में उछाल के मामलों में सुरक्षा उपाय करने के रूप में संरक्षण प्राप्त है।

सरकार ने अनेक उपाय किए हैं ताकि लघु उद्योगों को सहायता मिल सके और वह विश्वव्यापी तौर पर प्रतिस्पर्धात्मक बन सके। इनमें प्रौद्योगिकी उन्नयन, क्लस्टर पहुंच के माध्यम से बुनियादी संरचना सहायता, क्रेडिट की समय पर उपलब्धता, आधुनिक प्रबन्धन व्यवहार को अपनाना, इलैक्ट्रानिक बुनियादी संरचना का उपयोग करना तथा ट्रेड उदारीकरण की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए अन्य आई.टी. प्रयोग करना, जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाना सम्मिलित है।

[हिन्दी]

भारतीय चिकित्सा परिषद में भ्रष्टाचार की जांच हेतु समिति

385. योगी आदित्यनाथ: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए किसी समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डार में प्रतिबंधित वस्तुएं

386. श्री रघुनाथ झा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2003 की क्रय नीति के अनुसार केन्द्रीय भंडार में कुछ वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मार्च 2004 के दौरान प्रबंध निदेशक ने स्वयं कुछ प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री का अनुमोदन किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय भण्डार के निदेशक मण्डल द्वारा अंगीकृत क्रय नीति, 2003 में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय भण्डार को उन तकनीकी उत्पादों पर व्यापार नहीं करना चाहिए जिनके संबंध में उसके पास उपयुक्त रूप से कुशल जनशक्ति नहीं हो। उपर्युक्त श्रेणी में निम्नलिखित मदें चिन्हित की गईं:

(1) रेडियो बेतार प्रणाली

(2) लाइन टेस्टिंग उपकरण

(3) टेली संदेश/आटो_वायस मेल प्रणाली

(4) आई पी एम किट्स

(5) स्पेशल एप्लीकेशन ब्रेण्डेड साफ्टवेयर

(6) ओ टी लाईट्स।

क्रय नीति, 2003 में, कतिपय मामलों में, बाजार/उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार क्रय नीति को शिथिल करते हुए वस्तुओं की खरीद के संबंध में शक्तियां कार्यकारी समिति तथा प्रबंध निदेशक को प्रत्यायोजित कर दिए जाने के संबंधित प्रावधान भी निहित हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भण्डार ने क्रय नीति को शिथिल करते हुए लाईन टेस्टिंग उपकरण, इंटीग्रेटिड पैस्ट मैनेजमेंट किट और स्पेशल एप्लीकेशन ब्रेंडिड साफ्टवेयर की आपूर्ति की है। इन मदों के प्रपाण हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन पहले ही प्राप्त कर लिया गया है।

राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विस्तार

387. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विस्तार का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राजस्थान के रावतभाटा में दो और नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं नामत: राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजनाएं यूनिट-5 तथा 6 का कार्य अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है इस स्थल पर चार परमाणु विद्युत रिएक्टर पहले से प्रचालनरत हैं।

[हिन्दी]

सी.बी.आई. के लिए अलग संवर्ग

388. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सी.बी.आई. की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए एक अलग संवर्ग बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सी.बी.आई. को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए अधिक स्वायत्तता देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा यथासंशोधित, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को पहले ही पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता तथा कानून के अन्तर्गत अन्वेषण तथा अभियोजन के प्रयोजनों से आवश्यक प्राधिकार प्राप्त है।

[अनुवाद]

इन्नौर पत्तन का विस्तार

389. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चैन्नई इन्नौर में द्वितीय पत्तन का प्रारंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त पत्तन के विस्तार का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) इन्नौर-पत्तन, भारत में बारहवां महापत्तन है और इसे 1 फरवरी, 2001 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस पत्तन ने अपने वाणिज्यिक काम-काज का संचालन करना 22 जून, 2001 से आरंभ किया। यह पत्तन, देश में पहला निगमित पत्तन है, और इसका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्धन, कम्पनी-अधिनियम, 1956 के अंतर्गत समाविष्ट/निगमित कम्पनी, इन्नौर-पत्तन लिमिटेड को सौंपा गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। दूसरे चरण में इन्नौर-पत्तन का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त पत्तन ने पी.ओ.एल. उत्पादों/रसायनों की हैंडलिंग करने के लिए एक जेटी के निर्माण, एक कोयला-बर्थ के निर्माण, एक लौह-अयस्क-बर्थ के निर्माण, एल.एन.जी. जेटी के निर्माण, एक कन्टेनर टर्मिनल के निर्माण इत्यादि जैसी विभिन्न परियोजनाएं विकसित करने की कार्रवाई आरंभ कर दी है। ये परियोजनाएं बी.ओ.टी. के आधार पर निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता के माध्यम से, विकसित की जानी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केंद्रीय सड़क निधि से महाराष्ट्र को धनराशि देना

390. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को केंद्रीय सड़क निधि से कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है;

(ख) क्या महाराष्ट्र से नियत समय-सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत किसी विशेष राज्य के लिए वार्षिक धनराशि निर्धारित करने का क्या मानदण्ड है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सड़क निधि से महाराष्ट्र सरकार के लिए स्वीकृत धनराशि इस प्रकार है:-

2001-2002	-	216.79 करोड़ रु.
2002-2003	-	79.12 करोड़ रु.
2003-2004	-	158.20 करोड़ रु.

(ख) और (ग) केंद्रीय सड़क निधि वाले निर्माण कार्यों पर खर्च धनराशि के लिए जैसे ही उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होते हैं, धनराशि जारी कर दी जाती है। उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा अथवा धनराशि निर्धारित नहीं है।

(घ) राज्य के लिए केंद्रीय सड़क निधि जमाराशि (वार्षिक धनराशि) के निर्धारण में राज्य में ईंधन की खपत को 60 प्रतिशत और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र को 40 प्रतिशत महत्व दिया जाता है।

असुरक्षित इंजेक्शनों (टीका) पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

391. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हर वर्ष दिए जाने वाले 12 बिलियन इंजेक्शनों में से कम से कम 50 प्रतिशत इंजेक्शन असुरक्षित हैं और उनसे हेपिटाइटिस और एच.आई.वी. जैसा गंभीर स्वास्थ्य खतरा उत्पन्न हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन, 1999 के "विकासशील विश्व में असुरक्षित इंजेक्शन और रक्तजन्य रोगजनकों का संचरण" नामक बुलेटिन के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि हर वर्ष कम से कम 12 बिलियन सिरिंजें इंजेक्शन प्रयोजन के लिए बेची जाती हैं और लगभग 1 बिलियन इंजेक्शन बाल्यावस्था वैक्सीनेशन कार्यक्रम की प्रारंभिक अवधि में दिए जाते हैं। आगे यह अनुमान है कि 19 देशों में से 14 देशों में शुरू किए गए अध्ययनों के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत इंजेक्शन असुरक्षित थे। असुरक्षित इंजेक्शनों से हुए अधिकतर सामान्य रोगों में हेपेटाइटिस-बी, हेपाटाइटिस-सी और एड्स शामिल हैं।

सरकार ने लोगों को इंजेक्शन से होने वाले तनिक भी जोखिम को न पहुंचने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए हैं:-

(1) विभिन्न सरकारी अस्पतालों और क्लीनिकों को आगे प्रसारित करने के वास्ते सभी राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को अस्पताल संबद्ध संक्रमणों पर मानक प्रचालनात्मक क्रियाविधियों का ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है।

(2) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के सभी जागरूकता अभियानों में विसंक्रमित सिरिंजों और सुईयों के इस्तेमाल को शामिल करना।

(3) टीका लगाने के सुरक्षित तरीकों सहित अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण उपायों की दिशा में कार्य कर रहे चिकित्सा व पराचिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

(4) राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के माध्यम से विभिन्न सरकारी अस्पतालों को नीडल कटर्स की आपूर्ति करना।

(5) रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सिरिंजों और सुइयों के समुचित विसंक्रमण को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं को प्रेशर कुकर स्ट्रेलाइजर, स्टोव, ईंधन खरीदने की सहायता, शीशे की सिरिंजें और सुइयों की आपूर्ति की जा रही है।

(6) सभी स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित प्रशिक्षण के एक अंग के रूप में सुरक्षित टीका लगाने के तरीकों के विषय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(7) हेपाटाइटिस-बी का टीका शुरू करने के लिए प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत 15 नगरों और 32 जिलों की मलिन बस्तियों में सभी टीके आटो डिस्पोजेबल सिरिंजों द्वारा लगाए जा रहे हैं। सरकार रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए भी आटो डिस्पोजेबल सिरिंजों की शुरूआत करने के बारे में सक्रियता से विचार कर रही है।

नौवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति

392. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए संविधान की नौवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संगठनों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार की आरक्षण नीति कार्यकारी अनुदेशों के माध्यम से स्पष्ट है और उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्दिरा साहनी मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार इन अनुदेशों को कानून का दर्जा प्राप्त है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एक अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भी केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती/प्रतिनिधित्व को केन्द्रीयकृत रूप से मानीटर करता है। इतना ही नहीं बल्कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारी, आरक्षित कोटे पर नियुक्तियों से संबंधित मामलों में सीधे ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को लिख सकते हैं।

[हिन्दी]

पटना और हल्दिया के बीच नौवहन सेवा

393. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटना और हल्दिया के बीच जलमार्ग से एक नियमित नौवहन सेवा शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अन्य जलमार्गों पर भी नौवहन सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। हल्दिया तथा पटना के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1 में 14.1.2004 से एक निर्धारित समय-सारणी वाली सेवा आरंभ कर दी गई है, जिसमें केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम (सीआईडब्ल्यूटीसी) के जलयानों को तैनात किया गया है। इसके अंतर्गत सीआईडब्ल्यूटीसी के कार्गो जलयान हर महीने में दो चक्कर लगाते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। गुवाहाटी और धुबरी के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2 में अंतर्देशीय जल परिवहन निगम, असम सरकार के एक कार्गो जलयान को तैनात करते हुए, 1.6.2004 से एक निर्धारित समय-सारणी वाली सेवा भी आरंभ की गई है। इसी प्रकार से, कोच्ची तथा अलापुजाह के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 में केरल शिपिंग एण्ड इन्लैण्ड नेवीगेशन कार्पोरेशन लि. (केएसआईएनसी) के कार्गो जलयान को तैनात करते हुए, अक्तूबर, 2003 में एक निर्धारित समय-सारणी वाली सेवा प्रारंभ की गई थी। यद्यपि, यह सेवा थान्नेरमुक्कम पर नौचालन लाक बंद किए जाने की वजह से दिसम्बर, 2003 से स्थगित है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल

394. श्री अनन्त नायक: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कुछ प्रमुख पत्तनों पर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल निर्मित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से प्रमुख पत्तन हैं जहां ये अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल स्थापित किए जा रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) कोचीन-पत्तन पर एक अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आईसीटीटी) विकसित किए जाने का एक प्रस्ताव है। निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) के आधार पर उपर्युक्त टर्मिनल विकसित करने, उसका रखरखाव करने तथा उसे संचालित करने के लिए एक आपरेटर चुनने हेतु बोलियां आमंत्रित की गई। सफल बोलीदाता, उस शुरूआती अवधि में राजीव गांधी कंटेनर टर्मिनल (आरजीसीटी) में विद्यमान बर्थ को संचालित करेगा जब तक कि आईसीटीटी का निर्माण हो जाए और उसका कार्य-संचालन वहां स्थानांतरित कर दिया जाए। संविदा में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी है कि बोलीदाता तब तक आईसीटीटी का निर्माण-कार्य प्रारंभ करने को बाध्य नहीं होगा जब तक कि आरजीसीटी में यातायात 4,00,000 ट्वेंटी इक्वीलैंट यूनिट्स (टीईयू) के स्तर तक नहीं पहुंच जाए। कोचीन-पत्तन-न्यास ने सबसे ऊंची बोली देने वाले को उपर्युक्त परियोजना का ठेका दिए जाने का सुझाव दिया है और उपर्युक्त कार्य के संबंध में, महापत्तन-न्यास-अधिनियम, 1963 की धारा 42(3) के अनुसार यथा अपेक्षित सरकार का अनुमोदन एवं उसकी संस्वीकृति मांगी है। उपर्युक्त प्रस्ताव, सरकार के विचाराधीन है।

बुनियादी और मोबाइल फोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

395. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में और विशेषकर औरंगाबाद में भारत संचार निगम लिमिटेड के बुनियादी/मोबाइल फोन कनेक्शों के लिए प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटा लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल तथा औरंगाबाद गौण-स्विचन क्षेत्र के लैंडलाइन और मोबाइल कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल की प्रतीक्षा-सूची का ब्यौरा:-

नाम	लैंडलाइन टेलीफोनों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदक	सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोनों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदक
महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल	162397	ब्यौरा नहीं रखा गया

औरंगाबाद गौण स्विचन क्षेत्र की प्रतीक्षा-सूची का ब्यौरा:-

नाम	लैंडलाइन टेलीफोनों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदक	सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोनों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदक
औरंगाबाद	7082	ब्यौरा नहीं रखा गया

(ख) सामान्यतया तकनीकी रूप से अव्यवहार्य उन क्षेत्रों में प्रतीक्षा सूची लंबित है जहां इस समय बीएसएनएल की दूरसंचार अवसंरचना उपलब्ध नहीं है। अवसंरचना का विस्तार उत्तरोत्तर रूप से किया जा रहा है। अधिकांश प्रतीक्षा सूची का निपटान मार्च, 2005 तक कर दिए जाने की संभावना है।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों का सरलीकरण

396. श्री अधीर चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निर्यातकों से औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के सरलीकरण हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ताकि देश से औषधि का निर्यात करना सुकर हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे अभ्यावेदनों की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (घ) देश के निर्यात को सुविधाजनक बनाने हेतु औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के सरलीकरण के लिए निर्यातकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पत्तन अधिकारियों द्वारा औषध आदि के निर्यात प्रेषण को मंजूरी देने के लिए अपनाए जाने वाले कतिपय कार्यवाही संबंधी मानदण्डों को सरल बनाने के संबंध में इस मंत्रालय को ड्रग एंड फार्मास्युटिकल पैनल आफ बेसिक केमिकल, फार्मास्युटिकल तथा कोस्मेटिक एक्सपोर्ट प्रोमोशन कांऊसिल, मुम्बई से दिनांक 8.6.04 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय ने सभी पत्तन अधिकारियों को प्रक्रिया संबंधी मानदण्डों को सुचारू बनाने की दृष्टि से पैनल द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने की सलाह दी है।

इसके अलावा, औषधों के निर्यात को सुचारू बनाने के लिए अधोलिखित पहलें की गई हैं:-

(1) जहां अग्रिम लाइसेंस के लिए औषधों का आयात किया गया है वहां, आयातकों को विनिर्माण स्थल के पंजीकरण की वांछनीयता से छूट दी गई है।

(2) निर्यातकों को ऐसी औषधों, जो देश में अभी अनुमोदित नहीं हुई हैं, को निर्यात के उद्देश्य से विनिर्मित करने की अनुमति दी गई है।

(3) निर्यातकों को 'न्यूट्रल लेबल' के साथ औषधों के निर्यात की भी अनुमति दी गई है जिससे उन्हें लेबल पर विनिर्माता का नाम और पता न लिखने की अनुमति है।

[हिन्दी]

प्रतीक्षारत आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देना

397. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बी.एस.एन.एल. के प्रीपेड कनेक्शनों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रतीक्षा सूची में कनेक्शन चाहने वाले आवेदकों की संख्या कितनी है; और

(ग) आवेदकों को कनेक्शन कब तक दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 30.6.2004 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बी.एस.एन.एल. के प्री-पेड कनैक्शनों की संख्या 2755 है।

(ख) और (ग) प्री-पेड कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची में 1770 (औरई 1259 और जालौन 511) आवेदक दर्ज हैं। प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार द्वारा अधिक राशि वसूलना

398. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री विजय कृष्ण:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **प्रधान मंत्री** केन्द्रीय भंडार द्वारा अधिक राशि वसूलने के बारे में दिनांक 9 दिसम्बर, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1047 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना अब एकत्र और संकलित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) इस बारे में सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

औषधि परीक्षणशालाएं

399. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी औषधि परीक्षणशालाओं की धीमी कार्यप्रणाली के कारण लोगों को घटिया या नकली दवाएं लेने को मजबूर होना पड़ रहा है;

(ख) क्या औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा एकत्र किए गए 1,000 औषधि नमूने सरकारी औषधि परीक्षणशालाओं में अभी बिना जांच के पड़े हुए हैं;

(ग) क्या औषधि नियंत्रण विभाग ने परीक्षण करने वाले कर्मियों की कमी के कारण मासिक आधार पर नमूना एकत्र करना कम कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) कोई विशेष शिकायत मौजूद नहीं है। हालांकि, मीडिया की रिपोर्टों से यह पता चला है कि बिना जांच के औषधि नमूने सरकारी परीक्षणशालाओं में पड़े हैं।

(ख) और (ग) सभी राज्य औषधि नियंत्रण विभागों द्वारा मासिक आधार पर नमूना एकत्र करने के संबंध में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती। हालांकि, मासिक नमूना एकत्र करने में तथा नमूनों की जांच में लगे समय में राज्य दर राज्य अंतर होता है जो उपलब्ध आधारभूत ढांचे एवं मानवशक्ति पर निर्भर करता है। भारत सरकार का प्रयत्न रहा है कि वह राज्यों की जांच क्षमता को बढ़ाने एवं मजबूत करने में सहायता प्रदान कर धीरे-धीरे लम्बित अवधि को कम करना सुनिश्चित करे।

(घ) विश्व बैंक क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक विस्तृत योजना शुरू की गई है जिसका एक उद्देश्य देश में जांच किए गए औषधि नमूनों की संख्या के वर्तमान स्तर जो लगभग 38,000 नमूने प्रतिवर्ष है को बढ़ाकर 1 लाख नमूने प्रतिवर्ष करना है। इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य जांच में होने वाली देरी को घटाना एवं रिपोर्ट करने के समय को कम करके एक माह से भी कम करना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस योजना में राज्य सरकार परीक्षणशाला में आधारभूत ढांचा संबंधी सुविधाओं के संवर्धन तथा औषधि विनियामक तथा जांच करने वाली मानवशक्ति के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

[हिन्दी]

दिल्ली में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क का निर्माण

400. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री नीतीश कुमार:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत में दिल्ली में एक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क का निर्माण करने की योजना पर विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ भूमि की पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो चयनित भूमि कहां पर स्थित है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क ने ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है। किंतु, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने साफ्टवेयर चालित सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार उद्योग के लिए अद्यतन तकनीकी जानकारी की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 100 एकड़ भूमि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने का एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस परियोजना के लिए स्थान का चयन ग्राम छावला में किया गया है।

दिल्ली सरकार ने शास्त्री पार्क, दिल्ली में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रस्ताव का भी समर्थन किया है।

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना

401. श्री बसुदेव आचार्य: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के पूर्वी क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ नए स्थलों का चयन करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ किसी स्थल का चयन किया गया है;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ धनराशि आबंटित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति द्वारा पूर्वी विद्युत क्षेत्र में अभी तक किसी भी उपयुक्त स्थलों का पता नहीं लगाया गया है। इसके अलावा, यह क्षेत्र चूंकि कोयले के महत्वपूर्ण भंडारों से सम्पन्न है, इसलिए यहां परमाणु बिजलीघर स्थापित किए जाने की प्राथमिकता अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है।

(ग) अब तक ऐसी कोई योजना नहीं है।

(घ) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कई स्थलों के बारे में विचार किया गया है। अब तक किसी उपयुक्त स्थल का पता नहीं लगा है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त के मद्देनजर ये लागू नहीं होते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में आप्टिकल फाइबर केबल

402. **श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में दूरसंचार विभाग के सभी उपकेन्द्रों को आप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बुन्देलखंड के ग्रामीण इलाकों में सेलवन मोबाइल फोन सर्विस मुहैया कराने के लिए बनाए जा रहे टावर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार का विचार टावर का निर्माण कार्य कब तक पूरा करने का है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) उत्तर प्रदेश सर्किल में बी.एस.एन.एल. के सभी उप-केन्द्र (अल्प दूरी प्रभारण केन्द्र) पहले से ही आप्टीकल फाइबर केबल से जुड़े हुए हैं।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) से (च) इलाहाबाद-बांदा राजमार्ग पर सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए टावर निर्माण कार्य प्रगति पर है जिससे राजमार्ग के साथ-साथ बुन्देलखंड के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को आनुषंगिक कवरेज प्रदान किया जाएगा। खुराबंद (बांदा) तथा मंतौढ़ (बांदा) को छोड़कर, इलाहाबाद-बांदा राजमार्ग के सभी स्थलों पर टावर निर्माण कार्य चालू वर्ष के दौरान पूरा होने की संभावना है और खुराबंद (बांदा) तथा मंतौढ़ (बांदा) में भूमि उपलब्ध होने पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

कुपोषण से एनीमिया

403. **श्री महेश कनोडीया:**
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनीमिया से पीड़ित रोगियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) उपलब्ध आंकड़े यह दर्शाते हैं कि पिछले 15 वर्षों की अवधि में गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता की व्यापतता दर में कमी हुई है। तथापि, लौह की कमी से होने वाली रक्ताल्पता की समग्र व्यापतता दर अभी भी अधिक बनी हुई है। गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं, किशोरियों और स्कूल जाने से पूर्व की आयु वाले शिशुओं जैसे जनसंख्या के असुरक्षित वर्गों में व्यापक रूप से फैली हुई रक्ताल्पता के कुछेक प्रमुख कारणों में भोजन में लौह की अपर्याप्त मात्रा, अनाज आधारित आहारों में लौह की अपर्याप्त मात्रा, कम अंतराल पर बार-बार

गर्भवस्था धारण करना, संक्रमणों और इंफेक्शन की उच्च व्यापता दर तथा आहार संबंधी गलत पद्धति शामिल हैं।

भारत सरकार राष्ट्रीय पोषणिक रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत लक्षित जनसंख्या अर्थात् गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली महिलाओं, परिवार नियोजन के स्वीकारकर्त्ताओं और बच्चों (1-5 वर्ष की आयु में) को उपकेन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से अम्ल की गोलियां वितरित की जा रही हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला को रक्ताल्पता के निवारण के लिए लौह व फालिक अम्ल (बड़ी) की 100 गोलियां दी जाती हैं। रक्ताल्पता से ग्रस्त महिलाओं को अतिरिक्त 100 गोलियां दी जाती हैं। रक्ताल्पता से ग्रस्त बच्चों को लौह व फालिक अम्ल (छोटी) की 100 गोलियां दी जाती हैं। महिलाओं और बच्चों की पोषणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में समेकित बाल विकास योजना, जिसके अंतर्गत छोटे बच्चों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है, शामिल है। छह महीने की आयु तक केवल स्तनपान और खाने-पिलाने संबंधी उपयुक्त आदतों को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है।

सीजीएचएस में दवाइयों की कमी

404. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सीजीएचएस औषधालयों में दवाइयों की कमी से सीजीएचएस के सामने आ रही कठिनाइयों और उन्हें हो रही असुविधाओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सीजीएचएस औषधालयों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में औषधों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है तथा कोई कमी नहीं है। तथापि, विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई कोई औषध यदि औषधालय में उपलब्ध नहीं है तो उसे व्यक्तिगत नुस्खे के आधार पर प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट से लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। आपातकालीन स्थिति में, लाभार्थियों को प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट के बिना किसी भुगतान के सीधे ही तत्काल प्रापण हेतु प्राधिकार पर्ची जारी की जाती है जिससे कि लाभार्थियों को असुविधा न हो।

औषधों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों द्वारा की गई अपेक्षा के आधार पर एचएससीसी तथा एमएसओ से औषधों के प्रापण हेतु मांग-पत्र (इंडेंट) पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का निर्माण

405. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विजिंजम, केरल में एक नया ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल बनाने के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना के संभाव्यता अध्ययन हेतु कोई समिति गठित की थी; और

(घ) यदि हां, तो इस पर समिति के निष्कर्ष क्या थे?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) केरल सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2003 को घोषित किए गए 'सागर माला' कार्यक्रम के अंतर्गत विजिन्जम में गहरे पानी के कंटेनर के ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल से संबंधित परियोजना शामिल करने का अनुरोध किया था। फिर भी, महापत्तनों के सिवाय अन्य पत्तनों के निर्माण तथा विकास सहित, उनका समग्र उत्तरदायित्व और नियंत्रण, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों का है। अत:, विजिन्जम, केरल में एक नए ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का निर्माण, केरल सरकार के अधिकारों के क्षेत्र के अंतर्गत है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त प्रयोजन से भारत सरकार ने कोई भी समिति नियुक्त नहीं की है।

वल्लारपदम इंटरनेशनल कन्टेनर टर्मिनल

406. श्री पी.के. वासुदेवन नायर:
श्री पी. राजेन्द्रन:
श्री पी.सी. थामस:

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोच्चि के वल्लारपदम में इंटरनेशनल कन्टेनर ट्रांस-शिपमेंट हब बनाए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर यानान्तरण टर्मिनल (आईसीटीटी) परियोजना की साध्यता 1990 में स्थापित हुई थी तथा 1992, 1999 तथा 2002 में परिचालक के चयन के लिए निविदा के माध्यम से पहले भी तीन प्रयास किए गए थे। ये मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से सफल नहीं हुए थे:-

(1) 1992 में प्रोत्साहित प्रत्युत्तर की कमी

(2) 1999 में केवल एक बोली प्राप्त हुई थी

(3) 2002 में पूर्व-अर्हता प्राप्त बोलीदाता द्वारा बोली की कीमत प्रस्तुत न करना।

परियोजना को अधिक निवेशक अनुकूल बनाने के लिए उसे पुन: तैयार करने के पश्चात् 1 जनवरी, 2004 को नई वैश्विक बोली आरंभ की गई, जबकि पत्तन न्यास के हित को सुरक्षित रखा गया। बोलीदाता की पूर्व-अर्हता के पश्चात् प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज को बोलीदाताओं के साथ पारस्परिक विभिन्न बैठकों के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया था तथा बोली कीमत जमा कराने के लिए अंतिम दस्तावेज 25 मार्च, 2004 को जारी किया गया था। बोली दस्तावेज में व्यवस्था है कि बोलीदाता को अन्य बातों के साथ-साथ आईसीटीटी में निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि राजीव गांधी कन्टेनर टर्मिनल (आरजीसीटी) में यातायात 4,00,000 बीस समान इकाइयों (टीईयू) के स्तर तक नहीं पहुंचता। देय तिथि पर तीन पेशकश प्राप्त हुई थी, जिनमें से एक बिना बोली जमानत के थी।

पत्तन के न्यासी बोर्ड द्वारा 33.3% राजस्व हिस्सा देने की उच्च बोलीदाता की पेशकश की संस्तुति की गई है तथा प्रस्ताव सरकार को 20 मई, 2004 को प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त प्रस्ताव की सरकार जांच कर रही है।

पथ कर

407. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी:** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों से पथ कर हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान एकत्रित पथ कर का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पथ कर हटाने के पश्चात् सरकार को संभावित होने वाली राजस्व हानि का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान एकत्रित पथकर के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	वर्ष	धनराशि (करोड़ रु.)
1.	2001-2002	131.21
2.	2002-2003	331.61
3.	2003-2004	443.33

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में दूरसंचार सेवा हेतु निधियां

408. **डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वित्त वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं के लिए कितना धन आबंटित किया गया;

(ख) क्या दूरसंचार परिमंडलों ने इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर आए खर्च का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) विगत तीन वर्षों में, प्रति वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
2001-02	319.06
2002-03	236.76
2003-04	207.51
2004-05	29.46 (जुलाई 2004 तक आनुपातिक रूप से)

(ख) निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले हिमाचल प्रदेश दूरसंचार सर्किल की उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) उक्त अवधि के दौरान किए गए खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
2001-02	344.12
2002-03	260.64
2003-04	158.88*
2004-05	23.49 (मई, 2004 तक)

*अनंतिम, 2003-04 के लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के अध्यधीन।

विवरण

क्र.सं.	पैरामीटर	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1.	सीधी एक्सचेंज लाइनें	87600	93507	74000	*55495	75000	*53525	152200
2.	टीएएक्स (केसी)	2	0.5	4	0	21.5	26.5	6
3.	ओएफसी (रूट कि.मी.)	1844	1463	1200	1117	1180	247	650
4.	एम/डब्ल्यू (रूट कि.मी.)	200	245	100	79	0	64.74	-

*सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीईएल) की सकल उपलब्धि वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान क्रमशः 61345 और 91831 थी। तथापि वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान डीईएल की उल्लिखित निवल उपलब्धि तारशुदा टेलीफोनों के बड़े पैमाने पर काटे जाने के कारण कम है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

409. **श्री वीरेन्द्र कुमार:**
श्री सुकदेव पासवान:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में कुछ नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) को स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए और वर्ष 2004-05 के दौरान कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) जी, हां। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से योजना नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी.एच.सी.) की स्थापना हेतु लक्ष्य निर्धारित करता है। ये लक्ष्य कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी.एच.सी.) की संख्या और 1991 की जनसंख्या को कवर करने हेतु अपेक्षित संख्या के बीच अन्तर को भरने के लिए जनसंख्या कवरेज हेतु मौजूदा मानदण्डों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। तद्नुसार, देश में 10वीं योजनावधि के लिए 1714 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। वर्ष 2004-05 के दौरान 405 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना प्रस्तावित है।

विवरण

वर्ष 2001-2004 के दौरान स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-2002	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	0

1	2	3	4	5
4.	बिहार	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	31	4	6
8.	हरियाणा	2	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	1	1
10.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0
11.	झारखण्ड	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0
13.	केरल	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	38
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	1
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0
27.	उत्तरांचल	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
29.	अं. व नि. द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0
	कुल	33	5	46

बीएसएनएल के मोबाइल फोन की बिल संबंधी समस्या

410. श्री सुकदेव पासवान: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार में बीएसएनएल के मोबाइल फोन (सैलवन) के उपभोक्ताओं की बिल संबंधी समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बिहार में बीएसएनएल मोबाइल सुविधा में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) बिहार में बीएसएनएल मोबाइल सेवाओं (सेलवन) की बिलिंग संबंधी शिकायतों का अनुपात प्रति हजार उपभोक्ताओं पर एक से भी कम है और यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही है।

(ग) बीएसएनएल अपने मौजूदा 148050 लाइनों की क्षमता वाले नेटवर्क में 79000 लाइनों की और वृद्धि करके उसमें विस्तार करने संबंधी कार्रवाई कर रहा है। नेटवर्क में और 4.5 लाख लाइनों के द्वारा उसमें विस्तार करने का प्रस्ताव है जिसके लिए प्रापण संबंधी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

राजमार्ग संबंधी परियोजनाएं

411. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री विजय कृष्ण:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजमार्ग उन्नयन संबंधी परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए कितनी निधियां आबंटित की गई और उक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् उन्नयन किए गए राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किन एजेंसियों का चयन किया गया है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वित्त वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर किए गए उन्नयन कार्यों और व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वित्त वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न प्रकार के उन्नयन कार्यों के लिए 10639.60 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे। नवघोषित राष्ट्रीय राजमार्गों (फरवरी, 2004 में घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग) को छोड़कर सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर उन्नयन कार्य किए गए हैं।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, संघ राज्य/राज्य सरकारें और सीमा सड़क संगठन इन कार्यों के लिए निष्पादन एजेंसी हैं।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए उन्नयन कार्यों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न प्रकार के उन्नयन कार्यों की उपलब्धि तथा 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में इन कार्यों पर किए गए कुल व्यय (अनंतिम) के ब्यौरे

क्र.सं.	सुधार कार्य की किस्म	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के प्रथम दो वर्षों अर्थात् 2002-2003 और 2003-2004 में	
		वास्तविक उपलब्धि	व्यय (अनंतिम)
1.	निम्न ग्रेड खंडों का सुधार	80 कि.मी.	10606.84 करोड़ रु. (इसमें आंतरिक और बजटेत्तर संसाधन शामिल नहीं हैं)
2.	चार लेन बनाना	1216 कि.मी.	
3.	दो लेन बनाना	1382 कि.मी.	
4.	विद्यमान कमजोर मार्ग का सुदृढ़ीकरण	2597 कि.मी.	
5.	सड़क गुणता सुधार	8585 कि.मी.	
6.	बाइपासों का निर्माण	18	
7.	रेल उपरि पुल और रेल नीचे पुल के साथ-साथ पुलों का निर्माण/मरम्मत	266	

नई योजना के लिए अतिरिक्त निधियां

412. श्री कैलाश मेघवाल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग को वर्ष 2004-05 के दौरान नई योजनाओं को शुरू करने और उनका विस्तार करने हेतु अतिरिक्त निधियां स्वीकृत किए जाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंत्रालय-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) समय-समय पर संशोधित भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम 1961 के अनुसार योजना आयोग का एक मूलभूत कार्य देश के संसाधनों के कारगर उपयोग के लिए योजना बनाना तथा सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता और वित्त मंत्रालय द्वारा योजना के लिए दी जाने वाली सकल बजटीय सहायता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त योजना प्रस्तावों के आधार पर उनको निधियां आवंटित करना है। नियमित प्रक्रिया के अनुसार, योजना आयोग ने वार्षिक योजना 2004-05 के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से योजना प्रस्ताव प्राप्त किये और योजना के लिए उपलब्ध कराई गई सकल बजटीय सहायता को आकार दिया। वर्ष 2004-05 की अवधि में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को उनकी विभिन्न योजना स्कीमों के लिए 81,367 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता आवंटित की गई थी। केन्द्रीय योजना को 81,367 करोड़ रुपये की दी गई बजटीय सहायता का मंत्रालय-वार और योजना-वार ब्यौरा 3 फरवरी, 2004 को संसद में प्रस्तुत अंतरिम बजट के व्यय बजट 2004-05 (खण्ड-2) में दर्शाया गया है।

[हिन्दी]

पंचवर्षीय योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु निधियां

413. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए कितनी निधियां आवंटित की गई थी;

(ख) इस अवधि के दौरान खर्च की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त निधियां आवंटित की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए 15,120 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे।

(ख) नौवीं योजना अवधि के दौरान राज्य-वार जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) नौवीं योजना अवधि में 15,120 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना में 26,126 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। स्कीम-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान सभी स्कीमों के लिए राज्य-वार जारी कुल राशि

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	13317.58	14618.72	21369.05	24693.72	26231.10	102030.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	452.04	554.76	488.97	571.57	746.83	2814.17
3.	असम	5790.49	6737.43	11742.50	11119.43	14333.54	49723.39
4.	बिहार	13920.06	13646.39	34731.40	21803.56	16449.85	100551.26
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	314.10	6323.78	6637.88
6.	गोवा	254.36	274.64	373.07	413.28	398.69	1714.04
7.	गुजरात	10375.67	12830.76	18104.52	11854.75	19532.60	72698.30
8.	हरियाणा	4505.49	4194.52	5291.65	6975.64	5549.09	26516.39

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	हिमाचल प्रदेश	1647.34	2948.89	2814.61	3680.49	3113.19	14204.52
10.	जम्मू और कश्मीर	3773.68	2182.98	2618.98	3028.00	3287.06	14889.92
11.	झारखंड	—	—	—	37.00	7930.65	7967.65
12.	कर्नाटक	11399.42	10022.15	19582.88	16244.63	18747.85	75996.73
13.	केरल	4374.00	6279.04	7582.68	8225.64	24607.20	51068.56
14.	मध्य प्रदेश	11092.90	14523.84	18588.79	20089.71	16038.18	80333.42
15.	महाराष्ट्र	11712.80	15417.67	17090.81	19252.50	28687.20	92160.98
16.	मणिपुर	750.50	821.75	1548.81	1525.89	2556.62	7203.57
17.	मेघालय	555.69	573.34	867.26	853.24	1438.82	4288.35
18.	मिजोरम	374.50	774.99	998.98	1256.28	1696.95	5101.70
19.	नागालैंड	390.74	418.79	646.37	699.08	1053.79	3208.77
20.	उड़ीसा	6847.30	7284.20	9654.07	10189.44	12768.81	46743.82
21.	पंजाब	3939.71	3871.28	4620.02	5122.51	5463.04	23016.56
22.	राजस्थान	11333.06	11627.30	18982.83	22907.28	22929.92	87780.39
23.	सिक्किम	346.54	440.71	537.66	744.44	985.94	3055.29
24.	तमिलनाडु	13297.41	12081.32	24227.02	23304.86	16567.41	89478.02
25.	त्रिपुरा	656.77	2239.31	1257.37	2060.97	2238.87	8453.29
26.	उत्तर प्रदेश	30524.27	58964.25	47606.08	44135.38	44013.78	225243.76
27.	उत्तरांचल	—	—	—	208.59	4432.13	4640.72
28.	पश्चिम बंगाल	11424.85	14700.18	13385.06	16032.47	22927.78	78470.34
	योग-सभी राज्य	173057.17	218028.41	284711.44	279144.45	331050.49	1285991.96
	विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र						
1.	दिल्ली	2711.90	1668.39	2907.38	4135.27	3426.90	14849.84
2.	पांडिचेरी	260.90	241.57	240.85	499.03	529.51	1771.86
	बिना विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अंड. और निको. द्वीपसमूह	152.34	165.18	222.48	263.77	402.96	1206.73
2.	चंडीगढ़	154.28	200.50	272.04	362.14	282.74	2171.70

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	दादरा और नगर हवेली	65.94	93.53	108.84	85.16	98.77	452.24
4.	दमण और दीव	97.87	76.82	108.40	92.69	115.04	490.82
5.	लक्षद्वीप	43.78	66.85	69.00	72.34	76.05	328.02
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	3487.01	2512.84	3928.99	5510.40	4931.97	20371.21
	सकल योग	176544.18	220541.25	288640.43	284654.85	335982.46	1306363.17

आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण II

दसवीं योजना के लिए संशोधित राज्य-वार आवंटन

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	संशोधित दसवीं योजना का आवंटन
1	2	3
1.	उप-केन्द्र	9663.00
2.	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	580.00
3.	निदेशन और प्रशासन	1100.00
4.	संभार तंत्र सुधार	50.00
5.	संविदात्मक सेवाएं/परामर्श	397.00
6.	एरिया परियोजनाएं (आई पी पी परियोजनाएं)	350.00
7.	सामाजिक विपणन एरिया परियोजनाएं	20.00
8.	यू एस एंड सहायता प्राप्त परियोजना	400.00
9.	ई सी सहायता प्राप्त एस आई पी परियोजना	1000.00
10.	पहले से ही उपलब्ध वाहनों का रख-रखाव	303.00
11.	सहायक नर्सधात्रियों को मोपेडों की आपूर्ति	10.00
12.	ए एन एम/एल एच वी के लिए प्राथमिक प्रशिक्षण	350.00
13.	एच एफ डब्ल्यू टी सी का रखरखाव और सुदृढ़ीकरण	70.00
14.	एम पी डब्ल्यू कार्यकर्त्ता (पुरुष) के लिए प्राथमिक प्रशिक्षण	50.00
15.	प्राथमिक प्रशिक्षण स्कूलों का सुदृढ़ीकरण	10.00

1	2	3
16.	परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई	10.00
17.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली	20.00
18.	आई आई पी एस, मुम्बई	10.00
19.	आई.एम.ए. को सहायता	1.00
20.	जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र	45.00
21.	सी डी आर आई, लखनऊ	12.00
22.	आई सी एम आर और आई आर आर	100.00
23.	अन्य अनुसंधान परियोजनाएं	2.50
24.	गर्भनिरोधकों का नि:शुल्क वितरण	850.00
25.	गर्भनिरोधकों का सामाजिक विपणन	660.00
26.	बंध्याकरण	1002.00
27.	जांच सुविधाएं	2.50
28.	सुनियोजित लालन-पालन (पेरेन्टहूड) में पुरुषों की भूमिका	18.00
29.	प्रतिरक्षण	1410.00
30.	नेमी प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण	17.86
31.	पल्स पोलियो	3110.00
32.	बाल स्वास्थ्य	20.00
33.	किशोर स्वास्थ्य	50.00
34.	मातृ स्वास्थ्य	1300.00
35.	एम टी पी सेवाएं	4.00
36.	आर टी आई/एस टी आई निवारण और उपचार	35.00
37.	अन्य आर सी एच कार्यकलाप और सेवाएं	461.00
38.	गैर-सरकारी संगठन और स्कोवा	130.00
39.	प्रशिक्षण	250.00
40.	आदिवासी परियोजनाएं (एस आई पी के अंतर्गत सहित)	–
41.	शहरी स्लम परियोजनाएं	350.00
42.	जिला परियोजनाएं	51.00

1	2	3
43.	आर सी एच के अधीन अन्य परियोजनाएं	25.00
44.	मातृत्व लाभ स्कीम	500.00
45.	सूचना, शिक्षा और संचार	489.50
46.	विशेषज्ञों की मात्रा/सम्मेलन/बैठकें आदि	7.00
47.	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग/अंशदान	9.00
48.	अधिकार प्राप्त कार्रवाई दल	250.00
49.	सामुदायिक प्रोत्साहन लाभ योजना	200.00
50.	परिवार कल्याण से संबद्ध स्वास्थ्य बीमा योजना	150.00
51.	नीति समर्थन/सम्मेलन	50.00
52.	राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि	100.00
53.	अन्य पहलें	25.00
54.	ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़	45.00
	सकल योग	26126.00

[अनुवाद]

सरकारी अस्पतालों का पैलन तैयार करना

414. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन सरकारी अस्पतालों के राज्य-वार नाम क्या हैं जिनका सरकार द्वारा गरीब मरीजों को वित्तीय सहायता मुहैय्या कराने हेतु पैनल तैयार किया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में किसी निजी नर्सिंग होमों/अस्पतालों का पैनल तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) और स्वास्थ्य मंत्री विवेकानुदान नामक दो योजनाएं चला रहा है जिसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के किसी अतिविशिष्टता वाले अथवा किसी भी अन्य अस्पताल में उपचार हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। चूंकि गरीब रोगियों के उपचार हेतु अनुदान संस्वीकृत करने के लिए पात्र अस्पतालों का कोई पैनल कायम नहीं रखा जा रहा है, इसलिए गरीब रोगियों को राहत देने के कार्य में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत एकमुश्त अग्रिम राशियां दी गई हैं और इन अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को, ऐसी सहायता की अपेक्षा वाले व बी पी एल (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले) दीनहीन रोगी को 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता देने हेतु अधिकृत किया गया है:-

दिल्ली:

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (एम्स)
2. डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (आरएमएलएच)
3. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली
4. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज व सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (एल एच एम सी)

पांडिचेरी:

जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी (जिपमेर)

चंडीगढ़:

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (पी जी आई एम ई आर)

उत्तर प्रदेश:

1. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (एस जी पी जी आई एम एस)
2. किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ (के जी एम सी)

झारखण्ड:

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची (सी आई पी)

पश्चिम बंगाल:

चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता (सी एन सी आई)

कर्नाटक:

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर (निम्हान्स)

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ को वित्तीय पैकेज

415. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में विकास कार्यों के लिए किसी वित्तीय पैकेज की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1435 करोड़ रुपये के एक विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल को उनके औद्योगिक विकास और वामपंथी उग्रवाद से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए दिए गए आर्थिक पैकेज के समान है।

(ख) और (ग) जहां तक औद्योगिक विकास का संबंध है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा यह व्यवहार्य नहीं समझा गया कि छत्तीसगढ़ को विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया जाए, चूंकि इस समय विशेष श्रेणी राज्यों और औद्योगिक रूप से बहुत ही कम विकसित दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए इस प्रकार के विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने पर विचार किया जा रहा है।

जहां तक उग्रवाद प्रभावित जिलों के सामाजिक-आर्थिक विकास का संबंध है, देश के इन पिछड़े जिलों जिनमें से कुछ तो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहे हैं, की विशिष्ट समस्याओं के निराकरण के लिए राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर एस वी वाई) के अंतर्गत पिछड़ा जिला पहल स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 2003-04 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य को 45 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

उत्तरांचल में आप्टिकल फाइबर केबल

416. श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा': क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरांचल में आज तक किन स्थानों पर पहले ही आप्टिकल फाइबर केबल लाइन स्वीकृत की जा चुकी है और स्थान-वार लाइन की लम्बाई कितनी है तथा जिला-वार कितने किलोमीटर आप्टिकल फाइबर केबल लाइन स्वीकृत करने का प्रस्ताव है; और

(ख) उक्त सुविधा कब तक लोगों को उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) नई प्रस्तावित आप्टिकल फाइबर केबल प्रणालियों ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उत्तरांचल में नई प्रस्तावित आप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी

क्र.सं.	जिले का नाम	स्थान	प्रस्तावित आप्टिकल फाइबर केबल रूट की कि.मी. में लंबाई	आप्टिकल फाइबर माध्यम चालू करने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5
1.	अल्मोड़ा	केसन बंद	6.5	फरवरी, 2005
		गौरी घाट	2	फरवरी, 2005
		धौलचिन्ना	16	फरवरी, 2005
		बगवाली पोखर	5	मार्च, 2005
		करबला	6	मार्च, 2005
		योग	35.5	
2.	पिथौरागढ़	मजीरखंड	2	मार्च, 2005
		थाल, नचनी	2	मार्च, 2005
		खाकर, पन्नरी चिन्ना	9	मार्च, 2005
		जीआईसी (पिथौरागढ़)	2	मार्च, 2005
		योग	15	
3.	चम्पावत	गिरगांव	2	मार्च, 2005
		योग	2	
4.	देहरादून	पटेल नगर, रायपुर, मियांवाला, आईआईपी, न्यू बाईपास, क्लेमेनटाउन	25	अक्तूबर, 2004
		क्लेमेनटाउन, ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज	3	मार्च, 2005
		ऋषिकेश	3.5	मार्च, 2005
		हरबर्टपुर, संभावाला	20	जनवरी, 2005
		चकराता, नागथाट	33	फरवरी, 2005
		योग	84.5	

1	2	3	4	5
5.	हरिद्वार	गणेशपुर	2	अक्तूबर, 2004
		शिवालिक नगर	4	अक्तूबर, 2004
		धनौरी	2	मार्च, 2005
		डीटीओ रुड़की	3	मार्च, 2005
		लक्सर, ऐथल	12	नवम्बर, 2004
		भीमगोडा, श्याम लोक	3	दिसम्बर, 2004
		जी. नरसाई, मंगलोर	10	मार्च, 2005
		लंधूरा	8	मार्च, 2005
		योग	44	
6.	नैनीताल	नैनीताल आर्मी	5	जनवरी, 2005
		अत्रामपुर	10	फरवरी, 2005
		योग	15	
7.	उत्तरकाशी	खरादी, राजगढ़ी	12	दिसम्बर, 2004
		योग	12	
8.	न्यू टिहरी	कुंजापुरी	8	दिसम्बर, 2004
		चिरबतियाखाल	12	दिसम्बर, 2004
		कोटेशवर	14	दिसम्बर, 2004
		विनयखाल	2	नवम्बर, 2004
		गाजा, पोखरी, चाका, देवप्रयाग	54	दिसम्बर, 2004
9.	पौड़ी	रीठाखाल, संगलाकोटी, पोखरा	51	फरवरी, 2005
		योग	51	
10.	चमोली	घिमटोली, चंद्रनगर, नागनाथ, पोखरी	49	फरवरी, 2005
		योग	49	
		कुल योग	398	

[अनुवाद]

भारतीय समुद्र में पाकिस्तानी मछुआरों की हत्या

417. श्री सुनील खांः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तरी गुजरात से लगे समुद्र में भारतीय नौसेना पोतों द्वारा पाकिस्तानी मछुआरों की हत्या की घटना की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले से संबंधित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 17 मई, 2004 को भारतीय जल क्षेत्र में एक संदेहास्पद नौका को पकड़ा गया। बार-बार चेतावनियों और रोशनी वाली फायरिंग के बावजूद, नौका नहीं रुकी अंत में वार्निंग शाटों के बाद उसे पकड़ लिया गया। उन्हें प्राथमिक चिकित्सा सहायता दी गई लेकिन बाद में घायलावस्था में उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय अधिकारियों ने तीनों पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के शवों को तत्काल वापिस भेज दिया।

स्वास्थ्य मेले

418. श्री एन.एन. कृष्णदासः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में 'स्वास्थ्य मेले' आयोजित करने हेतु कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अभी तक कितने 'स्वास्थ्य मेले' आयोजित किए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में कुल कितनी राशि खर्च की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) स्वास्थ्य परिचर्या मुद्दों की पूरी रेंज पर जागरूकता के साथ उत्कृष्ट स्वास्थ्य परिचर्या और परिवार कल्याण सुविधा प्रदान करने हेतु वर्ष 2000-01 से स्वास्थ्य मेले आयोजित किए गए हैं। स्वास्थ्य मेलों का आयोजन राज्य सरकारों के अनुरोध पर किया जाता है। वार्षिक योजना 2004-05 में यह एक अनुमोदित स्कीम है जिसमें 2,70,000.00 रुपए का बजटीय प्रावधान है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य मेलों की संख्या और उन पर खर्च हुई कुल धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

वर्ष	स्वास्थ्य मेलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
2000-01	6	23.42
2001-02	15	172.00
2002-03	19	192.00
2003-04	527*	4215.97
2004-05	-	-
कुल	567	4603.39

(*)15 जनवरी, 2004 से 15 फरवरी, 2004 के बीच मनाए गए "स्वास्थ्य जागरूकता माह" के दौरान प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 515 स्वास्थ्य मेले आयोजित किए गए।

के.स.स्वा.यो. औषधालयों का कार्यकरण

419. श्री एस.पी.बाई. रेड्डीः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उनके द्वारा सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली में हाल ही में कोई औचक निरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या दिल्ली के विभिन्न भागों में के.स.स्वा.यो. औषधालयों के कार्यकरण में विभिन्न कमियां हैं; और

(घ) यदि हां, तो के.स.स्वा.यो. औषधालयों के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 18.06.2004 को वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज और सफदरगंज अस्पताल का दौरा किया और नए ओ पी डी ब्लाक, कैजुअल्टी, रसोईघर, मेडिकल स्टोर्स, पुनर्वास विभाग, विकलांग विज्ञान विभाग एवं स्नातकपूर्व शिक्षण ब्लाकों का दौरा किया और अस्पताल प्राधिकारियों को समयनिष्ठा, स्वच्छता अभियान, रसोईघर को सुदृढ़ बनाने, रोगियों द्वारा इंतजार किए जाने

की अवधि कम करने और बेकार के मदों का निपटान करने के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

(ग) और (घ) निरीक्षणों, पर्यवेक्षणों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन के जरिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में एक अन्त: निर्मित तंत्र है। दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के कार्यकरण की मानिटरिंग करने के लिए आठ विशेष निरीक्षण दल भी गठित किए गए हैं।

[हिन्दी]

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा

420. **श्री रामकृपाल यादव:**
श्री गिरिधारी यादव:
श्री निहाल चन्द:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में घातक रोगों यथा-मलेरिया, टीबी, अंधत्व और एड्स की रोकथाम हेतु केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस समीक्षा के राज्य-वार क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। तथापि, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, जो देश में शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जहां कार्यक्रम के विभिन्न घटकों का समय-समय पर बाह्य एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है, के मामले में समूचे कार्यक्रम की राष्ट्रीय समीक्षा अब तक नहीं की गई है।

(ख) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का निष्पादन संतोषजनक रहा है। राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम की राज्य-वार समीक्षा से पता चलता है कि वर्ष 2003 में मलेरिया रोगियों की सर्वाधिक संख्या छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा पूर्वोत्तर राज्यों में असम द्वारा सूचित की गई। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा का निष्कर्ष संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) देश की समूची जनसंख्या को कवर करने के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का विस्तार किया जाना है। सरकार द्वारा मलेरिया के संबंध में, शीघ्र निदान, समेकित वेक्टर नियंत्रण, सूचना शिक्षा और संचार तथा क्षमता निर्माण हेतु एक राष्ट्रव्यापी मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी/गैर-सरकारी संस्थाओं में नि:शुल्क मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा, स्कूल जाने वाले बच्चों में अपवर्तक दोषों की पहचान तथा संयोजन, नेत्र बैंकों को सहायता तथा नेत्रदान को बढ़ावा, गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान, जिला/राज्य दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटी; सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास, नेत्र परिचर्या कार्मिकों का प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन एवं रोगों के नियंत्रण के लिए जागरूकता कार्यकलाप उपचारी उपायों के रूप में किए जा रहे हैं।

विवरण I

नेत्रहीनता की व्यापकता की तुलना
नेत्रहीनता संबंधी राष्ट्रीय सर्वेक्षण
1986-89 एवं 2001-02

मानदण्ड	राष्ट्रीय सर्वेक्षण 1986-89	राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2001-02	अन्तर +/-प्रतिशत में
1	2	3	4
नेत्रहीनता (दृष्टि तीक्ष्णता < 6/60) की स्थापित व्याप्तता	1.49	1.1	-26.2
श्रेष्ठ संशोधन के पश्चात् नेत्रहीनता (दृष्टि तीक्ष्णता < 6/60) की स्थापित व्याप्तता	उपलब्ध नहीं	0.56	—

1	2	3	4
राज्य-वार व्याप्तता दर:			
आंध्र प्रदेश	1.50	1.42	-5.3
मध्य प्रदेश	2.01	1.16	-42.3
छत्तीसगढ़	2.01	1.61	-19.9
महाराष्ट्र	1.64	0.95	-42.1
उड़ीसा	1.72	1.40	-18.6
राजस्थान	2.24	1.55	-30.8
तमिलनाडु	1.65	0.78	-52.7
उत्तर प्रदेश	1.58	0.94	-40.5
बिहार	1.28	0.78	-39.0
गुजरात	1.44	1.07	-25.7
हिमाचल प्रदेश	0.87	0.70	-19.5
पश्चिम बंगाल	0.96	1.19	+23.9
केरल	1.31	0.56	-57.2
कर्नाटक	1.28	1.78	+39.1
पंजाब	0.73	1.01	+38.3
व्याप्तता को प्रभावित करने वाले कारक:			
पुरुष	1.42	0.91	-35.9
महिला	1.60	1.29	-19.4
ग्रामीण	1.63	1.14	-30.1
शहरी	1.01	0.84	-16.8
अशिक्षित	उपलब्ध नहीं	1.36	
प्राथमिक	उपलब्ध नहीं	0.62	
माध्यमिक	उपलब्ध नहीं	0.30	सुदृढ़ संबंध
हाई स्कूल और उससे ऊपर	उपलब्ध नहीं	0.25	
किसान	2.26	0.73	-67.7
श्रमिक	1.27	0.78	-38.6
गृहकार्य	2.13	0.91	-57.3
नौकरी/व्यवसाय	1.09	0.29	-73.4
सेवानिवृत्त/अत्यधिक वृद्धि	15.58	2.49	-84.0

विवरण II

नेत्रहीनता के कारणों की तुलना

नेत्रहीनता संबंधी राष्ट्रीय सर्वेक्षण

1986-89 एवं 2001-02

द्विपार्श्वीय नेत्रहीनता का कारण (%)	सर्वेक्षण 1986-89 (सभी आयु के)	सर्वेक्षण 2001-02 (50+)	अन्तर +/-प्रतिशत में
मोतियाबिन्द	80.1	62.6	-17.5
असंशोधित अपवर्तनांक दोष	12.0	19.7	+7.7
कार्नियल अपारदर्शिता	1.5	0.9	-0.6
ग्लोकोमा	1.7	5.8	+4.1
पोस्टेरियर सेग्मेन्ट दोष	4.7	4.7	+6.2
शल्यचिकित्सीय जटिलताएं		1.2	
पोस्टेरियर कैप्सूलर ओपेसिफिकेशन		0.9	
अन्य		4.1	

अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

421. श्री मुनव्वर हसन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न मंत्रालयों में सेवा के दौरान मृत्यु होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार प्रदान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों में ऐसे मामलों का कब तक निपटारा होने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों के संबंध में सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय, सेवा के दौरान दिवंगत हो गए कर्मचारियों के ऐसे परिवार के आश्रित सदस्यों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर सकते हैं जो परिवार निर्धन हैं और जिन्हें वित्तीय अभावग्रस्तता से निजात पाने के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी नियुक्तियां किसी भी समूह 'ग' अथवा 'घ' पद पर सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत आने वाली रिक्तियों के अधिकतम 5% तक नियमित आधार पर की जा सकती हैं।

(ग) मौजूदा अनुदेशों में यह प्रावधान है कि पहले वर्ष में 5% की सीमा के भीतर नियमित रिक्तियों के उपलब्ध न होने के कारण यदि सुपात्र मामले में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव देना संभव नहीं हो तो ऐसे मामले की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जानी होती है और यदि उसे सुपात्र पाया जाए तो ऐसी नियुक्ति के लिए तीन वर्षों तक विचार किया जा सकता है। इस मंत्रालय द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां करने के लिए पूरी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

[अनुवाद]

बाजार में नकली और प्रतिबंधित दवाएं

422. श्री रामदास बंडु आठवले:
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं, नौवीं और दसवीं योजना के दौरान नकली, पुरानी और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री के कुल कितने मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर महानगरों में ऐसे मामलों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस खतरे को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (ग) राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त आधारिक सूचना के अनुसार 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 की अवधि के दौरान 36947, 38824 और 36314 औषध नमूनों की जांच की गई थी जिनमें से क्रमश: 112, 96 और 125 नमूने नकली पाए गए थे जो पिछले तीन वर्षों में सूचित किए गए नकली नमूनों का 0.3, 0.25 और 0.34 प्रतिशत है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उक्त अवधि के दौरान नकली औषधों के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। जहां तक पुरानी/प्रतिबंधित औषधों की बिक्री का संबंध है उक्त अवधि के दौरान ऐसी औषधों की बिक्री का कोई मामला सूचित नहीं किया गया।

(घ) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन औषधों की गुणवत्ता की मानीटरिंग सहित उनके विनिर्माण और बिक्री को विनियमित करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि वे अंतर्राज्यीय वाणिज्य में आ-जा रही नकली/जाली औषधों का पता लगाने/खोजने के लिए अपनी प्रवर्तन मशीनरी को तेज करें और उनके विनियामक आधारभूत ढांचे की व्यवस्था करें तथा उसे सुदृढ़ बनाएं; औषध नमूनों का तेजी से विश्लेषण सुनिश्चित करने के लिए अपनी राज्य स्तर की जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना करें; जिसके लिए उन्हें राज्य प्रयोगशालाओं में आधारभूत ढांचा संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा उनमें वृद्धि करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे संदिग्ध डीलरों; एन एस क्यू डी कार्यक्रम के अधीन सर्वेक्षण नमूनों के एकत्रण; राज्य औषध सलाहकार समितियों जिनमें विभिन्न व्यापार और उद्योग संघ तथा उपभोक्ता संघ अभ्यावेदन दे सकते हैं, के गठन/उन्हें पुन: सक्रिय बनाने; अलग आसूचना एवं कानूनी सेल स्थापित करने, दक्ष संचार सुविधाएं और माल वापिस उठाने (रिकाल) संबंधी क्रियाविधियां तैयार करने; नकली औषध मामलों की लड़ाई लड़ने के लिए अनुभवी काउंसल नियुक्त करने पर कड़ी निगरानी रखें।

चूंकि नकली औषधियों का विनिर्माण और बिक्री मुख्यत: एक गुप्त कार्यकलाप है जिसमें समाज-विरोधी व्यक्ति लगे हुए होते हैं, इसलिए अंतर्राज्यीय वाणिज्य में नकली औषधियों का पता लगाने और खोजने के लिए राज्यों में प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं। नकली औषधियों की समस्या पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) नकली औषधियों के विनिर्माण और बिक्री पर केन्द्रित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए 17 नवम्बर, 1999 को राज्य सरकारों को नकली औषधियों की आवाजाही पर प्रभावी निगरानी के लिए अपनाई जाने वाली अपेक्षित कार्यनीतियों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे गए थे।

(2) 12-13 जुलाई, 2001 को आयोजित केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 7वें सम्मेलन में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा नकली औषधियों की तथाकथित बिक्री के मुद्दे राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उठाए गए थे। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने प्रस्ताव पारित किया कि नकली/जाली औषधियों की बढ़ती रिपोर्टों से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए संबंधित औषध नियंत्रण संगठनों में अलग आसूचना-सह-कानूनी सैल की स्थापना करके और फार्मा उद्योग, ट्रेड तथा पुलिस की सहायता लेकर ऐसे कार्यकलापों की मानीटरिंग करने और उनका पता लगाने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(3) नकली औषधियों की समस्या से संबंधित विषयों की जांच करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार ने जुलाई, 2001 में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक व्यापक आधार वाली समिति का गठन किया। इस समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को 16 सितम्बर, 2002 को सभी राज्य औषध नियंत्रकों को उनके सूचनार्थ और इस विषय में आवश्यक कार्रवाई के लिए परिचालित किया गया।

(4) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 8 अक्तूबर, 2002 को नकली औषधियों की समस्या के संबंध में सभी मुख्यमंत्रियों को विशेष रूप से पत्र लिखे थे जिसके तहत उनसे व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक राज्य में नकली उत्पादों की समस्या की किसी भी घटना के निवारण के लिए अपेक्षित कार्यनीतियों को लागू किया जाएगा ताकि इस समस्या के संपूर्ण उन्मूलन को सामूहिक रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

(5) देश में नकली औषधों के संभावित संचलन को नियंत्रित करने तथा इस खतरे से निपटने के लिए सभी पणधारियों को शामिल करने हेतु संगठित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 12.11.2002 को केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा देश के 13 प्रमुख राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी। चर्चा के दौरान प्राप्त सुझावों/विचारों को सभी राज्य सरकारों को उनकी सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 8 जनवरी, 2003 को अग्रेषित किया गया था। उक्त चर्चा का एक परिणाम अपराधियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा ''गुजरात समाज-विरोधी कार्यकलाप निवारण अधिनियम, 1985 (पी ए एस ए)'' का अधिनियमन करना था।

(6) देश में जांचे गए औषध नमूनों की संख्या बढ़ाने तथा बहुत-सी प्रयोगशालाओं द्वारा इस समय ली जा रही 3 से 6 महीनों की अवधि के मुकाबले रिपोर्टिंग समय को एक माह से कम करने के लिए विश्व बैंक सहायता के जरिए क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा एक व्यापक योजना चलाई गई है।

(7) सभी राज्यों तथा केन्द्रीय औषध नियंत्रण कार्यालयों तथा प्रयोगशालाओं के लिए सूचना के शीघ्र आदान-प्रदान तथा नेटवर्किंग सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कम्प्यूटरीकरण परियोजना चलाई गई है।

(8) नकली औषधों के संभावित संचलन पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार सभी राज्य सरकारों के औषध नियंत्रण अधिकारियों के लिए एक विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है और इसे एफ.डी.ए., महाराष्ट्र के सहयोग से केन्द्र सरकार द्वारा मुम्बई में दिनांक 24 से 27 जून, 2003 तक आयोजित किया गया। विभिन्न राज्यों के 26 औषध नियंत्रण अधिकारियों ने एफ.डी.ए., मुम्बई में जांच संबंधी दक्षताओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

(9) भारत सरकार ने 27 जनवरी, 2003 को औषध नियंत्रण प्रशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने तथा नकली औषधों की समस्या की व्यापकता का आकलन करने और इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए डा. आर.ए. माशेलकर, महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के आधार पर, अधिनियम में दांडिक उपबंध बनाने के लिए 22 दिसम्बर, 2003 को लोक सभा में एक औषध और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2003 पेश किया गया जिससे कि उन्हें और सख्त बनाया जा सके।

भर्ती पर प्रतिबंध

423. श्री सुरेश कुरूप: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में भर्तियों पर कोई प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की भर्तियों से प्रतिबंध हटाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

नीम हकीमों पर प्रतिबंध

424. श्री कैलाश बैठा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नीम-हकीम कम कीमत में ट्रांक्वेलाइजर इंजेक्शन दे रहे हैं जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क और स्नायु प्रणाली को हानि पहुंचा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रैक्टिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (घ) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अंधीन चिकित्सा प्रैक्टिस करने वाले तथाकथित "नीमहकीमों" के मुद्दे पर ध्यान दिया गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसार, राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज चिकित्सा प्रैक्टिशनर के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति किसी भी राज्य में चिकित्सा प्रैक्टिस नहीं करेगा और इस उपबंध का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति एक अवधि के कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और अर्थदण्ड, जिसे 1000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों प्रकार की सजा का भागी होगा। भारतीय चिकित्सा परिषद के विनियमों में किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर अथवा भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज व्यक्तियों के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस करने का भी प्रतिषेध है। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 को लागू करने का दायित्व विभिन्न राज्य सरकारों का है।

[हिन्दी]

बंगलादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार

425. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बंगलादेश में अल्पसंख्यकों पर विशेषकर हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचारों के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में बंगलादेश सरकार के साथ कोई बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त बातचीत के क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) बंगलादेश में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा और प्रताड़नाओं की रिपोर्ट समय-समय पर मिलती रहती है। अल्पसंख्यकों सहित बंगलादेश के सभी नागरिकों की जान, स्वतंत्रता और सम्पत्ति की सुरक्षा संबंधी प्राथमिक जिम्मेदारी बंगलादेश सरकार की है। तथापि, सरकार ने उच्च स्तर पर यह कहा है कि ऐसी घटनाओं का भारत की लोक भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से द्विपक्षीय संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और इनसे कड़ाई से निपटना चाहिए। बंगलादेश की सरकार ने कहा है कि वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध हैं, बहुत सी घटनाएं साम्प्रदायिक नहीं हैं और राजनैतिक व निजी प्रकृति के विवादों से जन्म लेती हैं और यह भी कि अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ढाका में भारत का उच्चायोग स्थिति का लगातार निकटता से जायजा ले रहा है और इस संबंध में बंगलादेश की सरकार के संपर्क में है।

[अनुवाद]

ब्राडबैंड/इंटरनेट पहुंच के संबंध में नीति

426. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ट्राई (टी आर ए आई) द्वारा सुझायी गयी कम कीमतों पर त्वरित कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए ब्राडबैंड और इंटरनेट पहुंच को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई ठोस नीति तैयार की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इस नयी नीति से कितने नए निवेश आकर्षित होने, रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है और कितने लोगों को नयी तथा उन्नत सेवाएं उपलब्ध होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इंटरनेट और ब्राडबैंड पहुंच को तीव्र गति से बढ़ावा देने के लिए सरकार से सिफारिशें की हैं। अभी इसके नए निवेश और रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावनाओं तथा सेवा की गुणवत्ता पर प्रभाव के बारे में अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी।

[हिन्दी]

पाकिस्तान को गैर-नाटो दर्जा

427. श्री मोहन रावले:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अमरीका ने पाकिस्तान को गैर-नाटो सहयोगी का दर्जा प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पाकिस्तान को यह दर्जा मिलने से भारत-अमरीका संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) जी, हां। अमरीकी राष्ट्रपति ने 16 जून, 2004 को पाकिस्तान को अमरीका के एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया। इससे पूर्व 18 मार्च, 2004 को अमरीकी विदेश मंत्री कोलिन पावेल ने पाकिस्तान को प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी के रूप में नामित करने की अमरीका सरकार की मंशा की घोषणा की थी।

(ख) और (ग) सरकार ने इस घोषणा, जिससे भारत-अमरीकी संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। सरकार अमरीका के साथ सक्रिय सम्पर्क में है।

[अनुवाद]

मसौदा धूम्रपान-रोधी संधि

428. **श्रीमती कृष्णा तीरथ:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ल्ड हेल्थ एसेम्बली ने 170 देशों के समर्थन से एक मसौदा धूम्रपान-रोधी संधि अपनायी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस संधि को स्वीकार किया है तथा इस पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) क्या अमरीका, जर्मनी और चीन ने इस संधि का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो उनकी आपत्ति के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (ङ) मई, 2003 में हुई 56वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने तम्बाकू नियंत्रण संबंधी ढांचागत समझौते को सर्वसम्मति से अंगीकार किया। भारत ने तम्बाकू नियंत्रण संबंधी ढांचागत समझौते पर 10 सितम्बर, 2003 को हस्ताक्षर किए और बाद में 5 फरवरी, 2004 को उसकी पुष्टि की। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और चीन ने अब तम्बाकू नियंत्रण संबंधी ढांचागत समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

पोत का डूबना

429. **श्री अलीमाऊ चर्चील:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुरगांव पत्तन पर गत तीन वर्षों के दौरान कितने पोत डूबे हैं;

(ख) क्या इस कारणवश मुरगांव पत्तन क्षेत्र में आने वाले अन्य पोतों के सामने लंगर डालने, चढ़ाई/उतराई और चालन संबंधी समस्याएं आ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में मुरगांव पत्तन न्यास से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) मुरगांव पत्तन से ऐसे और डूबे पोतों को कब तक हटाये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) मुरगांव पत्तन में विगत तीन वर्षों के दौरान दो नौकायें डूबी थी। नौका कोस्टी 3 मार्च, 2001 को बफैलो राक के समीप डूबी तथा नौका नौटिलस, 2 अप्रैल, 2001 को अमी शोल्स के समीप डूबी थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नौका कोस्टी को 17 अप्रैल, 2002 को तथा नौका नौटिलस को 5 दिसम्बर, 2002 को हटाया गया था।

डाकघर खोलने के लिए मानदण्ड

430. **श्री किरिप चालिहा:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में डाकघर/उप-डाकघर खोलने के लिए कौन से मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या असम में डाकघरों/उप-डाकघरों की संख्या वास्तविक/आवश्यकता से बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य में और अधिक डाकघर खोलने के लिए कौन से उपाय करने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) डाकघर/उप-डाकघर खोलने का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी नहीं। असम में डाकघरों की मौजूदा संख्या की तुलना में प्रति डाकघर सेवित क्षेत्र और जनसंख्या के संदर्भ में अखिल भारतीय आंकड़ों से की जा सकती है जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्षेत्र	प्रति डाकघर कवर क्षेत्र	प्रति डाकघर सेवित जनसंख्या
असम	19.57 वर्ग कि.मी.	6644
भारत	21.09 वर्ग कि.मी.	6602

(ग) और (घ) डाकघर आवश्यकता के आधार पर खोले जाते हैं बशर्ते कि विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध रहें। सरकार पहाड़ी, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों के विशेष मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए असम समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र में डाक सुविधाओं के सुधार पर निरंतर बल दे रही है।

विवरण

डाकघर खोलने के मानदंड

1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मानदंड:

1.1 जनसंख्या

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (प्रस्तावित डाकघर ग्राम सहित)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

एक अकेले गांवों की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 दूरी:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

मौजूदा निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 अनुमानित आय:

(क) सामान्य क्षेत्र में:

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की $33^{1}/_{3}$ प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

न्यूनतम अनुमानित राजस्व लागत का 15 प्रतिशत होना चाहिए।

2. विभागीय उप-डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने/विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदंड

2.1 ग्रामीण क्षेत्रों में:

जिस अतिरिक्त विभागीय साखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400 रु. तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 4800 रु. है।

2.2 शहरी क्षेत्रों में

2.2.1 शहरी क्षेत्रों में डाकघर आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दिखाना चाहिए ताकि वह आगे बनाए रखे जाने का पात्र बन सके।

2.2.2 20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. होनी चाहिए तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह 2 कि.मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक दूसरे से 5 कि.मी. से नजदीक नहीं होने चाहिएं।

2.2.3 सर्किल अध्यक्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट दे सकते हैं।

2.2.4 शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिएं।

लघु उद्योग इकाइयों का विकास

431. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में विशेषत: झारखण्ड में लघु उद्योग इकाइयों के विकास के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झारखण्ड में बन्द लघु उद्योग इकाइयों को पुन: खोलने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) लघु उद्योगों का विकास करना मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र का सरोकार है। केन्द्रीय सरकार विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन तथा कार्यक्रम जो कि बढ़ी हुई वित्तीय तथा क्रेडिट सहायता बेहतर बुनियादी संरचना मार्किटिंग सुविधाएं तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहन से संबद्ध हैं, के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रयासों को अनुपूरित करती है। ये स्कीमें/कार्यक्रम झारखंड सहित सारे देश में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) सरकार ने लघु उद्योग यूनिटों के बीच औद्योगिक रुग्णता की समस्या के बारे में पूर्णतया समझ लिया है तथा राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समितियों के रूप में तंत्र, बैंकों में विशेष पुनर्वास एकक तथा राज्य वित्तीय संस्थान, पात्र यूनिटों को पुनर्वास सहायता विस्तारित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जाने सहित समय पर रुग्णता का पता लगाने तथा जीवनक्षम रुग्ण उद्योगों के पुनर्वास के लिए कदम उठाए हैं। इसके अलावा श्री एस.एस. कोहली की अध्यक्षता के तहत गठित कार्यकारी ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर आर.बी.आई. ने रुग्ण लघु उद्योग इकाईयों के पुनर्वास के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ रुग्ण लघु उद्योग यूनिटों की परिभाषा में परिवर्तन, उनकी जीवनक्षमता के निर्णय के लिए मानदण्ड रियायती वित्त, इत्यादि शामिल हैं। आर.बी.आई. ने 16 जनवरी, 2002 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कार्यान्वयन हेतु संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत परिचालित कर दिए हैं। संशोधित मानदण्ड बैंकों को यह सुविधा प्रदान करेगा कि वे शीघ्र ही रुग्णता का पता लगा सकेंगे तथा सम्भाव्य रुग्ण लघु उद्योग यूनिटों को पुनर्जीवित करने के लिए सही कार्यवाही कर सकेंगे।

इसके अलावा, झारखंड सरकार ने सचिव (उद्योग) की अध्यक्षता में एक शीर्षस्थ निकाय गठित किया है ताकि राज्य में बंद तथा रुग्ण लघु उद्योग यूनिटों को पुनर्जीवित किया जा सके।

तार सेवाओं का आधुनिकीकरण

432. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में तार सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु कुल कितना बजटीय आबंटन किया गया; और

(घ) तार सेवाओं के आधुनिकीकरण के कब तक पूरा होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में तार सेवाओं के आधुनिकीकरण का जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान कोई भी बजटीय आवंटन नहीं किया गया है क्योंकि तार सेवाओं के आधुनिकीकरण का कार्य योजनानुसार पहले ही पूरा किया जा चुका है।

विवरण

उपलब्ध कराए गए एसएफएमएसएस प्रणालियों/ईकेबीसी/ईकेबी/एफटीसी/एफटी और अन्य आधुनिक उपकरणों का ब्यौरा

क. (1) सीटीओ सिकंदराबाद में 128एल एसएफएमएसएस प्रणाली में 115 पोर्ट हैं जो चेन्नई (तमिलनाडु), त्रिवेंद्रम (केरल), कटक (उड़ीसा), अहमदाबाद (गुजरात), मुंबई, पुणे (महाराष्ट्र), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और दिल्ली के राज्यों तथा 8 अंत:जिला मुख्यालयों में अंतर्राज्यीय, एसएफटी नेटवर्क सहित तारों और तीव्र धनांतरण (ईएमटी) का निपटान करने हेतु राज्य में विभिन्न स्थानों से जुड़े हैं।

(2) सीटीओ विजयवाड़ा में स्थित 64एल एसएफएमएस प्रणाली और एक 16एल एफटीसी में 76 पोर्ट्स हैं जो कृष्णा जिले के स्टेशनों और श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृआहना,

गुंटुर, प्रकाशम, नेल्लोर और चित्तूर जिलों के ईएमटी स्टेशनों तथा बंगलौर और नागपुर से अंतर्राज्यीय एसएफटी नेटवर्क को कवर करते हैं।

(3) सीटीओ हैदराबाद में एक 32एल प्रणाली, दो 16एल सीटा एफटीसी, दो 16एल फोनोग्राम कन्सेन्ट्रेटर्स कार्य कर रहे हैं जो तेलंगाना क्षेत्र के स्टेशनों के संपूर्ण नेटवर्क को कवर करते हैं।

(4) सीटीओ विशाखापत्तनम में एक 32एल प्रणाली और एक 16एल कन्सेन्ट्रेटर कार्य कर रहे हैं जो विशाखापत्तनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों के स्टेशनों के संपूर्ण नेटवर्क को कवर करते हैं।

(5) सीटीओ गुंटुर में एक 32एल प्रणाली कार्यरत है जो गुंटुर और प्रकाशम जिलों के स्टेशनों को कवर करती है।

(6) सीटीओ राजामुंदरी में स्थित एक 32एल प्रणाली, एक 16एल एफटीसी और सीटीओ काकीनाडा में एक ईकेबीसी, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों के स्टेशनों के नेटवर्क को कवर करते हैं।

(7) सीटीओ नेल्लोर में एक 16एल एफटीसी नेल्लोर जिले को कवर करता है।

(8) सीटीओ तिरूपति में एक 16एल एफटीसी तिरूपति जिले को कवर करता है।

(9) सीटीओ कुड्डापा में एक 16एल एफटीसी कोड्डापा जिले को कवर करता है।

(10) सीटीओ अनंतपुर में एक 16एल एफटीसी अनंतपुर जिले को कवर करता है।

(11) सीटीओ कुरनूल में एक 32एल प्रणाली, कुरनूल जिले को कवर करता है।

ख. कुल प्रदत्त एफटी की संख्या 341 है। सभी सीटीओ और टीओ में बी-फैक्स सेवा उपलब्ध है। कुछ सीटीओ और डीटीओ में इंटरनेट सेवाएं भी शुरू की गई हैं। सभी सीटीओ और टीओ में टेलीफोन राजस्व वसूली काउंटर खोले गए हैं तथा पांच जिलों में एसएसए मुख्यालय से 100 किमी. के भीतर स्थित स्टेशनों के लिए एसएसए मुख्यालय में केन्द्रीकृत फोनोग्राम बुकिंग शुरू की गई है तथा बाकी जिलों में भी यही कार्य करने की प्रक्रिया चल रही है।

संकेताक्षरों का विस्तार:

1. एसएफएमएसएस	–	स्टोर एंड फारवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम
2. ईकेबीसी	–	इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड कन्सेन्ट्रेटर
3. ईकेबी	–	इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड
4. एफटीसी	–	फार्मेटिड टर्मिनल कन्सेन्ट्रेटर
5. एफटी	–	फार्मेटिड टर्मिनल
6. सीटीओ	–	सेंट्रल टेलीग्राम आफिस
7. टीओ	–	टेलीग्राफ आफिस
8. ईएमटी	–	एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में गैर-सरकारी संगठन

433. श्री परसुराम माझी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों की संख्या कितनी है;

(ख) इन गैर-सरकारी संगठनों के नामों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन्होंने केन्द्र सरकार और बाह्य अभिकरणों से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त की है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन की उपलब्धियां क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

डाकघर खोलने के लिए मानदण्ड

434. योगी आदित्यनाथ: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के संबंध में वर्तमान मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या जस्टिस तलवार समिति ने वर्तमान मानदण्डों में आधुनिकीकरण की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) नए डाकघर खोलने के मानदण्डों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) न्यायमूर्ति तलवार समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के मानदण्डों के किसी संशोधन की सिफारिश नहीं की है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

डाकघर खोलने के मानदंड

1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मानदंड:

1.1 जनसंख्या

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (प्रस्तावित डाकघर ग्राम सहित)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

एक अकेले गांवों की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 दूरी:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

मौजूदा निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 अनुमानित आय:

(क) सामान्य क्षेत्र में:

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की $33^{1}/_{3}$ प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:
न्यूनतम अनुमानित राजस्व रागत का 15 प्रतिशत होना चाहिए।

2. विभागीय उप-डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने/विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदंड

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में:
जिस अतिरिक्त विभागीय साखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400 रु. तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 4800 रु. है।

(ख) शहरी क्षेत्रों में
शहरी क्षेत्रों में डाकघर आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दिखाना चाहिए ताकि वह आगे बनाए रखे जाने का पात्र बन सके।

20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. होनी चाहिए तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह 2 कि.मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक दूसरे से 5 कि.मी. से नजदीक नहीं होने चाहिएं।

सर्किल अध्यक्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट दे सकते हैं।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिएं।

[अनुवाद]

लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना

435. श्री ए.के. मूर्ति: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में स्थित लघु उद्योग सेवा संस्थान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चैंगलपट्टू/कांचीपुरम में ऐसा एक संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) तमिलनाडु में स्थित लघु उद्योग सेवा संस्थानों तथा शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थानों का विवरण है:

1. लघु उद्योग सेवा संस्थान,
   65/1, जीएसटी रोड, गिन्डी
   चेन्नई-600032
2. शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान,
   386, पटेल रोड, रामनगर
   कोयम्बटूर-641009
3. शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान,
   प्लाट सं. 76, सीजीई कालोनी
   तिरूचेदूर रोड,
   तूतिकोरिन-628003

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) तमिलनाडु में विद्यमान 3 संस्थान तमिलनाडु राज्य में लघु उद्योगों की आवश्यकताओं की देखरेख करते हैं, जिनमें चेन्गलपट्टू/कांचीपुरम में स्थित इकाइयां भी शामिल हैं।

कार्गो की ढुलाई

436. श्री बी. विनोद कुमार: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केवल तीसरी श्रेणी के पोत ही भारतीय पत्तनों पर लंगर डाल सकते हैं और बड़े आकार के पोत कार्गो उतराई के लिए श्रीलंका या सिंगापुर के पत्तनों पर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पत्तनों से भारतीय पत्तनों पर कार्गो लाने में भारी घाटा उठाना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) केवल तीसरी श्रेणी के पोत चेन्नई, जवाहरलाल नेहरू, विशाखापत्तनम तथा इन्नौर पत्तनों को छोड़कर महापत्तनों पर लंगर डाल सकते हैं। चेन्नई, विशाखापत्तनम तथा इन्नौर पत्तन पैनामैक्स पोतों को ठहरने का स्थान दे संकते हैं। जवाहरलाल नेहरू पत्तन पोस्ट पैनामैक्स जहाजों तक को स्थान दे सकता है। भारत से जाने वाले अथवा भारत में आने वाले कन्टेनरों का लगभग दो-तिहाई भाग पड़ोस के विदेशी पत्तनों, जैसे दुबई, कोलम्बो, सिंगापुर आदि में यानान्तरित किया जाता है। यह स्थिति परिवहन लागत को बढ़ाती है।

(ग) गन्तव्य तक भारतीय निर्यात कार्गो ले जाने वाले कंटेनरों का सीधा नौवहन सुकर बनाने के लिए अथवा भारत के लिए नियत आयात कन्टेनरों को भारतीय पत्तन पर किसी विदेशी पत्तन के यानान्तरण के बिना सीधे ही आने देने के लिए मंत्रालय द्वारा प्रयास किए गए हैं ताकि देश के पश्चिम तट तथा पूर्वी तट पर एक-एक हब पत्तन विकसित करना सुलभ हो सके।

राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में विलंब

437. श्री अनन्त नायक: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पानीकोइली से राजमुंदा तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 215 के विनिर्माण में असामान्य विलंब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विनिर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उड़ीसा में पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग के विनिर्माण के कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) पानीकोइली से राजमुंदा तक राष्ट्रीय राजमार्ग (रा.रा. 215) की कुल लंबाई 269 कि.मी. है। इस सड़क को सन् 1999 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था। सन् 1999 से अब तक विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लगभग 136 कि.मी. लंबाई (इसमें आवधिक नवीकरण के अंतर्गत सुधारी गई 95 कि.मी. लंबाई शामिल है) में सुधार किया जा चुका है। शेष 228 कि.मी. लंबाई के लिए कुल 53.19 करोड़ रु. की लागत से 11 निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन खंडों में निर्माण कार्य प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। चालू कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा कार्यवार तिमाही समीक्षा बैठकें की जाती हैं तथा निरीक्षण किए जाते हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है तथा यह कार्य धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न वार्षिक योजनाओं में चरणों में किए जा रहे हैं।

परियोजनाओं का वित्तपोषण

438. श्री अधीर चौधरी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों संबंधी आंतरिक और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में प्राप्त वर्ष-वार धनराशि कितनी है;

(ग) वित्तपोषित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त अवधि के अंतर्गत निर्मित सड़कों की लंबाई कितनी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों की 39 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं हैं। अन्य परियोजनाएं या तो बजट से या फिर बी ओ टी आधार पर निजी निवेश से वित्तपोषित हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की आंतरिक सहायता प्राप्त कोई परियोजना नहीं है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि इस प्रकार है:-

वर्ष	प्राप्त धनराशि (करोड़ रु.)
2001-02	1064.24
2002-03	1507.88
2003-04	1448.90

(ग) और (घ) इन परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

एजेंसी	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई	पूर्ण हो चुकी लंबाई
विश्व बैंक	18	983 कि.मी.	-
एशियाई विकास बैंक	14	1133 कि.मी.	427 कि.मी.
जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारी बैंक	7	150 कि.मी.	144 कि.मी.

केन्द्रीय भण्डार द्वारा मांगपत्र प्रस्तुत करना

439. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** 17 जुलाई, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 433 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 14.07.1981 के कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों की समीक्षा की गई है और इस पर कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त की समीक्षा में हुए विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपभोक्ता मामले और वित्त-मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन की समीक्षा करने हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का हवाला दिया है क्योंकि इससे केन्द्रीय भण्डार द्वारा स्टेशनरी और अन्य मदों की उच्च मूल्यों पर बिक्री के संबंध में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय भण्डार में स्टेशनरी और अन्य मदों की खरीद-बिक्री में घोर भ्रष्टाचार की अनदेखी करने और देश की आर्थिक दशा के लिए नुकसानदेह कार्यालय ज्ञापन की समीक्षा में तेजी न लाने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) इस बारे में सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में सड़कों का विकास

440. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल से प्राप्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सड़क विकास हेतु नियत कुल धनराशि कितनी है और कितनी धनराशि जारी की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) केरल के लिए वार्षिक योजना 2004-05 में शामिल किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 14 कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण पर धनराशि और व्यय के

आबंटन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रु.)

वर्ष	आबंटन	व्यय
2001-02	115.97	113.84
2002-03	99.68	108.83
2003-04	115.81	121.51

विवरण

क्र.सं.	रा.रा. सं.	विषय	धनराशि (लाख रु.)
1.	17	175/00 से 175/500 कि.मी. पर जंक्शन का सुधार कार्य	15.50
2.	49	162/00 कि.मी. (के आर एस टी बस-स्टैंड मुन्नार के नजदीक) पर इस्पात पुल का पुनर्निर्माण	59.15
3.	17	434/00 से 438/827 कि.मी. का पुन:संरेखण और 437/375 कि.मी. पर इडापल्ली में रोड ओवर ब्रिज (आर ओ बी)	2383.5
4.	17	फेज-4 चैनल 11760 से 14500 पर कालीकट बाईपास का निर्माण कार्य	604.060
5.	49	119/017 से 183/00 कि.मी. के बीच क्षतिग्रस्त पुलियों की विशेष मरम्मत/पुनर्निर्माण	119.00
6.	17	63/00 से 63/700 कि.मी. पर छत्तामाचल जंक्शन का सुधार कार्य	118.274
7.	रा.रा.	राष्ट्रीय राजमार्गों की 2 लेन से 4 लेन की डी पी आर के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति	36.30
8.	17	149/160 से 151/00 कि.मी. के बीच बालापट्टनम पुल के दक्षिणी संपर्क मार्ग को चार लेन तक चौड़ा करना और सुधार कार्य	105.00
9.	17	429/350 से 434/430 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर्स उपलब्ध कराना	31.099
10.	17	206/500 से 215/000 कि.मी. तक सड़क गुणता सुधार	245.00
11.	17	438/00 से 450/00 कि.मी. तक सड़क गुणता सुधार	298.77
12.	17	450/00 से 462/00 कि.मी. तक सड़क गुणता सुधार	287.75
13.	17	167/00 से 174/105 और 186/105 से 187/600 कि.मी. तक सड़क गुणता सुधार	209.00
14.	17	145/00 से 155/00 कि.मी. तक सड़क गुणता सुधार	115.00
		जोड़	4627.40

यूरोपीय संघ के साथ समझौता

441. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को यूरोपीय संघ से उपग्रह प्रक्षेपण के संबंध में क्रयादेश प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात् इसरो को कितना लाभ होने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, जोकि अन्तरिक्ष विभाग का एक वाणिज्यिक अंग हैं, ने एक यूरोपियन उपग्रह के प्रमोचन के लिए कास्मास इन्टरनेशनल सैटेलाइटनस्टार्ट गेम्बएच, जर्मनी के साथ एक ठेका निष्पादित किया है।

(ख) और (ग) इस ठेके में लगभग 320 कि.ग्रा. भार वाले ''एजाइल'' नामक वैज्ञानिक उपग्रह को मई, 2005 के दौरान 550 कि.मी. की नामीय विषुवतीय कक्षा में प्रमोचित करने का प्रावधान है। उपर्युक्त प्रमोजन सेवा के सफलतापूर्वक आयोजित किए जाने पर, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी मूल्य पर पी.एस.एल.वी. के लिए यह एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय प्रमोचन होगा।

[हिन्दी]

बिहार में नया राष्ट्रीय राजमार्ग

442. श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार और राजस्थान में नये राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति और संख्या कितनी है;

(ख) आज की तिथि तक प्रत्येक परियोजना के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस पर परियोजना-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) यह प्रश्न संभवत: हाल ही में अर्थात् फरवरी, 2004 में बिहार और राजस्थान में घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित है जिनकी स्थिति इस प्रकार है:-

बिहार	–	रा.रा. 28बी, रा.रा. 57ए और रा.रा. 110
राजस्थान	–	रा.रा. 11बी, रा.रा. 112, रा.रा. 113, रा.रा. 114 और रा.रा. 116

(ख) से (घ) इन नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण के लिए किसी एजेंसी को नहीं सौंपा गया है। इसलिए इन राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित परियोजनाओं को स्वीकृत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

दांतों में भरी जाने वाली सिल्वर फिलिंग के दुष्प्रभाव

443. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दांतों के बीच की खाली जगह को भरने के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली सिल्वर फिलिंग को यदि खा लिया जाए अथवा इसके अधिक सम्पर्क में आया जाए तो इससे मरीजों और डाक्टरों दोनों पर भयंकर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या पश्चिमी देशों में सिल्वर फिलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए उन्होंने क्या कारण बताए;

(ङ) भारत में इसके जारी रहने के क्या कारण हैं; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (च) न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में विगत हजार वर्षों या उससे ज्यादा वर्षों से दांतों में कैविटी सिल्वर फिलिंग से भरी जाती है, जोकि सिल्वर और मर्करी का सम्मिश्रण होता है। इस सामग्री के अनुषंगी प्रभाव को प्रमाणित करने हेतु दीर्घकालिक अनुसंधान अध्ययन का कोई डाटा नहीं है। ऐसा व्यापक रूप से विश्वास किया जाता है कि पारदमिश्र (एमल्गम) में प्रयुक्त मर्करी से, विरले दृष्टान्त को छोड़कर, कोई स्वास्थ्य

खतरा नहीं होता है। यह प्रक्रिया स्कैंडिनेवियन देशों में प्रयोग में नहीं है क्योंकि वहां के लोगों को इस फिलिंग सामग्री से एलर्जी है।

राष्ट्रीय घेघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम

444. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे राज्य कौन से हैं जिनमें राष्ट्रीय घेघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) उन राज्यों में इस कार्यक्रम के लक्ष्यों को कितना हासिल किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (एन.आई.डी.डी.सी.पी.), जिसे पहले राष्ट्रीय घेघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, को देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत खर्च की गई धनराशि इस प्रकार है:-

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	व्यय
2001-02	3.69
2002-03	8.68
2003-04	10.87

(ग) कार्यक्रम के अंतर्गत, निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं:-

1. विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयोडीनयुक्त नमक की 42.4 लाख मी. टन मात्रा वितरित की गई।
2. देश में कुछ जिलों में कराए गए पुन: सर्वेक्षण ने कार्यक्रम के परिणाम के रूप में आयोडीन अल्पता विकृतियों की व्यापतता में महत्वपूर्ण कमी को दर्शाया, और
3. देश में लगभग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने खाद्य प्रयोजनार्थ गैर-आयोडीनयुक्त नमक के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों की रुग्णता

445. **श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1994 में विश्व व्यापार संगठन समझौता पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात देश में लघु उद्योग और अधिक संख्या में रुग्ण हो रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1994 एवं वर्ष 2002-2003 के दौरान देश में लघु उद्योगों की संख्या कितनी है और इनमें से रुग्ण उद्योगों की संख्या क्रमश: कितनी है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपोषित रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के संबंध में डाटा संकलित करता है, के अनुसार मार्च, 1994 के अन्त में रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या 2,56,452 थी, जो मार्च, 2003 के अन्त में घटकर 1,67,980 हो गई। लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना के आधार पर देश में लघु उद्योग इकाइयों की संख्या 1993-94 तथा 2002-03 के दौरान अनुमानित तौर पर क्रमश: 76.49 लाख तथा 109.49 लाख थी।

(ग) और (घ) रुग्णता के मुख्य कारण अपर्याप्त एवं विलम्बित क्रेडिट, पुरानी प्रौद्योगिकी, विपणन समस्याएं, आधारित संरचना संबंधी अड़चनें, प्रबन्ध संबंधी कमियां आदि हैं। सरकार लघु उद्योग इकाइयों के बीच औद्योगिक रुग्णता की समस्या से पूर्णत: अवगत है और उसने राज्य स्तरीय अन्त: सांस्थानिक समितियों, बैंकों एवं राज्य वित्तीय संस्थानों में विशेष पुनर्वास कक्षों के रूप में सांस्थानिक तंत्र सहित संभाव्य जीवनक्षम रुग्ण उद्योगों की समय पर पहचान एवं पुनर्वास करने की सुविधा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पात्र इकाइयों को पुनर्वास सहायता के विस्तीर्ण के लिए भारतीय

रिजर्व बैंक द्वारा विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, श्री एस.एस. कोहली की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास के लिए संशोधित मार्गनिर्देश तैयार किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं–रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की परिभाषा में परिवर्तन, उनकी संभाव्यता के निर्णय के लिए मानदंड, रियायती वित्त, आदि। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यान्वयन के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 16 जनवरी, 2002 को संशोधित मार्गनिर्देश परिचालित किए हैं। संशोधित मानदंड से बैंकों को रुग्णता का आरंभिक स्तर पर पता लगाने तथा संभाव्य जीवनक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने में सुविधा होगी।

[अनुवाद]

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का विदेश दौरा

446. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री पुन्नूलाल मोहले:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री अधीर चौधरी:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री विजय कृष्ण:
श्री निखिल कुमार:
श्री प्रबोध पाण्डा:
श्रीमती कृष्णा तीरथ:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, 2004 से आज की तिथि तक अन्य देशों का दौरा करने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनसे किए गए विचार-विमर्श और हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने प्रभार लेने के पश्चात् हाल में कुछ देशों का दौरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त यात्रा से इन देशों के साथ संबंध कितने सुदृढ़ हुए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) भारतीय शिष्टमंडल ने निम्नलिखित देशों का दौरा किया जिसमें विदेश मंत्री नहीं थे:

श्रीलंका

अपर सचिव (वित्तीय सलाहकार) ने हट्टन में अस्पताल परियोजना की समीक्षा करने के लिए 26 अप्रैल, 2004 से छह दिनों के लिए शिष्टमंडल के नेता के रूप में श्रीलंका का दौरा किया।

पाकिस्तान

अपर सचिव (एच आर), विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 6-13 मार्च, 2004 तक इस्लामाबाद उच्चायोग और कराची में भारत सरकार की संपत्तियों का निरीक्षण करने के लिए इस्लामाबाद और कराची का दौरा किया।

मलेशिया

संयुक्त सचिव (यू एन पी) ने फिलीस्तीन पर नाम मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए कुआलालम्पुर का दौरा किया।

इंडोनेशिया

संयुक्त सचिव (एल एंड टी) ने एशियाई अफ्रीकी विधिक परामर्शी संगठन (ए ए एल सी ओ) के 43वें सत्र में भाग लेने के लिए 21.6.2004 से 25.6.2004 तक बाली (इंडोनेशिया) का दौरा किया।

म्यामां

1. संयुक्त सचिव (एस ई ए-1) के नेतृत्व एक शिष्टमंडल ने म्यामां सरकार के निर्माण मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय के साथ यांगोन-मंडाले ट्रंक लाइन प्रोजेक्ट और कलादन मल्टी माडल परिवहन परियोजना पर चर्चा करने के लिए 16-20 मई, 2004 तक म्यामां का दौरा किया। यात्रा के दौरान कोई करार संपन्न नहीं किया गया। यात्रा के फलस्वरूप समझौता ज्ञापन तथा परियोजनाओं के विभिन्न ब्यौरों को अंतिम रूप दिया गया।

2. संयुक्त सचिव (एम ई आर) ने भारत-आसियान कार रैली-2004 के आयोजन से संबंधित विभिन्न मसलों पर म्यामां के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए 1-2 जून, 2004 तक म्यामां का दौरा किया। संयुक्त सचिव (एम ई आर) ने विदेश मंत्रालय में विदेश उप-मंत्री और महानिदेशक (आसियान) के साथ भी चर्चा की। उनकी यात्रा के फलस्वरूप प्रस्तावित भारत-आसियान कार रैली के संबंध में आगे की जाने वाले उपायों पर सहमति हुई।

सिंगापुर

विदेश सचिव ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग की समीक्षा करने के लिए 29-30 अप्रैल, 2004 तक सिंगापुर का दौरा किया। इस दौरे से द्विपक्षीय सहयोग और समझबूझ का बढ़ावा मिला।

वियतनाम

1. सचिव (आना) ने दियेन, बियेन फू में विजय समारोहों की 50वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए 4-5 मई, 2004 तक हनोई का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने और इसकी समीक्षा करने के लिए वियतनाम के विदेश मंत्री और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश संबंध आयोग के प्रमुख से मुलाकात की। यात्रा से द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ हुए।

2. संयुक्त सचिव (एम ई आर) ने भारत-आसियान कार रैली के आयोजन के संबंध में चर्चा करने के लिए वियतनाम सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए 27-29 मई, 2004 तक हनोई और हो ची मिन्ह सिटी का दौरा किया। संयुक्त सचिव (एम ई आर) की वियतनाम में उद्यमी विकास केन्द्र की स्थापना करने के लिए वियतनाम की सरकार और उद्योग जगत के अधिकारियों के साथ आरंभिक चर्चा की।

थाईलैंड

1. सचिव (ए एन ए) ए आर एफ सदस्यता के मसलों के संबंध में विदेश मंत्री के विशेष दूत के रूप में 23.4.2004 को थाइलैंड की यात्रा पर गए।

2. संयुक्त सचिव (एम ई आर) ए सी डी वित्त मंत्रियों की बैठक के सिलसिले में 30 अप्रैल, 2004 से 2 मई, 2004 तक थाईलैंड की यात्रा पर गए।

फिलीपींस

निदेशक (यू एन ई एस) एशिया प्रशांत से सम्बद्ध क्षेत्रीय सुनवाई, प्रवासन की बैठक में भाग लेने के लिए 17-18 मई, 2004 को मनीला गए।

ए आर एफ

1. विदेश सचिव के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 11 जुलाई की ए आर एफ मंत्रिस्तरीय बैठक की तैयारी के सिलसिले में 12 मई, 2004 को योग्यकर्त्ता, इंडोनेशिया में संपन्न आसियान क्षेत्रीय मंच की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भाग लिया।

2. अपर सचिव (आई ओ) के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 11 से 14 अप्रैल, 2004 तक यांगोन, म्यांमा में सम्पन्न ए आर एफ अंतर-सत्रीय समूह की बैठक में भाग लिया।

3. आसियान क्षेत्रीय मंच के विस्तार से संबंधित विदेश मंत्री को पत्र देने के लिए विदेश मंत्री के विशेष दूत के रूप में अपर सचिव (आई ओ) 5 से 7 मई, 2004 तक ब्रूनी दार-ए-सलाम तथा मनीला, फिलीपीन्स की यात्रा पर गए।

4. विदेश मंत्री के विशेष दूत के रूप में विशेष सचिव (ई आर) 14-15 अप्रैल, 2004 को मलेशिया की यात्रा पर गए और उन्होंने भाररत-म्यामां संबंधों एवं भारत तथा आसियान संबंधों के विकास पर चर्चा की। इस यात्रा से ए आर एफ की सदस्यता के विस्तार, भारत-आसियान संबंधों को विकसित करने के बारे में भारत के दृष्टिकोण को उजागर करने और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के महत्व के मसलों पर चर्चा करने में सहायता मिली।

कोरिया गणराज्य

संयुक्त सचिव (ई ए) भारत और दक्षिण कोरिया के बीच महानिदेशक स्तर के विदेश कार्यालय परामर्शों में भाग लेने के लिए 11 से 14 अप्रैल, 2004 को कोरिया गणराज्य की यात्रा पर गए। विदेश कार्यालय परामर्शों से द्विपक्षी, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मसलों और अतिविशिष्ट व्यक्तियों की आगामी भारत यात्रा की तैयारी के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिला।

सऊदी अरब

1. हज 2005 के लिए हज करार पर हस्ताक्षर करने के लिए विदेश राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल 13 से 16 जून, 2004 तक सऊदी अरब की यात्रा पर गया। भारतीय हज यात्रा से संबंधित विभिन्न मसलों के बारे में करार पर हस्ताक्षर होना एक पराकाष्ठा पर पहुंचना है। करार की शर्तों के अनुसार हज के लिए भारतीय हज यात्रियों की कुल संख्या 117,000 होगी। इनमें से 72000 हज समिति के जरिए और 45,000 निजी टूर आपरेटरों के जरिए हज करेंगे। इस यात्रा के दौरान विदेश राज्यमंत्री ने दो पवित्र मस्जिदों के अभिरक्षक सऊदी अरब के सम्राट फाद बिन अब्दुल अजीज से जद्दाह में 13 जून को मुलाकात की तथा भारत के प्रधानमंत्री का एक पत्र सम्राट फाद को दिया।

2. सचिव (ए एन आर) के नेतृत्व में एक संयुक्त शिष्टमंडल हज 2004 के दौरान व्यापक प्रबंधों की समीक्षा करने तथा हज 2005 के लिए व्यापक तौर पर योजना बनाने के लिए 9-11 अप्रैल, 2004 तक तैफ और रियाद की यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

जोर्डन

विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल 16 से 18 जून, 2004 तक जोर्डन की यात्रा पर गया। विदेश राज्य मंत्री ने महामान्य युवराज फैजल बिन अल-हुसैन, उप-प्रधानमंत्री और उद्योग एवं व्यापार मंत्री डा. मोहम्मद हलीक ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में तथा कार्यवाहक विदेश मंत्री के रूप में श्रम मंत्री श्री अमजद मजाली के साथ विस्तृत चर्चा की। इस यात्रा के दौरान कोई संधि/करार सम्पन्न नहीं हुआ।

कतर

सचिव (ए एन ए) संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित इराक से सम्बद्ध अंतर्राष्ट्रीय दाता सम्मेलन में भाग लेने के लिए 25 से 27 मई, 2004 तक दोहा की यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

मिस्र

सचिव (ए एन ए) वार्षिक भारत-अरब लीग परामर्शों और मिस्र के साथ विदेश कार्यालय परामर्शों के सिलसिले में 19 से 21 जून, 2004 तक काहिरा की यात्रा पर गए। अरब लीग के महासचिव, राष्ट्रपति के सलाहकार, विदेश मंत्री एवं एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री के साथ बैठकें हुई। बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के साथ-साथ आपसी हित के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर केन्द्रित रही।

पोलैण्ड

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में सचिव (आई पी पी) के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जिसमें संयुक्त सचिव (यूरोप-2) भी शामिल थे, व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग से सम्बद्ध भारत-पोलैण्ड अंतर-सरकारी आयोग की समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए 22 से 24 अप्रैल, 2004 तक पोलैण्ड की यात्रा पर गए।

स्लोवेनिया

संयुक्त सचिव (यूरोप-2) अपर सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 20-22 अप्रैल, 2004 को शिष्टमंडल के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत-स्लोवन आई सी एम के 5वें सत्र में भाग लेने के लिए गए।

रूस

विदेश सचिव ने 23-25 जून, 2004 को मास्को की यात्रा की। राजनीतिक और आर्थिक मसलों पर रूस के विदेश मंत्री और उप विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं।

ताजिकिस्तान

ताजिक प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के लिए सचिव (आना) ने 7-9 मई, 2004 को दुशान्वे की यात्रा की। ताजिक राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के साथ भी वार्ताएं हुईं।

अर्मेनिया

संयुक्त सचिव ने (यूरोशिया) 3-4 मई, 2004 को येरेवान की यात्रा की। विदेश मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, रक्षा उप मंत्री, विदेश उप मंत्री, वित्त एवं आर्थिक उप मंत्री, कृषि उप मंत्री तथा संस्कृति एवं युवा मामलों से संबद्ध उप मंत्री के साथ वार्ताएं हुईं।

तुर्की

आतंकवाद का मुकाबला करने से संबद्ध संयुक्त कार्यदल की प्रथम बैठक में भाग लेने के लिए अपर सचिव (आई एस) ने 1-2 जून, 2004 को शिष्टमंडल की अध्यक्षता की। चर्चा आतंकवाद की चुनौतियों और सहयोग की सम्भावनाओं पर सूचनाओं के आदान-प्रदान पर केन्द्रित थी।

स्विटजरलैण्ड

1. विदेश सचिव मानवाधिकार आयोग के 60वें सत्र में भाग लेने के लिए 17-20 मार्च, 2004 को जिनेवा की यात्रा पर गए।

2. संयुक्त सचिव (यूनेस) ने मानवाधिकार आयोग के 60वें सत्र में भाग लेने के लिए 6-11 अप्रैल, 2004 तक जिनेवा की यात्रा की।

आस्ट्रेलिया

संयुक्त सचिव (एल एंड टी) ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग से सम्बद्ध समिति की विधिक उप समिति के 43वें सत्र में भाग लेने के लिए 29.3.2004 तक वियना की यात्रा की।

नीदरलैंड

संयुक्त सचिव (एल एंड टी) ने शिशु समर्थन और परिवार अनुरक्षण के अन्य तरीकों के अंतर्राष्ट्रीय समुत्थान से सम्बद्ध विशेष आयोग की दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए 7.6.2004 से 15.6.2004 तक हंगरी की यात्रा की।

जर्मनी

1. विदेश सचिव अफगानिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय-भविष्य के लिए भागीदारी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 31.3.2004 से 1.4.2004 तक बर्लिन की यात्रा पर गए।

2. निदेशक (यूनेस) जलवायु परिवर्तन से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय पर वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए पूरक निकाय के 20वें सत्र में भाग के लिए 15-25 जून, 2004 को बोन की यात्रा पर गए।

संयुक्त राज्य अमरीका

1. निदेशक (एल एंड टी) ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र आयोग के 37वें सत्र में भाग लेने के लिए 14.6.2004 से 25.6.2004 तक न्यूयार्क की यात्रा की।

2. संयुक्त सचिव (यूनेस) ने पुष्ट विकास के सम्बद्ध आयोग के 12वें सत्र में भाग लेने के लिए 23 मई से 4 जून, 2004 तक न्यूयार्क की यात्रा की।

3. निदेशक (यूनेस-1) ने अपंग व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान के संरक्षण से सम्बद्ध व्यापक एवं अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय पर संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति के तीसरे सत्र में भाग लेने के लिए 23 मई से 4 जून तक न्यूयार्क की यात्रा की।

4. अपर सचिव (आई ओ) ने भारत-अमरीका संबंधों पर द्विपक्षीय चर्चा करने के लिए 31.3.2004 से 2.4.2004 तक अमरीका की यात्रा की। यह चर्चा जारी द्विपक्षीय विचार-विमर्श का भाग थी।

कनाडा

1. अपर सचिव (आई एस) ने आतंकवाद का मुकाबला करने से सम्बद्ध भारत-कनाडा संयुक्त कार्यदल की छठी बैठक में भाग लेने के लिए 13-14 मई, 2004 को कनाडा की यात्रा की। यह चर्चा आतंकवाद का मुकाबला करने से सम्बद्ध सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भाग थी।

2. संयुक्त सचिव (यू एन पी) ने सैन्य संक्रिया कानून सम्मेलन से सम्बद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 से 6 मई तक कनाडा की यात्रा की।

(ग) और (घ) विदेश मंत्री ने कार्यभार संभालने के बाद निम्नलिखित देशों का दौरा किया:

नेपाल

विदेश मंत्री ने 4-5 जून, 2004 को नेपाल का दौरा किया और महामहिम राजा ज्ञानेन्द्र, प्रधानमंत्री श्री एस.बी. देऊबा, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों सूर्य बहादुर थापा और श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला, श्री पशुपति शमशेर राणा, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, मधेशी नेताओं और थल सेनाध्यक्ष से विचार-विमर्श किया। कोई करार सम्पन्न नहीं किया गया। दौरे से जल विद्युत, व्यापार और सुरक्षा संबंधी मामलों सहित आपसी हित के विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और इसे और सुदृढ़ करने का अवसर मिला।

अमरीका

विदेश मंत्री 11 जून, 2004 को भूतपूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन की अंत्येष्टी में शामिल हुए। विदेश मंत्री, अमरीकी विदेश मंत्री से मिले और दोनों पक्षों ने भारत-अमरीका से जुड़े महत्वपूर्ण संबंधों की पुनः पुष्टि की।

यूनाइटेड किंग्डम

विदेश मंत्री ने 16 जून, 2004 को लंदन का दौरा किया। वे यू.के. के विदेश मंत्री जैक स्ट्रा से मिले। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया। विदेश मंत्री की यू.के. विदेश मंत्री श्री जैक स्ट्रा के साथ बैठक नई सरकार के गठन के बाद यू.के. सरकार के साथ यह प्रथम उच्चस्तरीय वार्ता थी।

चीन

विदेश मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 21-22 जून, 2004 को चीन का दौरा किया। विदेश मंत्री ने 21-22 जून, 2004 को किंगदाओ, चीन में ए सी डी बैठक में भाग लिया। बहुपक्षीय बैठक के साथ-साथ उन्होंने अपने समकक्ष, श्री होबिंसग से मुलाकात की। विदेश मंत्री ली ने विदेश मंत्री से कहा कि चीन राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और अन्य क्षेत्रों में संबंधों को और अधिक विकसित करने के लिए भारत में नई सरकार के साथ कार्य करने को तैयार है। विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री ली को कहा कि भारत सरकार चीन के साथ संबंधों को बहुत महत्व देती है। उन्होंने विदेश मंत्री ली को भारत आने का नियंत्रण दिया और प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ को भारत आने के लिए प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का पुनः निमंत्रण दिया। इस वर्ष के अंत में विदेश मंत्री ली ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया और आशा जताई कि वे निकट भविष्य में भारत की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्री ने बल देकर कहा कि भारत पंचशील के सिद्धान्तों, एक-दूसरे की चिंताओं के प्रति समझ-बूझ और समानता के आधार पर चीन के साथ संबंधों को विकसित करने के प्रति वचनबद्ध है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

447. **श्री कैलाश मेघवाल:**
श्री के.एस. राव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार आरंभ करने हेतु नए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस हेतु नियत धनराशि कितनी है;

(घ) इससे लोगों को कितना लाभ मिलने की संभावना है; और

(ङ) देश के दूरस्थ क्षेत्रों में निर्धन लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने के लिए लगातार कदम उठाती रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ाना ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इसे अगली पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद के 2-3% तक लाया जा सके; गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार करना; संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सरकारी निवेश को बढ़ाना राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण प्रयास को नेतृत्व प्रदान करना; वहनीय मूल्यों पर जीवन रक्षक औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य परिचर्या के मामले में ज्यादा गरीब वर्गों की ओर विशेष ध्यान देना कुछ ऐसे कदम हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। इस समय इन कदमों के लिए कोई अतिरिक्त निधियां निश्चित नहीं की गई हैं। गरीब लोगों सहित लोगों को इन कदमों से लाभ होगा क्योंकि स्वास्थ्य परिचर्या पर प्रति व्यक्ति व्यय में वृद्धि होगी और संचारी रोगों के कारण होने वाली रुग्णता तथा मृत्युदर को रोका जा सकेगा।

(ङ) सरकार सारे देश में मलेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, एड्स, दृष्टिहीनता, कैंसर और मानसिक स्वास्थ्य जैसी प्रमुख रोगों के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन करती रही है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत दवाइयां नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं। लोगों, मुख्य: ग्रामीण गरीबों और अल्प सेवित लोगों, को उत्कर्ष स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने हेतु, स्वास्थ्य अवसंरचना के उन्नयन के लिए चुनिंदा राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। एक समुदाय आधारित व्यापक स्वास्थ्य बीमा स्कीम क्रियान्वित की जा रही है जिसमें सरकार वार्षिक प्रीमियम के प्रति गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रति परिवार को 100 रुपए प्रति वर्ष अंशदान देती है ताकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए स्कीम की समर्थता को सुनिश्चित किया जा सके। अति विशिष्टता वाली स्वास्थ्य योजनाओं के लिए मांग को पूरा करने हेतु कतिपय अल्पसेवित राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान के पैटर्न पर संस्थानों की स्थापना करने हेतु और कतिपय शेष अल्प-सेवित राज्यों/क्षेत्रों में वर्तमान संस्थानों का उन्नयन करने हेतु प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस.एस.वाई.) शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की उपलब्धता को उन्नत करने हेतु कुछ राज्य सरकारों ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के दाखिले अथवा प्रारंभिक नियुक्ति के समय से पहले ग्रामीण सेवा को पहले ही अनिवार्य बना दिया है।

'विभागेत्तर कर्मचारियों के लिए सुविधाएं' संबंधी समिति

448. **श्री वसुदेव आचार्य:**
श्री पी. करुणाकरन:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डाक विभाग में नियमित और विभागेत्तर कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में कार्यरत डाक विभाग के विभागेत्तर कर्मचारियों की मांगों पर गौर करने हेतु न्यायमूर्ति तलवार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या पेंशन, दर्जा, पदोन्नति, श्रमिक संघ सुविधाओं आदि जैसी विभागेत्तर कर्मचारियों की मूलभूत मांगों से संबंधित सिफारिशों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उनकी मांगों को समिति की सिफारिशों के अनुसार पूरा करने हेतु अब तक क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार नियमित कर्मचारियों की संख्या 2,62,752 और अतिरिक्त विभागीय एजेंटों, जिन्हें अब ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है, की संख्या 3,03,170 है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (च) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन के संबंध में सरकार ने अतिरिक्त विभागीय एजेंसी की प्रणाली, रोजगार की शर्तें, वेतन ढांचा आदि पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति चरणजीत

तलवार की अध्यक्षता में 31 मार्च, 1995 को एक एकल सदस्यीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति तलवार समिति ने 30 अप्रैल, 1997 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अपनी रिपोर्ट में समिति द्वारा की गई सिफारिशों को निम्नलिखित मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:

(1) *अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की स्थिति और नामकरण*

(2) *वित्तीय सुविधाएं:*
वेतनमान और वेतन वृद्धि प्रदान करना,
पेंशन प्रदान करना,
पुट आफ ड्यूटी भत्ता, और
सेवानिवृत्ति सुविधाएं, आदि

(3) *रोजगार की शर्तें:*
शैक्षणिक योग्यताओं में वृद्धि
सेवा में प्रवेश की आयु
कार्यसमय,
स्थानांतरण की संभावना, और
छुट्टियों की सुविधा, आदि

(4) *पुनर्गठन:*
पदों का और सृजन नहीं,
अगले दस वर्षों तक कोई अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर/शाखा डाकघर नहीं खोला जाएगा
रिक्त पदों को भरने पर पूर्ण रोक, और
रिक्त पदों को समाप्त करना

(5) *जनसुविधाएं:*
बचत बैंक से निकासी की सीमा में वृद्धि।

न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों पर विभाग में विचार किया गया। कर्मचारी संघों से भी विचार-विमर्श किया गया। तत्पश्चात मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा इन सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया और न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों के पूर्ण और अंतिम निपटारे के रूप में सरकार द्वारा दिनांक 17.12.1998 के आदेशों के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सुविधाओं का एक पैकेज जारी किया गया, जिसमें ग्रामीण डाक सेवकों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं:

(1) 1.1.96 से 28.2.98 की अवधि के लिए मूल मासिक भत्ते में 3.25 गुना की वृद्धि।

(2) तत्पश्चात्, 1.3.1998 से उन्हें समय संबद्ध निरंतरता भत्ता (टीआरसीए) के अंतर्गत लाना।

(3) अनुग्रह उपदान की अधिकतम राशि को 6,000 रु. से बढ़ाकर 18,000 रु. करना।

(4) कार्यालय रख-रखाव भत्ते को 25 रु. से 50 रु. प्रतिमाह तक बढ़ाना।

(5) आगे ले जाने के प्रावधान के बिना प्रत्येक अर्ध वर्ष के लिए 10 दिन की सवेतन छुट्टी।

(6) सेवानिवृत्ति या मृत्यु के मामले में न्यूनतम 20 वर्ष का निरंतर कार्यकाल पूरा करने वाले ग्रामीण डाक सेवक को 30,000 रु. की तथा 15-20 वर्ष का निरंतर कार्यकाल पूरा करने वाले ग्रामीण डाक सेवक को 20,000 रु. की सेवा-विच्छेद राशि प्रदान करने का प्रावधान। नियमित विभागीय पद पर विलयन हो जाने पर 15 वर्ष का निरंतर कार्यकाल पूरा करने पर 20,000 रु. की सेवा विच्छेद-राशि का भुगतान किया जाना है।

पेंशन प्रदान करने की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि, सेवा-विच्छेद राशि के प्रावधान को शुरू कर दिया गया है। इसके साथ-साथ अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के नामकरण को बदलने एवं सेवा-विच्छेद राशि के समान सामाजिक सुरक्षा स्कीम के प्रस्ताव पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा विचार किया गया। नामकरण को बदलने की मांग को स्वीकार कर लिया गया और उनको ग्रामीण डाक सेवक का नाम दिया गया, लेकिन सरकार द्वारा प्रायोजित कोई सामाजिक सुरक्षा स्कीम को व्यवहार्य नहीं पाया गया।

ग्रामीण डाक सेवकों को नियमित सरकारी कर्मचारियों का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश को इस मुद्दे की सरकार द्वारा पुनः जांच करने के बावजूद स्वीकार नहीं किया गया। विभाग में ग्रुप 'घ' स्तर के पदों पर 75% तथा पोस्टमैन के पदों पर 50% नियुक्ति ग्रामीण डाक सेवकों से किए जाने के प्रावधान पहले से ही उपलब्ध है जिनसे कि उनको अपनी पदोन्नति के अवसरों की वृद्धि करने और नियमित सरकारी सेवा में आने के अवसर मिले।

न्यायमूर्ति तलवार समिति ने अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी संघ को मजदूर संघ की सुविधाएं देने के प्रावधान से संबंधित कोई सिफारिश नहीं की। हालांकि, अखिल भारतीय अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी संघ को सम्प्रेषण के माध्यम, सदस्यता अंशदान की वसूली, मैनेजमेंट के साथ सावधिक वार्तालाप जैसे मजदूर संघों को मिलने वाली अनेक सुविधाओं का पहले से ही लाभ उठा रहा है। बाह्य सेवा एवं विशेष आकस्मिक छुट्टी की सुविधा से संबंधित मांग की जांच कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के परामर्श करके की गई और इन्हें स्वीकार नहीं किया गया। उक्त अखिल भारतीय अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी संघ ने अब बाह्य सेवा की सुविधा

प्रदान किए जाने के लिए, जो मजदूर संघों की सुविधाओं में से एक है, माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण बेंगलूर पीठ में एक ओ.ए. दायर की है जो अभी न्यायाधीन है।

डाकघरों को बंद करना

449. श्री एन.एम. कृष्णदास: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कई डाकघरों को बंद करने का नोटिस दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन डाकघरों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 31.3.2004 तक नोटिस दिया गया था;

(ग) ऐसे मामलों में कौन से मानदण्डों का अनुपालन किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार उपरोक्त निर्णय की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र के लिए धनराशि

450. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस राजमार्गों/राज्य राजमार्गों के विकास और गांवों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गयी और जारी की गई;

(ख) 30 जून, 2004 तक विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत मंजूर की गयी धनराशि में से राज्य सरकार द्वारा उपयोग में लायी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है कि राज्य सरकार शेष धनराशि का सदुपयोग करे?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। राज्यीय राजमार्गों के अनुरक्षण और विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। महाराष्ट्र में इस मंत्रालय के अधीन कोई एक्सप्रेस राजमार्ग नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कुल आबंटन तथा इन पर हुए व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	आबंटन (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)
2002-03	119.78	119.78
2003-04	127.76	127.76
2004-05	38.00 (अब तक)	7.50 (30 जून, 2004 तक)

राष्ट्रीय राजमार्गों से गांवों को जोड़ने के लिए मंत्रालय के पास कोई स्कीम नहीं है।

(घ) जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, महाराष्ट्र सरकार निधियों का पूरी तरह उपभोग करती रही है।

बारी से पहले कनैक्शन के लंबित मामले

451. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बारी से पहले आबंटन की संसद सदस्यों द्वारा की गयी सिफारिशों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) देश में बारी से पहले कनैक्शन के राज्य-वार कितने मामले लंबित हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। इन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बिना बारी टेलीफोन कनैक्शनों के लंबित मामले

क्र.सं.	दूरसंचार सर्किल का नाम	31.5.2004 की स्थिति के अनुसार बिना बारी टेलीफोन कनैक्शनों के लंबित मामलों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	0
2.	आंध्र प्रदेश	13
3.	असम	221
4.	बिहार	2839
5.	छत्तीसगढ़	0
6.	गुजरात	397
7.	हरियाणा	816
8.	हिमाचल प्रदेश	305
9.	जम्मू और कश्मीर	779
10.	झारखंड	12
11.	कर्नाटक	802
12.	केरल	950
13.	मध्य प्रदेश	33
14.	महाराष्ट्र	936
15.	उत्तर पूर्व-1	93
16.	उत्तर पूर्व-2	108
17.	उड़ीसा	96
18.	पंजाब	102
19.	राजस्थान	1127
20.	तमिलनाडु	739
21.	उत्तरांचल	24
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2830
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	419
24.	पश्चिम बंगाल	687
25.	कोलकाता टेलीफोन्स	0
26.	चेन्नई टोलीफोन्स	0
27.	एमटीएनएल मुम्बई	1
28.	एमटीएनएल दिल्ली	0

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए निर्धारित किए गए मानदंड

452. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किये जा रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अधिकांश निर्माण कार्य निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडिस): (क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत, जिला प्रशासन के अध्यक्ष को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए कार्यों को कार्यान्वित कराना होता है। चूंकि योजना के अंतर्गत कार्य, राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के आधार पर किए जा रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार के प्राधिकारी एवं कार्यकारी अभिकरण निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं।

(ख) और (ग) कार्य की गुणवत्ता के संबंध में जो भी शिकायत मंत्रालय में प्राप्त होती है वह उपचारी उपायों हेतु, संबंधित राज्य सरकार को प्रेषित कर दी जाती है।

[अनुवाद]

मादक पदार्थों के व्यापार संबंधी भारत-पाक वार्ता

453. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने मादक पदार्थों के व्यापार और तस्करी से संबंधित मुद्दों पर भारत के साथ तकनीकी स्तर की वार्ता का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त वार्ता का प्रस्तावित स्थान क्या है और इसके लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गयी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) भारत और पाकिस्तान के बीच हुई विदेश सचिव स्तरीय वार्ता के पश्चात् 18 फरवरी, 2004 को जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य में यह सहमति हुई कि जून, 2004 में मादक द्रव्यों और तस्करी से संबद्ध समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। तदनुरूप 15-16 जून, 2004 को यह बैठक इस्लामाबाद में हुई।

केन्द्रीय भण्डार वस्तुओं का मूल्य निर्धारण

454. श्री रघुनाथ झा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय भण्डार की क्रय समिति आपूर्तिकर्त्ताओं/उपभोक्ता वस्तुओं, किराना, लेखन सामग्री और अन्य वस्तुओं का चयन करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कर रही है कि इसकी वस्तुओं के मूल्य खुले बाजार के मूल्यों से अधिक न हों;

(ख) क्या केन्द्रीय भण्डार ने अपनी संशोधित क्रय नीति, 2003 के आधार पर लेखन-सामग्री और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रकार मंगाए गए आवेदनों, पर कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) आपूर्तिकर्त्ताओं का चयन करते समय, क्रय समिति, सामान्यत: संबंधित अभिकरण की हैसियत, उसकी वित्तीय सुदृढ़ता, बाजार में प्रतिष्ठा और फर्म की नेकनामी, माल की आपूर्ति समय पर करने के लिए फर्म की क्षमता और सामर्थ्य, वाजिब मूल्य, उत्पादों की लोकप्रियता और उसकी बाजार में उपलब्धता आदि को ध्यान में रखती है। केन्द्रीय भण्डार में सूचीबद्ध निर्माताओं/थोक व्यापारियों से किराना मदें, विनिर्धारित मानदण्ड के अनुसार, पाक्षिक आधार पर सीमित निविदाएं आमंत्रित किए जाने के आधार पर खरीदी जाती हैं। दालों और चावल की निविदा का निर्णय करने से पूर्व मंडी दरों का भी पता लगाया जाता है। जहां कहीं उपयुक्त और आवश्यक समझा जाता है, संबंधित निर्माता/प्राधिकृत वितरक के साथ द्वि-पक्षीय/त्रि-पक्षीय करार किए जाते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) अनेक आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और इन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में पहले ही काफी प्रगति हो चुकी है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रख-रखाव का निजीकरण

455. श्री दुष्यंत सिंह:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रख-रखाव से संबंधित कार्यों को गैर-सरकारी पार्टियों को सौंपने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है;

(ग) इसके अंतर्गत कितने राजमार्ग शामिल किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस संबंध में विदेशी पूंजी निवेश का कोई प्रावधान है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण से संबंधित कार्य सौंपने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए बी ओ टी आधार पर निविदाएं आमंत्रित

करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना के अंतर्गत 10,000 कि.मी. को चार लेन का बनाया जाना शामिल है जिसमें से 33 राष्ट्रीय राजमार्गों के 5244 कि.मी. लंबे 43 खंड अभिनिर्धारित किए जा चुके हैं। इस प्रस्ताव में उत्तर-दक्षिण महामार्ग के राष्ट्रीय राजमार्गों के 123.5 कि.मी. लंबे 3 खंड तथा पूर्व-पश्चिम महामार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग का 36.3 कि.मी. लंबा एक खंड शामिल है। इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए समय की जानकारी दे पाना अभी संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) इस प्रस्ताव में विदेशी पूंजी निवेश का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, विदेशी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी निविदाओं में भाग ले सकती हैं।

सरकारी क्षेत्र के संगठन के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा

456. श्री सुनील खां: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ब्याज दर में कटौती के मद्देनजर पेंशन से संबंधित सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत योजनाओं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान, संसाधनों के पूलन (पूलिंग) तथा जोखिमों के वहन के सिद्धांतों पर आधारित निर्धारित मानकों के अनुसार और इस योजना के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। यह योजना केन्द्रीय न्यासी मण्डल, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा संचालित की जाती है। अत: इस योजना के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के हित पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना

457. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:
श्री प्रबोध पाण्डा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय की मंजूरी के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ख) नये चिकित्सा महाविद्यालयों को आरंभ करने के राज्यों से राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या इन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने में कोई विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) एक नया मेडिकल कालेज खोलने के लिए अनुमति देने संबंधी विस्तृत प्रक्रिया भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रकाशित "मेडिकल कालेज की स्थापना संबंधी विनियम, 1999" में दी गई है।

(ख) वर्ष 2003 के दौरान, विभिन्न राज्यों से कुल 54 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य का नाम	प्रस्तावों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	8
बिहार	1
दिल्ली	1
छत्तीसगढ़	1
गुजरात	1
झारखण्ड	2
कर्नाटक	9
केरल	3
मध्य प्रदेश	3
महाराष्ट्र	2
उड़ीसा	6

1	2
पांडिचेरी	1
राजस्थान	1
तमिलनाडु	8
उत्तरांचल	1
उत्तर प्रदेश	4
पश्चिम बंगाल	2

उपरोक्त 54 प्रस्तावों में से, केवल 20 प्रस्ताव नियमानुसार पाए गए और मूल्यांकन के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद को भेज दिए गए थे। बाकी के प्रस्ताव अपूर्ण होने के कारण आवेदकों को लौटा दिए गए।

(ग) से (ङ) प्रस्तावों की स्वीकृति अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता और भारतीय चिकित्सा परिषद के निर्धारित मानकों और सिफारिशों पर निर्भर करती है।

भारत-अमरीका संबंध सुदृढ़ करना

458. श्री परशुराम माझी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारत-अमरीकी संबंध और सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) उन विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर वार्ता किये जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) भारत अमरीका के साथ अपने संबंधों को अत्यन्त महत्वपूर्ण मानता है। दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के रूप में यह अनिवार्य है कि दोनों देशों के संबंधों में निरंतर प्रगति होती रहे। नई सरकार उस नीति को जारी रखेगी जिससे अमरीका के साथ भारत के संबंधों को सुदृढ़, व्यापक और गहन बनाया जाए।

(ख) राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की अत्येष्टि के लिए वाशिंगटन की यात्रा के दौरान 10 जून, 2004 को विदेश मंत्री की अमरीकी विदेश मंत्री कालिन पावेल के साथ उपयोगी बातचीत हुई। 21-22 जून, 2004 तक बंगलौर में भारत-अमरीका अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया। इससे पूर्व 1-2 जून, 2004 को भारत-अमरीका रक्षा नीति समूह की छठी बैठक हुई। भारत-अमरीका सहयोग जारी है और इसमें निरंतरता बनी हुई है।

(ग) व्यापक द्विपक्षीय वार्ता संरचना, जिसमें हमारे संबंधों के प्रमुख तत्वों को शामिल किया गया है, हमारे संबंधों को आगे ले जाने का प्राथमिक साधन है। नियमित विचार-विमर्श जारी है और आपस में सहमत अवधियों में ये किये जाते रहते हैं।

पल्स पोलियो कार्यक्रम कार्यान्वयन में अनियमितताएं

459. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के प्रत्येक राज्य में पोलियो रोगियों का उपचार करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पल्स पोलियो कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरकार के ध्यान में कोई अनियमितता आयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी अनियमितताएं रोकने और कार्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) पोलियो के रोगियों के उपचार के लिए राज्यों के तृतीयक स्तर के अस्पतालों में उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ) राज्यों को वैक्सीन की आपूर्ति वस्तुगत रूप में की जाती है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न घटकों के लिए अनुमोदित वित्तीय मानकों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण दौरों के आयोजन हेतु प्रचालनात्मक खर्चों के लिए निधियां दी जाती हैं। जब कभी पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण के कार्यान्वयन में अनियमितता की घटनाएं ध्यान में लाई जाती हैं, तब राज्य सरकारों को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। राजस्थान सरकार के कुछ अधिकारियों द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले की जांच की गई थी और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कानून के अनुरूप कार्रवाई की गई थी। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले और आंध्र प्रदेश के खम्मान जिले के राज्य अधिकारियों द्वारा तथाकथित

अनियमितताओं के दो मामले प्राप्त हुए हैं और संबंधित राज्यों से मई/जून, 2004 में विभागीय जांच आयोजित करने और रिपोर्टें भारत सरकार को भेजने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना/विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक निगरानी चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध भी एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके लिए राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना की टिप्पणियां मांगी गई हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रख-रखाव

460. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रख-रखाव निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार वास्तविक रूप से किए गए कार्य की लागत के आधार पर अनुदान बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण धनराशि की उपलब्धता और सड़क की स्थिति के अनुसार किया जाता है तथा उपलब्ध धनराशि के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। निर्धारित मानकों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित कुल धनराशि उपलब्ध धनराशि से काफी कम है। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण कड़ाई से निर्धारित मानकों के अनुसार संभव नहीं हो पाता है।

(ग) और (घ) सीमित बजट आबंटन के कारण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आबंटन में वृद्धि संभव नहीं होती है।

ब्रांडिड वस्तुओं का ऊंची कीमत पर खरीदा जाना

461. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार संशोधित क्रय नीति, 2003 का उल्लंघन करते हुए कम्प्यूटर, एचपी. कार्टिज और अन्य ब्रांडिड वस्तुओं को ऊंची कीमत पर खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) इस क्रय नीति का उल्लंघन करने के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) केन्द्रीय भण्डार की क्रय नीति में यह प्रावधान है कि उत्पाद विनिर्माताओं से प्राप्त किए जाएंगे तथा यह कि जहां विनिर्माता सीधे विपणन में अपनी असमर्थता जताते हैं वहां उत्पाद उनके प्राधिकृत वितरक/अभिकरण से खरीदे जाएं। केन्द्रीय भण्डार से प्राप्त सूचना के अनुसार, मैसर्स ह्यूलेट पैकर्ड, कार्टिज की सीधे बिक्री नहीं करते। उन्होंने अपने राष्ट्रीय वितरक नियुक्त किए हैं और इसके अतिरिक्त मैसर्स ए.पी. इंडिया ने अपने पंजीकृत पुनर्विक्रेता (आर.एस.आर.) भी नियुक्त किए हुए हैं। मैसर्स ह्यूलेट पैकर्ड के व्यापार आदर्श के अनुसार उनके राष्ट्रीय वितरकों को भी सीधे ग्राहक को उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं है तथा वे केवल अपने पंजीकृत आपूर्ति पुनर्विक्रेता को ही विक्रय/आपूर्ति कर सकते हैं। अत: पंजीकृत आपूर्ति पुनर्विक्रेता ही राष्ट्रीय वितरकों को भुगतान करते हैं, वस्तु सूची का रख-रखाव करते हैं तथा विपणन का कार्य करते हैं। अत: केन्द्रीय भंडार ने मैसर्स ह्यूलेट पैकर्ड और उनके द्वारा यथा नियुक्त/प्राधिकृत पंजीकृत आपूर्ति पुनर्विक्रेताओं के साथ एक त्रि-पक्षीय समझौता किया हुआ है।

सारस विमान

462. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सारस विमान ने हाल ही में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक भरी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सारस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है और इस पर कितना खर्च आएगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। सारस के प्रथम आदिप्ररूप (पीटी-1) ने दिनांक 29 मई, 2004 को प्रथम परीक्षण उड़ान भरी। इस प्रथम उड़ान की अवधि 23 मिनट थी। इस प्रथम उड़ान के दौरान सारस 7800 फीट के अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचा तथा इसकी अधिकतम चाल 145 नाट्स (269 कि.मी./घं.) रही।

(ग) सारस परियोजना को सरकार द्वारा सितम्बर, 1999 में स्वीकृति प्रदान की गई, इस परियोजना की प्रारंभिक लागत 131.38

करोड़ रुपये थी, जिसे बाद में संशोधित कर 157.59 करोड़ रुपये किया गया। प्रथम आदिप्ररूप का उड़ान-परीक्षण किया जा रहा है और प्रत्याशा की जाती है कि दूसरा आदिप्ररूप लगभग एक वर्ष की अवधि में उड़ान भर लेगा। सारस परियोजना को पूरा करने के लिए महानिदेशक, नागर विमानन (डीजीसीए) से प्रमाणन प्राप्त करने हेतु लगभग 500 घंटों के उड़ान-परीक्षण की योजना बनाई गई है। इसमें अब से लेकर लगभग 24-30 माह तक का समय लग सकता है।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची

463. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार बिहार के सभी बड़े शहरों, जिला मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिये गये टेलीफोन कनेक्शनों के संबंध में ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) सरकार के विचाराधीन कौन-सी नयी दूरसंचार योजनाएं हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.05.2004 की स्थिति के अनुसार, बिहार के सभी बड़े शहरों, जिला मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) बीएसएनएल द्वारा बिहार दूरसंचार सर्किल में तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों और उन पर खर्च की गयी राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन (लाइनों की संख्या)	खर्च की गई राशि (करोड़ रुपए में)
2001-02	214161	371.305
2002-03	161075	180.413
2003-04	143599	46.00

(ग) बीएसएनएल के विचाराधीन नयी दूरसंचार स्कीमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(1) वर्ष 2004-05 में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) (1,30,000 कनेक्शन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं (सीएमटीएस) (2,78,300 कनेक्शन) का विस्तार।

(2) पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, गया, हाजीपुर और कटिहार में मेनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क (एमएलएलएन) उपस्कर।

(3) मुजफ्फरपुर में डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस सिस्टम (डीआईएएस)।

(4) पटना में बिना खाता (अकाउंट लैस) इंटरनेट सेवाएं।

(5) पटना में तारशुदा लाइनों पर एसएमएस।

विवरण

31.5.2004 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	शहरों की श्रेणी	शहरों/नगरों के नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4
1.	बिहार सर्किल में महत्वपूर्ण शहर	पटना	1903
2.		मुजफ्फरपुर	221
3.		भागलपुर	24
4.		गया	594
5.		दरभंगा	135
6.		कटिहार	18
7.		छपरा	397
8.	जिला मुख्यालय	आरा	680
9.		बक्सर	184
10.		बेगूसराय	229
11.		बेतिया	108
12.		बांका	0
13.		गोपालगंज	786

1	2	3	4
14.		सीवान	3205
15.		मधुबनी	330
16.		अरवल	175
17.		औरंगाबाद	86
18.		जहानाबाद	77
19.		नवादा	114
20.		हाजीपुर	79
21.		अररिया	3
22.		पूर्णिया	46
23.		खगड़िया	62
24.		किशनगंज	4
25.		मोतिहारी	19
26.		जमुई	139
27.		मुंगेर	437
28.		शेखपुरा	16
29.		लखीसराय	108
30.		शिवहर	203
31.		सीतामढ़ी	988
32.		बिहारशरीफ	814
33.		भभुआ	79
34.		सासाराम	168
35.		मधेपुरा	0
36.		सहरसा	10
37.		सुपौल	2
38.		समस्तीपुर	110
	बिहार सर्किल के ग्रामीण क्षेत्र		89042

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश की लंबित परियोजनाएं

464. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:
श्री सुरेश चन्देल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार, केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित हिमाचल प्रदेश से संबंधित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) इन योजनाओं पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) योजना आयोग के पास हिमाचल प्रदेश से संबंधित कोई भी योजना निवेश स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीफोन सेवाएं

465. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री नीतीश कुमार:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक टेलीफोन सेवा प्रदाता कम्पनियां टेलीफोन उपभोक्ताओं को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानक मानदंडों के अनुरूप सेवाएं प्रदान नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) उनके कार्य की गुणवत्ता में क्या कमियां पायी गयी हैं;

(घ) क्या इन कम्पनियों को अपने कार्य की गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई दिशा-निर्देश दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो जारी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है और इन कम्पनियों द्वारा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर किन दंडों का प्रावधान किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मार्च, 2004 को समाप्त तिमाही के लिए सेवा की गुणवत्ता के विभिन्न पैरामीटरों के संबंध में ऐसी कम्पनियों के सर्किल-वार ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

(घ) प्रचालकों द्वारा बेंचमार्क प्राप्त न करने के कारणों/इस बारे में उनके सम्मुख आने वाली बाध्यताओं का पता लगाने के उद्देश्य से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा सेवा की गुणवत्ता में कमी संबंधी मुद्दे पर विचार करने के लिए सेवा प्रदाताओं के वरिष्ठ प्रबन्धन की बैठक बुलाई गई है।

(ङ) ट्राई अधिनियम की धारा 29 में दंड का प्रावधान है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्राधिकरण के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति को जुर्माना लगाया जाएगा जिसे एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है तथा दूसरी बार या तदनंतर अपराध करने पर एवं चूक जारी रहने तक प्रत्येक दिन के लिए इसे दो लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।"

विवरण I

31 मार्च, 2004 को समाप्त तिमाही के लिए बुनियादी सेवाओं से संबंधित सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) के पैरामीटरों का सार

सेवा की गुणवत्ता के पैरामीटर			मांग दर्ज करने के बाद नए कनेक्शन	दोष दर प्रति 100 उपभोक्ता/मास		दोष निवारण अगले कार्य दिवस तक		दोष निवारण का औसत समय	कॉल ड्रॉप (प्रति हजार कॉलें)	स्थानीय नेटवर्क में कॉल समापन	मीटरिंग व बिलिंग विश्वसनीयता-विवादित बिलों का %	प्रचालक की सहायता से ट्रंक कॉल (निर्धारित समय में दिए गए उत्तरों का प्रतिशत)		शिफ्टिंग	समाप्ति	अतिरिक्त सुविधा	कॉल-बैक होने वाले कॉलों का प्रतिशत		
सेवा की गुणवत्ता संबंधी ट्राई के दिनांक 5 जुलाई 2000 के विनियम के अनुरूप दीर्घकालिक बेंचमार्क लागू																			
			<7 दिन में 100%	<3	>90% (मास-1)	>90% (मास-2)	>90% (मास-3)	<8 घंटे	(क) स्थानीय एक्सचेंज के बीच जंक्शन (2/1000)	>65%	>0.1%	अत्यावश्यक कालें: <1 घंटा	सामान्य कालें: <2 घंटे	<3 दिन	<24 घंटे	<24 घंटे	1% (मास-1)	<1% (मास-2)	<1% (मास-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	बीएसएनएल	-	7.17	94.00	83.81	89.28	12.3	अ.सू.	4637/%	0.07	84.55	86.81	63.99	अ.सू.	अ.सू.	7.02	10.11	8.16
		रिलायंस	उ.न.	0.00	100.00	100.00	100.00	2.2	0.005	70.88%	0.14	उ.न.	उ.न.	100.00	100	100	0	0	0
		टाटा	89	1.13	97.82	98.02	97.25	5.15	0.002	76.91%	0.49	83.82	79.52	61.49	0.00	73.68	7.01	5.61	5.49
2.	बिहार	बीएसएनएल	अ.सू.	7.31	91.51	88.61	90.06	12	अ.सू.	58.20%	0.03	80.85	56.00	90.27	अ.सू.	अ.सू.	5.22	2.57	2.34
		रिलायंस	उ.न.	0.01	100.00	100.00	100.00	2.5	0.005	62.69%	0.20	उ.न.	उ.न.	100.00	100	100	0	0	0
3.	दिल्ली	एमटीएनएल	55	22.13	74.09	78.24	79.92	13.68	0.002	44.00%	0.14	81.39	77.54	65.37	98.80	82.46	13.28	11.87	11.99
		रिलायंस	उ.न.	0.09	100.00	100.00	100.60	2.2	0.005	72.58%	0.20	उ.न.	उ.न.	100.00	100	100	0	0	0
		भारती	64	2.74	97.92	98.53	99.16	3.89	0.5	51.07%	0.07	44	45.16	35.45	31.72	86.63	21.28	19.32	21.42
		टाटा	94	0.06	100.00	100.00	97.84	3.4	0.003	57.00%	0.68	99.063	99.823	44.32	0	75	0	0	0
4	गुजरात	बीएसएनएल	अ.सू.	6.65	94.49	96.10	96.07	10	अ.सू.	60.40%	0.09	88.37	86.26	74.75	अ.सू.	अ.सू.	5.77	5.48	5.87
		रिलायंस	उ.न.	0.00	100.00	100.00	100.60	2	0.005	72.58%	0.17	उ.न.	उ.न.	100.00	100	100	0	0	0
		टाटा	93	0.39	98.51	99.58	100.00	2.4	0.0004	52.65%	1.27	100	100	उ.न.	100	98	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.	म.प्र. व छत्ती.	बीएसएनएल (म.प्र.)	अ.सू.	7.98	87.46	86.92	87.76	12.33	अ.सू.	67.17%	0.13	88.11	85.62	62.22	अ.सू.	अ.सू.	2.89	2.77	3.24
		बीएसएनएल (छत्तीसगढ़)	अ.सू.	12.63	88.79	90.08	91.62	2.33	अ.सू.	62.33%	0.07	100.00	99.87	61.57	अ.सू.	अ.सू.	0.88	1.46	0.80
		रिलायंस	उ.न.	0.00	100.00	100.00	100.00	0.3	0.005	73.12%	0.19	उ.न.	उ.न.	100.00	अ.सू.	अ.सू.	0	0	0
		भारती	98	1.90	98.92	97.48	96.93	4.8	0	65.30%	0.06	80	उ.न.	58.05	10.00	94.89	2.50	1.55	1.91
6.	महाराष्ट्र	बीएसएनएल	अ.सू.	6.77	88.73	88.74	88.85	16.33	अ.सू.	59.13%	0.06	83.76	89.87	40.79	अ.सू.	अ.सू.	5.79	5.98	6.32
		रिलायंस	उ.न.	0.00	100.00	100.00	100.00	1.8	0.005	69.28%	0.17	उ.न.	उ.न.	100.00	100	100	0	0	0
		टाटा	उ.न.	1.20	99.66	99.42	99.70	1.55	0.008	56.94%	0.57	उ.न.	99	37.08	अ.सू.	43.44	6.72	6.12	6.24
7.	पंजाब	बीएसएनएल	अ.सू.	9.25	91.05	90.17	93.50	19	अ.सू.	62.40%	0.09	85.10	88.10	67.85	अ.सू.	अ.सू.	1.89	9.83	1.61
		रिलायंस	उ.न.	0.00	100.00	100.00	100.00	2.4	0.005	67.29%	0.20	उ.न.	उ.न.	100.00	100	100	0	0	0
		एचएफसीएल	96	7.32	97.06	95.90	92.94	8.48	0	75.67%	007	उ.न.	उ.न.	58.97	93.30	97.75	10.04	10.20	7.84
8.	राजस्थान	बीएसएनएल	अ.सू.	10.36	87.05	87.55	89.83	11	अ.सू.	59.53%	0.06	90.31	93.95	33.32	अ.सू.	अ.सू.	2.83	12.45	2.01
		रिलायंस	उ.न.	0.01	100.00	100.00	100.00	2.4	0.005	69.41%	0.12	उ.न.	उ.न.	100.00	100	100	0	0	0
		श्याम	98	3.09	98.48	99.23	99.79	5.2	0.001	66.00%	0.86	उ.न.	82.79	95.68	85	98	0.42	0.51	0.35
9.	तमिलनाडु	बीएसएनएल	अ.सू.	5.20	98.40	98.55	98.82	7.67	अ.सू.	70.40%	0.04	98.92	98.92	63.00	अ.सू.	अ.सू.	0.79	3.45	0.93
		रिलायंस	उ.न.	0.00	100	100	100	2.4	0.002	69.41%	0.12	उ.न.	उ.न.	100.00	100	100	0.00	0.00	0.00
		भारती	99	2.44	100	100	97	1.3	0.005	62.04%	0.19	उ.न.	उ.न.	100.00	100	100	0.00	000	000
		टाटा	70	0.27	99.77	98.28	99.09	2.52	0.0034	55.31%	0.35	64	72.72	9.33	89	58	4.39	3.74	3.85
10.	हरियाणा	बीएसएनएल	अ.सू.	9.17	92.04	92.54	92.90	14.33	अ.सू.	69.77%	0.07	74.61	20.69	48.39	अ.सू.	अ.सू.	3.35	3.36	7.10
		रिलायंस	उ.न.	0.01	100.00	100.00	100.00	1.7	0.005	64.63%	0.19	74.61	20.69	100.00	100.00	100	0.00	0.00	0.00
		भारती	86	3.04	94.99	99.59	100.00	5.24	0.5	49.38%	0.05	26	28	24.30	44.88	86.88	16.98	19.63	20.75
11.	कर्नाटक	बीएसएनएल		5.48	97.14	98.89	98.51	4	अ.सू.	58.13%	0.04	94.57	96.95	60.02	अ.सू.	अ.सू.	4.61	4.05	5.12
		रिलायंस	उ.न.	0.00	100.00	100.00	100.00	0.7314	0.005	73.14%	0.19	उ.न.	उ.न.	10.00	100	100	0	0	0
		भारती	60	0.76	99.89	99.52	99.47	2.4	0	60.44%	0.19	उ.न.	उ.न.	0.76	0.00	86	11.15	12.35	12.46
		टाटा	19	0.24	98.90	98.17	93.65	4.58	0.0002	54.97%	0.30	उ.न.	100	95.05	0	58	3	4	7
12.	अंडमान व निकोबार	बीएसएनएल	अ.सू.	7.56	94.12	93.62	96.83	41.3	अ.सू.	47.33%	0.12	8.00	73.15	95.85	अ.सू.	अ.सू.	16.28	6.38	1.44
		रिलायंस	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	अ.सू.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	100	100	उ.न.	उ.न.	उ.न.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13.	असम	बीएसएनएल	अ.सू.	8.21	94.86	93.65	95.70	24	अ.सू.	53.47%	0.09	93.39	77.3	40.76	अ.सू.	अ.सू.	1.03	1.02	0.79
14.	चेन्नई	रिलायंस	उ.न.	0.00	100.00	100.00	100.00	1.7	0.005	71.87%	0.19	उ.न.	उ.न.	100.00	100	100	0.00	0.00	0.00
		बीएसएनएल	अ.सू.	7.86	94.11	93.60	77.54	16.7	अ.सू.	71.17%	0.09	82.13	83.11	39.44	अ.सू.	अ.सू.	26.94	30.74	25.47
15.	हिमाचल प्रदेश	बीएसएनएल	उ.न.	10.05	96.33	94.14	95.72	8.33	अ.सू.	67.87%	0.06	86.31	82.01	61.90	अ.सू.	अ.सू.	2.09	1.33	0.81
		रिलायंस	उ.न.	0.00	10.00	100.00	100.00	1.2	0.005	66.63%	0.00	उ.न.	उ.न.	100.00	उ.न.	100	0	0	0
16.	झारखंड	बीएसएनएल	अ.सू.	7.22	92.08	89.58	90.94	17	अ.सू.	34.43%	0.05	94.57	96.95	अ.सू.	अ.सू.	अ.सू.	1.27	1.93	1.27
17.	जम्मू और कश्मीर	बीएसएनएल	अ.सू.	14.24	63.80	86.86	66.63	12.3	अ.सू.	42.53%	0.07	77.22	76.18	24.40	अ.सू.	अ.सू.	4.03	7.85	1.67
18.	केरल	बीएसएनएल	अ.सू.	6.73	92.10	93.67	93.47	13.3	अ.सू.	67.80%	0.04	94.91	97.98	45.80	अ.सू.	अ.सू.	5.74	6.33	6.29
		रिलायंस	उ.न.	0.00	100.00	100.00	100.00	2.8	0.005	66.02%	0.20	उ.न.	उ.न.	100.00	100	100	0	0	0
19.	कोलकाता	बीएसएनएल	अ.सू.	7.06	90.72	100.00	91.10	28	अ.सू.	53.50%	0.08	67.12	80.51	40.13	अ.सू.	अ.सू.	4.78	3.87	4.78
		रिलायंस	उ.न.	0.00	100.00	100.00	100.00	1.8	0.005	72.78%	0.19	उ.न.	उ.न.	100.00	100	100	0.00	0.00	0.00
20.	मुम्बई	रिलायंस	अ.सू.	0.00	100.00	100.00	100.00	1.9	0.005	71.93%	0.19	उ.न.	उ.न.	100.00	100	100	0.00	0.00	0.00
		एम.टी.एन.एल.	17	7.89	74.09	76.24	79.92	27.3	0.009	84.78%	0.00	73.43	74.92	14.01	100	100	13.28	11.87	11.99
21.	उत्तर पूर्व-1	बीएसएनएल	अ.सू.	4.94	70.46	68.85	74.54	40	अ.सू.	44.40%	0.10	87.95	85.50	अ.सू.	अ.सू.	अ.सू.	8.57	6.49	1.38
22.	उत्तर पूर्व-2	बीएसएनएल	अ.सू.	8.54	94.74	88.14	85.98	20.3	अ.सू.	44.70%	0.11	80.42	71.71	10.56	अ.सू.	अ.सू.	3.48	1.94	3.07
23.	उड़ीसा	बीएसएनएल	अ.सू.	6.89	93.02	97.83	93.28	9.33	अ.सू.	73.90%	0.23	75.00	91.91	27.32	अ.सू.	अ.सू.	0.71	2.17	1.32
		रिलायंस	उ.न.	0.01	100.00	100.00	100.00	09	0.005	68.25%	0.19	उ.न.	उ.न.	100.00	100	100	0	0	0
24.	उ.प्रदेश (पूर्व)	बीएसएनएल	अ.सू.	12.54	35.10	88.21	89.00	9	अ.सू.	66.53%	0.02	80.02	86.24	41.27	अ.सू.	अ.सू.	0.41	0.01	1.03
		रिलायंस	उ.न.	0.01	100.00	100.00	100.00	1.3	0.005	62.04%	0.18	उ.न.	उ.न.	100.00	100	100	0	0	0
25.	उ.प्रदेश (पश्चिम)	बीएसएनएल	अ.सू.	8.02	95.41	96.41	96.84	5	अ.सू.	53.47%	0.04	92.30	87.16	47.99	अ.सू.	अ.सू.	3.86	4.34	3.16
		रिलायंस	उ.न.	0.01	100.00	100.00	100.00	2.2	0.005	66.36%	0.08	उ.न.	उ.न.	100.00	100	100	0	0	0
26.	उत्तरांचल	बीएसएनएल	अ.सू.	10.80	97.92	90.79	91.76	6	अ.सू.	66.53%	0.02	80.02	86.24	41.27	अ.सू.	अ.सू.	1.35	1.38	1.43
27.	पश्चिम बंगाल	बीएसएनएल	अ.सू.	7.52	87.38	89.84	89.82	21	अ.सू.	55.67%	0.05	86.40	92.17	36.85	अ.सू.	अ.सू.	1.59	1.50	1.58
		रिलायंस	उ.न.	0.04	100.00	100.00	100.00	2.2	0.005	67.90%	0.08	उ.न.	उ.न.	100.00	100	100	0	0	0

विहित वेधमार्क पूरा करने वाले प्रचालक

उ.न.—उपलब्ध नहीं

अ.सू.—असूचित

विवरण II

31 मार्च, 2004 को समाप्त तिमाही के लिए सी एम पी एस द्वारा यथा-सूचित सेल्युलर सेवाओं हेतु सेवा-गुणवत्ता संबंधी ब्यौरे

क्र.सं.	सर्किलों सहित प्रचालक	दोष संबंधी घटनाएं व मरम्मत (1) दोषों की संख्या (प्रति 100 उपभोक्ता)	(2) 24 घंटे के भीतर ठीक किए गए दोष	(3) सूचना से अलग-अलग हटने का औसत समय	नेटवर्क निष्पादन (1) सर्विसप्रदाता के अपने नेटवर्क के भीतर कॉल सफलता दर	(2) सेवा अभिगम्यता में विलम्ब	(3) कॉल ड्राप दर	(4) अच्छी अथवा गुणवत्ता सहित कनेक्शनों का प्रतिशत	बिल संबंधी शिकायत (1) जारी किए गए प्रति 100 बिलों की शिकायतें	(2) 4 सप्ताह के भीतर समाधान-शुदा शिकायतों का प्रतिशत	(3) उक्त (2) में समाधानित शिकायतों के समाधान की तिथि से उपभोक्ताओं के देय राशि वापिस किए गए भुगतानों की अवधि
		<1	100%	<24 घंटे	>95%	9 से 20 सेकेंड	<3%	<95%	<1%	100%	<4 सप्ताह
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	'क' सर्किल										
1.	बीपीएल, महाराष्ट्र	1.72%	59.00%	53.42 घंटे	99.92%	5 सेकेंड	1.45%	98.25%	0.10%	100.00%	28 दिन
2.	आईडिया सेल्युलर, महाराष्ट्र	0.00%	100.00%	105.43 घंटे	96.59%	13.58 सेकेंड	1.22%	98.54%	0.07%	100.00%	30 दिन
3.	बीएसएनएल, महाराष्ट्र	1.63%	31.00%	50 घंटे	86.10%	2.37 सेकेंड	1.43%	उ.न.	2.00%	95.00%	28 दिन
4.	भारती सेल्युलर, महा. व गोवा	0.60%	100.00%	22.34 घंटे	99.17%	9.43 सेकेंड	1.09%	95.85%	0.43%	100.00%	28 दिन
5.	फासेल-हच गुजरात	0.00%	100.00%	74.45 घंटे	99.99%	14.54 सेकेंड	1.40%	96.70%	0.00%	100.00%	25 दिन
6.	आईडीईए सेल्युलर, गुजरात	0.00%	100.00%	3.45 घंटे	99.00%	13.96 सेकेंड	1.14%	97.90%	0.08%	100.00%	28 दिन
7.	बीएसएनएल, गुजरात	1.50%	99.08%	शून्य	99.01%	2.08 सेकेंड	1.18%	उ.न.	0.02%	100.00%	14 दिन
8.	भारती सेल्युलर, गुजरात	0.01%	100.00%	18.62 घंटे	99.23%	16.53 सेकेंड	1.09%	96.95%	0.04%	100.00%	14 दिन
9.	आईडीईए सेल्युर, आंध्र प्रदेश	0.00%	100.00	15.18 hrs	99.97%	9.52 सेकेंड	1.80%	98.45%	0.08%	100.00%	2 दिन
10.	भारती मोबाइल, आंध्र प्रदेश	0.05%	100.00%	11 घंटे	99.01%	15.77 सेकेंड	1.21%	98.45%	0.07%	100.00%	30 दिन
11.	बीएसएनएल, आंध्र प्रदेश	0.10%	94.91%	0	98.00%	6 सेकेंड	1.76%	98.00%	0.08%	83.00%	28 दिन
12.	हुत्चीसन एस्सार, आंध्र प्रदेश	1.00%	95.00%	24 घंटे	90.68%	5 सेकेंड	1.17%	94.00%	0.04%	100.00%	28 दिन
13.	भारती मोबाइल, कर्नाटक	0.04%	100.00%	10.53 घंटे	99.06%	10 सेकेंड	1.80%	95.60%	0.02%	100.00%	28 दिन
14.	स्पाइस कम्युनिकेशन, कर्नाटक	0.20%	100.00%	4.01 घंटे	99.80%	9 सेकेंड	1.32%	98.39%	0.10%	100.00%	14 दिन
15.	बीएसएनएल, कर्नाटक	0.60%	100.00%	7 घंटे	86.06%	9 सेकेंड	1.24%	96.00%	1.00%	100.00%	14 दिन
16.	हुत्चीसन एस्सार, कर्नाटक	0.05%	99.00%	82 घंटे	97.50	3.48 सेकेंड	1.10%	98.22%	0.15%	100.00%	2 दिन
17.	बीपीएल सेल्युलर, तमिलनाडु	0.16%	100.00%	20.24 घंटे	99.10%	9.23 सेकेंड	1.27%	99.24%	0.10%	100.00%	28 दिन
18.	एअरसेल, तमिलनाडु	–	–	–	–	–	-	–	–	–	–
19.	बीएसएनएल, तमिलनाडु	1.60%	97.05%	शून्य	87.52%1	10.47 सेकेंड	1.17%	97.80%	1.24%	100.00%	14 दिन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	भारती सेल्युलर, तमिलनाडु	0.10%	100.00%	21 घंटे	99.06%	15.62 सेकेंड	1.32%	97.69%	0.06%	100.00%	4 दिन
(2)	'ख' सर्किल										
21.	एस्कोटल मोबाइल, केरल	0.27%	100.00%	1.14 घंटे	99.94%	14 सेकेंड	1.30%	97.50%	0.12%	100.00%	28 दिन
22.	बीपीएल सेल्युलर, केरल	0.00%	100.00%	6.14 घंटे	99.07%	8.89 सेकेंड	1.16%	100.00%	0.00%	100.00%	28 दिन
23.	बीएसएनएल, केरल	1.80%	94.00%	99.36 घंटे	87.21%	17.28 सेकेंड	1.54%	87.00%	170.50%	85.00%	30 दिन
24.	भारती सेल्युलर, केरल	0.12%	100.00%	18 घंटे	99.01%	18.26 सेकेंड	1.76%	99.30%	0.10%	100.00%	4 दिन
25.	स्पाइस सेल्युलर, पंजाब	0.25%	98.60%	0	98.50%	7 सेकेंड	1.25%	97.50%	0.02%	100.00%	1 दिन
26.	भारती मोबाइल, पंजाब	0.03%	100.00%	4.1 घंटे	99.20%	10 सेकेंड	1.50%	99.60%	0.07%	100.00%	1 दिन
27.	बीएसएनएल, पंजाब	0.00%	95.08%	545 घंटे	98.00%	4.8 सेकेंड	0.67%	91.00%	2.69%	95.42%	98%
28.	इस्कोटेल मोबाइल, हरियाणा	0.21%	100.00%	14.15 घंटे	99.72%	15 सेकेंड	1.31%	99.11%	0.05%	100.00%	28 दिन
29.	एयरसेल, डिजिलिंक, हरियाणा	0.02%	99.80%	29.26 घंटे	99.72%	8.7 सेकेंड	1.83%	99.80%	0.26%	78.00%	8 दिन
30.	बीएसएनएल, हरियाणा	0.60%	99.63%	17 घंटे	95.0%	5.6 सेकेंड	2.86%	97.25%	0.19%	100.00%	21 दिन
31.	भारती सेल्यूलर, हरियाणा	0.08%	100.00%	4.2 घंटे	99.30%	9 सेकेंड	1.60%	99.70%	0.07%	100.00%	1 दिन
32.	एस्कोटेल मोबाइल, उ.प्र. (प.)	0.10%	100.00%	11.23 घंटे	99.50%	12.7 सेकेंड	1.27%	95.95%	0.29%	10.00%	28 दिन
33.	बीएसएनएल, उ.प्र. (प.)	1.00%	85.00%	उ.न.	100.00%	17.38 सेकेंड	2.69%	98.50%	0.24%	100.00%	उ.न.
34.	भारती सेल्यूलर उ.प्र. (प.)	0.75%	100.00%	18.4 hrs	99.42%	12 सेकेंड	1.84%	96.40%	0.09%	100.00%	28 दिन
35.	एयरसेल डिजिलिंक, उ.प्र. (पूर्व)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36.	बीएसएनएल, उ.प्र. (पूर्व)	0.60%	99.17%	3 घंटे	96.00%	4 सेकेंड	2.73%	94.00%	0.08%	100.00%	उ.न.
37.	एयरसेल, डिजिलिंक, राजस्थान	0.01%	52.00%	89.3 घंटे	100.00%	8.7 सेकेंड	1.76%	97.53%	07%	10.00%	16 दिन
38.	हेक्साकाम, राजस्थान	1.09%	67.52%	87.4 घंटे	98.10%	6 सेकेंड	1.45%	92.02%	0.03%	100.00%	1 दिन
39.	बीएसएनएल, राजस्थान	0.60%	92.35%	8.86 घंटे	98.51%	5.38%	1.65%	93.37%	0.65%	92.92%	28 दिन
40.	आइडिया सेल्यूलर, मध्य प्रदेश	0.20%	98.50%	43.2 घंटे	99.07%	12.32 सेकेंड	1.13%	97.95%	0.85%	100.00%	28 दिन
41.	रिलायंस, मध्य प्रदेश	0.01%	100.00%	17.36 घंटे	100.00%	8.73 सेकेंड	2.75%	96.96%	0.04%	100.00%	1 दिन
42.	बीएसएनएल, मध्य प्रदेश	1.20%	96.48%	उ.न.	94.41%	2.59 सेकेंड	1.29%	99.00%	0.06%	100.00%	28 दिन
43.	भारती सेल्यूलर, मध्य प्रदेश	0.00%	100.00%	.5 घंटे	99.91%	13.44 सेकेंड	0.83%	99.03%	0.09%	100.00%	14 दिन
44.	रिलायंस, पश्चिम बंगाल	0.01%	100.00%	21.42 घंटे	99.00%	9.26 सेकेंड	2.66%	97.92%	0.00%	उ.न.	उ.न.
45.	बीएसएनएल, पश्चिम बंगाल	0.90%	100.00%	शून्य	99.15%	5.66 सेकेंड	2.73%	96.65%	0.00%	100.00%	शून्य
(3)	'ग' सर्किल										
46.	भारतीय टेलीनेट, हिमाचल प्रदेश	0.06%	100.00%	4.4 घंटे	99.04%	10 सेकेंड	1.65%	99.80%	0.06%	100.00%	1 दिन
47.	रिलायंस, हिमाचल प्रदेश	0.12%	100.00%	21.15 घंटे	100.00%	7.55 सेकेंड	1.96%	99.09%	0.00%	100.00%	10 दिन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.	बीएसएनएल, हिमाचल प्रदेश	1.10%	77.58%	शून्य	85.85%	6.1 सेकेंड	3.24%	91.40%	0.19%	100.00%	शून्य
49.	रिलायंस, बिहार	0.02%	100.00%	53.74 घंटे	99.00%	8.64 सेकेंड	2.02%	95.67%	0.00%	100.00%	7 दिन
50.	बीएसएनएल, बिहार	0.06%	85.30%	9 घंटे	97.27%	7.27 सेकेंड	1.40%	92.95%	0.09%	99.90%	28 दिन
51.	रिलायंस, उड़ीसा	0.14%	100.00%	11.10 घंटे	99.72%	8.44 सेकेंड	2.27%	97.20%	0.00%	100.00%	उ.म.
52.	बीएसएनएल, उड़ीसा	0.36%	89.96%	100.87 घंटे	82.25%	7 सेकेंड	2.47%	96.00%	0.70%	100.00%	शून्य
53.	रिलायंस, असम	0.00%	100.00%	शून्य	99.00%	9.86 सेकेंड	2.08%	96.85%	0.08%	100.00%	उ.म.
54.	बीएसएनएल, जम्मू व कश्मीर	070%	0.90%	16 घंटे	48.00%	16 सेकेंड	2.30%	96.00%	0.12%	100.00%	उ.म.
55.	रिलायंस, पूर्वोत्तर	0.00%	100.00%	0	99.00%	9.50 सेकेंड	1.33%	99.02%	0.02%	100.00%	2 दिन
(4)	**महानगर (मैट्रो)**										
56.	भारती सेल्युलर, दिल्ली	0.34%	100.00%	0	99.32%	12 सेकेंड	1.67%	96.13%	0.10%	100.00%	28 दिन
57.	हुत्चीसन एस्सार, दिल्ली	1.00%	100.00%	0	99.98%	10 सेकेंड	1.38%	95.25%	0.03%	100.00%	28 दिन
58.	एमटीएनएल, दिल्ली	0.18%	98.00%	0	98.20%	13 सेकेंड	1.01%	99.00%	0.10%	100.00%	28 दिन
59.	आई.डी.ई.ए. सेल्युलर, दिल्ली	0.15%	98.77%	0	99.98%	7 सेकेंड	1.30%	97.06%	0.20%	100.00%	30 दिन
60.	बीपीएल मोबाइल, मुंबई	0.32%	100.00%	4.03 घंटे	94.82%	16.5 सेकेंड	1.64%	98.80%	0.10%	100.00%	40 दिन
61.	हुत्चीसन मैक्स, मुंबई	0.32%	100.00%	24 घंटे	100.00%	10 सेकेंड	1.56%	96.85%	0.00%	100.00%	28 दिन
62.	एमटीएनएल, मुंबई	0.01%	100.00%	0	98.50%	11.66 सेकेंड	1.62%	97.33%	0.01%	99.33%	42 दिन
63.	भारती सेल्युलर, मुंबई	0.40%	100.00%	0	99.10%	9 सेकेंड	1.48%	97.00%	0.08%	100.00%	25 दिन
64.	एयरसैल सेल्युलर लि., चेन्नई	0.22%	100.00%	3.4 घंटे	100.00%	14.5 सेकेंड	1.44%	95.10%	0.40%	100.00%	28 दिन
65.	भारती एमक्वीनेट, चेन्नई	0.06%	99.00%	0	99.50%	11.2 सेकेंड	0.89%	98.28%	0.10%	100.00%	4 दिन
66.	हुत्चीसन एस्सार, चेन्नई	1.00%	100.00%	0	100.00%	9.2 सेकेंड	0.73%	98.60%	3.70%	92.00%	30 दिन
67.	भारती मोबिनेट, कोलकाता	0.46%	100.00%	0	99.66%	15 सेकेंड	1.59%	97.13%	0.10%	100.00%	28 दिन
68.	हुत्चीसन, कोलकाता	0.02%	100.00%	8.98 घंटे	99.75%	17 सेकेंड	0.97	96.36%	0.10%	100.00%	28 दिन
69.	बीएसएनएल, कोलकाता	4.60%	86.63%	0	98.44%	7 सेकेंड	1.56%	98.36%	0.50%	100.00%	शून्य
70.	बीएसएनएल, चेन्नई	0.52%	100.00%	शून्य	98.61%	12.20 सेकेंड	0.54%	100.00%	0.77%	98.00%	14 दिन
टिप्पणी:											
एनए - आंकड़े अनुपलब्ध		1	1	2	1	1	1	1	1	1	7
बेंचमार्क (मानदंड-लक्ष्य) अपूर्ण		9	26	13	24	0	1	8	23	10	3
बेंचमार्क पूर्ण		60	43	55	45	69	68	61	46	59	60
जोड़		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

सेवा प्रदाता बेंचमार्क पूरा नहीं करते

[अनुवाद]

विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का दौरा

466. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 2004 से आज तक किन विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने भारत का दौरा किया है;

(ख) इनमें से प्रत्येक गणमान्य व्यक्ति के साथ किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किए गए;

(ग) कृषि उत्पादों संबंधी समझौते के साथ-साथ उन द्विपक्षीय समझौतों का ब्यौरा क्या है जिन पर उनके साथ हस्ताक्षर हुए; और

(घ) सरकार द्वारा अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (ग) मार्च से जून 2004 तक विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की भारत यात्रा का देश-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

भूटान

भूटान के विदेश मंत्री श्री ल्योनपो खांडू वांगचुक ने 7-10 जून, 2004 तक भारत का दौरा किया। सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग से संबंधित मसलों सहित अन्य मसलों पर द्विपक्षीय चर्चा हुई। यात्रा के दौरान कोई करार संपन्न नहीं किया गया।

बंगलादेश

बंगलादेश के विदेश मंत्री श्री मोर्शेद खान ने 31 मई से 4 जून, 2004 तक भारत का दौरा किया। वे बंगलादेश की प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में आये और उन्होंने प्रधानमंत्री और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की नेता को बंगलादेश यात्रा का निमंत्रण दिया।

इस यात्रा के दौरान कोई द्विपक्षीय करार संपन्न नहीं किया गया।

श्रीलंका

श्रीलंका के विदेश मंत्री श्री लक्ष्मण कादिरगमर ने 28-29 अप्रैल, 2004 और पुन: 30 से 2 जून, 2004 तक भारत का दौरा किया।

दोनों अवसरों पर वे द्विपक्षीय यात्रा पर आये थे।

यात्रा के दौरान कोई द्विपक्षीय करार संपन्न नहीं किया गया।

थाइलैंड

थाइलैंड के विदेश मंत्री श्री सुराकिरत सथिरथाई ने 8-11 जून, 2004 तक भारत का दौरा किया।

यह यात्रा मुख्यत: नई सरकार के साथ संपर्क बनाने के लिए थी। तथापि इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर चर्चा की गयी।

कोई द्विपक्षीय करार संपन्न नहीं किया गया।

ईरान

इरान के न्यायपालिका प्रमुख अयातोल्ला शहरौदी ने 9-15 मार्च, 2004 तक भारत का दौरा किया।

द्विपक्षीय संबंधों के संवर्द्धन, विशेषकर न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में संबंधों के विकास पर चर्चा की गयी। जनवरी, 2003 में दोनों देशों के बीच संपन्न सामरिक सहयोग योजना के संबद्ध समझौता ज्ञापन के अनुसरण में दोनों देश राजनैतिक वार्ता, ऊर्जा, व्यापार और परगमन तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संकेन्द्रित दृष्टिकोण अपना रहे हैं।

यात्रा के दौरान कोई द्विपक्षीय करार संपन्न नहीं किया गया।

जांजीबार

जांजीबार के राष्ट्रपति महामहिम श्री अमानी अबेद करूमे ने 8-12 मार्च, 2004 तक भारत का दौरा किया।

विभिन्न मसलों पर विचार-विमर्श किये गये जिसमें शामिल हैं—अपने-अपने देशों में लोकतंत्र को मजबूत बनाने का महत्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति, जांजीबार के शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा पुस्तकों, शैक्षिक किटों, कम्प्यूटरों तथा अस्पताल उपकरण उपलब्ध कराने के जरिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जांजीबार की सहायता करना। चावल की खेती, विशेषकर चावल के बीजों के अनुसंधान के जरिए जांजीबार को सहायता करने के संबंध में चर्चा की गयी।

यात्रा के दौरान कोई द्विपक्षीय करार संपन्न नहीं किया गया।

पश्चिमी अफ्रीका नई दिल्ली में टीम-9 की बैठक

टीम-9 (भारत अफ्रीका आंदोलन के लिए तकनीकी-आर्थिक दृष्टिकोण) के विदेश मंत्रियों/प्रभारी मंत्रियों ने टीम-9 की बैठक में भाग लेने के लिए 29 फरवरी से 3 मार्च तक भारत का दौरा किया।

कृषि, सिंचाई, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य, संचार, लघु उद्योग, मानव संसाधन विकास, रोजगार और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग जैसे व्यापक विषयों पर चर्चा की गई।

तकनीकी और आर्थिक सहयोग एवं प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के 8 अफ्रीकी देशों नामत: बुर्किना, फासो, चाड, इक्वेटोरियल, गिनी, घाना, ब्यूनिया बिसाऊ, आइवरी कोस्ट, माली और सेनेगल के बीच एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने इन दक्षिण अफ्रीकी देशों की परियोजनाओं और आधारभूत संरचना विकास के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला की घोषणा की।

यू.के.

उप प्रधान मंत्री श्री जान प्रेसकोट ने 24-25 जून, 2004 को यू.के. के प्रधानमंत्री के एक विशेष दूत के रूप में भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और वे विदेश मंत्री से भी मिले। उप प्रधानमंत्री ने यू.के. के प्रधानमंत्री श्री टोनी ब्लेयर के पत्र प्रधानमंत्री को सौंपे। इससे पूर्व विदेश मंत्री ने 16 जून, 2004 को यू.के. की यात्रा की। यू.के. के साथ विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

अमरीका

श्री कोलिन पावेल, अमरीकी विदेश मंत्री ने 15 मार्च, 2004 को भारत की सरकारी यात्रा की।

दोनों पक्षों ने सभी द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

दौरे के दौरान कोई द्विपक्षीय करार संपन्न नहीं किया गया।

ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (आई बी एस ए)

ब्राजील के विदेश मंत्री महामहिम श्री सेसलो अमोरिन और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री महामहिम डा. कोसाजाना दलामिनि जुमा ने भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका वार्ता मंच के त्रिपक्षीय आयोग की प्रथम बैठक के लिए विदेश मंत्री के निमंत्रण पर 4-5 मार्च, 2004 को भारत की यात्रा की। बैठक के अंत में तीनों विदेश मंत्रियों ने नई दिल्ली सहयोग कार्यसूची और कार्य योजना को पारित किया।

अन्य देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना एक सतत प्रक्रिया है।

भारत संचार निगम लिमिटेड को महारत्न का दर्जा

467. श्री कैलाश मेघवाल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने महारत्न दर्जा दिए जाने हेतु सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी की वित्तीय स्थिति क्या रही है; और

(घ) सरकार द्वारा बी.एस.एन.एल. को महारत्न का दर्जा दिए जाने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) अगस्त, 2001 के दौरान बीएसएनएल ने सरकार से इसे महारत्न का दर्जा देने का अनुरोध किया था। बाद में नवंबर, 2001 में बीएसएनएल ने अपने प्रस्ताव को संशोधित किया और यह अनुरोध किया कि उसे केवल नवरत्न का ही दर्जा प्रदान किया जाए।

(ग) बीएसएनएल की विगत तीन वर्षों अर्थात् 2000-01 से 2002-03 की वित्तीय स्थिति की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) भारत संचार निगम लिमिटेड को महारत्न दर्जा देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि लोक उद्यम विभाग द्वारा ऐसे किसी दर्जे को मान्यता नहीं दी गई है।

विवरण

बीएसएनएल की विगत तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति

विवरण (राशि करोड़ रुपयों में)

	2000-01	2001-02	2002-03
आय	11699.48	24681.69	25892.60
लाइसेंस शुल्क प्रतिपूर्ति	0.00	2300.00	2300.00
कर्मचारियों का पारिश्रमिक	2070.07	3848.45	6266.03
प्रशासनिक, वित्तीय तथा अन्य व्यय	3168.03	4131.81	6285.78
लाइसेंस तथा स्पेक्ट्रम शुल्क	1573.25	3403.12	3431.58
मूल्यह्रास	3858.08	8746.13	9551.31
कर पूर्व लाभ	1030.05	6852.18	2657.90
कर	283.00	540.01	1213.45
कर के बाद लाभ	747.05	6312.17	1444.45

टिप्पणी: वर्ष 2000-01 के आंकड़े केवल 31.3.2001 को समाप्त छमाही अवधि के हैं।

स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना में विलंब

468. **श्री एन.एन. कृष्णदास:**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री नीतीश कुमार:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री बीर सिंह महतो:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में स्वर्ण चतुर्भुज सड़क परियोजना के पूरा होने का कार्य मूल समय सीमा से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन सड़कों का राज्य-वार और लंबाई-वार ब्यौरा क्या है जिन पर कार्य मूल समय सीमा से पीछे चल रहा है;

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब होने के कारण उन पर होने वाले संभावित अतिरिक्त व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) संपूर्ण परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) सलेम-कोचीन राष्ट्रीय राजमार्ग-47 एक्सप्रेस हाइवे पर अब तक कितनी प्रगति हुई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) चालू परियोजनाओं, जिन्हें पूरा करने की मूल संविदा तारीख के अनुसार पूरा नहीं किया गया है, के राज्यवार और लंबाई वार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

राज्य	लंबाई (कि.मी.)
1	2
उत्तर प्रदेश	14
बिहार	85
पश्चिम बंगाल	182
उड़ीसा	388

1	2
आंध्र प्रदेश	449
तमिलनाडु	201
राजस्थान	157
गुजरात	80
महाराष्ट्र	162
कर्नाटक	95

(ग) आशा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज को अनुमोदित मूल लागत में ही पूरा कर लिया जाएगा।

(घ) इस परियोजना को काफी हद तक दिसंबर, 2004 तक पूरा कर लिया जाएगा। इलाहाबाद बाइपास को छोड़कर संपूर्ण परियोजना को वर्ष 2005 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(ङ) रा.रा.-47 के सलेम-कोचीन खंड को उत्तर-दक्षिण महामार्ग के एक खंड के भाग के रूप में 4-6 लेन का बनाया जाना है। सलेम-अंगामाली खंड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अंगामाली से कोचीन तक चार लेन का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है।

पत्तनों को सड़क और रेल मार्ग से जोड़ना

469. श्री अनन्त नायक: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ पत्तनों को सड़क और रेल मार्ग से जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार पत्तन-वार स्थिति क्या है; और

(ग) यह सुविधा शेष पत्तनों को मुहैया कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) सभी 12 महापत्तनों को सड़क तथा रेल मार्ग से जोड़ा गया है।

(ख) और (ग) सड़क तथा रेल सम्पर्क मार्ग की पत्तन-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। तथापि, महापत्तनों के सम्पर्क मार्गों में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

सड़क सम्पर्क

(1) कोलकाता पत्तन: कोलकाता डाक सिस्टम राष्ट्रीय राजमार्ग-6, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-34 से जुड़ा हुआ है। हल्दिया डाक परिसर राष्ट्रीय राजमार्ग-41 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-6 से जुड़ा हुआ है।

(2) पारादीप पत्तन: रा.रा.-5ए पारादीप पत्तन को कोलकाता तथा चेन्नई के बीच रा.रा.-5 मार्ग पर चान्दीकोहले के साथ जोड़ता है।

(3) विशाखापत्तनम पत्तन: यह पत्तन रा.रा.-5 से जुड़ा हुआ है।

(4) इन्नौर पत्तन: यह पत्तन रा.रा.-4, रा.रा.-5 तथा रा.रा.-45 से जुड़ा है।

(5) चेन्नई पत्तन: यह पत्तन रा.रा.-4, रा.रा.-5 तथा रा.रा.-45 से जुड़ा है।

(6) तूतीकोरिन पत्तन: यह पत्तन रा.रा.-7ए तथा रा.रा.-45 बी से जुड़ा हुआ है। मुख्य जिला सड़क पूर्वी तट के साथ-साथ त्रिचिन्दूर होते हुए कन्याकुमारी से जोड़ती है।

(7) कोचीन पत्तन: पत्तन रा.रा.-47, रा.रा.-49 तथा रा.रा.-17 से जुड़ा हुआ है।

(8) नव मंगलूर पत्तन: यह पत्तन रा.रा.-17 तथा रा.रा. मार्ग-48 से जुड़ा हुआ है।

(9) मुरगांव पत्तन: यह पत्तन रा.रा.-17 से जुड़ा हुआ है।

(10) मुम्बई पत्तन: यह पत्तन रा.रा.-3 तथा 4 से जुड़ा हुआ है।

(11) जवाहर लाल नेहरू पत्तन: यह पत्तन रा.रा. 4बी रा.रा.-17 तथा राज्य राजमार्ग-54 से जुड़ा हुआ है।

(12) कांडला पत्तन: यह पत्तन रा.रा. 8ए से जुड़ा हुआ है।

रेल सम्पर्क

(1) कोलकाता पत्तन: कोलकाता डाक सिस्टम पूर्वी रेलवे से जुड़ा हुआ है तथा हल्दिया डाक परिसर दक्षिण पूर्वी रेलवे के साथ जुड़ा हुआ है।

(2) पारादीप पत्तन: यह पत्तन पूर्वी तटीय रेलवे से जुड़ा हुआ है।

(3) विशाखापत्तनम: यह पत्तन पूर्वी तटीय रेलवे से जुड़ा हुआ है।

(4) इन्नौर पत्तन: यह पत्तन दक्षिण तटीय रेलवे से जुड़ा हुआ है।

(5) चेन्नई पत्तन: यह पत्तन दक्षिण तटीय रेलवे से जुड़ा हुआ है।

(6) तूतीकोरिन: यह पत्तन दक्षिण तटीय रेलवे से जुड़ा हुआ है।

(7) कोचीन पत्तन: यह पत्तन दक्षिण तटीय रेलवे से जुड़ा हुआ है।

(8) नव मंगलूर पत्तन: यह पत्तन दक्षिण तथा कोंकण रेलवे से जुड़ा हुआ है।

(9) मुरगांव पत्तन: यह पत्तन दक्षिण-पश्चिम तथा कोंकण रेलवे से जुड़ा हुआ है।

(10) मुम्बई पत्तन: यह पत्तन पश्चिम तथा मध्य रेलवे से जुड़ा हुआ है।

(11) जवाहरलाल नेहरू पत्तन: यह पत्तन मध्य, पश्चिम तथा कोंकण रेलवे से जुड़ा हुआ है।

(12) कांडला पत्तन: यह पत्तन पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम रेलवे से जुड़ा हुआ है।

महानगरों में अस्पतालों में व्याप्त समस्याएं

470. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चारों महानगरों के बड़े अस्पताल श्रमशक्ति और आवश्यक उपकरणों की बेहद कमी की वजह से काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इन अस्पतालों को अपेक्षित विद्युत प्राप्त नहीं हो रही है जिसकी वजह से विभिन्न मशीनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके निदान हेतु क्या विशिष्ट योजना बनाई गई है/बनाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, यह संबंधित राज्य सरकारों का काम है कि वे अपने अस्पतालों में अपेक्षित कार्मिक शक्ति और उपकरणों की उपलब्धता और उनका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करें।

केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में विद्युत की कमी के कारण किसी भी मशीन का अल्प उपयोग नहीं हुआ है। इन अस्पतालों में रिक्तियों को भरने और अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं जो एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

पड़ोसी देशों द्वारा क्षेत्रों पर अवैध कब्जा

471. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ पड़ोसी देशों ने हमारे देश के कतिपय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने हमारे क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है और इसका कुछ भाग चीन को दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) पड़ोसी देशों के कब्जे से आज तक मुक्त कराये गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस हद तक उठाया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (च) भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा संबंधी मसले हैं जिनका समाधान किया जाना है। चीन ने अब भी जम्मू और कश्मीर राज्य में लगभग 38,000 वर्ग कि.मी. जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान ने भी लगभग 78,000 वर्ग कि.मी. पर अवैध और जबरन कब्जा कर रखा है। तथाकथित "चीन-पाकिस्तान सीमा करार, 1963" के अंतर्गत पाकिस्तान ने 5,180 वर्ग कि.मी. भारतीय जमीन अवैध रूप से चीन को हस्तांतरित कर दिया।

भारत और चीन शांतिपूर्ण परामर्शों के जरिए सीमा प्रश्न का एक उचित, न्यायसंगत और आपसी स्वीकार्य हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधान मंत्री की चीन यात्रा के दौरान 23 जून,

2003 को जारी किये गये संबंधों और व्यापक सहयोग के सिद्धांतों से संबद्ध घोषणा में भारत और चीन इस बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों सीमा विवाद का समाधान निकालने के लिए राजनैतिक दृष्टि से कोई उपाय निकालने के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। शिमला समझौते के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान सभी अनसुलझे मसले का शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय आधार पर समाधान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों से विदेशी मुद्रा की आवक

472. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपके मंत्रालय ने अनिवासी भारतीयों से विदेशी मुद्रा की आवक कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी ऋण के बारे में सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में अनिवासी भारतीयों से विदेशी मुद्रा के आवक के संबंध में की गयी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त सिफारिशों पर क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है। जैसे ही सूचनाएं प्राप्त होंगी। उन्हें सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

स्वीकृत संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाएं

473. श्री सुनील खां: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003-2004 के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं की स्वीकृत योजनाओं को शीघ्र जारी किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) क्या ब्लाक स्तर के कार्यकारी अधिकारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) और (ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एक सतत योजना है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु, निधियां दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी की जाती हैं। जिला प्रशासन, स्वीकृत कार्यों के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियां जारी करता है। वर्ष 2003-04 के लिए पात्र मामलों हेतु निधियां जारी की जा चुकी हैं। 1580 करोड़ रु. के बजट प्राक्कलन के अनुसार, 2003-04 के दौरान 102 करोड़ रु. की राशि की अतिरिक्त अनुदान मांग सहित 1682 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 2.1 में यह दिया गया है:- "कार्यान्वयन अभिकरणों में सरकारी या पंचायती राज संस्थाएं अथवा कोई अन्य प्रसिद्ध गैर-सरकारी संस्थाएं आ सकती हैं, जिन्हें जिलाधिकारी निर्माण कार्यों के संतोषजनक कार्यान्वयन करवाने में सक्षम समझते हैं.....जिलाधिकारी उस अभिकरण को अभिज्ञापित करेंगे जिसके माध्यम से संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित कोई खास कार्य निष्पादित किया जाना है"। संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित कार्यों के कार्यान्वयन के लिए ब्लाक भी एक अभिकरण के रूप में कार्य कर सकता है। ब्लाक स्तर के कार्यकारी अधिकारी को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होता है। इस संबंध में यदि कोई शिकायत होती है, तो उसे उपचारात्मक और सुधारात्मक उपायों हेतु राज्य सरकार के पास भेज दिया जाता है।

बन्दरगाहों पर भीड़-भाड़ की समस्या

474. श्री परसुराम माझी: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश का कोई प्रमुख बन्दरगाह भीड़-भाड़ की समस्या का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बन्दरगाह-वार ब्यौरा क्या है और इन बन्दरगाहों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) चेन्नई और जवाहरलाल नेहरू पत्तन के सिवाय अन्य किसी भी महापत्तन को भीड़-भाड़ की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा रहा है। इन पत्तनों पर भीड़-भाड़ का विवरण तथा उसको कम करने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

पत्तन का नाम	भीड़-भाड़ का विवरण	भीड़-भाड़ को कम करने के लिए उठाए गए कदम
चेन्नई	चेन्नई पत्तन कंटेनरों के अन्दर कार्यों के सिवाय अन्य किन्हीं वस्तुओं से संबंधित भीड़-भाड़ की समस्या का सामना नहीं कर रहा है। भीड़-भाड़ की यह समस्या, मई-जून, 2004 में निजी कंटेनर टर्मिनल के कर्मचारियों द्वारा कार्य धीमा करने/हड़ताल पर रहने के कारण हुई है। 01.07.2004 को मौजूद स्थिति के अनुसार, निम्नलिखित कंटेनर जलयान प्रतीक्षारत थे:- रूथनुपुरा - 29.06.2004 से कृपा - 29.06.2004 से जुरंग बेबारू - 30.06.2004 से	निजी आपरेटर ने लाइनर प्रचालकों, सीमा-शुल्क समाहर्ताओं (सीएचए), इत्यादि जैसे स्टेक होल्डरों से समन्वय करके, टर्मिनल पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए गैर-सुपुर्दगी कंटेनरों का एक साथ संचलन करने इत्यादि जैसे कुछ कदम उठाये हैं।
जवाहरलाल नेहरू	जवाहरलाल नेहरू पत्तन में भीड़-भाड़ की वजह से कंटेनरों के संचलन में बहुत विलम्ब हो जाता है। कंटेनरों की अपर्याप्त हैंडलिंग क्षमता के अलावा, इस समय उपर्युक्त पत्तन पर भीड़-भाड़ के अन्य कारण निम्नानुसार हैं:- (क) कंटेनर-यातायात का बढ़ जाना। (ख) पश्चिमी रेलवे द्वारा बड़े ब्लाक को लिया जाना। (ग) लुधियाना अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आई सी डी) पर पर्याप्त रेक हैंडलिंग क्षमता की कमी 01.07.2004 को जवाहरलाल नेहरू पत्तन में कंटेनरों की लंबित स्थिति निम्नानुसार थी:- 1. जवाहरलाल नेहरू पत्तन कंटेनर टर्मिनल (जे एन पी सी टी): 5500 2. न्हावा शेवा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल (एन एस आई सी टी) : 4367 कुल लंबित : 9867	क्षमता बढ़ाने के क्रम में, विद्यमान बल्क टर्मिनल को कंटेनर टर्मिनल में परिवर्तित किया जा रहा है। इस प्रयोजन से, दिनांक 24.06.2004 को मै. मर्स्क-कानकोर को इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू-पत्तन पर निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी: के आधार पर बल्क टर्मिनल से कंटेनर टर्मिनल के रूप में परिवर्तित करने के लिए सहायता संघ। उपर्युक्त पत्तन ने न्हावा शेवा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल (एन एस आई सी टी), कंटेनर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (कानकोर) तथा पत्तन प्रयोक्ताओं के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की तथा निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं:- (1) जे एन पी सी टी द्वारा 2 अतिरिक्त रीच स्टेकर्स को उत्प्रेरित किया जा रहा है। जिनमें से एक ने पहले ही, 04.07.2004 से, प्रचालन आरंभ कर दिया है। (2) कानकोर द्वारा दादरी में आई सी डी से लुधियाना के लिए कंटेनरों को लाने तथा ऐसे कंटेनरों को सड़क द्वारा दादरी से लुधियाना स्थानांतरित करना। (3) एन एस आई सी टी रेल मार्गों 4 और 5 पर मिश्रित रैकों के हैंडलिंग समय में सुधार लाने के क्रम में, जे एन पी सी टी ने रेल मार्ग 4 और 5 पर आने वाली गाड़ियों में अपनी ओर आने वाले निर्यात कंटेनरों की स्टेकिंग के लिए जगह निश्चित की है।

केन्द्रीय भण्डार में घोटाला

475. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार में एक के बाद एक घोटाला होता जा रहा है और सरकार उनकी जांच-पड़ताल नहीं कर रही है;

(ख) क्या केन्द्रीय भण्डार ने एल.जी. ब्रांड के एयर-कंडीशनर और गेटवे ब्रांड के टाइपिंग और डुप्लीकेटिंग पेपरों को बाजार मूल्यों से अधिक मूल्यों पर बेचा है;

(ग) क्या केन्द्रीय भण्डार ने कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने का फैसला किया था लेकिन वह उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में असफल रहा है;

(घ) क्या दोषी कर्मचारियों/क्रय समिति के विरुद्ध पहले कोई जांच कराई गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो भ्रष्ट कर्मचारियों/क्रय समिति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ङ) जब-जब शिकायतें प्राप्त होती हैं, केन्द्रीय भण्डार द्वारा इनकी, जांच-पड़ताल की जाती है। एल.जी. ब्रांड एयर कंडीशनरों के बाजार दर से ऊंची दर पर बेचे जाने संबंधी एक शिकायत की जांच-पड़ताल केन्द्रीय भण्डार द्वारा की गई थी। जांच करने पर यह पाया गया कि आपूर्तिकर्त्ता ने "मूल्य गारन्टी" की शर्त का उल्लंघन किया है। तदनुसार, आपूर्तिकर्त्ता के साथ व्यापारिक लेन-देन बन्द कर दिया गया और उससे 2.72 लाख रुपए की वसूली की गई। इस मामले में खरीद समिति/कर्मचारियों की जिम्मेवारी की जांच की जा रही है।

गेटवे ब्राण्ड के टाइपिंग और डुप्लीकेटिंग पेपर बेचे जाने संबंधी एक मामले की जांच-पड़ताल केन्द्रीय भण्डार के सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

476. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के विभिन्न विभागों में व्याप्त अव्यवस्था की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों से आने वाले रोगियों के लिए अस्थायी आवास व्यवस्था के निर्माण पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोई अव्यवस्था व्याप्त नहीं है। जो भी रोगी परिचर्या कार्यकलाप प्रदान किए जाते हैं वे तुलनात्मक रूप से किसी भी जगह के रोगी परिचर्या कार्यकलापों से उत्तम है। यह इसकी स्पष्टतया उच्च प्रतिष्ठा के कारण ही है कि यहां प्रतिदिन औसतन 6000-7000 रोगी बहिरंग रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) में आते हैं। उपचार, दाखिले, सर्जिकल तथा चिकित्सा शास्त्र संबंधी प्रक्रियाओं, नैदानिक और रोगी परिचर्या में शामिल प्रणालियां और प्रक्रियाएं पूरी तरह से सुव्यवस्थित हैं।

(ग) और (घ) फिलहाल, शयनागार/अर्ध-शयनागार और कमरों की सुविधाओं के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में राजगढ़िया और सुरेखा नामक दो विश्राम सदन, जिनकी बिस्तर क्षमता क्रमश: 112 और 190 बिस्तर हैं, कार्य कर रहे हैं। 100 बिस्तरों की क्षमता वाला श्री साईं विश्राम सदन भी पूरा है।

टेलीफोन सेवाओं का विस्तार

477. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
श्री नीतीश कुमार:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में टेलीफोन सेवाओं के विस्तार के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र द्वारा अब तक अनुमानित कितने प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य को कब तक हासिल किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) नई दूरसंचार नीति, 1999 के अनुसार, 2005 तक प्रति सौ व्यक्ति 7 का और 2010 तक 15.0 का समग्र टेलीघनत्व लक्ष्य प्राप्त किया जाना था। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 4.0 का टेलीघनत्व लक्ष्य 2010 तक प्राप्त किया जाना है।

10वीं योजना के लिए 2006-07 के अंत तक 9.91 का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, योजना के अंत तक 3.0 का टेलीघनत्व लक्ष्य प्राप्त किया जाना है।

(ग) 7.15 का समग्र टेलीघनत्व 30.4.2004 के अंत तक प्राप्त किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उपलब्धि 1.58 है। शहरी क्षेत्रों में 21.17 का टेलीघनत्व प्राप्त किया गया है।

6.07 लाख गांवों में से 521552 गांवों में, 30.4.2004 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए हैं। देश के सभी एक्सचेंजों में विश्वसनीय माध्यम प्रदान किए गए हैं और जिला मुख्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गयी है।

(घ) अव्यपगत यूएसओ निधि की शुरूआत और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने के लिए इसके उपयोग और बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा से यह आशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा।

[अनुवाद]

रवांडा टेलीकॉम की खरीद हेतु बोली

478. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.टी.एन.एल. बोर्ड ने विदेश में रवांडा टेलीकाम की खरीद के लिए बोली लगाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बोली के लिए पात्र अन्य भारतीय निजी टेलीकाम आपरेटर कौन-कौन से हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) एम.टी.एन.एल. बोर्ड ने दिनांक 1 जून, 2004 को आयोजित अपनी 195वीं बैठक में इस बात का अनुमोदन किया है कि एम.टी.एन.एल. बोली संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर ले और किसी प्रतिष्ठित एजेंसी से तत्संबंधी सुविचारित राय प्राप्त करे ताकि उस सुविचारित राय के परिणाम के आधार पर निवेश करने हेतु निर्णय किया जा सके।

(ग) निजी दूरसंचार प्रचालकों को किसी निविदा में बोली लगाने के लिए दूरसंचार विभाग को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

खादी और ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन

479. **श्री कैलाश मेघवाल:**
श्री के.एस. राव:

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) देश में खादी एवं ग्रामोद्योगों (के.वी.आई.) का संवर्धन करना सरकार का एक प्रचलित कार्यक्रम है। खादी उद्योगों के संवर्धन के लिए सरकार छूट/बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना, ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्र (आई.एस.ई.सी.) योजना का पहले ही कार्यान्वयन कर रही है, जिसमें बैंक ऋणों पर ब्याज की सब्सिडाइज्ड तथा सुधरे हुए डिजाइनों के लिए उत्पादन विकास डिजाइन मध्यस्थता एवं पैकेजिंग (पी.आर.ओ.डी.आई.पी.) योजना की व्यवस्था है। ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) वर्ष 2002-03 तथा 2003-03 के लिए राज्य-वार राशियों का आबंटन संबंधी विवरण संलग्न है।

विवरण

के.वी.आई. सैक्टर के अंतर्गत निधियों का क्षेत्र-वार, राज्य-वार आबंटन एवं उपयोग

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-2003				2003-2004			
		आर.ई.जी.पी.		खादी		आर.ई.जी.पी.		खादी	
		आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**उत्तरी क्षेत्र**								
1.	चंडीगढ़	29.00	0.40	0.00	0.00	0.00	10.24	0.00	0.00
2.	दिल्ली	43.00	16.16	67.78	479.99	27.92	12.31	78.19	919.35
3.	हरियाणा	804.00	884.91	463.73	424.91	1072.95	1938.36	702.40	311.15
4.	हिमाचल प्रदेश	570.00	643.78	238.90	202.97	1046.96	757.11	270.96	225.83
5.	जम्मू और कश्मीर	267.00	179.00	167.59	117.63	81.48	363.45	136.85	113.55
6.	पंजाब	1160.00	1744.62	310.65	592.41	1271.88	819.63	470.58	292.79
7.	राजस्थान	1052.00	2189.01	963.97	846.56	3325.10	2890.28	1052.50	663.68
	कुल-I	3925.00	5657.95	2212.62	2664.07	6826.29	6791.38	2711.48	2526.35
II.	**पूर्वी क्षेत्र**								
1.	अंडमान निकोबार	89.00	78.24	0.00	5.35	94.59	28.44	0.00	18.16
2.	बिहार	752.00	108.13	246.69	544.61	972.48	186.03	584.37	298.49
3.	झारखंड	290.00	421.01	118.83	233.46	600.89	198.08	203.83	189.95
4.	उड़ीसा	483.00	156.78	22.40	77.46	760.20	784.11	65.97	74.78
5.	सिक्किम	34.00	6.70	3.84	7.01	99.62	24.66	4.65	28.72
6.	पश्चिम बंगाल	1280.00	1202.17	445.68	471.26	2421.93	1593.51	906.38	366.31
	कुल-II	2928.00	1973.03	837.44	1339.15	4949.71	2814.83	1767.20	976.41
III.	**उत्तर पूर्वी क्षेत्र**								
1.	अरुणाचल प्रदेश	300.00	45.36	1.00	32.83	53.75	52.77	3.86	69.98
2.	असम	613.00	375.68	155.17	433.59	1246.70	806.83	142.76	268.22
3.	मणिपुर	198.00	110.53	23.01	26.40	160.86	11.06	33.58	45.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	मेघालय	430.00	135.94	1.81	17.55	304.89	121.79	6.55	31.93
5.	मिजोरम	196.00	224.40	6.00	13.23	94.63	61.10	42.57	51.43
6.	नागालैंड	157.00	50.15	4.66	27.05	187.17	117.2	39.11	88.56
7.	त्रिपुरा	213.00	106.23	2.00	10.67	206.23	224.02	1.13	31.88
	कुल-III	2107.00	1048.29	193.65	561.32	2254.23	1394.77	269.56	587.43
IV.	**दक्षिणी क्षेत्र**								
1.	आंध्र प्रदेश	1078.00	1775.01	1978.69	204.11	1450.66	1670.83	295.80	197.07
2.	कर्नाटक	1220.00	1560.05	797.26	647.52	1819.77	1692.17	739.22	499.27
3.	केरल	1202.00	1196.03	576.25	748.35	2438.61	2753.15	665.05	396.02
4.	लक्षद्वीप	52.00	0.00	273.85	0.00	1.02	7.42	0.00	0.00
5.	पांडिचेरी	40.00	0.29	12.14	0.43	12.35	12.65	8.65	0
6.	तमिलनाडु	605.00	604.07	0.00	1910.81	1100.64	1362.17	2681.10	1377.13
	कुल-IV	4197.00	5135.45	3638.19	3511.22	6823.05	7498.39	4389.82	2469.49
V.	**पश्चिमी क्षेत्र**								
1.	दादरा एवं नगर हवेली	26.00	949	0.00	0.42	0.00	4.13	0.00	3.43
2.	दमन एवं दीव	28.00	0	0.00	4.25	3.86	0	0.00	0
3.	गोवा	203.00	198.06	0.00	18.13	342.01	82.98	0.00	11.52
4.	गुजरात	623.00	102.23	2297.61	1055.07	519.17	130.34	1385.38	533.25
5.	महाराष्ट्र	1029.00	1541.92	4.20	608.88	2295.55	873.25	286.02	341.22
	कुल-V	1009.00	1851.70	2301.81	1686.75	3160.59	1090.70	1671.40	1089.42
VI.	**केन्द्रीय क्षेत्र**								
1.	छत्तीसगढ़	346.00	427.33	62.32	36.07	1002.78	1098.00	124.53	74.52
2.	मध्य प्रदेश	1441.00	605.97	155.18	254.05	1039.74	1355.07	245.64	235.62
3.	उत्तरांचल	223.00	378.02	30.38	438.14	637.84	979.7	450.65	502.8
4.	उत्तर प्रदेश	2662.00	2293.52	3220.42	4079.72	3433.85	3415.18	4796.18	3037.13
	कुल-VI	4672.00	3704.84	3468.30	4807.98	6114.21	6847.95	5617.00	3850.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	अन्य								
1.	विभागीय	0.00	0.00	0.00	649.41	0.00	0.00	0.00	1169.94
2.	यूएनडीपी	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल-VII	0.00	0.00	0.00	669.41	0.00	0.00	0.00	1169.94
	कुल योग	19738.00	19371.26	12652.01	15239.90	30128.08	26438.02	16426.46	12669.11

कार्गो ट्रैफिक

480. श्री अनन्त नायक: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक पत्तन द्वारा वर्ष-वार कितने कार्गो ट्रैफिक संभाला गया;

(ख) क्या दसवीं योजनावधि में किसी पत्तन में अतिरिक्त बर्थ/टर्मिनल के निर्माण के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) प्रमुख पत्तनों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान पत्तन-वार हैंडल किया गया कार्गो यातायात, वर्ष-वार नीचे दर्शाया गया है:-

(मिलियन टन में)

पत्तन का नाम	2001-02	2002-03	2003-04 (अनन्तिम)
कोलकाता	30.40	35.80	41.05
पारादीप	21.13	23.90	25.31
विशाखापत्तनम	44.34	46.01	47.74
इन्नौर	3.40	8.49	9.28
चेन्नई	36.12	33.69	36.71
तूतीकोरिन	13.02	13.29	13.68
कोचीन	12.06	13.00	13.57
नव मंगलूर	17.50	21.43	26.67
मुरगांव	22.93	23.65	27.87
जवाहरलाल नेहरू	22.52	26.84	31.18
मुम्बई	26.43	26.80	29.96
कांडला	37.73	40.63	41.52
जोड़	287.58	313.53	344.54

(ख) जी, हां।

(ग) 10वीं योजनावधि के दौरान अब तक 10 अतिरिक्त बर्थों/टर्मिनलों के पूरा होने से महापत्तनों में 20.65 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जा चुकी है। 10वीं योजनावधि में अतिरिक्त क्षमताओं के सृजन के लिए सतत प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, 18.30 मिलियन टन प्रति वर्ष की कुल क्षमता की 7 बर्थ/टर्मिनल निर्माणाधीन हैं।

(घ) महापत्तनों में कार्यक्षमता में सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है। महापत्तनों की क्षमता बढ़ाने के लिए महापत्तनों के संबंध में समय-समय पर निम्नलिखित मुख्य उपाय किए गए हैं:-

(1) नई बर्थों/टर्मिनलों का निर्माण तथा उन्हें सुसज्जित करना।

(2) विद्यमान बर्थों पर प्रचलित उपकरणों के स्थान पर अत्याधुनिक उपकरण लगाना।

(3) उच्च कार्यक्षमता प्राप्त करने के लिए प्रबंधन पद्धतियों में सुधार लाना तथा श्रम प्रशिक्षण।

(4) और अधिक कार्यक्षमता के लिए अतिरिक्त निवेश करने तथा आधुनिक तकनीकों को लाने के लिए पत्तन सुविधाओं के प्रचालन तथा विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी।

(5) पत्तन कार्यचालन का कम्प्यूटरीकरण तथा एलैक्ट्रोनिक डाटा इंटरचेंज आंशिक प्रवेश।

(6) कार्गो यातायात प्रबंधन प्रणाली की स्थापना।

स्पैक्ट्रम संबंधी नीति

481. श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:
श्री सुरेश कुरूप:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में टेलीकाम आपरेटरों की कई कठिनाईयों को दूर करने के लिए स्पैक्ट्रम संबंधी व्यापक नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ट्राई ने इस मुद्दे पर परामर्श आरंभ किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) दूरसंचार आपरेटरों को उनके साथ किए गए लाइसेंस करारों और स्पैक्ट्रम नीति के अनुसार स्पैक्ट्रम दिए जाते हैं।

(ग) और (घ) जी हां, ''ट्राई'' ने स्पैक्ट्रम के कुशल उपयोग, आबंटन और मूल्य-निर्धारण सहित, स्पैक्ट्रम संबंधी मुद्दों पर परामर्श-पत्र की पहल की थी।

उत्पादन में लघु उद्योगों की भागीदारी

482. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुल उत्पादन में अति लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों की भागीदारी नगण्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रोजगार सृजन के लिए इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 2002-03 के लिए (1993-94 के मूल्यों पर) देश के कुल उत्पादन में अति लघु इकाइयों सहित ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्र (वीएसआई) का भाग अनुमानतः 46.68% था।

(ग) और (घ) जी हां। केन्द्र सरकार ने बढ़ी हुई राजस्व तथा ऋण सहायता, बेहतर आधारभूत संरचना, विपणन सुविधाओं तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए इन्सैन्टिव्ज से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। रोजगार सृजन के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.), ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) कार्यान्वित की जा रही हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान इस क्षेत्र को लघु उद्योग क्षेत्र में 44 लाख व्यक्तियों, के.वी.आई.सी. के आरईजीपी के अंतर्गत 20 लाख व्यक्तियों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 16.5 लाख तथा कयर क्षेत्र के अंतर्गत 1 लाख लोगों के नियोजन का अतिरिक्त लक्ष्य सौंपा गया है। ग्रामीण

औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार प्रदान करने की आर.ई.जी.पी. योजना की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार सृजन लक्ष्य को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों में मदों का आरक्षण

483. श्री बीर सिंह महतो: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन के लिए मदों के आरक्षण और अनारक्षण के मामले पर विचार के लिए कोई परामर्शदात्री समिति है;

(ख) यदि हां, तो समिति में कौन-कौन से लोग हैं और समिति में किन-किन क्षेत्रों के लोग हैं;

(ग) आरक्षित की जाने वाली मदों की सिफारिशों के क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) आरक्षित और अनारक्षित मदों के मामले में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख और की उपधारा (2ख) के अनुपालन में सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल करके (ख) अनुषंगी अथवा लघु औद्योगिक उपक्रम द्वारा उत्पादन के लिए आरक्षित की गई किसी वस्तु अथवा वस्तुओं की श्रेणी की प्रकृति के निर्धारण के मामले में अपनी विशेषज्ञ सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है:-

1. सचिव, भारत सरकार, लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय—अध्यक्ष
2. सचिव, भारत सरकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय—सदस्य
3. सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय—सदस्य
4. सलाहकार, ग्राम एवं लघु उद्योग प्रभाग, योजना आयोग—सदस्य
5. अपर सचिव एवं विकास आयुक्त, लघु उद्योग, भारत सरकार—सदस्य सचिव।

(ग) सलाहकार समिति आई डी एवं आर अधिनियम में दिए गए निम्न निर्धारित मापदंड के भीतर केवल लघु क्षेत्र ही विनिर्माण के लिए किसी मद पर विचार करके निर्णय करती है, जो इस प्रकार है-

(1) अनुषंगी अथवा लघु औद्योगिक उपक्रमों द्वारा किफायती तौर पर उत्पादित की गई किसी वस्तु अथवा वस्तुओं की श्रेणी की प्रकृति;

(2) अनुषंगी अथवा लघु औद्योगिक उपक्रमों द्वारा ऐसी वस्तु अथवा वस्तुओं की श्रेणी के उत्पादन द्वारा सृजन किए जाने वाले संभावित रोजगार का स्तर;

(3) उद्योग में प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विस्तार की संभावना;

(4) सामान्य क्षति के संबंध में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकना; तथा

(5) अन्य ऐसे मामले जिन्हें सलाहकार समिति उपयुक्त समझती है।

(घ) लघु उद्योग मंत्रालय, आरक्षित मदों की सूची में विसंगति के मामलों की पहचान के लिए स्टेकहोल्डरों से परामर्श करता है, ताकि आरक्षित मदों की सूची में किए जाने वाले अपेक्षित संशोधनों पर सलाहकार समिति की सिफारिशों के लिए मामले को सलाहकार समिति को भेजा जा सके।

[अनुवाद]

पूर्वी-पश्चिमी कारीडोर

484. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी और असम 41(सी) में श्रीरामपुर के बीच प्रस्तावित पूर्वी-पश्चिमी कारीडोर (एक्सप्रेस हाइवे) के लिए मूल संरेखन को ही रखने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) संभवत: माननीय सदस्य रा.रा. 31 और रा.रा. 31(ग) का उल्लेख कर रहे हैं न कि रा.रा. 41(ग)।

पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी और असम में श्रीरामपुर के बीच पूर्व-पश्चिम महामार्ग परियोजना के लिए विद्यमान संरेखण को बनाए रखने के लिए रा.रा. 31 और रा.रा. 31(सी) के मूल संरेखण पर सर्वेक्षण और जांच-पड़ताल कर ली गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस संरेखण पर कुछ आपत्तियां की हैं क्योंकि इस संरेखण का एक भाग प्राचीन वन क्षेत्र से गुजर रहा है। इस मामले की जांच की जा रही है।

अक्षरधाम के षडयंत्रकारियों का प्रत्यर्पण

485. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अबु हमजा जो अपराध शाखा द्वारा दायर किये आरोप-पत्र में फरार अपराधी और सितम्बर 2002 में गांधी नगर में अक्षरधाम मंदिर पर हुए आक्रमण में प्रमुख षडयंत्रकारी को आतंकवादी आरोप के संबंध में ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने स्टाकलैण्ड यार्ड से उसके प्रत्यर्पण के लिए सहायता मांगने के प्रयास किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उक्त मामले में ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) संबंधित अभिकरणों से प्राप्त सूचना के अनुसार, सितम्बर, 2002 में गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले का प्रमुख षड्यन्त्रकारी का अबू हमजा उर्फ अब्दुल बारी था। तथापि, यह अबू हमजा उर्फ अब्दुल बारी वही अबू हमजा नहीं है, जिसे हाल ही में यूनाईटड किंगडम में आतंकवादी आरोपों के संबंध में बन्दी बनाया गया है। यू.के. में बन्दी बनाए गए अबू हमजा का अक्षरधाम के षडयंत्र से कोई संबंध नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-पाक सीमा में परिवर्तन का प्रस्ताव

486. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्री जी ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए भारतीय सीमा के साथ पाकिस्तानी सीमा में परिवर्तन की संभावना को नकार कर एक नये विवाद को जन्म नहीं दिया है, जैसा दिनांक 11 जून, 2004 में 'दक्कन करोनिकल' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके पूर्व नीति से कोई बदलाव है; और

(ग) यदि नहीं, तो कश्मीर समस्या के समाधान के लिए सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) सरकार ने अपनी सुसंगत तथा सैद्धांतिक स्थिति पूर्णत: स्पष्ट कर दी है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने इस राज्य के एक हिस्से पर अवैध रूप से जबर्दस्ती कब्जा किया हुआ है।

भारत-पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय मसलों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए वचनबद्ध है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत औषधियों की खरीद में बरती गई अनियमितताएं

487. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री रामकृपाल यादव:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत औषधियों की खरीद में व्यापक अनियमितता बरती गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा किसी जांच के आदेश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस संबंध में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन औषधों की खरीद में अनियमितताएं होने का आरोप लगाने वाली शिकायतें मिलती रही हैं। प्रमुख शिकायतें (1) 2001 के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को औषधों की आपूर्ति करने के लिए स्थानीय केमिस्टों की नियुक्ति में हुई अनियमितताओं, (2) दिल्ली में कुछ स्थानीय केमिस्टों द्वारा सप्लाई की गई औषधों

के लिए उच्चतर दरों अथवा उच्चतर कीमत पर बिक्री कर वसूल करने; (3) 1999-2002 के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा खराब गुणवत्ता की यूनानी औषधों के प्रापण, और (4) इलाहाबाद में स्थानीय केमिस्टों को किए गए अधिक भुगतान से संबंधित थीं।

दिल्ली में स्थानीय केमिस्टों की नियुक्ति के मामले में पूर्व अपर निदेशक (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है, जबकि यूनानी औषधों से संबंधित मामले में अन्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का विचार है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी दो मामले दर्ज किए हैं और उनकी जांच शुरू कर दी है। आगे की कार्रवाई विभागीय कार्यवाहियों के परिणाम के आधार पर और जांच के बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिश पर की जाएगी।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऋण प्रदान किया जाना

488. श्री तथागत सत्पथी: क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग के खादी बोर्ड के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को प्रदान किए गए ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में किन्हीं अनियमितताओं का पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) विगत चार वर्षों के दौरान राज्य खादी बोर्ड तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को प्रदान किए ऋणों के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में प्रस्तुत है। वर्ष 1998-99 के लिए प्रदान किए गए ऋणों का ब्यौरा के.वी.आई.सी. द्वारा नहीं रखा गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। के.वी.आई.सी. के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के तहत हितग्राहियों को मार्जिन मनी रिलीज करने में विलम्ब के संबंध में या अपात्र यूनिटों को मार्जिन मनी रिलीज किए जाने संबंधी अनियमितताएं ध्यान में आयी हैं। बैंकों, स्टेट बोर्डों तथा के.वी.आई.सी. के संबंधित उपचार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

विवरण

पिछले चार वर्षों के दौरान केवीआईबी/केवीआईसी के माध्यम से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को प्रदान किए गए ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कमजोर वर्ग के हितग्राहियों को प्रदान किए गए ऋण की अनुमानित राशि			
		1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6.96	22.05	11.58	35.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.03	0.83	0.06	1.68
3.	असम	0.24	0.48	0.32	7.23
4.	बिहार	0.63	0.64	0.54	2.55
5.	गोवा	1.23	3.46	7.00	6.21
6.	गुजरात	0.57	1.47	1.21	1.2

1	2	3	4	5	6
7.	हरियाणा	1.35	8.54	7.42	19.23
8.	हिमाचल प्रदेश	0.18	1.02	8.64	11.25
9.	जम्मू एवं कश्मीर	8.46	10.18	11.48	1.23
10.	कर्नाटक	14.7	12.70	19.07	32.28
11.	केरल	6.54	6.59	20.92	30.15
12.	मध्य प्रदेश	20.1	33.12	15.26	15.69
13.	महाराष्ट्र	11.49	26.18	37.31	45.78
14.	मणिपुर	0.15	1.50	0.16	3.42
15.	मेघालय	8.16	2.59	2.30	3.75
16.	मिजोरम	0.6	1.25	0.12	9.39
17.	नागालैंड	1.05	16.96	2.36	2.34
18.	उड़ीसा	1.02	0.83	8.99	7.65
19.	पंजाब	9	13.24	16.25	28.32
20.	राजस्थान	37.35	15.39	38.52	28.35
21.	सिक्किम	0	0.03	0.00	0.12
22.	तमिलनाडु	3.6	6.72	8.70	17.52
23.	त्रिपुरा	0	0.09	0.35	1.62
24.	उत्तर प्रदेश	2.22	31.90	27.10	36.66
25.	पश्चिम बंगाल	21.57	3.29	42.08	17.73
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	0.09	0.09	0.73	2.01
27.	चंडीगढ़	0.06	0.00	1.72	0
28.	दादरा नगर हवेली	0	0.03	0.03	0.18
29.	दमन एवं दीव	0	0.00	0.00	0
30.	दिल्ली	0.12	0.16	0.44	0.06
31.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.03	0
32.	पांडिचेरी	0.03	0.25	0.09	0
33.	झारखंड	0	0.03	2.78	3.27
34.	छत्तीसगढ़	0	0.32	2.01	7.35
35.	उत्तरांचल	0	0.19	3.93	7.29
	योग	157.50	222.12	299.50	387.45

टिप्पणी: 1999-2000 से पूर्व के आंकड़ों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

लदाई संबंधी मानदंड

489. श्री दिनशा पटेल: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने माल ढुलाई करने वाले वाहनों के संबंध में लदाई संबंधी मानदंडों का अनुपालन न करने पर सड़कों के निर्माण और रख-रखाव के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता देना रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन राज्यों को दी जाने वाली सहायता को फिर से बहाल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) सात राज्यों—छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को केंद्रीय सड़क निधि से केंद्रीय सहायता रोक देने का निर्णय लिया गया था क्योंकि इन राज्यों ने मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन करके अतिभार लदान को सुगम करने के लिए वाहनों को विशेष पास/टोकन/कार्ड जारी किया था। सभी सात राज्य सरकारों ने बाद में सूचित किया कि विशेष पासों/टोकनों/कार्डों को वापस ले लिया गया है। तत्पश्चात् इन राज्यों को केंद्रीय सहायता पुन: चालू कर दी गई है। इस समय, सभी राज्यों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इराकी लोगों पर यातना के विरुद्ध रैली

490. श्री मुनव्वर हसन: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिनांक 20 जून, 2004 को दिल्ली में इराकी लोगों को यातना देने और वहां स्थित धार्मिक स्थलों को नष्ट करने पर संयुक्त राज्य अमरीका के विरुद्ध बड़ी रैली हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इराक में इराकी लोगों के साथ अमरीकी सेनाओं के कुछ सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के उल्लंघन और इस विषय में अमरीकी सरकार द्वारा दण्डात्मक और निवारक उपायों पर चिंता जताई है। सरकार ने इराक में धार्मिक स्थानों की पवित्रता के उल्लंघन पर भी चिंता जताई है और इराक में सभी संबंधितों द्वारा धार्मिक पूजा स्थलों की पवित्रता का आदर करने की अनिवार्यता पर बल दिया है।

[अनुवाद]

नेपाल से विरोध दर्ज कराना

491. श्री मोहन रावले: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कुछ लोगों ने काठमांडू में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का पुतला जलाया और भारत विरोधी नारे लगाए;

(ख) यदि हां, तो क्या नेपाल सरकार से इस संबंध में कोई विरोध दर्ज कराया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस पर नेपाल सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) काठमांडू में हमारे दूतावास ने इस मामले को नेपाल के महामहिम की सरकार के साथ उठाया और इस घटना की निंदा करते हुए प्रैस विज्ञप्ति भी जारी की।

(ग) नेपाल के महामहिम की सरकार ने इस घटना की निंदा की और इस घटना पर खेद व्यक्त किया।

[हिन्दी]

तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम

492. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री सुरेश चन्देल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित पुनर्गठित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों और निजी संगठनों के लिए धनराशि जारी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक/ द्वारा सहायता प्राप्त संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) के अंतर्गत निधियों के राज्य-वार आबंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) और (ग) कार्यक्रम के अंतर्गत, गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत कर दी गई है और केन्द्र से गैर-सरकारी संगठनों को सीधे कोई नकद अनुदान नहीं दिया जाता है। गैर-सरकारी संगठनों को निधियां संबंधित जिला क्षयरोग सोसाइटी द्वारा दी जाती है। राज्य क्षयरोग सोसाइटियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को राज्य-वार जारी की गई राशि, को दर्शाने वाला विवरण II संलग्न है। बहुत से गैर-सरकारी संगठन बिना किसी सहायता के भी भाग लेते हैं। तथापि, शहरी डाट्स केन्द्रों की स्थापना करने के लिए वैश्विक एड्स क्षयरोग तथा मलेरिया कोष (जी एफ ए टी एम) द्वारा सहायता प्राप्त संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम परियोजना के अंतर्गत निधियां केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को सीधे ही जारी की जाती हैं। अब तक, केवल एक गैर-सरकारी संगठन नामत: आर.ई.सी.एच., चेन्नई को 41.28 लाख रुपये की निधियां जारी की गई हैं।

(घ) नए स्पूटम पाजिटिव रोगियों में 85% की रोगमुक्ति दर हासिल करने तथा ऐसे रोगियों में से कम से कम 70% रोगियों की पता लगाने के उद्देश्य से डाट्स पर आधारित संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत कार्यनीति है, को चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस समय करीब 500 जिलों की 886 मिलियन से अधिक जनसंख्या को संशोधित कार्यनीति के अंतर्गत कवर किया गया है। इस कार्यनीति के अंतर्गत, वर्ष 2005 तक समूचे देश को कवर किए जाने का विचार है।

जनसंख्या के बेहतर वर्गों तक इस कार्यक्रम को सुलभ कराने तथा इस दिशा में सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने हेतु इस कार्यक्रम में मेडिकल कालेजों, सभी जनरल अस्पतालों, निजी चिकित्सकों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए भी बल दिया जा रहा है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों हेतु धन का राज्य-वार आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन 2001-02	आबंटन 2002-03	आबंटन 2003-04
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1.45	1.38	1.18
2.	बिहार	663.52	537.44	447.56
3.	चण्डीगढ़	12.17	9.54	7.77
4.	छत्तीसगढ़	34.63	151.01	0.00
5.	दादरा व नगर हवेली	0.04	0.92	0.79
6.	दमन व दीव	0.83	0.92	0.79
7.	दिल्ली	216.81	146.25	119.07

1	2	3	4	5
8.	गोवा	14.73	13.78	11.21
9.	गुजरात	767.81	536.22	436.56
10.	हरियाणा	185.05	141.02	0.00
11.	हिमाचल प्रदेश	174.00	64.64	52.63
12.	जम्मू व कश्मीर	69.60	84.90	69.77
13.	झारखंड	52.25	188.72	0.00
14.	कर्नाटक	599.72	512.40	418.52
15.	केरल	651.37	336.99	274.34
16.	लक्षद्वीप	3.11	1.06	0.86
17.	मध्य प्रदेश	624.03	549.72	450.20
18.	महाराष्ट्र	1595.77	1025.81	835.16
19.	पांडिचेरी	11.06	9.40	7.69
20.	पंजाब	267.05	201.27	165.51
21.	राजस्थान	1016.57	598.74	487.47
22.	तमिलनाडु	947.65	658.09	535.78
23.	उत्तर प्रदेश	1329.05	1432.88	1176.19
24.	उत्तरांचल	14.74	47.00	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	1052.01	849.90	691.95
26.	अरुणाचल प्रदेश	113.19	15.00	30.19
27.	असम	201.30	350.12	399.81
28.	मणिपुर	95.23	30.77	65.88
29.	मेघालय	18.57	29.49	45.27
30.	मिजोरम	13.43	11.54	22.48
31.	नागालैंड	94.18	25.64	54.90

1	2	3	4	5
32.	सिक्किम	30.16	6.41	13.72
33.	त्रिपुरा	28.92	31.03	67.75
	कुल	10900.00	8600.00	6891.00
	मुख्यालय	300.00	800.00	740.00
	महायोग	11200.00	9400.00	7631.00

टिप्पण: (1) आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में उपर्युक्त कथित अवधि के दौरान यह कार्यक्रम क्रमशः डी एफ आई डी और डेनिडा (डीएएनआईडीए) की सहायता से क्रियान्वित किया गया था। वर्ष 2003-2004 में छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं उत्तरांचल राज्य में जीएफएट टीएम के अनुदान से तथा हरियाणा राज्य में यूएसएड के अनुदान से संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया था।

(2) इस अवधि के उपरान्त, संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंख्या कवरेज 450 मिलियन से 775 मिलियन तक बढ़ चुकी है, लेकिन विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत आबंटन को इन कारणों की वजह से कम किया गया था।

(क) जिला/राज्य क्षयरोग सोसाइटियों के पास पड़ी अग्रिम धनराशि का समयोजन;

(ख) स्मुटम पाजिटिव रोगियों हेतु क्षयरोग रोधी औषधों की लागत को विश्व बैंक के अलावा अन्य स्रोतों, अर्थात् इन एजेन्सियों द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों के लिए पी.एफ.ए.टी.एम. और यू.एस.एड के धन में से पूरा किया गया।

विवरण II

वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 हेतु गैर-सरकारी संगठन

शीर्ष के अंतर्गत खर्च की गई धनराशि के राज्य-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	4.36	4.07	9.13
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	1.05	0
4.	असम	0.00	0.00	0
5.	बिहार	2.76	0.00	2.11
6.	चंडीगढ़	0.18	0.15	0.26
7.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0
8.	दिल्ली	0.05	3.98	6.18

1	2	3	4	5
9.	गोवा	0.00	0.00	0
10.	गुजरात	2.86	3.46	2.82
11.	हरियाणा	0.00	0.00	0
12.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.09	0.02
13.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.13	0
14.	झारखंड	0.50	3.10	0.46
15.	कर्नाटक	2.21	2.48	6.72
16.	केरल	0.56	3.91	1.93
17.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0
18.	मध्य प्रदेश	0.50	1.67	1.10
19.	महाराष्ट्र	6.62	20.58	9.70
20.	मणिपुर	1.65	1.12	0.62
21.	मेघालय	0.00	0.00	0
22.	मिजोरम	0.00	0.00	0
23.	नागालैंड	0.00	1.10	0.84
24.	उड़ीसा	0.00	0.00	0
25.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0
26.	पंजाब	0.00	0.00	0.35
27.	राजस्थान	1.58	4.67	2.95
28.	सिक्किम	0.30	0.44	0.53
29.	तमिलनाडु	2.45	3.44	10.61
30.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0
31.	उत्तर प्रदेश	0.75	1.51	10.08
32.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0
33.	पश्चिम बंगाल	15.90	6.00	27.99
	महायोग	43.23	62.95	94.41

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

493. **श्री मुनव्वर हसन:**
श्री रामदास बंडु आठवले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के सभी गांवों विशेषकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त राज्यों में कितने गांवों में अब तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं; और

(ग) उक्त राज्यों में गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) राष्ट्रीय जनसंख्या मानकों के अनुसार, 20,000-30,000 के जनसंख्या मानक के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाती है। एक नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए स्थान का निर्णय राज्य सरकार करती है।

(ख) और (ग) ग्राम-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य में क्रमश: 1768 और 3551 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी)/बुनियादी न्यूनतम स्कीम (बीएमएम) कार्यक्रम के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा राज्यों को धनराशि सीधे प्रदान की जाती है। 2004-05 के दौरान नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कोई भी लक्ष्य नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डार में अनियमितताएं

494. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर की केन्द्रीय भण्डार की शाखाओं में अनियमितताओं के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रत्येक शिकायत पर की गई जांच तथा उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राप्त शिकायतों पर औपचारिक जांच किए बिना अनेक सप्लायरों को निलंबित कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में निर्धारित कानून को लागू न करने के लिए प्राधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) वैयक्तिक उपभोक्ताओं तथा सरकारी कार्यालयों को वस्तुओं की आपूर्ति का व्यापार करने वाला वाणिज्यिक संगठन होने के नाते केन्द्रीय भण्डार को दिल्ली में तथा दिल्ली से बाहर स्थित इसकी शाखाओं में उपभोक्ताओं की शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायतें जैसे ही प्राप्त होती हैं, केन्द्रीय भण्डार के मुख्य सतर्कता अधिकारी उन पर ध्यान देते हैं और जहां कहीं आवश्यक हो अन्वेषण करने के उपरान्त उन पर कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (ङ) अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से केन्द्रीय भण्डार ने संशोधित क्रय नीति, 2003 को अंगीकार किया है। नई क्रय नीति, 2003 को अंगीकार किये जाने से अब तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को उसके विरुद्ध मिली शिकायत के आधार पर निलंबित नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-2 की बाईपास सड़क

495. **श्री सुनील खां:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से पानागढ़ बाजार सड़क को पानागढ़ बाईपास सड़क से जोड़ने वाले प्वाइंट का रखरखाव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के बड़बड़ बाजार की बाईपास सड़क की क्रासिंग प्वाइंट का रखरखाव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सड़क की चौड़ाई कितनी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बड़बड़ बजाार की बाइपास सड़क का निर्माण किया जा रहा है। बड़बड़ बाजार से गुजरने वाले विद्यमान रा.रा. 2 का अनुरक्षण फिलहाल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

(घ) सड़क तथा दोनों और अनपेव्ड शोल्डरों की चौड़ाई क्रमश: 7 मीटर (डामरीकृत हिस्सा) तथा 1.5 मी. है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं आर्थिक समीक्षा, 2003-2004 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 73/04]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सैन्ट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या 74/04]

(3) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 75/04]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 76/04]

(3) (एक) सेंट्रल काउंसिल आफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल आफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 77/04]

(5) (एक) इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट-ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट-ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 78/04]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 79/04]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंस्टीट्यूट आफ अप्लाईड मैनपावर रिसर्च, दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट आफ अप्लाईड मैनपावर रिसर्च, दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 80/04]

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंस्टीट्यूट आफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टीट्यूट आफ फिजिक्स भुवनेश्वर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टीट्यूट आफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 81/04]

अपराह्न 12.02 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि गर्भधारणपूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8(1) के साथ पठित धारा 7(2)(च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, *ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें*, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है-

"कि गर्भधारणपूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8(1) के साथ पठित धारा 7(2)(च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 4(छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधियिनम, 1956 की धारा 4(छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, अधिनियम, 1966 की धारा 5(छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, अधिनियम, 1966 की धारा 5(छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) भारतीय नर्स परिषद, नई दिल्ली

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम 1947 की धारा 3(1)(ण) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय नर्स परिषद्, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 3(1)(ण) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय नर्स परिषद्, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग की शासी परिषद्

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के नियमों के नियम 4(ख) के साथ पठित नियम 3(ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति

से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग की शासी परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के नियमों के नियम 4(ख) के साथ पठित नियम 3(ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग की शासी परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात सुनूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय मुद्दों पर आता हूं। डा. विजय कुमार मल्होत्रा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया धैर्य रखिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मेरा कार्यस्थगन प्रस्ताव है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका भी होगा, सब एक साथ ही कैसे बोलेंगे?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने अत्यंत वरिष्ठ सदस्य को बुलाया है। यदि आप उनका समय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.05 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए अपर्याप्त व्यवस्था के बारे में

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की स्थिति की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शताब्दियों से यह परम्परा चली आ रही है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन अमरनाथ की यात्रा पर अमरनाथ के दर्शन होते हैं और उससे पहले उस यात्रा के सब प्रबंध पूरे किये जाते हैं। यात्रियों की सुरक्षा के प्रबंध किये जाते हैं। उनके खाने-पीने का प्रबंध किया जाता है। इसके अलावा रास्ते में जो स्वयंसेवी संस्थाएं वहां पर लंगर लगाना चाहती हैं, उन सबको इसकी अनुमति दी जाती है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहां पर यात्रा का कोई प्रबंध नहीं किया गया और न उन यात्रियों की सुरक्षा का कोई प्रबंध किया गया। वहां यात्रियों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत अजीब परिस्थिति पैदा हुई। जम्मू-कश्मीर के गवर्नर ने यह कहा कि यात्रा दो जुलाई को वहां पहुंचनी चाहिए। श्रावण पूर्णिमा पर ही पहुंचेगी और दो महीने यात्रा होगी। राज्य के कांग्रेस के चार मंत्रियों ने इसके विरोध में इस्तीफा दिया और उन्होंने इस्तीफा देकर इस बात की घोषणा की कि दो जुलाई को ही वहां पर यात्रा पहुंचनी चाहिए। वहां पर डा. कर्ण सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, पहले वे ही यात्रा के पूरे प्रबंध करते थे। उन्होंने भी यही बयान दिया। श्री गुलाम नबी आजाद का भी मैंने बयान देखा है। उन्होंने कहा है कि यह यात्रा दो महीने रहे तो अच्छा है। दो जुलाई को श्रावण पूर्णिमा थी, उस श्रावण पूर्णिमा पर यात्रा का प्रबंध न करना, यह धार्मिक मामलों में भेदभाव नहीं है बल्कि बहुत भीषण परिस्थिति उसने वहां पर उत्पन्न की है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नर दो जुलाई को वहां पहुंच गये और दो जुलाई को जाकर उन्होंने श्रावण पूर्णिमा के दिन अमरनाथ यात्रा के दर्शन किये? परन्तु सरकार ने कहा कि हम इस

यात्रा को रिकोग्नाइज नहीं करते और मुख्यमंत्री यह कहता है कि यात्रा का कोई प्रबंध नहीं होगा। हम एक अगस्त से यात्रा शुरू करेंगे या 15 जुलाई के बाद शुरू करेंगे। क्या धार्मिक यात्रा मुख्यमंत्री तय करेंगे? हज कब होगा और कब नहीं होगा, ईद कब होगी और कब नहीं होगी, दीपावली किस दिन होगी और किस दिन नहीं होगी, क्या इसका फैसला मुख्यमंत्री करेंगे? क्या वे इस बात को तय करेंगे? वहां राज्यपाल पहुंच गये। उन्होंने यात्रा आरंभ कर दी जबकि मुख्यमंत्री ने सारे प्रबंध करने से इंकार कर दिया।

मैंने कांग्रेस के उन मंत्रियों का बयान देखा है। कांग्रेस के चार मंत्री अपने परिवार सहित दो जुलाई को वहां पहुंच गये। उन्होंने बयान दिया कि 13 हजार फुट की ऊंचाई पर रात को भयंकर बर्फबारी के अंदर उनको खुले आसमान में सोना पड़ा। वहां कोई प्रबंध नहीं था। क्या उन्हें मारने का कोई षडयंत्र किया गया था? यह उनका बयान छपा है।

मुझे आश्चर्य है कि यहां पर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इंटरवीन नहीं किया। सोनिया जी, जो सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसमें इंटरवीन नहीं किया। किसी ने इसमें इंटरवीन नहीं किया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): इस विषय से संबंधित नहीं है *...(व्यवधान)* वह इतना उत्तेजित क्यों हैं? *...(व्यवधान)* उन्हें अपना वक्तव्य वापस लेने दीजिए। *...(व्यवधान)* कृपया उन्हें नियंत्रित कीजिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप इसे छोड़ दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही कह दिया है। आप इतने परेशान क्यों हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मेरा यह कहना है कि वहां पर छह हजार यात्री चले गये हैं। *...(व्यवधान)*

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): मल्होत्रा जी, आपको सोनिया जी के बारे में ऐसा बोलने का क्या मतलब है? *...(व्यवधान)* आप अपनी बात कहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, आप इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत अधिक भावुक मत बनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, कृपया अपने दल के सदस्यों से कहिए कि व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, कृपया, अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वहां पर यात्रा के कोई प्रबंध नहीं किये गये, सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं किये गये। आतंकवादियों को खुली छूट है कि सरकार कोई प्रबंध नहीं कर रही है। इस समय तक वहां 10 हजार यात्री पहुंच गये हैं। अगर वहां कोई आतंकवादी घटना हुई, अगर इस प्रकार का प्रबंध किये बिना किसी यात्री की रास्ते में मृत्यु हुई, तो उसकी जिम्मेदारी जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ भारत सरकार पर होगी। इनको इस बारे में इमीडिएटली इंटरवीन करना चाहिए। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां पर यात्रा के पूरे प्रबंध किये जायें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सभा के नेता यहां हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब क्या आप उत्तर देना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): हमने सुना है ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आपने सुना है। लेकिन इस मामले में आप क्या करेंगे? ...*(व्यवधान)* माननीय संसदीय कार्य मंत्री जम्मू एवं कश्मीर के हैं ...*(व्यवधान)* उन्हें इस सभा को आश्वासन देना चाहिए ...*(व्यवधान)* सरकार को इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह उत्तर देने के लिए खड़े नहीं हुए हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रणव मुखर्जी: मैं यह कहना चाहता हूं कि कृपया कोई नयी परम्परा शुरू न करें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रवण मुखर्जी: महोदय, मैं कह रहा हूं कि सरकार उत्तर देगी लेकिन तत्काल नहीं।

अध्यक्ष महोदय: हां, ठीक है।

श्री प्रणव मुखर्जी: माननीय सदस्य सरकार से तत्काल उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। माननीय सदस्य, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा को यह अच्छी तरह ज्ञात है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, 15 जुलाई से पहले उन्हें कोई उत्तर देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: 15 जुलाई से पहले उन्हें उत्तर देना चाहिए। अब श्री रामजीलाल सुमन बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, एक लम्बे अरसे से ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रत्येक सदस्य को अवसर देने का प्रयास कर रहा हूं। जो व्यवधान डालेंगे। उन्हें कोई अवसर नहीं मिलेगा। श्री रामजीलाल सुमन, कृपया आप अपनी बात जारी रखिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: मैं आपकी आज्ञा का पूरा पालन करूंगा। ...*(व्यवधान)* पिछले समय किसानों की आत्महत्याओं के मामले काफी समाचार-पत्रों में प्रकाश में आए हैं, खासतौर से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। यह अत्यधिक गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में बोलिए और मूल बात कहिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अभी प्रधान मंत्री जी आंध्र प्रदेश गए थे। उन्होंने वहां पचास-पचास हजार रुपये की मदद की घोषणा मृतक किसानों के परिवारों को दी। अध्यक्ष महोदय, समस्या का हल यह नहीं है। असल और बुनियादी सवाल यह है कि किसान जो ऋण लेता है, उसकी उस ऋण को अदा करने की क्षमता खत्म हो गई है। यह बहुत गंभीर मामला है। जब-जब राज्य सभा या लोक सभा में किसानों की आत्महत्याओं से संबंधित सवाल उठाए गए, तब-तब सरकार ने यह कहकर टालने की कोशिश की कि यह राज्यों का विषय है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने सोचा अध्यक्षपीठ को संरक्षण की जरूरत है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: श्री नानाजी देशमुख ने राज्य सभा में जो सवाल किया, मेरे पास उसका जवाब है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज विश्व की तुलना में हमारी उपज दर कम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम कहीं खड़े नहीं होते। उपज दर कैसे बढ़े, उत्पादन लागत कैसे कम हो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया शान्त रहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह वाद-विवाद नहीं है। कृपया संक्षेप में बोलिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: हम आपका संरक्षण चाहते हैं और मैं आपके मार्फत आश्वासन चाहूंगा कि कृपा करके इस बारे में चर्चा कराने का कष्ट करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ऐसा किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि यह पूरे देश की समस्या है। यह किसानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है और खेती आज अलाभकारी बन गई है। इस सवाल पर बहुत गंभीरता के साथ चर्चा कराए जाने की आवश्यकता है। पूरे देश के किसानों में बेतहाशा बेचैनी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम चर्चा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आप अत्यंत वरिष्ठ सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री मुनव्वर हसन, श्री मोहन सिंह, श्री रवि प्रकाश वर्मा, श्री रेवती रमण सिंह, श्री राजनरायन बुधौलिया और श्री पारसनाथ यादव सभी सदस्यों ने सूचनाएं दी हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम क्या बोल रहे हैं, उसे आपको सुनने का धीरज नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सभी लोगों ने एक ही विषय पर सूचनाएं दी हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि संक्षेप में बोलकर अपने आपको एक दूसरे से सम्बद्ध कर लें। कृपया सहयोग दीजिए। अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें सदस्यगण उठाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप आधे मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री रामजीलाल सुमन ने किसानों की आत्महत्याओं से संबंधित जो मामला उठाया है, वह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उसका समर्थन करते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि किसान जो उत्पादन कर रहा है, उसको उसका लाभ मूल्य नहीं मिल पा रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो पचास हजार रुपये की घोषणा की है, उनसे किसान अपना कर्ज अदा करेगा या अपना परिवार चलाएगा। यह बहुत गंभीर मामला है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इस बारे में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा कराई जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ऐसा किया जाएगा। मैं सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे बोलने दें। इस पर चर्चा की जाएगी। मैंने इस प्रस्ताव को पहले ही अनुमति दे दी है। इस पर पूरी चर्चा की जाएगी। आप उसमें भाग ले सकते हैं। इस समय

[अध्यक्ष महोदय]

मैं केवल यह कह रहा हूं कि इस मुद्दे की महत्ता मान ली गई है। इसलिए, कृपया अपने को सम्बद्ध कीजिए ताकि हम किसी अन्य विषय पर चर्चा कर सकें। इस मुद्दे का महत्व कोई कम नहीं कर रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री मुनव्वर हसन, कृपया अपने को सम्बद्ध कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मुनव्वर हसन (मुजफ्फरनगर): अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में खेती करना नुकसान का सौदा साबित हो रहा है। इसके लिए किसान ऋण को वापस नहीं चुका पा रहा है और न ही वह अपने परिवार का पेट पालन कर पा रहा है। इससे परेशान होकर किसान आत्महत्या करने पर उतारू हो रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. बंगारप्पा (शिमोगा): महोदय, आप इस विषय पर चर्चा की अनुमति क्यों नहीं देते हैं?

अध्यक्ष महोदय: मैंने चर्चा की अनुमति दी है और उचित समय पर इस पर चर्चा होगी। आप यह प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा से पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सभा के इतने वरिष्ठ सदस्य हैं कि आपको ऐसा मानदण्ड स्थापित नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे लोग दिग्भ्रमित हों।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इतना गंभीर मामला है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था। सदन की यह परम्परा रही है कि पहले कार्य स्थगन प्रस्ताव सुना जाता है। आपने शून्यकाल शुरू करा दिया। हमारा कार्यस्थगन प्रस्ताव शुरू नहीं कराया। यह परम्परा पहले से रही है। पहले आप कार्य स्थगन प्रस्ताव सुनते थे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पहले उन्हें अपना निवेदन करने दीजिए। श्री मुनव्वर हसन, कृपया संक्षेप में बोलिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुनव्वर हसन: अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में किसान आत्महत्या करने पर पिछले कई सालों से मजबूर हो रहा है और सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। किसान को अपनी उपज का दाम ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो या हरियाणा में हो या पंजाब में हो। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने आप को सम्बद्ध करें। इस मामले को पहले ही उठाया जा चुका है और इस पर चर्चा की जायेगी।

[हिन्दी]

श्री मुनव्वर हसन: इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए नियम 193 में चर्चा कराई जाए जिससे किसानों की समस्या का कोई समाधान हो सके। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन सिंह।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन सिंह कृपया अपनी बात संक्षेप में स्पष्ट रूप से कहें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, जो हमारे मित्रों ने किसानों की व्यथा आपके सामने प्रकट की है, मैं उससे स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। कल इस महत्वपूर्ण सवाल पर इसी सदन में एक सवाल पूछा गया था और उस पर आत्महत्याओं से मरने वालों की संख्या जो दी गई थी, वह संख्या 1100 से ऊपर की थी। आत्महत्याओं का जो कारण बताया गया, उस कारण में सरकार की ओर से बताया गया कि सरकारी और बैंकों का ऋण अदा करने की किसानों की हैसियत नहीं है। यह बात सही है कि सरकार किसानों की व्यथा से और उनकी आत्महत्याओं के बुनियादी कारणों से पूरी तरह से परिचित है और उसके प्रति जिस गंभीरता की आवश्यकता और अपेक्षा सरकार से है, वह गंभीरता सरकार की ओर से नहीं दिखलायी जा रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात आप इस प्रश्न को उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस पर आप बहस करा लें। सरकार को सारे तथ्य और उसके विकल्प दोनों बातें सदन के सामने रखनी चाहिए। मैं इस पर बहस की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि इस विषय पर चर्चा की जायेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रवि प्रकाश वर्मा कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें, केवल अपने विचार रखें।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): महोदय, मैं अपनी बात एक मिनट में रखूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, यह उदारीकरण की नीति का प्रभाव जो धरती पर हो रहा है, उससे खेती की स्थिति बहुत खराब हो रही है। उस पर दुबारा से पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हम लोग एक बिजनैस एन्टरप्राइज के रूप में उसको आगे डैवलप कर सकेंगे। मैं अपने साथियों के साथ इससे एसोसिएट करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। श्री रेवती रमण सिंह, कृपया अपनी बात मामले तक ही सीमित रखें।

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, रामजीलाल सुमन जी ने जो कहा है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। लेकिन दो बातें मैं इससे जोड़ना चाहता हूं। आजादी के बाद 60 के दशक में अमरीका में जो जानवरों को गेहूं खिलाया जाता था, वह गेहूं भारत में हम लोग इम्पोर्ट करने लगे। यहां के किसानों ने पैदावार में इतनी वृद्धि की और उसका नतीजा यह हुआ कि आज भारत सैल्फ-सफिशिएंट हो गया है। लेकिन हमने किसानों को क्या दिया। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बनाया गया और वह कमीशन जो भाव तय करता है, वह किसानों की लागत से कहीं कम तय करता है। उसका नतीजा यह हो गया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इस मामले को इस पर चर्चा होने के बाद उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: अध्यक्ष जी, एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। किसान हत्या ही नहीं कर रहा है, उसका खेत, बाग और मकान सब बिक रहा है। मैं मांग करूंगा कि किसानों के लिए अलग से एक कमीशन बनाया जाए, इस पर चर्चा हो। पूरा सदन इस बात से सहमत है कि इसके लिए कमीशन बनाया जाए और तीन महीने के अंदर इस नीति में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। श्री राजनारायण बुधोलिया, अनुपस्थित हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दें।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आपने कोई सूचना नहीं दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी: मेरा यह निवेदन है कि किसानों को उचित मूल्य मिलने के विषय पर और ड्राउट सिचुएशन पर अलग-अलग चर्चा समयाभाव के कारण नहीं हो पाएगी इसलिए इन दोनों विषयों को मिलाकर बहस की अनुमति आप दे दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। अब श्री गुरुदास दासगुप्त बोलेंगे। श्री दासगुप्त, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं पूरे सभा का सहयोग चाहता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें। यह महत्वपूर्ण मामले हैं जो उठाये जा रहे हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सिर्फ सरकार का ही नहीं।

[अनुवाद]

यह सभी दलों के लिए चिंता का विषय है। भविष्य निधि संगठन के संबंध में एक गंभीर सूचना प्राप्त हुई है। भविष्य निधि में अंशदान करने वाले लगभग 49 प्रतिशत अंशदाता हैं जिनकी संख्या 1.5 करोड़ से कम नहीं है और जिनमें से अधिकांश दिहाड़ी अथवा ठेका श्रमिक हैं, को उनका भविष्य निधि बकाया नहीं मिल रहा है। इसका कारण यह हो कता है कि ये लोग अपने नियोक्ताओं को बदलते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते-जाते रहते हैं। अत: कोई खाता नहीं रखा जाता है जिसके परिणामस्वरूप इस योजना में शामिल लगभग तीन करोड़ लोगों में से लगभग 49 प्रतिशत अंशदाताओं को धनराशि की वापसी नहीं होती है। उन्हें उनके जीवन भर के बचत से वंचित कर दिया जाता है। यह गोपनीय रिपोर्ट भविष्य निधि संगठन को सौंपी गई है। इसे संगठन द्वारा पूरी तरह दबा कर रखा गया है और इसको प्रकाश में नहीं लाया गया है।

महोदय, स्थिति यह है कि उनके वेतन से धनराशि की कटौती की जा रही है उन्हें इसकी वापसी नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय: आपने रिपोर्ट का उल्लेख किया है और यह पर्याप्त है। इस पर और अधिक चर्चा नहीं होगी।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, अब मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री गुरुदास दासगुप्त के निवेदन के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। श्री दासगुप्त कृपया अपनी बात समाप्त करें।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं आप सभी से अपनी बात पूरी करने में सहयोग देने का अनुरोध करता हूं। कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जा रही है वे इसका भुगतान नहीं कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप भविष्य निधि संगठन में 8,000 करोड़ रुपये बगैर किसी दावे के जमा हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में कहें।

श्री गुरुदास दासगुप्त: लोगों की स्थिति खतरे में है। मैं सरकार से हस्तक्षेप किये जाने की मांग करता हूं क्योंकि लोगों के धन का ही गबन श्रम मंत्रालय और भविष्य निधि संगठन द्वारा किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: सरकार द्वारा तत्काल हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता है। सारा मामला समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दें क्योंकि मैं उसकी बात पर अपनी सहमति प्रकट करना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब तक मैं किसी का नाम न लूं, कृपया कोई स्वयं न बोले। श्री लक्ष्मण सेठ आप अपनी सहमति प्रकट कर सकते हैं। आप कोई भाषण नहीं देंगे।

श्री लक्ष्मण सेठ: श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन करते हुए मैं सभा को कतिपय अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत कराना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि सरकार एक समान कोड लागू करे जो देशभर में लागू हो। इसके अतिरिक्त भविष्य निधि संगठन के कार्यालय उन सभी स्थानों पर स्थापित किये जाने चाहिए जहां अधिकतम संख्या में संगठित और असंगठित श्रमिक कार्य कर रहे हैं। अन्यथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को धन की वापसी नहीं होगी। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं आपका और सरकार का हस्तक्षेप चाहता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब मैं किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। अब मैं श्री अनंत गंगाराम गीते को बोलने के लिए बुला रहा हूं।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर): हमें भी बोलने का मौका दिया जाए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, आपने कोई सूचना नहीं दी है। आप इस प्रकार नहीं बोल सकते हैं। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष जी, पिछले एक साल में महाराष्ट्र के 15 जिलों ठाणे, नासिक और विशेषकर विदर्भ के कई जिलों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लगभग नौ हजार बालकों की मृत्यु हो गई। इन बालकों की उम्र छः साल से कम थी। इनकी मौत का मुख्य कारण कुपोषण था। उनको सही पोषण और पोषण के लिए आवश्यक आहार मिलना चाहिए था, जिसके न मिलने की वजह से इन नौ हजार बालकों की मृत्यु हो गई।

यह जो रिपोर्ट है, सर्वे है, यह महाराष्ट्र सरकार का है। जब इस सर्वे को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' तथा दूसरे अखबारों ने पब्लिश किया तब महाराष्ट्र उच्च-न्यायालय के एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश श्री शाह ने एक जनहित याचिका दायर करवाई। इसी के साथ-साथ पीएमओ ने भी इस खबर को देखते हुए महाराष्ट्र के चीफ-सैक्रेट्री को बुलाकर इसकी रिपोर्ट मंगवाई है। आज महाराष्ट्र सरकार हर क्षेत्र में असफल हुई है और उस असफलता के कारण ट्राइबल-एरियाज के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचति जनजाति के लोगों को जो सहायता मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पा रही है। महाराष्ट्र की कुल आबादी का नौ प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जनजाति का है। अगर इस जनजाति को सही जीवनयापन करना है तो राज्य सरकार के बजट में कम से कम नौ सौ करोड़ रुपये का प्रावधान होना चाहिए जोकि उनकी मांग भी है। लेकिन राज्य सरकार ने केवल दो सौ करोड़ रुपये का प्रावधान ही पिछले साल किया है। धन की कमी के कारण राज्य सरकार इन अनुसूचित जनजाति के बालकों के पोषण के लिए सही योगदान नहीं दे पाई है। भारत सरकार के अनुसूचित जनजाति मंत्रालय की ओर से जो कई योजनाएं चलाई जाती हैं और धन का प्रावधान किया जाता है, मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार को अधिक धन की सहायता करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसे नोट किया है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: इसी के सात-साथ पीएमओ ने जो इस ओर ध्यान दिया है और आज संसद का सत्र भी चल रहा है, इसलिए इस स्थिति के बारे में जो राज्य सरकार की वास्तविक स्थिति है, उसका निवेदन भारत सरकार की ओर से किया जाए। मैं राज्य सरकार की असफलता की निंदा करता हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, यह एक गंभीर मामला है। सरकार को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। इसे इस प्रकार कैसे छोड़ा जा सकता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हर कोई अध्यक्षपीठ पर दबाव बना रहा है। इसकी कोई सीमा होती है।

...(व्यवधान)

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी: महोदय, यह एक अत्यंत गंभीर मामला है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): अध्यक्ष जी, वैसे तो हमेशा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। जब तक मैं श्री रामदास आठवले को नहीं अनुमति देता हूं कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। श्रीमती सुमित्रा महाजन कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें। इससे और लोगों को भी अवसर मिलेगा। मैं सभी को अवसर देने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: अध्यक्ष जी, वैसे तो हमेशा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार की चर्चा होती है लेकिन मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर बात रख रही हूं। हमारे सामने महिला-आयोग की रिपोर्ट है जो पश्चिम बंगाल से संदर्भित है। इस रिपोर्ट में जो बातें लिखी हुई हैं वे काफी गंभीर हैं। कई बातें गैंग-रेप के बारे में हैं कि किस तरह से बारात में से लड़कियों को उठाकर गैंग-रेप किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती सुमित्रा महाजन की बात को छोड़कर, अन्य किसी की बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: अध्यक्ष जी, नाडिया में ऑशमाली विलेज में बारात से महिलाओं को उठाकर 10-12 लड़कियों के साथ गैंग-रेप हुआ था। उसके बाद मिदनापुर के गैलतोर में गैंग-रेप हुआ तथा उसके बाद बशीरहाट में कई गैंग-रेप हुए थे। महिला आयोग की रिपोर्ट गंभीर इसलिए है कि वहां पर 25 साल से एक ही पार्टी की सरकार चल रही है लेकिन वहां पर विच-हंटिंग हो रही है ...*(व्यवधान)* यह क्यों हो रहा है ...*(व्यवधान)* यह बात मैं अपने मन में नहीं बोल रही हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यहां राज्य सरकार नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: मैं यह नहीं कह रही हूं।

अध्यक्ष महोदय: अपना पक्ष रखने के लिए कोई राज्य सरकार यहां उपस्थित नहीं है। अत: आप कृपया केन्द्र सरकार से संबंधित मामलों का ही उल्लेख करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: महोदय, मैं केन्द्र सरकार की ही बात कर रही हूं। यह महिलाओं से संदभिर्भत बात है। इससे भी गंभीर बात यह है कि वहां विच-हंटिंग क्यों होता है, क्योंकि वहां के विलेजेज में इलैक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, एजुकेशन की कमी है। ...*(व्यवधान)* पश्चिम बंगाल को मदद चाहिए, तो मिल सकती है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर): आप ऐसा क्यों कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की बात सुनिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप भी तो ऐसे ही कर रही हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती सुमित्रा महाजन, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप एक अनुभवी सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती समित्रा महाजन: कुछ इसी प्रकार के केसेज महाराष्ट्र के बारे में भी आयोग ने रिपोर्ट किए हैं। उड़ीसा के भी हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती ज्योर्तिमय सिकदर, कृपया बैठ जाइए?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती करुणा शुक्ला, आप भी यही कार्य कर रही हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप क्रियान्वयन नहीं किये जाने की बात करती हैं। लेकिन मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया मेरे द्वारा दिए गए अवसर का दुरुपयोग नहीं करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: महोदय, महिलाओं की स्थिति के बारे में सदन में चर्चा होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती करुणा शुक्ला, आप अपनी सहमति प्रकट कर सकती हैं, कृपया भाषण न दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया भाषण न दें, कृपया अपनी सहमति प्रकट करें।

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सुमित्रा ताई जी ने जो विषय सदन में उठाया है, मैं उसका समर्थन करती हूं। महिलाओं के विषय में पश्चिम बंगाल में जो हालत हो रही है, उस पर केन्द्र सरकार ध्यान दे। ...*(व्यवधान)* पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति सुनने के लिए तैयार रहिए। ...*(व्यवधान)* पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। ...*(व्यवधान)* महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुमित्रा महाजन: महोदय, मैंने कहा है कि महिला राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, कृपया बैठ जाइए। अध्यक्ष बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुद्दा प्रतिवेदनों का क्रियान्वयन न किये जाने का है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सुनील खां, कृपया सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैडम, आपने राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिवेदनों को क्रियान्वित न किये जाने के बारे में सूचना दी थी। यहां अपना बचाव करने के लिए राज्य सरकार नहीं है। दुर्भाग्य से, आपने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। मैंने आपको केवल अनुमति दी है, और आपको कहना चाहिए था कि इन प्रतिवेदनों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। लेकिन आप उस राज्य सरकार के विरुद्ध आरोप लगा रही हैं जो अपनी बचाव नहीं कर सकती।

श्रीमती करुणा शुक्ला: ये आरोप मैंने नहीं लगाए हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अत:, श्रीमती करुणा शुक्ला अपने को श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा दिए गए वक्तव्य से सम्बद्ध करती हैं।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल): अध्यक्ष महोदय, आप सदन के कस्टोडियन हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि जो पुराने सदस्य हैं, उनसे कहें कि कम से कम नये सदस्यों को बोलने का मौका दें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड प्रदेश में पाकुड़ और साहेबगंज, इन दो जिलों में 70 हजार बीड़ी मजदूरों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री मुर्मू को बोलने की अनुमति दी है। वे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहते हैं। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, क्या आपको पता है कि आपका स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मुर्मू जो कह रहे हैं उसके अतिरिक्त अन्य कुछ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं *...(व्यवधान)*। आप दूसरे पक्ष के सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहे हैं। शुरू में ही आपने मुझे अनुमति देने का वादा किया था *...(व्यवधान)* मैंने प्रश्न काल स्थगित करने की बात उठाई थी। आपने बताया था कि आप मुझे बोलने का अवसर देंगे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने यह नहीं कहा था। मैंने इस पक्ष से कितने सदस्यों को बोले की अनुमति दी और उस पक्ष से कितने सदस्यों को बोलने की अनुमति दी? आप अध्यक्षपीठ के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। वरिष्ठ सदस्य बैठे हुए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्षपीठ के विरुद्ध आप इस प्रकार आरोप लगा रहे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यहां वरिष्ठ सदस्य बैठे हुए हैं। क्या आप चाहते हैं कि सभा का कार्य इसी प्रकार चले?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही सूचना दे दी है कि स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं को अनुमति नहीं दी गई है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप किस नियम के अंतर्गत मुझे बता रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): उन्होंने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं दी हैं। उन्हें अनुमति न देने से पहले, कृपया उनकी बात सुनिए *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा करने का कोई नियम या कोई परम्परा नहीं है। मैंने श्री हेमलाल मुर्मू को बुलाया है, और इसके अतिरिक्त अन्य कुछ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, क्या आप किसी अन्य माननीय सदस्य को अपनी बात कहने नहीं देने देंगे?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी बात भी सुन ली जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया समय देखिए। अभी बहुत अधिक समय शेष है। कृपया धैर्य रखिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू: मैं झारखंड प्रदेश के पाकुड और साहिबगंज दो जिलों में 70 हजार बीड़ी मजदूरों की माली हालत की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इन दो जिलों में 70 हजार बीड़ी मजदूर बीड़ी निर्माण करके अपना जीवन-यापन करते हैं। बीड़ी निर्माण के समय तम्बाकू की डस्ट जो उनके पूरे शरीर में प्रवाह करती है, उसकी वजह से मजदूरों की अकाल मृत्यु हो जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा सहयोग के तौर पर प्रति हजार बीड़ी निर्माण में जो एक रुपये मिलते हैं, वे बहुत कम है। मेरी मांग है कि पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में एक से एक ऐसे अस्पताल का निर्माण हो जहां बीड़ी मजदूरों का नि:शुल्क इलाज हो सके।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: कोई आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं आपका ध्यान केवल गुजरात की वर्तमान स्थिति की तरफ आकृष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं—वहां हाल ही में अहमदाबाद में चार लोगों की हत्या हुई है जिसमें से दो भारतीय नागरिक थे, और अहमदाबाद में अपराध शाखा का दावा है कि अन्य दो आतंकवादी थे। गत दो वर्षों में चार घटनाएं घटीं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी सूचना केन्द्रीय दल भेजने के लिए है। आप केवल उसका उल्लेख कर सकते हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं स्थिति का केवल उल्लेख कर रहा हूं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सभा के सदस्यों ने गुजरात की स्थिति को 'मिनी इमर्जेन्सी' की तरह बताया है जहां चुने हुए प्रतिनिधि अपनी राय नहीं व्यक्त कर पाते हैं। इस संदर्भ में मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि गुजरात की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए अधिकारियों का एक दल भेजे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हां, आप केन्द्र का उल्लेख कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री: उसे चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति को लिखे कि वे गुजरात से राज्यपाल की रिपोर्ट मांगें क्योंकि वहां भयंकर स्थिति है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया राज्य सरकार का उल्लेख न करें। आप केवल केन्द्र का उल्लेख कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री: गत दो वर्षों से गुजरात में फर्जी मुठभेड़ें हो रही हैं। इसकी जांच की जानी है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री पुन्नूलाल मोहले बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, वह उसका उल्लेख कर रहे हैं आप केवल उन्हें अनुमति दे रहे हैं*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह मैंने कहा है। आपको अध्यक्षपीठ पर उद्देश्य थोपने नहीं चाहिए। आप कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। मैंने यह कहा है। आपको प्रतीक्षा करनी होगी। आप यहां अध्यक्ष से बड़े नहीं हैं। श्री स्वाईं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप आश्वस्त हो सकते हैं। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। अब श्री पुन्नूलाल मोहले बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप यह नहीं बता सकते कि अध्यक्षपीठ को क्या करना है। मैंने आपके दल के एक अन्य सदस्य श्री पुन्नू लाल मोहले को बुलाया है। श्री पुन्नू लाल मोहले जो कह रहे हैं उसके अतिरिक्त अन्य कुछ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री मधुसूदन मिस्त्री, कृपया बैठ जाइए। आपने अपना वक्तव्य पूरा कर लिया है। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुलाया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप सोचते हैं कि कोई भी इस सभा में मनमानी कर सकता है? जब तक मैं यहां हूं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं। यह बात समझनी चाहिए। यहां कोई अपना अधिकार नहीं दिखा सकता है।

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र सरकार से धान खरीद के मामले में मांग की है। नई छत्तीसगढ़ सरकार बनी है और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में धान की उपज ज्यादा होती है। वहां धान की उपज पर 1100 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इस कारण से छत्तीसगढ़ राज्य का विकास नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार के 700 करोड़ रुपये धान खरीदी में खर्च हो जाते हैं। सरकार को आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ता है। वहां की सरकार ने 1100 करोड़ रुपये की मांग इस कारण से की है कि जिससे एफसी.आई. द्वारा धान की खरीद की जा सके। एफ.सी.आई. द्वारा धान खरीदे जो से प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, उसका पैसा बचेगा। प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोगों को अच्छे ढंग से स्तर सुधरेगा, उनकी उन्नति होगी। मेरी सरकार से मांग है कि केन्द्र सरकार 1100 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ सरकार को धान खरीदी के लिए दे ताकि एफ.सी.आई. द्वारा धान खरीदी जा सके। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती मिनाती सेन जो कह रही हैं उसके अतिरिक्त अन्य कुछ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): महोदय, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए जो विशेष अवसर आपने मुझे दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में और विषय से सम्बद्ध बात बोलिए।

श्रीमती मिनाती सेन: मैं सरकार का ध्यान अक्तूबर 2003 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तत्कालीन राजग सरकार को जारी आदेश की तरफ आकृष्ट करता हूं जो एनटीसी मिल्स के जनरल स्टाफ के बढ़े हुए वेतन के बारे में है।

यह आदेश गत तीन दशकों में मजदूरी संबंधी समझौता न हो पाने के कारण जारी हुआ था। यह दुर्भाग्य है कि पूर्ववर्ती सरकार जून 2004 तक कोई कार्यवाही नहीं कर सकी। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अविलम्ब कार्यवाही करे।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

[हिन्दी]

प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बुलाऊंगा। मैंने आपको बुलाने का वादा किया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने एक किताब मुझे भिजवायी है।

अध्यक्ष महोदय: हमने नहीं भिजवायी।

श्री प्रभुनाथ सिंह: आपके सैक्रेटरी-जनरल ने भिजवाया है। आज आप अध्यक्ष के रूप में हैं लेकिन कल तक एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में आपने जो परम्परा कायम की है और आपने जो किया है, हमने आपके किए हुये कार्य को देखा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अगर मैंने कोई गलत कार्य किया है तो उनका अनुकरण मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमने उस परम्परा के अनुसार यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है। जब आप इधर इस कुर्सी पर बैठे थे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप रूल बताइये।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने रूल देखे हैं जो इधर इस जगह से बैठकर मामले उठाये हैं। हम उसका अनुसरण करना चाहते हैं और हम सिर्फ आपका अनुसरण करना चाहते हैं क्योंकि आप वरिष्ठ सदस्य रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका नाम भी भार्गव के बाद पुकारूंगा। मैं आपकी धैर्य की परीक्षा करने का प्रयास कर रहा था।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: आपने इस जगह से खड़े होकर जो व्यवस्था कायम की है, हम उस व्यवस्था के तहत आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपने जो परम्परा कायम की है, उस परम्परा को पूरी तरह रखिए। अगर आप उस परम्परा को कायम नहीं रखेंगे तो मेरे मन में यह बात रहेगी ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.44 बजे

(दो) जयपुर में मेट्रो रेल सेवा शुरू किये जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, किस्मत से माननीय रेल मंत्री जी हमारे सामने विराजमान हैं। जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है जबकि दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जिससे यातायात व्यवस्था में गड़बड़ हुई है। इसी प्रकार जयपुर शहर के आसपास गांवों के कारण जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ी है। इसलिए माननीय रेल मंत्री जी मेरा अनुरोध है कि यदि मेट्रो रेल परियोजना आपके जुरिस्डिक्शन में है तो जैसे दिल्ली में हुआ है जिसे देखकर लोगों को अचम्भा होता है। उसी प्रकार जयपुर की आबादी बहुत घनी होने के कारण अब 25 लाख तक पहुंच गई है, क्या निश्चित रूप से जयपुर में मेट्रो रेल परियोजना पर विचार करेंगे। क्या उसके लिए नक्शे बनवायेंगे, उसके लिए पैसा देंगे ताकि जयपुर शहर में भी मैट्रो रेल परियोजना लागू हो जाये। यही मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय: भार्गव जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने संक्षेप में ही अपनी संगत बात कही। आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर की जनता का और इनके सैंटिमेंट्स का आदर करता हूं। मैं इस मामले को देखूंगा। लेकिन जब माननीय सदस्य हाउस कमेटी के चेयरमैन थे, हमें इन्होंने क्वार्टर नहीं दिया था।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने इन्हें कहा था लेकिन इनका कहना था कि मुझे बिहार मिल गया है, इसलिए मकान नहीं चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेट्रो रेल के संबंध में आपको आश्वासन मिल चुका है। यह अधिक महत्वपूर्ण है।

बिना दृष्टान्त बनाए हुए, मैं श्री प्रभुनाथ सिंह का नाम पुकार रहा हूं। यह दृष्टान्त नहीं होगा। इस तरह का कोई नियम नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम बहुत कम समय में बोलना चाहते हैं। महोदय जब से यह सरकार बनी है, तब से देश के विभिन्न प्रदेशों जैसे जम्मू-कश्मीर, असम, त्रिपुरा में विभिन्न आतंकवादी संगठनों के द्वारा आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और प्रतिदिन इन घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 जून, 2004 को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में किये गये दो ग्रेनेड हमलों में कम से कम 19 लोग घायल हो गये, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर थी और कुछ लोग मर भी चुके हैं। तीन जुलाई, 2003 को श्रीनगर और अनंतनाग में शक्तिशाली विस्फोट कर दो व्यक्तियों की हत्या कर दी गई और तीन सैनिकों समेत अन्य 58 लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। 25 जून, 2004 को श्रीनगर के निकट पुलवामा जिले में इरकॉन के इंजीनियर और उनके भाई की हत्या कर दी गई। 24 जून, 2004 को असम के शिवसागर जिले में संदिग्ध उल्फा उग्रवादियों के द्वारा एक सरकारी बस में किये गये बम विस्फोट में कम से कम सात व्यक्तियों की मौत हो गई और अनेक घायल हो गये। इसी तरह 19 जून, 2004 को असम के तिनसुकिया शहर में भीड़-भाड़ वाले बाजार में बम विस्फोट में 12 लोग जख्मी हो गये, जिनमें से कुछ लोगों की स्थिति नाजुक है। 23 जून, 2004 को उत्तरी त्रिपुरा में कंचनपुर सब-डिवीजन में 24 अपहृत नागरिकों से फिरौती की कीमत के रूप में आतंकवादियों ने 50 लाख मांगे हैं और उन्हें अपहृत कर वे बंगलादेश ले गये हैं। प्रशासनिक लापरवाही के कारण आतंकवादी संगठन एन.एल.एफ.टी. ने उत्तरी त्रिपुरा के 24 व्यावसायियों को अगवा कर बंगलादेश ले जाने का काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, हम बताना चाहते हैं कि जब से यह सरकार बनी है, देश के विभिन्न प्रदेशों में आतंकवाद की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है। मीडिया में, चैनलों पर और अखबारों में ये समाचार आ रहे हैं और देश के लोग इससे बहुत चिंतित हैं और मैं महसूस करता हूं कि सदन भी इससे चिंतित होगा और महोदय, आप भी सबसे ज्यादा चिंतित होंगे। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यह बहुत गंभीर सवाल है। ऐसे सवाल पर सदन की कार्रवाई रोककर इस पर विशेष बहस करानी चाहिए कि इसमें सरकार की क्या चिंता है। देश में जो हालात बनते जा रहे हैं उनसे सरकार कितनी चिंतित है तथा इन्हें रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। इन सब सवालों पर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद। अब श्री स्वाईं बोलेंगे। किंतु मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि इसे कल से नहीं दोहराया जायेगा। नियमों में पीछे जो कुछ हुआ उसके बावजूद भी स्थगन प्रस्ताव के इस स्पष्टीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: इस पर चर्चा का कोई सवाल नहीं है। आपके नियमन पर हम कोई चर्चा और आपत्ति नहीं करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है किंतु यदि आप नियम का पालन करते तो अच्छा होता।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, जब आप यहां बैठते थे तो उस समय क्या होता था, इसलिए आप नियम बना दीजिए। इसलिए यहां पर ख्याल रखकर कोई निर्णय कीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे विश्वास है कि इस पर चर्चा की जाएगी।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैंने सिर्फ इसलिए इसे उठाया कि यह पिछली लोक सभा में प्रचलित था। अन्यथा मैं आपसे कुछ नहीं कहता। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब कृपया बोलें। मैंने आपको पीठ पर आरोप लगाने, जिसे मैं अस्वीकार करता हूं, के बावजूद भी अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामकृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, क्या हम सदन के सदस्य नहीं हैं, क्या हमें कोई अधिकार नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सर, मेरा भी नोटिस है।

अध्यक्ष महोदय: श्री डी.पी. यादव जी के अलावा और कोई नोटिस नहीं है, यह सही बात है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सिर्फ आपकी सूचना है। इसे इस समय ग्राह्य नहीं किया जा सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने कोई सूचना नहीं दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरे उत्तर की प्रतीक्षा कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उनके लिए आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, अहमदाबाद, गुजरात में 15 जून को पुलिस द्वारा चार आतंकवादी मारे गए। इनमें से एक मुम्बई की थी और वह कालेज की छात्रा थी। उसका नाम इशरत जहां था। यह सबसे आश्चर्यजनक है कि गुजरात में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने ...* इसे फर्जी मुठभेड़ बताया है।

अध्यक्ष महोदय: यह संसद से बिल्कुल संबंधित नहीं है। यह राज्य सरकार से संबंधित मामला है।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, आपको मेरा वक्तव्य पसंद नहीं आ सकता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको उल्लेख करने की अनुमति नहीं दे सकता। आप उस व्यक्ति का उल्लेख कर रहे हैं जो यहां नहीं है।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, कुछ लोगों ने इस आतंकवादी की मां की वित्तीय सहायता की है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस विषय की ग्राह्यता के बारे में निर्णय लूंगा।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री खारबेल स्वाईं: मैं सरकार से अपील करता हूं कि जिन लोगों ने आतंकवादी को वित्तीय सहायता दी है को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन्हें जेल में बंद करना चाहिए क्योंकि वे राष्ट्रविरोधी व्यक्ति हैं। *...(व्यवधान)* यह आतंकवादियों के अनुकूल सरकार है जो पोटा का निरसन करना चाहती है। *...(व्यवधान)* महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर नियम 193 के अधीन पूरे विस्तारपूर्वक चर्चा होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस विषय की ग्राह्यता के बारे में निर्णय लूंगा और यदि कुछ भी आपत्तिजनक कहा गया है तो इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव। कृपया किसी का नाम नहीं लीजिए। यदि आप किसी का नाम लेते हैं तो इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा। कृपया आरोप नहीं लगाएं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं तात्कालिक, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को आपके आदेश से उठाना चाहता हूं। यह 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दैनिक समाचारपत्र में भी छपा। कारगिल युद्ध के समय जब टाइगर हिल पर युद्ध चरम सीमा पर था, उस वक्त भारत सरकार के तत्कालीन रक्षा मंत्री, तेलगी स्टाम्प घोटाले के अभियुक्त और जिस तेलगी स्टाम्प घोटाले में 30 हजार करोड़ रुपये का घोटाला बताया जाता है, उसमें तेलगी, तेलगी का भाई, *...(व्यवधान)**।

श्री रामदास बंडु आठवले: अध्यक्ष महोदय, यह देखिए, मेरे हाथ में यह पेपर की एक फोटो कापी है, *...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसका लोप कर दूंगा। मैंने श्री यादव से नाम नहीं लेने के लिए कहा था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: लिया गया कोई भी नाम कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल किया जायेगा। आप क्यों धैर्य नहीं रखते हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री यादव, मैं अब इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपसे कोई नाम नहीं लेने का अनुरोध किया था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: विशेष उल्लेख अब समाप्त होता है।

श्री गुलाम नबी आजाद कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

अपराह्न 12.52 बजे

कार्यमंत्रणा समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मैं कार्यमंत्रणा समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.53 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 13–नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

(एक) तमिलनाडु के डिंडीगुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चीनी मिलों को चालू किये जाने तथा इस क्षेत्र की मिलों के लिए निर्धारित गन्ने को भी रजिस्टर किये जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): मेरे डिंडीगुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु में दो चीनी मिलें स्थित हैं। एक सार्वजनिक क्षेत्र में पंडियाराजपुरम में है जिसका नाम मदुरा शुगर्स है और दूसरा नेशनल कोआपरेटिव शुगर मिल्स के अधीन अलानगनाल्लुर में हैं।

वर्ष 1986 में नेशनल कोआपरेटिव शुगर मिल्स की स्थापना हुई थी। वर्ष 1989 में मिल की पेराई क्षमता का विस्तार कर 25000 मीटरी टन कर दिया गया। मिल का 172 दिनों के लिए पेराई क्षमता प्रतिदिन 2500 मीटरी टन के हिसाब से 4,30,000 मीटरी टन है। मिलों में करीब 500 कर्मचारी प्रत्यक्ष तौर पर नियोजित हैं और इतने ही लोग परोक्ष रूप से नियंत्रित हैं। नेशनल कोआपरेटिव शुगर मिल्स को 2002-03 के मौसम से पेराई कार्य की अनुमति नहीं दी गई है और इसलिए मिल का प्रचालन बन्द है। मुझे पता है कि प्राधिकारियों द्वारा इसके लिए कोई विशेष आदेश नहीं दिया गया है। इसलिए पेराई के लिए इस मिल के लिए रजिस्ट्रीकृत गन्ना अनाधिकृत रूप से नजदीक के गैर-सरकारी चीनी मिलों को दिया जा रहा है। पुन: आगे की अवधि अर्थात् 2002-03 से गन्ना पंजीकरण की अनुमति नहीं दी गई और इसलिए रोक दी गई है।

यह निवेदन है कि इन दो चीनी मिलों को छोड़कर दक्षिण तमिलनाडु में सार्वजनिक अथवा सहकारी क्षेत्र में कोई अन्य मिल नहीं है। यह लगभग 10000 गन्ना उत्पादकों की आवश्यकता पूरी करता है।

मैं माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह संबंधित प्राधिकारी को मिलों के लिए निर्धारित क्षेत्र में गन्ना की रजिस्ट्री करने और इसके लिए अपेक्षित निधियों की व्यवस्था करें।

(दो) प्रधानमंत्री अनुदान परियोजना को फिर से शुरू किये जाने तथा 'मुम्बई रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड' के लिए पर्याप्त धन दिये जाने की आवश्यकता

श्री मिलिन्द देवरा (मुम्बई-दक्षिण): महोदय, हमारे देश में अनेक शहर बढ़ती आवास समस्या का सामना कर रहे हैं। मुम्बई में बड़ी संख्या में लोग पुराने और जीर्णशीर्ष इमारतों और गंदी बस्तियों में रहते हैं। वर्ष भर और विशेषकर मानसून के दौरान पुराने मकान ढह जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। महाराष्ट्र सरकार ने इन पुराने मकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के उत्तरदायित्व के साथ मुंबई रिपेयर एण्ड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड की स्थापना की थी।

दुर्भाग्यवश, धन की तंगी के कारण गठित बोर्ड अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह प्रभावी रूप से करने में असमर्थ है। इस समस्या को समझते हुए दिसम्बर 1985 में हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने प्रधान मंत्री की अनुदान परियोजना बनाई थी। उस समय केन्द्र सरकार ने मुंबई शहर में एक शहरी नवीकरण कार्यक्रम के लिए एक सौ करोड़ रुपये का अनुदान दिया था जिसके परिणामस्वरूप अनेक पुराने भवनों का पुनर्निर्माण किया गया और मरम्मत की गई थी।

प्रधानमंत्री अनुदान परियोजना (पीएमजीपी) को पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता है और बोर्ड को अतिरिक्त धनराशि जारी किये जाने की आवश्यकता है। इस वास्तविकता पर विचार करते हुए कि मुम्बई शहर राष्ट्रीय खजाने में प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का अंशदान करता है इसलिए इन भवनों की मरम्मत के लिए प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जो मैटर आपने यहां लिखकर दिया हुआ है, वही पढ़ा जायेगा और जो मैटर आप ज्यादा पढ़ेंगे, वह रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): उन्हें कृपया बतायें कि उन्हें केवल पढ़ना है, भाषण नहीं देना है। माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आये हैं, आप इनका मार्गदर्शन करिये। हम लोग भाषण देने लगते हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा। जब उपाध्यक्ष महोदय ने आसन से आदेश दे दिया तो आप उन्हें बताइये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: जो आपने दिया हुआ है उसे आपको सिर्फ पढ़ना है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया मेरी बात सुनिए। जो भी आपने दिया हुआ है और जिसका भी अनुमोदन किया गया है उसे आपको केवल पढ़ना है।

(तीन) देश में प्लास्टिक बैगों के उपयोग और निपटान को विनियमित किये जाने की आवश्यकता

श्री एम.एम. पल्लमराजू (काकीनाड़ा): महोदय, देश भर में प्लास्टिक के थैलों के अंधाधुंध इस्तेमाल और विक्रय से बहुत पारिस्थितिकीय नुकसान हो रहा है और अप्रत्यावर्ती पर्यावरणीय नुकसान और अपक्षीणन का खतरा हो रहा है। चूंकि प्लास्टिक के थैले सस्ते और सुविधाजनक हैं इसलिए इनका इस्तेमाल अत्यधिक हो रहा है किन्तु इन थैलों का अंधाधुंध विक्रय हमारी भूमि, नदियों और जलनिकायों को प्रदूषित कर रहा है।

चूंकि प्लास्टिक गैर-जैव अपक्षीणीय होता है इसलिए पारिस्थितिकीय खतरा अधिक है और इस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। प्लास्टिक के थैलों के उपयोग और विक्रय को नियमित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

(चार) अरुणाचल प्रदेश में विद्यमान कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री खीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, अरुणाचल प्रदेश, विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश पश्चिम के कई क्षेत्रों में अत्यन्त अल्पशक्ति के दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र होने के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासियों को दूरदर्शन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ईटानगर दूरदर्शन केन्द्र में स्टाफ की कमी तथा पैसे की कमी के कारण कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा है। यदि इन प्रसारण केन्द्रों की क्षमता बढ़ायी जाती है तो आस-पास के क्षेत्रों में, जहां पर दूरदर्शन के नये प्रसारण केन्द्र स्थापित किये जाने की मांग की जा रही है, वहां के लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा।

अत: मेरा सूचना प्रसारण मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त अल्पशक्ति के स्थापित दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने हेतु योग्य निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

(पांच) मध्य प्रदेश के विदिशा नगर में खरीफाटक रोड पर एक रेल अंडर ब्रिज का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश स्थित मेरे संसदीय क्षेत्र विदिशा नगर के खरीफाटक रोड पर रेलवे गेट से बड़ी संख्या में वाहनों का आना-जाना होता है। कृषि उपज मंडी होने के कारण हजारों ट्रैक्टर तथा ट्राली भी इसी रास्ते से आते तथा जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण विद्यालय यहां होने के कारण हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का आवागमन भी इसी गेट से होता है, किन्तु रेलों के आवागमन के कारण यह गेट अधिकांश समय बन्द ही रहता है। इस कारण हजारों लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

यदि खरीफाटक रोड के पास ही एक अंडरब्रिज बना दिया जाये, जिसके लिए एक बार पहले सर्वे हुआ था तो इस असुविधा से जनता को बचाया जा सकता है। अंडरब्रिज के निर्माण के बाद रेलवे के इस गेट को बंद भी किया जा सकता है, जिसके कारण रेलवे पर आने वाला वित्तीय भार भी कम किया जा सकता है। इसलिए मेरा रेल मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त स्थान पर अंडरब्रिज बनाने हेतु सभी औपचारिकताएं तत्काल पूर्ण करने का कष्ट करें।

(छह) उत्तरांचल में अतिवृष्टि और बादल फटने से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरांचल और विशेषकर मेरा संसदीय क्षेत्र पूरा का पूरा पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्र है जिसमें इस वर्ष सूखा पड़ने के बाद जून माह में अतिवृष्टि तथा बादल फटने की घटनाएं घटित हुई हैं।

बादल फटने तथा अतिवृष्टि के कारण भारी भूस्खलन के साथ-साथ सैकड़ों हैक्टेयर उपजाऊ भूमि भी नष्ट हुई है तथा जानमाल के साथ-साथ पशुधन, फसल तथा आवासीय मकानों, गौशालाओं तथा सार्वजनिक मार्गों, पेयजल, विद्युत, विद्यालयों आदि को भी भारी नुकसान हुआ है।

बादल फटने तथा अतिवृष्टि से सर्वाधिक रूप से पिथौरागढ़ जिले के धारचूला मुनस्यारी, डीडीहाट विकास खण्ड तथा जिला अल्मोड़ा के सोमेश्वर, लोद, चनौदा, चौखुटिया, तड़ागताल, महाकालेश्वर, मासी क्षेत्र एवं बागेश्वर जिले के कपकोट, गरूड़ विकास खण्ड तथा चम्पावत जिले के बाराकोट, पाटी, लोहाघाट तथा चम्पावत विकास खण्ड प्रभावित हुए हैं।

इस दैवी आपदा प्रभावित क्षेत्र की जनता को अभी तक किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गयी है और आपदा प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास तथा मरम्मत/पुनर्निर्माण का कार्य भी नहीं कराया जा रहा है।

अत: मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस संबंध में शीघ्र आपदा राहत के कार्य को प्रारंभ कर स्थिति को सामान्य बनाया जाये।

[अनुवाद]

(सात) एन्डोसल्फान कीटनाशक के प्रयोग के कारण केरल के कासरगोड जिले में काजू बागानों के आसपास के स्थानीय निवासियों के सामने आ रही कठिनाइयों पर विचार किये जाने की आवश्यकता

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, पौधारोपण प्राधिकारियों द्वारा जानलेवा जहरीला पेस्टनाशी, एन्डोसल्फान के अनियंत्रित उपयोग के परिणामस्वरूप केरल के कासरगोड जिले में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले काजू के पौधों के आस-पास स्थानीय निवासियों द्वारा सामना की गई कठिनाईयों से इस सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस कारण स्थानीय लोग अपने जीवन के लिए गम्भीर खतरे का सामना कर रहे हैं। उनमें से अधिकतर लोग फेफड़ों और हृदय के गम्भीर रोगों से पीड़ित हैं। इससे नवजात शिशुओं में आनुवंशिक विकार होते हैं। जब केरल के संसद सदस्यों द्वारा यह मामला सरकार के ध्यान में लाया गया तो केन्द्र सरकार इस मामले का अध्ययन करने के लिए एक जांच दल भेजने के लिए सहमत हो गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक को इस मामले की जांच करने के लिए कासरगोड भेजा गया। किन्तु उन्होंने वास्तविक तथ्यों पर विचार किये बिना अथवा किसी पीड़ित से परामर्श किये बिना एन्डोसल्फान के उपयोग को न्यायोचित ठहराते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

मैं सरकार से इस मामले की जांच करने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) त्रिपुरा सरकार को गैर-योजना गैप-अनुदान के रोके गए हिस्से को जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री खगेन दास (त्रिपुरा-पश्चिम): मैं सरकार का ध्यान त्रिपुरा सरकार द्वारा 74.36 करोड़ रुपये के नॉन प्लान अन्तराल अनुदान की रोकी हुई धनराशि के जारी न करने के कारण सामना की जा रही गम्भीर वित्तीय समस्या के संबंध में आकृष्ट करना चाहता हूं। राज्य सरकार और वित्त मंत्रालय ने 26 मार्च 2003 को 'सहमति पत्र' का आदान-प्रदान किया था जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्व एकत्र करने, करों की केन्द्रीय भागीदारी के कारण केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि की व्यवस्था करने और राज्य द्वारा अन्य केन्द्रीय हस्तान्तरण और राजस्व व्यय के लिए वर्ष 2002-03 के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। राज्य सरकार ने इन लक्ष्यों को पूरा ही नहीं किया था बल्कि वह समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों से भी आगे जा चुकी थी। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि मिजोरम और नागालैंड को अन्तराल अनुदान के स्थान पर केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई थी यद्यपि वे लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सके। त्रिपुरा के मामले में उनका मामला वास्तविक होने के बावजूद, रोकी गई अन्तराल अनुदान राशि जारी नहीं की गई है। मेरा सरकार से अन्तराल अनुदान जारी करने अथवा इसके समान धनराशि देने पर शीघ्रातिशीघ्र विचार करने का पुरजोर अनुरोध है।

[हिन्दी]

(नौ) उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भयंकर तूफान से प्रभावित लोगों को सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री कीर्ति वर्धन सिंह (गोंडा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के गौंडा जिले के करनैल गंज एवं तरबगंज तहसील क्षेत्र में दिनांक 4 और 5 जून को आये भयंकर तूफान की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस तूफान में कई लोग मारे गये तथा हजारों लोगों के घर तबाह हो गये हैं।

अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि एक केन्द्रीय जांच दल तूफान प्रभावित इलाकों में भेजा जाये जो वहां हुए जान-माल के नुकसान का जायजा ले और राज्य सरकार से मिलकर उचित केन्द्रीय सहायता तूफान पीड़ित लोगों को दी जाये।

(दस) बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ के लिए स्थायी समाधान खोजे जाने की आवश्यकता

श्री सीताराम सिंह (शिवहर): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में प्रत्येक वर्ष भयंकर विनाशकारी बाढ़ आती है, जिससे भारी मात्रा में जान-माल की अपार क्षति होती है। बिहार में बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए कोशी, बागमती, गंडक, कमला नदी पर डैम बनाने में विलम्ब के कारण 1953 से आज तक बाढ़ से भयंकर जान-माल की क्षति हो रही है। सिवहर, मोतीहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरबंगा और अन्य जिले इस वर्ष भी बाढ़ की भीषण चपेट में हैं। उत्तर बिहार के लगभग 250 तटबंध खतरनाक स्थिति में हैं। बिहार की जनता रोजी-रोटी की तलाश में पलायन कर रही है।

अतएव सरकार से मांग है कि बिहार राज्य को इस विनाशकारी बाढ़ से रोकने हेतु बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विडहर और करमैनी के बीच सड़क की मरम्मत किये जाने और उसका दोहरीकरण किये जाने की आवश्यकता

श्री भाल चन्द्र यादव (खलीलाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र खलीलाबाद-संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में विडहर घाट से करमैनी तक लगभग 50 कि.मी. लम्बा मार्ग जनपद के

[श्री भालचन्द्र यादव]

बीचों-बीच से होकर गुजरता है। यह मार्ग मेरे जनपद का मुख्य मार्ग है। इस मार्ग पर तहसील मुख्यालय घनघटा, थाना-घनघटा, विकास खंड मुख्यालय हैसर बाजार, विकास खंड मुख्यालय नाथनगर, विकास खंड मुख्यालय व तहसील मुख्यालय-खलीलाबाद, जनपद मुख्यालय संत कबीर नगर, कोतवाली खलीलाबाद, पर्यटन स्थल-बाबा तामेश्वरनाथ धाम, कबीर निर्वाण स्थली-मगहर, वखिरा पक्षी उद्यान-तहसील व विकास खंड मुख्यालय मेहदावल स्थित है। यह मार्ग मेरे जनपद को जनपद गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर आदि को जोड़ते हुए नेपाल बार्डर तक जाता है। वर्ष 1998 एवं 2000 की भीषण बाढ़ तथा यातायात के साधनों के अत्यधिक दबाव के कारण यह टूट गया है। पिछले लोक सभा सत्र में भी मैंने उक्त मार्ग को डबल लेन मार्ग बनाने के लिए मामला सदन में दो बार उठाया था। परन्तु अभी तक उक्त मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया है। अत: उक्त मार्ग को यथाशीघ्र डबल लेन बनवाया जाये।

(बारह) बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए नेपाल सरकार से विचार-विमर्श करके उपयुक्त उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" (बेगूसराय): उपाध्यक्ष महोदय, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिहार के द्वार पर बाढ़ ने दस्तक दे दी है। गत वर्षों में बिहार में इस कारण 1,48,863 करोड़ रुपये की हानि हुई है और भविष्य में भी जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, यह हानि लगातार होती रहेगी। सरकार ने गत वर्षों में अतिरिक्त जल को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय जल बोर्ड के माध्यम से हिमालय घटक की नदियों से संबंधित 14 परियोजनाएं तैयार की थीं। इनमें 6 परियोजनाएं सीधे बिहार को लाभान्वित कर सकती थीं, परन्तु योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ। अन्य 2 परियोजनाएं बिहार की बाढ़ की रोकथाम के लिए बनाई गई। निर्माण लागत 10.5 करोड़ रुपये तय हुई। 2001-2002 में 3.84 करोड़ रुपये आबंटित किये गये परन्तु इसके आगे न तो राशि आबंटित हुई और न ही निर्माण कार्य आगे बढ़ा।

मेरा आपसे आग्रह है कि बिहार की बाढ़ की समस्या राज्य सरकार के वश की बात नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय मामले से जुड़ी है। अत: केन्द्रीय सरकार को सक्रिय होना होगा। नेपाल से वार्ता कर अविलम्ब बिहार की बाढ़ समस्या का समाधान करना होगा।

[अनुवाद]

(तेरह) दीमापुर रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने और उसे एक उपमंडल घोषित किये जाने की आवश्यकता

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक (नागालैंड): महोदय, दीमापुर रेलवे स्टेशन दो राज्यों अर्थात नागालैण्ड और मणिपुर को अपनी सेवा प्रदान करने वाला एकमात्र प्रधान रेलवे स्टेशन है। अनेक रेलगाड़ियां इन दो राज्यों के यात्रियों को उतारने और चढ़ाने के लिए यहां रुकती हैं। दो राज्यों का एक महत्वपूर्ण रेल सम्पर्क होने के बावजूद दीमापुर रेलवे स्टेशन पर एक ही प्लेटफार्म है। यहां रेलगाड़ियों में टिकट कोटा बहुत कम है। यहां गाड़ियां भी कुछ ही मिनटों के लिए रुकती हैं। नागालैंड में दोनों स्थानों अर्थात दीमापुर और कोहिमा पर ही रेलवे बुकिंग कार्यालय हैं। नागालैंड में सड़क परिवहन इतना विकसित नहीं है और लोग टिकट खरीदने के लिए इन दोनों बुकिंग केन्द्रों की यात्रा नहीं कर सकते। दीमापुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और रेल कर्मचारियों के लिए सुविधाएं, स्वच्छता और टेलीफोन सुविधाएं पूरी तरह घटिया हैं। महिलाओं के लिए एक पृथक टिकट काउन्टर भी नहीं है। मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि वह इन कमियों पर तत्काल ध्यान दें। मेरा उनसे यह भी अनुरोध भी है कि दीमापुर रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन घोषित करें।

अपराह्न 2.20 बजे

रेल बजट, 2004-05—सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें (रेल), 2004-05

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब मद सं. 14 और 15 को एक साथ लिया जाएगा। कार्यमंत्रणा समिति द्वारा इन दोनों मदों के लिए आवंटित समय केवल दस घंटे है और मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे संक्षिप्त रूप से अपने भाषण दें।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए, या के संबंध में, कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2004-05 के लिए लेखानुदानों की मांगें (रेल)

मांग सं.	मांग का नाम	सभा द्वारा 3.2.2004 को स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि रु.	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदान की मांग की राशि रु.
1	2	3	4
1.	रेलवे बोर्ड	24,11,67,000	13,40,83,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	84,66,67,000	42,33,33,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	573,30,17,000	301,27,08,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	1121,41,98,000	505,06,99,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	576,56,22,000	258,03,61,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	1141,42,45,000	588,88,72,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	630,75,89,000	302,31,95,000
8.	परिचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर	938,62,74,000	478,48,37,000
9.	परिचालन व्यय—यातायात	2953,83,79,000	2431,28,95,000
10.	परिचालन व्यय—ईंधन	2760,66,58,000	1377,54,79,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधायें	470,05,62,000	219,86,31,000
12.	विविध संचालन व्यय	576,57,67,000	279,65,83,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवाएं-निवृत्ति लाभ	2186,51,14,000	1043,25,57,000
14.	निधियों में विनियोग	3206,66,67,000	1863,33,33,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	24,45,22,000	12,22,60,500
16.	परिसंपत्तियां—अधिग्रहण निर्माण और बदलाव		
	राजस्व	11,66,67,000	5,83,33,000
	अन्य व्यय		
	पूंजी	6514,64,28,000	3423,32,14,000
	रेलवे निधियां	1084,76,67,000	674,88,33,000
	रेलवे संरक्षा निधि	133,66,67,000	66,83,33,000
	विशेष रेलवे संरक्षा निधि	1081,96,67,000	609,98,33,000
	जोड़	26096,35,44,000	14497,83,72,500

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल रेल मंत्री जी ने लगभग दो घंटे का रेल बजट पढ़ा है। शायद वह अभी तक के संसदीय इतिहास का सबसे लम्बा रेल बजट रहा होगा। इतने लम्बे समय तक के लिए रेल बजट पढ़ा गया और मुझे लगता है कि शायद रेल मंत्री ने इतना ही समय रेल बजट बनाने में भी दिया। दो घंटे रेल बजट पढ़ने में और पूरा रेल बजट तैयार करने में रेल मंत्री जी की जो सहभागिता रही है, वह मात्र दो घंटे की रही है। *...(व्यवधान)* अगर रेल मंत्री ने इस पर अधिक समय दिया होता और अधिक मेहनत की होती तो शायद और बेहतरीन रेल बजट पेश किया जा सकता था। इस रेल बजट में न तो कोई रीजन है और न कोई दृष्टि है और न कोई पहल है। रेल मंत्री जी ने यह कहा है कि रेल को *...(व्यवधान)* उन्होंने कहा है कि रेल को दुनिया की सबसे बेहतरीन रेल सेवा में परिवर्तित करके दिखाएंगे। जिन लोगों ने बिहार को देश के सबसे निकृष्ट राज्य में परिवर्तित कर दिया। मुझे डर है कि कहीं वे लोग रेल को भी बिहार न बना दें। *...(व्यवधान)* कल रेल मंत्री जी ने अपने भाषण में अनेक बार श्रीमती सोनिया गांधी जी का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने उनसे प्रेरणा ग्रहण की है, इसलिए उनको धन्यवाद भी दिया। परन्तु वास्तव में धन्यवाद तो श्री नीतीश कुमार जी को और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के लोगों को देना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो रेल बजट पेश किया *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो कोई भी माननीय सदस्य अपनी सीट से बोलता है तो अगर वह दूसरे मैम्बर को डिस्टर्ब करेगा तो वे लोग भी इनको डिस्टर्ब करेंगे।

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं। इसीलिए इनसे आग्रह कीजिए कि ये लोग मुझे डिस्टर्ब न करें।

उपाध्यक्ष महोदय: यह इनकी मेडन स्पीच है। इसलिए आप इनको बोलने दें।

श्री सुशील कुमार मोदी: मेरा अनुरोध है कि ये लोग शांत रहें, मुझे टोकें नहीं और हम कुछ भी बोलें, हमें शांत होकर सुनें। *...(व्यवधान)* पिछले 6 वर्षों से मैं *...(व्यवधान)*

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की निकृष्ट राज्य कहा जा रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि 15 वर्षों में देश के अंदर सबसे निचले पायदान पर आपने बिहार को पहुंचा दिया और वे लोग कह रहे हैं कि हम रेल को दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा बनाएंगे। मुझे डर है कि कहीं पूरा रेल विभाग ही बिहार न बन जाए। मैं केवल यही आशंका व्यक्त करना चाहता हूं। पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया था *...(व्यवधान)*

श्री रामकृपाल यादव (पटना): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार को निकृष्ट राज्य बता रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप जरा बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: इनकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रेल मंत्री ने पिछले 6 वर्षों में एन.डी.ए. सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा की है और उन्होंने अपने भाषण के अंदर कहा कि 6 वर्षों में एन.डी.ए. की सरकार ने रेल के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसकी उन्होंने अपने भाषण में विस्तार से चर्चा की है। इसके लिए मैं रेल मंत्री को एन.डी.ए. की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, रेल बजट का पूरे देश के अंदर इसलिए स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि इसमें मालभाड़े और यात्री किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई। वर्तमान रेल मंत्री के बजाय इसका श्रेय नीतीश कुमार जी को और अटल बिहारी जी की सरकार को मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले छः वर्षों में उनकी सरकार से बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसी प्रदर्शन का परिणाम है कि वर्तमान सरकार को डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि के बाद भी माल भाड़े और यात्री किराए में वृद्धि नहीं करनी पड़ी। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार जी को जाता है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: पहले उनको बोलने तो दो।

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि पिछले साल माल ढुलाई का लक्ष्य जो 550 मिलियन टन रखा था, वह लक्ष्य एक्सीड कर गया और 557.39 मिलियन टन माल ढुलाई का लक्ष्य हासिल किया गया, यानि यह भी इन्होंने एनडीए की रकार की उपलब्धि को ही गिनाया। यह पिछले साल की तुलना में 38.65 मिलियन टन ज्यादा था। इस साल 580 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। रेल मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि यात्री ट्रैफिक में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 2003-2004 में रेलवे का जो संचालन व्यय है, उसमें 491 करोड़ रुपये की बचत हुई है। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि आपरेटिंग रेशो 94.1 प्रतिशत था, वह 92.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। रेल मंत्री ने यह भी स्वीकार किया है कि पिछले पांच वर्षों में निरंतर रेल दुर्घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि जहां 2001-2002 में 473 रेल दुर्घटनाएं हुई थीं, वहीं एनडीए के शासनकाल 2003-2004 में घटकर 325 हो गई। यह स्वयं रेल मंत्री ने स्वीकार किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, रेल दुर्घटनाओं में कमी आई है, लेकिन ये लोग कहते थे कि नीतिश कुमार को लोहा नहीं सुहाता है, उनकी आलोचना करते थे। रेल की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। रेल की सुरक्षा के लिए रेल मंत्री ने अपने कमरे में भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर लगा ली है और कहते हैं कि रेल को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अगर भगवान विश्वकर्मा ही रेल की सुरक्षा करेंगे तो आप किसलिए वहां पर बैठे हैं। इसलिए रेल सुरक्षा और रेल यात्री सुरक्षा दोनों को विश्वकर्मा भगवान के भरोसे इन्होंने छोड़ दिया है। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मेडन स्पीच है। अगर ये लोग इस तरह बीच में टोकेंगे तो कल जब ये लोग बोलेंगे तो हम भी नहीं बोलने देंगे। हम लोग विपक्ष में हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया भाषण के बीच में टोका-टाकी न करें।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: एनडीए की सरकार ने 17,000 करोड़ रुपये का स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड क्रिएट किया था। उसके तहत काम चल रहा था कि कैसे पुराने पुलों की मरम्मत की जाए और नए पुलों का निर्माण किया जाए। लेकिन कल मैंने रेल मंत्री के बजट भाषण में रेल सुरक्षा के बारे में कोई नई बात नहीं सुनी। इनके रेल मंत्री बनते ही एक रेल दुर्घटना हुई। उसका कारण जो भी हो, रेल दुर्घटनाएं आगे भी हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए जो कड़े कदम उठाने चाहिए और प्रयास करने चाहिए, वे सब इस रेल बजट में नहीं दिखाई पड़ते हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण विषय रेल यात्रियों की सुरक्षा का है। विशेषकर मैं जिस राज्य से आता हूं वहां के लोगों ने रात को रेल में यात्रा करना कम कर दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर से फरक्का एक्सप्रेस गाड़ी चलती है, मैंने दिन में यात्रा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि रात में यात्रा करने का मतलब है कि यात्री लूट लिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं यह संयोग है या दुर्भाग्य कि जिस दिन इस सरकार ने शपथ ग्रहण की, तब से लेकर अब तक यानि एक-डेढ़ महीने में बिहार में 24 रेल डकैती की घटनाएं हो चुकी हैं। कल रेल बजट पेश हुआ, परसों पूर्वा एक्सप्रेस के अंदर डेयरी-भसवां रोड के बीच में लोगों को लूट लिया गया और छः यात्री घायल हो गए। 9 जून को एसी कोच में लोगों को लूटकर हत्या की गयी। तीन जून को दून एक्सप्रेस में एक यात्री की गोली मारकर हत्या की गयी। इसी तरह से 27 मई को बीएसएफ के एक इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या की गई। क्या इसी तरह से आप रेल यात्रियों की सुरक्षा करेंगे। माननीय नीतिश कुमार जी ने सभी दलों के सहयोग से आरपीएफ में संशोधन करवाया। एक जुलाई से आरपीएफ रेल सुरक्षा का इंतजाम करने जा रही है। लेकिन अगर स्थानीय सरकार उनसे सहयोग नहीं करेगी तो कैसे चलेगा?

उपाध्यक्ष जी, बिहार की माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कह दिया कि ट्रेन डकैतियों को रोका नहीं जा सकता है। अगर किसी राज्य की मुख्यमंत्री यह कहती हैं तो बिहार के लोगों को डकैतियों से कैसे सुरक्षा मिलेगी, वे ट्रेन में कैसे यात्रा करेंगे। उपाध्यक्ष जी, यह मामला बहुत गंभीर है और विशेषकर बिहार और अगल-बगल के राज्यों में जो ट्रेन-डकैतियां हो रही हैं उनको रोका जाना चाहिए। उपाध्यक्ष जी, आरपीएफ के अंदर आठ हजार नयी बहाली करने का सरकार ने निर्णय किया है लेकिन यह कोई नया निर्णय नहीं है, यह पहले की सरकार का निर्णय है। आज इसमें 24 हजार लोगों को बहाल करने की आवश्यकता है। अगर एक-एक ट्रेन में 6-6 लोग भी आप रखें तो भी 24 हजार लोगों को बहाल करने की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे बहुत दुःख होता है कि आरपीएफ में बहाली का तरीका बदल दिया गया है। बदलने से पहले बहाली रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड के माध्यम से होती थी। उससे पहले डिपार्टमेंटल बहाली होती थी। माननीय नीतीश कुमार जी ने जब देखा कि वहां पर बहुत भ्रष्टाचार होता है तो उन्होंने आरआरबी के द्वारा नियुक्तियां शुरू करवाईं। अब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए आरआरबी से नियुक्तियां करने के अधिकार को छीनकर डिपार्टमेंटल कमेटी के द्वारा किया जा रहा है ताकि राजनैतिक लोगों की चिट्ठियों के आधार पर बहाली होती रहे। मैं मांग करता हूं कि आरपीएफ की बहाली को आरआरबी के द्वारा ही किया जाना चाहिए। यात्रियों की सुरक्षा और रेल की सुरक्षा से लोगों का ध्यान बंटाने के लिए सारी बहस को कुल्हड़, खादी, सत्तू और मट्ठा के इर्द-गिर्द समेट दिया गया है। पूरे देश की जनता चर्चा कर रही है कि कुल्हड़ हो या न हो, खादी हो या न हो, सत्तू चलेगा या नहीं चलेगा, मट्ठा हो या न हो। मैं कुल्हड़ और खादी के विरोध में नहीं हूं बल्कि मैं तो इनके समर्थन में हूं। यह कोई इस सरकार की देन नहीं है। सन् 1977 में जब माननीय जार्ज साहब रेल मंत्री बने थे तब

[श्री सुशील कुमार मोदी]

कुल्हड़ का प्रयोग किया गया था ...*(व्यवधान)* कांग्रेस के लोग बताएं कि उन्होंने कुल्हड़ के प्रयोग को क्यों बंद करवाया ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, कुल्हड़, सत्तू, खादी, मट्ठा उपयोग में लाना स्वागत योग्य कदम है लेकिन क्या इन्हीं कदमों से रेल का विकास होगा। आज सारी बातों को इन्हीं के इर्द-गिर्द लाकर खड़ा कर दिया गया है। कुल्हड़ को पार्लियोंट के सेंट्रल हॉल में हरेक टेबल पर उल्टा करके दिखाने के लिए रख दिया गया है। चार दिन पहले में मुम्बई से पटना गया था। मुझे तो एक भी स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय बेचता कोई नहीं मिला।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): आप किस-किस स्टेशन पर रुके थे।

उपाध्यक्ष महोदय: रघुनाथ जी, मेरी बात आप सुन लीजिए। अगर आप बीच में बोलेंगे तो ये भी आपके बोलने पर डिस्टर्ब करेंगे। इससे क्या फायदा होगा। इसलिए आप बीच में न बोलें। ये जो बीच में बोल रहे हैं इसे निकाल दिया जाए।

*...(व्यवधान)**

श्री सुशील कुमार मोदी: कुल्हड़ का प्रयोग ईमानदारी के साथ होना चाहिए। मैं जिस राज्य से आता हूं वहां भी सरकार से जुड़े लोगों ने चरवाहा विश्वविद्यालय शुरू किया था और यूनेस्को से पुरस्कार भी लिया था। लेकिन आज बिहार में एक भी चरवाहा विश्वविद्यालय नहीं चल रहा है।

जो हाल चरवाहा विद्यालय का हुआ है, वही हाल इसका भी न हो जाए। क्या रेल के अन्दर इस तरह कुल्हड़, खादी प्रारम्भ कर पायेंगे ...*(व्यवधान)* खादी का प्रयोग होना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने बिहार के अन्दर बुनकरों को बर्बाद कर दिया ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल): यह बात करने का क्या तरीका है। सदन में कोई सभ्यता है या नहीं। उनकी बारी जब आएगी, तब वे बोलें। ...*(व्यवधान)*

श्री रामकृपाल यादव: फालतू बोलेंगे, तो कैसे बोलने देंगे।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): फालतू बात आप कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* सदन की गरिमा को नीचा करने की कोशिश हो रही है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुशील कुमार मोदी: महोदय, बिहार के अन्दर लोगों का 30 करोड़ का बकाया है और वहां सारी खादी संस्थायें मृतप्राय हो गई हैं। बिहार एक ऐसा अकेला राज्य है, जहां खादी पर सब्सिडी खत्म कर दी गई है। वे लोग खादी की बात कह रहे हैं। यह केवल सुरक्षा से ध्यान बांटने के लिए किया जा रहा है। यह मैं कह चुका हूं कि हम खादी का स्वागत करते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप रेल बजट पर भी अपनी बात कहें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री यादव, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी: महोदय, मट्ठा तो पहले भी ट्रेन में परोसा गया था, यह कोई नई बात उन्होंने नहीं की है। मैं उम्मीद में था कि सत्तू की घोषणा की जाएगी, लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी के दबाव में या किसी अन्य कारण, सत्तू की घोषणा वापिस ले ली गई। मैं चाहूंगा कि सत्तू का प्रयोग और प्लेट्स के स्थान पर पत्तल में खाना परोसा जाए। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं माननीय रेल मंत्री जी के सुझाव देना चाहूंगा कि पत्तल के प्रयोग को प्रारम्भ किया जाए, लेकिन ईमानदारी से किया जाए। कहीं इसका हाल भी चरवाहा विद्यालय की तरह न हो जाए और उन हरिजन बच्चों की तरह से न हो जाए, जिन के सिर में आपने साबुन लगाने का काम किया और बाद में उन बच्चों को भूल जाए। वही हाल कहीं कुल्हड़, सत्तू और मट्ठा का भी न हो जाए।

महोदय, रेल मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि वे फल-सब्जी रैफ्रिजरेटेड वैन यानि वातानुकूलित वैन में पूरे देश में भेजने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 20 जून को माननीय रेल मंत्री जी ने पटना से दिल्ली के लिए रैफ्रिजरेटेड वैन को रवाना किया। उस वैन में 18 टन सामान लादना था, लेकिन सात या साढ़े सात टन माल ही लादा गया। ऐसी स्थिति में परवल 15 रुपये के बजाए 35 रुपये किलो ही बिकता रहा। श्री बवनराम इन्हीं के आदमी हैं, उसको 700 केजी का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद फिर 27 जून तक कोई रैक दिल्ली के लिए नहीं आई और सब्जियां कूड़े के भाव बिकती रहीं। यही वजह रही कि 4 जुलाई तक कोई बुकिंग नहीं थी। ...*(व्यवधान)*

इन घटनाओं से ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): महोदय, ...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी: महोदय, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं और एनडीए ने फैसला किया है कि लालू प्रसाद जी को बोलने नहीं देंगे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सदन में खड़ा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री रामकृपाल यादव: यह क्या हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी: आज तक परवल का भुगतान नहीं हुआ। दक्षिण भारत का भी यही हाल है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आप सब से यह रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि कोई भी ऑनरेबल मैम्बर जब स्पीच करता है तो उसे पेशंस से सुनने की कृपा करें। अगर कोई इस तरफ से बोलता है और दसरी तरफ से रनिंग कमैंट्री होती है तो वह अच्छी बात नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: टोका-टाकी करने की अनुमति मैं नहीं दूंगा। टोका-टाकी नहीं की जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी (पुरी): कार्यवाही-वृत्तांत से असंसदीय शब्द निकाल दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उसे एक्सपंज करने के लिए कह दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने कई बुक स्टॉल पॉलिसी घोषित की है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामकृपाल यादव : ...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: रामकृपाल जी, आप जिस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, वह यूज नहीं करनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने जो बोला है, उसे एक्सपंज कर दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामकृपाल यादव द्वारा बोले गये असंसदीय शब्दों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): उपाध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा ही चलेगा तो यह बोल नहीं पाएंगे और इनका बोलना नामुमकिन हो जाएगा। ...*(व्यवधान)* आपने कहा कि कोई रनिंग कमेट्री नहीं होनी चाहिए लेकिन आपके कहने के बावजूद यह आपकी बात सुन नहीं रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, क्या संसद में ऐसी भाषा का प्रयोग होगा? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अनपार्लियामैंट्री शब्द रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, यह असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मेरी रिक्वैस्ट यह है कि आप सब ऑनरेबल मैम्बर्स हैं और जिम्मेदार हैं। आप यहां चुन कर आए हैं। आपको इस वक्त पूरी दुनिया वाच कर रही है। इसलिए ऐसा जुलूस निकालने की कोशिश मत करिए। जब कोई माननीय सदस्य इस तरफ से बोलता है तो दूसरी तरफ से रनिंग कमैंट्री करने की जरूरत नहीं है। आपको भी बोलने का समय मिलेगा। आप उस समय जो कहना है कह दीजिए। असंसदीय शब्द बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: क्या यह अनपार्लियामैंट्री लैंग्वेज यूज करने के लिए संसद में आए हैं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अनपार्लियामैंटरी लैंग्वेज न इनको और न आपको यूज करने दूंगा।

...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: किसी भी ओर से टोका-टाकी न करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: टोका-टाकी बिल्कुल न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: यदि इधर से कोई माननीय सदस्य बोलेगा लेकिन उधर से कोई रनिंग कमैंट्री करेगा तो मैं इधर वालों का साथ दूंगा।

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने नई बुक स्टाल पौलिसी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ए.एच. व्हीलर अंग्रेज थे जो अभी तक इस देश में बुक स्टाल चला रहे हैं। शायद उन्हें यह मालूम नहीं कि नाम ए. व्हीलर अंग्रेज का है लेकिन वे इलाहाबाद के रहने वाले बंगाली हैं जो बुक स्टाल पिछले 70 साल से चला रहे हैं। मैं एच. व्हीलर के पक्ष में नहीं हूं। मैं माननीय रेल मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि रेलवे के 150 साल पूरे होने पर एच. व्हीलर को शुभकामना संदेश भेजा गया जिसमें लिखा था:

[अनुवाद]

मुझे उम्मीद है कि यह कम्पनी अंदर के कमरों में भी पठनीय सामग्री उपलब्ध कराएगी।

[हिन्दी]

श्री नरसिंह राव, पूर्व प्रधान मंत्री जी ने श्रीमती सोनिया गांधी की उपस्थिति में एच. व्हीलर की राजीव गांधी—ट्रीब्यूट्स एण्ड मेमोरीज नाम की एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। माननीय रेल मंत्री जी ने देश के रेलवे स्टेशन पर नई बुक स्टाल पौलिसी लागू की है, उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन देश के 8 हजार रेलवे स्टेशनों में से केवल 370 स्टेशनों पर एच. व्हीलर के बुक स्टाल चलते हैं। अगर आप चाहते हैं तो उन्हें हटाइये लेकिन मंत्री जी के बयान से ऐसा लगता है कि उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बुक स्टाल की है और रेल एवं यात्रियों की सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, माननीय रेल मंत्री जी ने रेल के 10 लाख मीट्रिक टन स्क्रैप के डिस्पोजल किये जाने का जिक्र किया है। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? गोरखपुर से लेकर बरौनी तक स्क्रैप ही स्क्रैप है। उसकी नीलामी के वक्त माफिया द्वारा लूट होती है। यह लॉ एंड ऑर्डर का विषय है जिसे राज्य सरकार नियंत्रित करने का प्रयास क्यों नहीं करती? स्क्रैप की बिक्री में धांधली होती है लेकिन स्क्रैप *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। घोटाला करने वाले तत्वों को यह काम देने के लिए इनकी सरकार *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह व्यवस्था का प्रश्न है। आपका किस रूल के अंडर व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री रघुनाथ झा: उपाध्यक्ष जी, मेरे कहने का मतलब *...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, स्क्रैप की नीलामी बंद कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उसका मूल कारण दूसरा है कि जिन राज्यों में स्क्रैप की नीलामी होती है, वहां लॉ एंड ऑर्डर की हालत इतनी खराब है कि स्क्रैप की बिक्री नहीं हो पाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुख है कि कल माननीय रेल मंत्री जी ने विकलांगों के बारे में जिन अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, उससे सभी मूक और बधिर लोग दुखी हैं। आपने आज अखबारों में पढ़ा होगा कि मूक और बधिर संस्थाओं का बयान आया है कि रेल मंत्री जी को उनसे क्षमा-याचना करनी चाहिए। उन लोगों के लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ट्रेनों के अंदर जो विकलांग चढ़ते हैं, उनके लिए रैम्प की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी रेल बोगियां होनी चाहिए जिसमें वे ठीक से बैठ सकें और बोगी में इधर-उधर जा सकें। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के रेल मंत्री जी ने राष्ट्रीय रेल विकास योजना की घोषणा की थी और 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से 5 वर्षों में स्वर्णिम चतुर्भुज तथा रेल-कनेक्टिविटी और चार मेगा बिजेज का जिक्र किया था। मुझे पता नहीं किस प्रकार इनके पदाधिकारी भूल गये और उनका कहीं जिक्र नहीं है। राष्ट्रीय रेल विकास योजना का माननीय रेल मंत्री जी के बजट में कहीं जिक्र नहीं है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्षजी, एन.टी.पी.सी. की भागीदारी से नबी नगर में 7 हजार मेगावाट का एक बिजली का प्लांट लगाये जाने का प्रस्ताव इंटैरिम रेल बजट में पेश किया गया था, जिसका सर्वे भी पूरा हो गया है और जिसके लिए स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अनुमति की आवस्यकता थी। मुझे नहीं मालूम कि नबीनगर के थर्मल पॉवर प्लांट को काटकर छपरा में पहिये के कारखाना लगाये जाने की घोषणा कर दी गई है जबकि बंगलौर में जो पहिये बनाने का कारखाना है, वह पहले ही से घाटे में चल रहा है। इस रेल बजट के अंदर सर्वे को बजट का हिस्सा बनाया गया है जबकि एन.डी.ए. सरकार के समय उसने अपने बजट में सर्वे का जिक्र नहीं किया था। इसका कारण यह है कि 1947 से लेकर आज तक जितने सर्वेक्षण किये गये हैं, उन पर एक लाख 50 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। लेकिन अब एक नई परम्परा शुरू की गई है कि इस बजट भाषण में पांच पेज भर दिये गये और जनता को लुभाने के लिए कहा गया है कि अमुक क्षेत्र में सर्वे होने जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, रेल बजट भाषण में 'विलेज ऑन व्हील' का जिक्र किया गया है, जिसका हम स्वागत करते हैं लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि सैकड़ों तीर्थ यात्री बनारस या इलाहाबाद में कैसे ठहर पायेंगे और वे रेलवे स्टेशन से तीर्थ स्थल तक कैसे जायेंगे? मैं चाहता हूं कि इन यात्रियों के लिए भी कोई पैकेज होना चाहिए। विलेज ऑन व्हील में गरीब लोगों के लिए पैकेज होना चाहिए, उनके रहने, खाने-पीने की व्यवस्था, रेल यात्रियों की सुरक्षा होती तो और ज्यादा अच्छा होता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यात्रियों को जितना लाभ मिलना चाहिए था, उतना लाभ मिल नहीं पायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, 43 हजार करोड़ रुपये की लगभग 230 परियोजनाएं लम्बित हैं, पूरे रेल बजट में आपने कहीं नहीं बताया कि 43 हजार करोड़ रुपया कहां से आयेगा। मैं रेल यात्रा बढ़ाये जो और फ्रेट न बढ़ाये जाने का पक्षधर हूं, लेकिन आखिर यह पैसा कहां से आयेगा, इसका आपने कोई प्रावधान नहीं किया, इसका कोई जिक्र नहीं किया। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप रनिंग कमेंट्री क्यों कर रहे हैं, मैं एक बार नहीं, दस बार आपको कह चुका हूं।

श्री सुशील कुमार मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व रेल मंत्री, नीतीश कुमार जी ने जिन नई रेल गाड़ियों की घोषणा की थी, इसमें केवल उन्हीं को दोहरा दिया गया है, इसमें अधिकांश वही घोषणाएं हैं, जो एन.डी.ए. की पिछली सरकार ने की थीं। 18 जोड़े सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रैस की जो श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की थी, उन्हीं को इसमें भी दोहरा दिया गया है। लेकिन आपने यह नहीं बताया कि ये कब प्रारम्भ होंगी और सप्ताह में कितने दिन चलेंगी, इसका जिक्र इसमें कहीं नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि रेल मंत्री जी को और गंभीर होने की आवश्यकता है, अगर वह गंभीर नहीं होंगे तो जिस तरह से रेल की दुर्व्यवस्था विशेशकर बिहार में दिखाई पड़ती है। आप श्री नीतीश कुमार जी का अनुसरण करते हुए जो अनरिजर्व्डज जनसम्पर्क एक्सप्रैस की आप गरीबों के लिए बातें करते हैं और पूरे देश में पचासों रेलगाड़ियां चलाते हैं, कहते हैं कि न सैकिंड ए.सी. होगा और न फर्स्ट ए.सी. होगा, केवल अनरिजर्व्ड कम्पार्टमैंट होंगे। हजारों मजदूर कमाने के लिए बाहर जाते हैं, उनके लिए रेलगाड़ियां कहां हैं। आपने केवल दो रेलगाड़ियों की घोषणा की है। अगर आप गरीबों के हितैषी होते तो उन लोगों के लिए आप नई-नई घोषणाएं करते।

उपाध्यक्ष महोदय, रेल बजट से हम लोगों को घोर निराशा हुई है। हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि नई सरकार बनी है, बड़ी-बड़ी घोषणाएं होंगी, लेकिन पूरे रेल बजट में कोई ऐसी घोषणा नहीं है, जो स्वागत योग्य हो। इसलिए मैं अपने भाषण के माध्यम से इस रेल बजट का विरोध करता हूं।

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे रेल बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मुझे खेद है कि सदन नियम और कानून से चलता है, यह भावनाओं और कटुता से नहीं चलता है। मैं एक सम्मानित विधान सभा का सदस्य था, तब मैं सुना करता था कि यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सदन है। लेकिन जब मैंने यहां आकर देखा तो मान्यवर मैं व्यवस्था चाहता हूं। महोदय, रेल विभाग यह विभाग है जो सार्वजनिक जीवन में जनता से कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। रेल मंत्री जी ने रेल विभाग का जो बजट पेश किया है, पूरे देश में आम जनता ने इसकी सराहना की है, क्योंकि यह पहला बजट है जिसमें आम जनता के किराये-भाड़े में और माल-भाड़े में वृद्धि नहीं की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य मोदी जी बोल रहे थे, कल दो घंटे माननीय लालू जी का भाषण हुआ। तीन बार एन.डी.ए. की सरकार के कार्यकाल में जो नये-नये निर्णय लिये गये थे और जितने गड्ढे इनके द्वारा खोदे गये थे, उस तमाम कार्यकाल पर दो घंटे में वर्तमान सरकार के कामन मिनिमम कार्यक्रम के अनुसार माननीय रेल मंत्री जी ने अपनी सोच, सरकार की नीति, सरकार के कार्यक्रम, सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही को अपने बजट भाषण में जिस तरह से प्रदर्शित किया है, उसका पूरे देश में आम जनता ने स्वागत किया है। मैं सोनिया जी, प्रधान मंत्री जी और लालू जी को बधाई देना चाहता हूं, जो इंसान जिस माहौल में पैदा होता है, वह इंसान उसके दुख-दर्द और आवाज को पहचानता है,

[चौधरी विजेन्द्र सिंह]

ग्रामीण अंचल की कोख से बेटे के रूप में पैदा होने के बाद लालू जी का यह पहला बजट है, जिसमें आम व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए मुद्दों को नये-नये रूप में लिया गया है। मैं माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि माल भाड़े, निजी माल भाड़े में वृद्धि नहीं हो रही थी और लोग अपना माल भाड़े के ट्रकों में लेकर जाते थे, उसमें उन्होंने दस परसेन्ट की छूट दी है, जिसके कारण रेलवे की आय और माल भाड़े में वृद्धि होगी। तकनीकी कर्मचारियों और रेल कर्मचारियों के लिए नि:शुल्क यात्रा की घोषणा, मूक, विकलांग, वृद्ध आदि इन तमाम लोगों के लिए नि:शुल्क यात्रा की घोषणा हुई है, यह एक ऐतिहासिक घोषणा नहीं है तो क्या है। मैं बताना चाहता हूं कि यह देश बेरोजगारों के कारण पतन के कगार पर है। स्वयं निवर्तमान सरकार के प्रधान मंत्री ने कबूल किया था कि हम रोजगार के साधन नौजवानों को नहीं दे पाये।

महोदय, उसी का एक मुख्य कारण है कि देश में तमाम बेरोजगार युवक पैसे के अभाव में इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाते हैं, बहुत से नवयुवक साधन नहीं जुटा पाते हैं। पहली बार किसी सरकार के रेल मंत्री ने बजट में यह घोषणा की है कि जो लोग साक्षात्कार के लिए रेल से जाएंगे, उनसे रेल किराया नहीं लिया जाएगा और उन्हें निशुल्क भेजा जाएगा।

मान्यवर, किसी भी सरकार और किसी भी विभाग के बजट से यह दिखाई देता है कि उस सरकार की सोच क्या है। रेल में खादी का प्रयोग, कुल्हड़ों का प्रयोग और पेय के रूप में रेलवे स्टेशनों पर मठे को उपलब्ध कराने की घोषणाएं स्वागत योग्य हैं। ये तमाम चीजों इस बात को इंगित करती हैं कि जब कुम्हारी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, तो इससे देश के लाखों और करोड़ों लोगों को गांवों में रोजगार मिलेगा। इससे उनके जीवन में उत्थान आएगा और उनकी आय का साधन बनेगा।

मान्यवर, इसी के साथ, रेल बजट में गांधीवादी विचारधारा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। गांधी जी, जो देश के पिता कहे जाते हैं और उनके द्वारा खादी को बढ़ावा देने की जो बात कही गई, उसने हमारे देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रेल मंत्री जी ने रेलों में खादी के प्रयोग को बढ़ावा देने की घोषणा करके उनके आदर्शों, नीतियों और सिद्धांतों को बढ़ावा देने का बहुत बड़ा काम किया है। आज हम गांधी जी के आदर्शों को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में गांधी जी के आदर्शों को अपनाने की घोषणा करके उन्होंने गांधी जी की नीति और सिद्धांतों को बढ़ाने का काम किया है। उनकी घोषणा से निश्चित रूप से गांधी जी के आदर्शों को बढ़ावा मिलेगा। रेलों में खादी के प्रयोग से जो बुनकर खादी हाथ से बुनते थे और अब बेरोजगार हो गए हैं, जिनके आय के साधन समाप्त हो गये हैं, उन्हें रोजी-रोटी मिलेगी। रेल मंत्री का खादी के प्रयोग का निर्णय ऐतिहासिक निर्णय साबित होगा।

मान्यवर, माननीय रेल मंत्री जी ने देश के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आने वाले सभी राज्यों और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने का काम किया है। किसी हिस्से को नहीं छोड़ा है। उन्होंने अपने भाषण में यही कोशिश की है कि देश के हर मुद्दे, छोटी से छोटी बात को, छोटे से छोटे अंशों को भी इसमें किसी न किसी रूप में लिया जाए।

मान्यवर, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अलीगढ़ इस देश का एक ऐतिहासिक स्थल है। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय है। वहां देश और विदेशों से तमाम स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। वह रेल के मुख्य मार्ग पर स्थित है। वहां बहुत सारी इस तरह की समस्याएं हैं जिन्हें दूर किया जाना लाजमी है। वहां दसियों ऐसी रेलगाड़ियां हैं, जो नहीं रुकती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो बिन्दु रेल बजट में जुड़ने से रह गए हों, उन्हें बाद में जोड़ने का कष्ट करें। 8-10 ट्रेनें इस तरह की हैं जो अलीगढ़ में नहीं रुकती हैं। मैं चाहूंगा कि उन्हें वहां रोकने की घोषणा करने की कृपा करें। इन प्रमुख ट्रेनों में हैं—लिच्छवी एक्सप्रैस, सद्क्रांति, संपूर्ण क्रांति, शिवगंगा, गोरखधाम एक्सप्रैस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रैस एवं पुरुषोत्तम एक्सप्रैस हैं जिन्हें वहां रोके जाने की घोषणा करना आवश्यक है।

मान्यवर, अलीगढ़ चूंकि कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के निकट है, लेकिन इतने लम्बे अरसे के बाद भी, आज तक कोई भी सीधा रेल मार्ग ऐसा नहीं है, जो मथुरा को अलीगढ़ से जोड़ता हो। इसका सर्वेक्षण हो चुका है, लेकिन कल जो रेल बजट प्रस्तुत हुआ, उसके सर्वेक्षणों में इसका नाम नहीं था। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुन: माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसे सर्वेक्षण की योजनाओं में डालने की भी घोषणा की जाए।

मान्यवर, अलीगढ़ में जनता का विशेष घनत्व है और वैसे भी बढ़ते हुए जनता के दबाव और विभाग की तकनीकी कार्य-योजना और इतने दबावों के बावजूद माननीय रेल मंत्री जी ने यात्री किराए में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की और मालभाड़े में छूट की घोषणा की है। यह इसको सिद्ध करता है कि इस सरकार और रेल मंत्री की मानसिकता क्या है। रेल बजट इस बात को व्यक्त करता है कि सरकार और रेल मंत्री की सोच जनता के साथ है, न कि किसी राजनीतिक द्वेष या भावना से प्रेरित।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि अलीगढ़ में रेलवे के दो ओवरब्रिज बनाया जाना जरूरी है। एक तो रेलवे

क्रॉसिंग फाटक पर है, जहां कई ट्रैजडी हो चुकी है और दसियों लोग मर चुके हैं। इसलिए इसे बनाना, रेलवे की कार्य-योजना में शामिल किया जाए। दूसरा, अलीगढ़ में एक भव्य तीर्थस्थल है भूमिया, जहां लाखों की संख्या में लोग दर्शनों हेतु आते हैं, लेकिन वहां ओवरब्रिज के अभाव में अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिनसे दसियों लोग मारे जा चुके हैं। मेरा निवेदन है कि इसे भी रेलवे के ओवरब्रिज बनाने की कार्य योजना में शामिल किया जाए जिससे जनता का भला हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेल विभाग काफी महत्वपूर्ण विभाग है। सामाजिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी बजट का विश्लेषण देश की जनता करती है। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि कल जब से रेल बजट प्रस्तुत किया गया है तब से अब तक आम जनता में इसकी प्रशंसा और सराहना हो रही है जिसे देख और सुनकर लगता है कि यह पहला ऐसा रेल बजट होगा जो सबसे अधिक जनता के अनुकूल रहेगा। आज के समय, महोदय, हर विभाग और मंत्रालय तरक्की कर रहा है। आज स्थिति यह है कि हर विभाग और मंत्रालय अपने साधनों को बढ़ाने, उसका उत्थान करने में जुटा है, कहीं किसी विभाग में नई कार्य-योजनाएं लाई जा रही हैं, कहीं नए टैक्स लगाये जा रहे हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

पहली बार ऐसा बजट आया है जिसमें कि अतिआधुनिक कार्य-योजना के लिए, इतनी बड़ी जनता का दबाव होते हुए भी, क्षेत्र का विकास करते हुए 1,507 किलोमीटर लम्बी लाईन बिछाने का ऐलान किया गया है। इसके बावजूद भी किसी तरह की किराया वृद्धि नहीं की गई है। यह माननीय मंत्री जी और सरकार की कार्य-योजना का ही रूप है। इसके लिए मैं पुन: माननीय मंत्री जी, सोनिया जी और प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि जो यह कार्य-योजना है, निश्चय ही यह एक धुरंधर कदम साबित होगा, जनता के बीच में इसकी सराहना होगी तथा इससे आम जनता को लाभ पहुंचेगा।

महोदय, मैं अपने वक्तव्य को माननीय रेल मंत्री जी के बजट से सम्बद्ध करता हूं और समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: मंत्री जी को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद यादव द्वारा प्रस्तुत किए गये रेल बजट का मैं समर्थन करता हूं। भारतीय रेल की समस्याओं को दूर करने के लिए पहली बार कुछ नवोन्मेषी कदम उठाए गये हैं। रेल मंत्री के भाषण में इसका उल्लेख किया गया है। पैरा सं. 117 में उन्होंने कहा है कि:

> "मेरा प्रयास यह होगा कि समाज के आर्थिक रूप से ऐसे कमजोर वर्गों, जो देय में अपेक्षाकृत सस्ती परिवहन साधन के लिए रेल पर आश्रित होते हैं, के बोझ को कम करूं।"

महोदय, तत्संबंधी, उद्देश्यों, प्रयोजनों एवं प्रयासों में न्यूनतम साझा कार्यक्रम को परिलक्षित किया जा सकता है। रेल वास्तविक रूप में तब तक रेल नहीं है जब तक इसकी पहुंच समाज के निर्धनतम वर्गों तक नहीं होती है तथा जब तक यह अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन नहीं करता है। पहली बार रेल के सामाजिक दायित्व के निर्वहन का प्रयास किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि रेल मंत्री ने आप लोगों तथा गरीब लोगों के बारे में सोचा है। यही कारण है कि न तो सवारी किराए और न ही माल-भाड़े में किसी प्रकार की वृद्धि की गई है।

महोदय, रेल से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, वे रेल से यात्रा नहीं करने के बावजूद भी रेल की प्रगति में अपना योगदान करते हैं। विगत में, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा है जिसने कुलियों, खोमचे वालों तथा रेल लाईन निर्माण कार्यों या सिविल कार्य में लगे हजारों लोगों के बारे में कभी सोचा हो। उन्होंने ऐसे लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रस्ताव किया है जिनका अधिकतर शोषण किया जाता रहा है। इन लोगों के लिए कुछ करने के प्रस्ताव करते समय वे 45,000 हाकरों को भूल गये हैं। पिछले महीने जब वे कोलकाता में थे तो हम लोगों ने उनसे बात की थी और तब उन्होंने पूर्व रेलवे एवं दक्षिण-पूर्व रेलवे के महाप्रबंधकों को अनुदेश दिए थे कि हाकरों को तंग न किया जाए। ये हाकर वर्षों से अपना सामान रेलगाड़ियों में बेच रहे हैं। ये अपना सामान सवारियों को बेचकर तथा उनकी जरूरतों को पूरा करके कुछ कमा लेते हैं और उससे अपना भरण-भोषण करते हैं। तथापि, इस बारे में रेल मंत्री महोदय द्वारा दोनों महाप्रबंधकों को स्पष्ट अनुदेश दिए जाने के बावजूद हाकरों को अभी भी तंग किया जा रहा है। रेल मंत्री महोदय ने पहचान-पत्र जारी करने या कुछ अनुज्ञप्ति शुल्क लगाए जाने आदि जैसी कोई प्रणाली विकसित करने के अनुदेश दिए। मंत्री महोदय ने कहा कि जब तक कोई प्रणाली विकसित नहीं कर ली जाती है तब तक हाकरों को तंग नहीं किया जाए।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मंत्री महोदय इस मामले के बारे में महानिदेशकों से पूछताछ करें जिन्होंने उनके विशिष्ट अनुदेशों का पालन नहीं किया। जैसा कि रेल मंत्री महोदय ने असंगठित कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कुछ करने की घोषणा की है, अत: 45,000 हाकरों को रेल पुलिस एवं रेल प्राधिकारियों के प्रताड़ना का शिकार न होने दें।

[श्री बसुदेव आचार्य]

रेल मंत्री ने रेल कर्मचारियों के कल्याण की बात की। रेल में स्थायी वार्ता तंत्र प्रणाली है। कुछ दिन पहले ही मैं मंत्री महोदय से मिला। 1980-81 में लोको रनिंग स्टाफ हड़ताल पर चला गया था जिसके दौरान सैकड़ों न्यायालय गये और तेरह कर्मकारों को छोड़कर उन सभी को बहाल कर दिया गया। तेरह में से एक पहले ही मर चुका है। रेल मंत्री महोदय ने यह भी अनुदेश दिए थे कि जिन बर्खास्त बारह कर्मकारों को कोलकाता उच्च न्यायालय ने बहाल करने के आदेश दिए थे, उन्हें बहाल कर लिया जाए। उसके बावजूद इन बारह कर्मकारों को अभी तक बहाल नहीं किया गया है। उनमें से अधिकांश अब तक सेवा से निवृत हो गये होते। अत: रेल मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन बारह कर्मकारों को बहाल कर लें ताकि न्यायालय के आदेशानुसार उन्हें पेंशन लाभ मिल सके।

हम जानते हैं कि रेल की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं है। रेल मंत्री नवोन्मेषी तरीके अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। विद्यमान वैगन बेड़े का उपयोग किए जाने संबंधी उनके प्रस्ताव के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने ''इन्जीन आन लोड'' नामक नई प्रणाली की घोषणा की है। इस योजना से निश्चित रूप से रेलवे को अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह योजना माल की लदाई एवं उतराई कार्य में लगे इंजन से संबंधित है। मालढुलाई की समस्या यह है कि इसमें ''टर्न एराउंड'' में समय अधिक लग जाता है।

महोदय, इसीलिए वैगन की उपलब्धता कम रहती है। कभी-कभी विद्युत संयंत्रों की शिकायत यह रहती है कि उन्हें रेक नहीं मिल रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यदि प्रणाली चालू हो जाती है तो वैगन एवं रेक से जुड़ी समस्याओं को कुछ हद तक सुलझाया जा सकता है।

रेलवे की एक और समस्या है। अभी हमारा रेलवे ट्रेक 63,000 किलोमीटर लम्बी है। आजादी के 57 वर्षों के दौरान इस संबंध में हमारी उपलब्धि महज 10,000 किलोमीटर की है। आजादी से पहले तिरपन हजार किलोमीटर लम्बी रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया था। आज हमारे पास आज जो क्षमता है उसका भी ठीक से उपयोग नहीं किया जा रहा है। हमारी मालगाड़ियों की औसत चाल सत्ताईस किलोमीटर प्रति घंटा है, इसी प्रकार सवारी गाड़ियों की चाल बावन किलोमीटर प्रति घंटा है। अत: यदि हम अपने मालगाड़ियों एवं सवारी गाड़ियों की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा लेते है तो मुझे विश्वास है कि भारतीय रेल अपनी क्षमता बढ़ा सकेगी जिससे भातीय रेल को सवारी वहन क्षमता एवं माल वहन क्षमता बढ़ सकती है। इस प्रकार, वहन क्षमता में वृद्धि से रेलवे की आय भी बढ़ जाएगी।

महोदय, वर्तमान में रेल की वित्तीय स्थिति कैसी है? कार्य समूह ने एक रिपोर्ट तैयार की है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल की आंतरिक संसाधन लगभग चौदह हजार करोड़ रुपये थी। लेकिन बाजार से लिया गया ऋण 34 प्रतिशत था। आंतरिक संसाधन 35 प्रतिशत थे जबकि बाजार से लिया गया ऋण 34 प्रतिशत था और नौवीं पचवर्षीय योजना के दौरान बजटीय सहायता भी लगभग 35 प्रतिशत ही थी। इसलिए, यदि भविष्य में बाजार से लिया गया ऋण 34 प्रतिशत हो जाता है तो भारतीय रलवे ऋण-जाल में फंस जाएगा। इसलिए स्थिति से निपटने के लिए भारतीय रेलवे को क्या करनी चाहिए? इसे अपने आंतरिक संसाधनों में वृद्धि करनी चाहिए।

हमने पिछले दिनों में देखा है कि आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए रेल मंत्री अक्सर यात्री किराया तथा मालभाड़ा में वृद्धि करते रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि अपने व्यय में कमी करके आंतरिक संसाधनों में वृद्धि करने की कोशिश की गई है।

महोदय, पिछले वर्ष, प्रचालन अनुपात 92.6 प्रतिशत था। विगत वर्षों में प्रचालन अनुपात 96 प्रतिशत तक हो गया था। यदि आप 96 पैसा खर्च करते हैं, तो मात्र एक रुपया कमा पाते हैं। आज रेल 1 रुपया कमाने के लिए 92 पैसा खर्च कर रहा है।

महोदय, इस प्रचालन अनुपात को और कम किया जाना चाहिए। रेल सुधार समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रचालन अनुपात 90 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि रेलवे के पास अपनी परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए पर्याप्त निधि हो। पिछले कई वर्षों से हम मांग करते रहे हैं कि केन्द्र सरकार रेलवे के विकास पर निवेश करे। आज, भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों के निर्माण के लिए 56,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। भारत सरकार रेल नेटवर्क विस्तार के लिए कितना खर्च कर रही है।

रेल केवल रेल के उद्देश्यों के लिए नहीं है। जब तक रेल संपर्क नहीं होगा, जब तक रेल लाइनों का निर्माण नहीं होगा, जब तक किसी क्षेत्र में रेल सेवा नहीं उपलब्ध कराई जाएगी, तब तक वहां कोई औद्योगिक और आर्थिक विकास नहीं होगा। औद्योगिक और आर्थिक विकास रेल के विकास से जुड़ा हुआ है। इसलिए, रेल के विकास या रेल नेटवर्क के विस्तार की जिम्मेदारी केवल रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है। यह भारत सरकार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए।

सैकड़ों वर्ष पहले एक रेल पटरी बिछायी गई थी। रेल को उस पटरी के लिए भी लाभांश देना पड़ता है। इसलिए केन्द्र सरकार को रेल नेटवर्क के विस्तार पर निवेश करना चाहिए। रेल मंत्री ने कहा है कि कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं।

रेल नेटवर्क विस्तार के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सामाजिक दायित्व भी है। आर्थिक रूप से यह जिम्मेदारी नहीं है। उस समय न भी हो तब भी इसकी समाज के लिए होगी। माननीय रेल मंत्री यदि हम उन क्षेत्रों को जहां के लोगों ने रुपये से बढ़ाकर है या जिन्होंने रेल में यात्रा नहीं की है, को रेल से ज्यादा जोड़ते हैं तो यह बहुत ही मददगार साबित होगा। की ओर

मुझे पता है कि माननीय मंत्री सर्वेक्षण को अद्यतन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सर्वेक्षण को अद्यतन बनाने का काम कब तक चलेगा और उसके बाद पुनः उसे एक बार अद्यतन बनाया जाएगा। लेकिन कुछ उन क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता तय की जानी चाहिए जो रेल सेवा से वंचित हैं। कुछ दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग जनजाति के लोग है। यदि हम उन क्षेत्रों को जोड़ते हैं, जो आर्थिक और औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं और जहां गरीबी और बेरोजगारी है, तो रेल नेटवर्क से ऐसे क्षेत्रों के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। किसी परियोजना को मंजूरी देते समय केवल इस बात को ही ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए कि यह परियोजना लाभ देने वाली हो, बल्कि सामाजिक वांछनीयता को ध्यान में रखकर भी इसे स्वीकृति दी जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि उन परियोजनाओं की सर्वेक्षण-रिपोर्ट रेल मंत्री को जब प्राप्त हो जाएगी तो वे इस बात को निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे और वे उन परियोजनाओं को भी अनुमति देंगे।

एक दूसरी समस्या यह भी है। इस समस्या के समाधान के लिए मैंने कहीं भी कोई भी कदम उठाते हुए नहीं देखा। हमने कुछ लक्ष्य तय किए हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मैंने देखा कि जो लक्ष्य हमने रखा था, वह कभी प्राप्त नहीं हुआ। मुझे नहीं पता ऐसे लक्ष्य क्यों रखे जाते हैं जब हम उस लक्ष्य का 50 प्रतिशत भी प्राप्त नहीं कर सकते। मैं चल भंडार की अधिप्राप्ति की बात कर रहा हूं।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल में नई पटरियों के लिए लक्ष्य क्या था? यह लक्ष्य 819 कि.मी. नई लाइन का था। सरकार की उपलब्धि क्या रही? यह उपलब्धियां मात्र 662 कि.मी. थी। आमान परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहां बहु-आमान प्रणाली है जिसमें संकरी लाईन, बड़ी लाइन और छोटी लाइन हैं। नब्बे के दशक में एक समान आमान परियोजना की घोषणा की गई थी जिसके अनुसार हमें समान आमान प्रणाली, अर्थात बड़ी लाइन, बनानी थी और छोटी लाइन और संकरी लाइन को खत्म किया जाना था। आमान परिवर्तन का लक्ष्य क्या था यह लक्ष्य 3710 कि.मी. का था और हम केवल 2130 कि.मी. का लक्ष्य प्राप्त कर सके।

रेल पटरियों का दोहरीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्यों आवश्यक है? यह इस कारण से जरूरी है क्योंकि जब 25-30 या 50 वर्ष पहले जब एक एकल रेल पटरी बिछायी जाती थी तब उस समय केवल एक जोड़ी गाड़ी हुआ करती थी। आज हमारे पास लगभग 110-115 प्रकार की गाड़ियां हैं और हम संतृप्तता की स्थिति में पहुंच गए हैं। बिना नई पटरियों के निर्माण के, यदि कम खर्च में एकल रेल पटरी को दोहरी पटरी में बदल सकें, तो हम अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं।

पूर्व रेल मंत्री ने तीन श्वेत-पत्र जारी किये थे। श्वेत पत्र एक लम्बित परियोजनाओं के बारे में था, दूसरा सुरक्षा समस्याओं के संबंध में तथा तीसरा रेल की सामान्य समस्याओं से संबंधित था। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय परिवहन समिति ने 1980 में बहुत पहले, 24 वर्ष पहले, यह सिफारिश की थी कि हमारी बहु-आयामी परिवहन प्रणाली होनी चाहिए और सभी बंदरगाहों और हवाई अड्डों को रेल से जोड़ा जाना चाहिए।

स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के लिए रेल विकास निगम का गठन किया गया था क्योंकि हावड़ा-मुम्बई-चेन्नई-हावड़ा रेल मार्ग पर गाड़ियों की संख्या अधिकतम हो गई थी। क्षमता को बढ़ाने के लिए दोहरी लाइन को तीन-लाइन वाले मार्ग में परिवर्तित किया जाना चाहिए और वैकल्पिक मार्ग भी बनाया जाना चाहिए। रेल विकास निगम के उद्देश्यों में यह भी सम्मिलित था कि सभी बंदरगाहों को रेल से जोड़ा जाएगा। हल्दिया रेलमार्ग से जुड़ा हुआ है। यह 25-30 वर्षों से एकल लाइन है, यह तभी से है जब इस क्षेत्र में रेल लाइन बिछाई गई थी। हल्दिया बंदरगाह की क्षमता बढ़ा दी गई है। पंसकुरा-हल्दिया लाइन के दोहरीकरण के लिए स्वीकृति बहुत पहले दे दी गई थी लेकिन इस रेल बजट में केवल 10 कि.मी. के एक छोटे भाग को पूरा करने का प्रस्ताव है। और उसके लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग हैं महत्वपूर्ण मार्गों के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे कि पूरे मार्ग को दोहरी लाइन में बदला जा सके।

महोदय, इस समस्या का रेल बजट में उचित समाधान नहीं किया गया है। हमारे पास कई लम्बित परियोजनाएं हैं। जब इस सभा में श्वेत-पत्र रखा गया था, उस समय पूर्व रेल मंत्री ने कहा था कि सभी लम्बित परियोजनाओं को पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी और इस कार्य के लिए 38,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

मुझे ज्ञात नहीं कि घोषणा के बाद अपने इस वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया। मैंने उनके अंतरिम बजट में कुछ नहीं पाया। वर्ष 2002-2003 के दौरान उन्होंने घोषणा की कि 20,000 करोड़ रुपये का एक विशेष कोष तैयार किया जाएगा। मुझे ज्ञात नहीं कि सभी व्यवहार्य परियोजनाओं—व्यवहार्य शब्द बाद में जोड़ा गया था—को पूरा करने के लिए इस विशेष कोष के

[श्री बसुदेव आचार्य]

लिए पैसा कहां से प्राप्त किया जाएगा। यह कहा गया कि सभी व्यवहार्य परियोजनाओं को समयबद्ध रूप में पूरा किया जाएगा। इस बजट में मैंने इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं पाया। मैं समझता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी को इस बात का अध्ययन करने के लिए समय नहीं मिला कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितने धन की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि अपने अगले बजट में या अनुपूरक मांगों में वे इस विषय का निश्चित रूप से उल्लेख करेंगे।

जैसा कि उन्होंने कहा है, मुझे नहीं लगता कि पहियों तथा धुरी की उपलब्धता की कोई समस्या है, आज हम भारतीय रेल की कुल जरूरतों के लिए इनका निर्माण करने की स्थिति में हैं। रेल का पहिया और धुरी निर्माण का अपना संयंत्र है और भारतीय इस्पात प्राधिकरण का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के उत्पादन की मुख्य मद पहिया और धुरी है। पूर्व में, हम लोको मोटिव व पहियों का आयात करते थे। अब दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में इसका निर्माण हो रहा है। हो सकता है कि 10 वर्ष बाद में हमें अधिक इस्पात और धुरी संयंत्रों की आवश्यकता पड़े। उसके लिए, एक नये संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: वह तो छपरा में बनने जा रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य: छपरा भी हमारी जगह है।

[अनुवाद]

मैंने वहीं से इंटरमीडिएट की है।

[हिन्दी]

हमारा भी कनेक्शन छपरा में है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप चेयर को एड्रेस करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं इसे बिहार विधान सभा नहीं बनाना चाहता। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब आप समाप्त करें। आपकी पार्टी को 42 मिनट का समय दिया गया है और आप 30 मिनट बोल चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं 10 मिनट और बोलूंगा। मुझे मालूम है समय बढ़ाया जाएगा। पहले भी हम देर तक बैठते रहे हैं।

[हिन्दी]

दस घंटे समय निर्धारित किया जाता है, लेकिन 20 घंटे तक चर्चा होती है। रघुवंश जी उस वक्त उधर बैठते थे। उनकी पार्टी को पांच मिनट का समय मिलता था, लेकिन वह 20 मिनट तक बोलते थे।

[अनुवाद

महोदय, माननीय रेल मंत्री अपने बजट में रेलगाड़ियों में सिंथेटिक ग्लासों की जगह कुल्हड़ शुरू करने तथा खादी और हथकरघा के उपयोग की एक अभिनव योजना लेकर आए हैं। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि हथरकघा बुनकर बहुत मुसीबत में हैं। हजारों हथकरघा बुनकरों ने अपने करघे जला दिए हैं। समाज के कमजोर तबकों को सहायता पहुंचाने की दिशा में रेल मंत्री की यह कोशिश प्रशंसनीय है।

महोदय, कुछ ऐसे उपाय हैं जो रेल परिचालन की कार्यकुशलता से सीधे जुड़े हुए हैं। उनमें से एक है रेल सिग्नल प्रणाली। आज लगभग 4000 टोकन रहित सिग्नल प्रणालियां भारतीय रेल में हैं। ऐसी सिग्नल-प्रणाली के साथ गति बढ़ने की कोई कैसे आशा कर सकता है। टोकन-रहित सभी सिग्नल प्रणालियों की जगह कोई आधुनिक सिग्नल प्रणाली शुरू किए जाने में कितना समय लगेगा? इसके लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

अपराह्न 3.32 बजे

[श्री बालासाहिब विखे पाटील *पीठासीन हुए।]*

खण्डों के परिपथ के साथ भी यही बात है। रेलवे में सुरक्षा एक समस्या बन गई है। रेल-दुर्घटनाओं में धीरे-धीरे कमी आ रही है और यदि हम अपनी तुलना जापान जैसे विकसित राष्ट्र के साथ करें, तो हम पाएंगे कि हमारी स्थिति खराब नहीं है। यदि रेल-सुरक्षा एक समस्या नहीं है तो हमारे पूर्व रेल मंत्री को इस के ऊपर एक विस्तृत श्वेत-पत्र जारी करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? कुछ वर्षों पूर्व, गया के निकट जब राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी तब मैं वहां गया था। खन्ना समिति की सिफारिश थी कि 100 वर्षों से ज्यादा पुराने रेल पुलों का एक विशेषज्ञ समिति द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए। यह सिफारिश उस दुर्घटना से छः माह पूर्व की गई थी। इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं की गई थी। आज लगभग 22,000 कि.मी. लंबी रेल लाइनें अपनी कार्यकाल अवधि को पार कर चुकी हैं तथा भारतीय रेल में लगभग 30 प्रतिशत यात्री-डिब्बे अभी भी अपनी कार्य-काल अवधि से ज्यादा पुराने हैं। उन्हें बदलने के लिए हमें राशि की आवश्यकता है। इसलिए, डी.आर.एफ. में थोड़ी सी वृद्धि की गई है।

महोदय, 1982 में रेल सुधार समिति ने सिफारिश की थी कि मूल्यह्रास 2500 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए। उस समय यह 5000 करोड़ रुपये से कम नहीं रहा होगा। माननीय रेल मंत्री ने अंतरिम बजट में इसे अब 1900 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2200 करोड़ रुपये कर दिया है। कार्यकाल अवधि से ज्यादा पुराने हो चुके सभी ट्रैकों को बदलने के लिए और निधियों की आवश्यकता है।

महोदय, मैं नौवीं पंचवर्षीय योजना का उल्लेख कर रहा था। मैं विद्युतीकरण परियोजनाओं के विशेष विषय पर बोल रहा था। ये परियोजनाएं अपने लक्ष्य की लगभग समाप्ति पर हैं। किन्तु विद्युत लोको और डीजल लोको डिब्बों को प्राप्त करने के प्रश्न पर रेलवे काफी पीछे है। विद्युत लोको के लिए लक्ष्य 851 था, जबकि सिर्फ 676 डिब्बे प्राप्त हुए तथा डीजल लोको के लिए लक्ष्य था 785 जबकि प्राप्त हुए सिर्फ 647 डिब्बे।

जहां तक चार पहियों वाले वैगनों का प्रश्न है, इनके लिए लक्ष्य था 1,36,000 यूनिट किन्तु प्राप्ति सिर्फ 1,04,316 यूनिट है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। समस्या निजी और सरकारी दोनों ही प्रकार की निर्माण इकाइयों द्वारा वैगन की आपूर्ति से संबंधित है। वैगन निर्माताओं की समस्या यह है। उन्हें रेलवे से कुछ वस्तुएं निःशुल्क में मिला करती थीं। तीन या चार वर्ष पूर्व इसे बंद कर दिया गया है।

पहले, वैगन इंडिया नाम का एक एकछत्र संगठन हुआ करता था। भारतीय रेलवे वैगन इंडिया को डिब्बों का आर्डर दिया करती थी तथा वैगन इंडिया निजी और सरकारी यूनिटों में आर्डर बांट दिया करती थी। बहुत पहले जब श्री रामविलास पासवान रेल मंत्री थे तब 1996 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। यह सिर्फ सरकारी क्षेत्र की ही समस्या नहीं है बल्कि यह निजी क्षेत्र की समस्या भी है। निजी क्षेत्र की कंपनियां भी वैगनों के संपूर्ण आर्डर की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं हैं। यह उस राज्य में भी हो रहा है जहां से वर्तमान रेल मंत्री हैं। यह मुजफ्फरपुर और मोकामा में हो रहा है। मैं मुजफ्फरपुर इकाई के बारे में जानता हूं। मैं वहां तीन बार गया हूं। मुजफ्फरपुर इकाई एक भी वैगन का निर्माण नहीं कर सकती है। किन्तु मोकामा इकाई के सुधार के लिए भी नीतीश कुमार ने कोशिश की। चूंकि यह इकाई उनके संसदीय क्षेत्र बाढ़ में स्थित है, अतः वह सहायता किया करते थे।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः स्टील आथोरिटी आफ इंडिया।

श्री बसुदेव आचार्यः स्टील अथारिटी नहीं, भारत हैवी उद्योग निगम, लोहा देता है। पहले रेलवे बोगी का नीचे का हिस्सा देता था। आप सब जानते हैं। ...*(व्यवधान)* इस बारे में आपसे मीटिंग हुई है। हम चाहते हैं कि इस बारे में हमारा कंक्रीट प्रपोजल है, मोकामा, मुजफ्फरपुर और बर्नपुर, ये तीनों अच्छे यूनिट्स हैं, जो सबसे ज्यादा वैगन सफलाई करते थे। ...*(व्यवधान)* आपको मालूम नहीं है, श्री प्रभुनाथ सिंह जी, आप खबर नहीं रखते हैं। मैं जब स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, उस समय हम जमालपुर में स्थिति देखने के लिए गए थे। उस समय लोगों ने कहा कि आज तक हमारा दुख कोई भी देखने के लिए आया है? इस बारे में हमने खत लिखा था, बाहर से ट्रेन इम्पोर्ट करने के मामले में कि इसकी सीबीआई इन्कवायरी कराई जाए। आप इस बारे में पता कर लीजिए। ...*(व्यवधान)* 800 करोड़ रुपए की बात है और हमने इसकी जांच की मांग की थी। आपको सब मालूम है।

श्री लालू प्रसादः सब मालूम हो जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्यः आप उसकी जांच करवाइए।

[अनुवाद]

मेरा सुझाव है कि इन तीनों इकाइयों को भारतीय रेल की इकाइयों में तब्दील कर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

मोकामा, मुजफ्फरपुर और बर्नपुर—तीनों अच्छें यूनिट हैं, इनसे रेलवे की समस्या हल हो जाएगी। समस्तीपुर में भी बनते हैं।

[अनुवाद]

वहां भी वैगन बनाए जा रहे हैं। यह सुझाव मैंने तब दिया था जब मैं रेल संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष था। मैंने यह सिफारिश की थी और उन्होंने वैगन का निर्माण या उत्पादन शुरू कर दिया। रेल मंत्री ने जमालपुर के संबंध में एक घोषणा की है। भारतीय रेल में कई अच्छे और बड़े वर्कशाप हैं। ये वर्कशाप वैगन बना सकते हैं। ये डिब्बे भी बना सकते हैं।

[हिन्दी]

इस ओर रेल मंत्री जी ध्यान दें। उन्होंने सिक्योरिटी में 800 पदों को भरने की बात कही है।

[अनुवाद]

सुरक्षा एक समस्या है। यह वास्तव में समस्या है।

हमारे देश में कुछ डकैती-संभावित क्षेत्र हैं। जहां यह होता है, इसे कैसे बंद किया जाए? इसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार

[श्री बसुदेव आचार्य]

अर्थात् रेल सुरक्षा पुलिस बल, जी.आर.पी. और राज्य पुलिस के संयुक्त बल के द्वारा रोका जा सकता है। रेल पुलिस बल की एकमात्र जिम्मेदारी भारतीय रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा थी। अब, रेल संपत्ति की सुरक्षा के अतिरिक्त, रेल सुरक्षा पुलिस बल को रेल यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा भी सौंपा गया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): यूपी में प्राबलम नहीं है। बिहार में प्राबलम है।

श्री बसुदेव आचार्य: प्राबलम यू.पी. में भी है। आप केवल बिहार के बारे में क्यों बोल रहे हैं? प्राबलम कहां नहीं है? केवल बिहार के बारे में क्यों कहते हैं? वह गोरखपुर से शुरू होती है। क्या पूर्वी यूपी में प्राबलम नहीं है? हम गोरखपुर के खाद कारखाने को खोलने के लिए बहुत लड़े हैं। आप जितनी बार इस बारे में बोले, उससे ज्यादा हमने उस खाद के कारखाने को चलाने की मांग की है। आज सिक्योरिटी का भी सवाल है। एक ज्वाइंट फोर्स होनी चाहिए। आपने अभी आरपीएफ और इंडियन रेलवे एक्ट में परिवर्तन किया है। इसके अन्तर्गत आरपीएफ की क्षमता को बढ़ाया है। पहले ऐसा नहीं था। इसका असर जरूर पड़ेगा लेकिन एक ज्वाइंट फोर्स होनी जरूरी है। अभी सेफ्टी से ज्यादा सिक्योरिटी का सवाल सामने आ गया है। ...*(व्यवधान)* अभी टेलीविजन वाले मुझसे कह रहे थे कि मंत्री जी ने कमरे में विश्वकर्मा का फोटो रख दिया है। अब वही सब कुछ करेंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं जनता कि मंत्री जी ने यह बात कहां कही है। मैंने कहा कि मंत्री जी को वहां से काम करने के लिए इनसपिरेशन मिलता है इसलिए उन्होंने फोटो रखा है।

[अनुवाद]

महोदय, उन्होंने 15 नई रेलगाड़ियों की शुरूआत करने की घोषणा की है, किन्तु वह पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में भूल गए हैं।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में नई ट्रेन चलाने के बारे में कहा गया था लेकिन एक भी नई ट्रेन नहीं चलायी जा रही है। मैंने आपको कहा था कि हमें मुम्बई के लिए ट्रेन दो और चाहे तो हफ्ते में एक दिन के लिए दे दो। हम मुम्बई रोज नहीं जाते हैं। आप बांकुरा के बारे में जानते हैं। वह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है।

[अनुवाद]

बांकुरा टेराकोटा हार्स भारतीय हस्तशिल्प का प्रतीक है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: गाड़ी चालू करने का सिलसिला शुरू हुआ है। आगे और देखिए।

श्री बसुदेव आचार्य: इसे 15 से 16 कर दो। एक बढ़ा दो। नीतीश कुमार जी ने 2003-2004 के बजट में 56 नई गाड़ियां चलाने की घोषणा की थी।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): वे डेटवाइज घोषित हुई थीं।

श्री बसुदेव आचार्य: उन्होंने आपको बताया होगा। वे डेढ़ साल बाद एनाउन्स हुई लेकिन अभी भी चालू नहीं हुई। आपको पता नहीं है। इसका संसद में एनाउंसमैंट नहीं हुआ। उन्होंने वह डेट अपनी डायरी में लिखी होगी और आपको बता दिया, हमें बताया नहीं।

[अनुवाद]

पूर्व रेल मंत्री द्वारा एक वर्ष के भीतर ही 56 नई रेलगाड़ियों की घोषणा की गई थी किन्तु मात्र 26 नई रेलगाड़ियां शुरू की गई।

[हिन्दी]

आप नई गाड़ियों की संख्या 16 कर दीजिए। एक बढ़ा दीजिए और रिप्लाई के समय इसकी घोषणा कर दीजिए। हावड़ा से मुम्बई वाया बांकुरा, पुरुलिया और टाटानगर होते हुए इसे चलाइए। पुरुलिया बिहार के साथ है। मैं बिहार में पैदा हुआ हूं। बिहार उस समय मानभूम जिले में था। मैंने अपनी पढ़ाई इंटरमीडिएड से लेकर पोस्ट ग्रैजुएट तक बिहार में की है। हमारा बिहार के साथ सम्पर्क है। इसलिए कम से कम एक ट्रेन के लिए एनाउंस कर दीजिए।

आपने आनरेबल मैम्बर्स से सुझाव मांगे थे। मैम्बर्स ने आपको जो चिट्ठी लिखी, वे बहुत ज्यादा हो गई। आपने सभी मैम्बर्स को चिट्ठी लिखी थी। सबने सोचा कि हम सुझाव भेजेंगे तो सब बजट में आ जाएंगे। हमारे पास चिट्ठी की कापी है जिसे हमारी पार्टी ने भेजी है। आपने कोलकाता के लिये 42 करोड़ रुपया दिया है लेकिन शायद कुछ ऐसे प्रोजैक्ट्स हैं जिनमें पिछले साल का एलोकेशन है। मैं उम्मीद करता था कि जब पिछले साल एलोकेशन 10 करोड़ रुपये था तो इस साल 12-13 करोड़ रुपया होगा लेकिन वह 10 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये हो गया। इससे मन में थोड़ा दुख होता है। आप दो करोड़ रुपये बढ़ाएं नहीं तो 10 करोड़ रुपये तो रखिये। हमारे पास लिस्ट है जिसमें बंगाल के प्रोजैक्ट्स के लिए ऐलोकेशन दिया हुआ है। उमें शायद थोड़ा ऐलोकेशन किया है। 8 करोड़ रुपया हमारे क्षेत्र के लिए भेजा गया है और जो बांकुरा-दामोदर क्षेत्र में दिया गया है। जहां तक कुमारी

ममता बनर्जी के समय की बात है, वह घोषणा केवल पेपर पर थी। जैसे हमारे क्षेत्र सुन्दरबन इलाके में रेल लाइन के लिये बहुत समय से कोशिश हो रही है लेकिन अभी तक वह काम नहीं हुआ है। पांसकुरा में आजाद हिन्द फौज के नाम से एक ट्रेन चालू किये जाने की घोषणा की गई थी। वह चली लेकिन दो साल के बाद बंद हो गई। हम चाहते थे कि यदि एक्सप्रेस ट्रेन नहीं हो तो लोकल पैसेंजर ट्रेन ही चला दीजिये।

[अनुवाद]

शालीमार कोचिंग टर्मिनल की स्वीकृति स्वर्गीय श्री सिंधिया जी ने दी थी। उनकी इच्छा थी कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के लिए अलग से 12 प्लेटफार्म बने और इसके लिए उनके पास योजना भी थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 15 वर्षों बाद भी सिर्फ दो प्लेटफार्म बन पाए हैं। आज, उस स्टेशन से मात्र एक रेलगाड़ी खुलती है तथा वह भी मेरे संसदीय क्षेत्र को जाती है।

[हिन्दी]

रेल मंत्री जी, हमने एक अरण्य एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में कहा था, आप लिख लीजिये।

श्री लालू प्रसाद: हमारे स्टेट मिनिस्टर और अफसर लिख रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: यदि आप लिखते तो तसल्ली रहती।

श्री लालू प्रसाद: बताइये।

श्री बसुदेव आचार्य: अरण्य एक्सप्रेस शालीमार से खुलती है। आद्रा डिवीजन उसका हैडक्वार्टर है, वहीं हम रहते हैं आप इसे हावड़ा से चालू कर दीजिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: अभी हम राज्य में आये हैं, उसके बाद क्षेत्र में आयेंगे।

[अनुवाद]

लंबी दूरी की ई.एम.यू.-मेमू पैसेंजर, रेलगाड़ियों के रेलयात्रियों को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

[हिन्दी]

टायलेट के बारे में आपने अखबारों में देखा होगा कि गांव में कोई मैदान में नहीं जायेगा, कहीं नहीं जायेगा। जिस प्रकार प्लेन में किया गया है, ऐसा सिस्टम ट्रेन में कर दीजिये। आर.डी.एस.ओ. इस सिस्टम को कर सकता है।

[अनुवाद]

यदि आप किसी यात्री को छः घंटे से ज्यादा समय के लिए बिना टायलट के किसी ई.एम.यू.-मेमू रेलगाड़ी में यात्रा करने को विवश करते हैं, तो उस यात्री का क्या हाल होगा? आसनसोल से टाटानगर जाने में करीब चार-साढ़े चार घंटे लगते हैं। आद्रा से हावड़ा के लिए एक मेमू रेलगाड़ी है किन्तु उस रेलगाड़ी में टायलेट नहीं है। आद्रा से हावड़ा पहुंचने में करीब साढ़े-पांच घंटे लगते हैं। यह रेलगाड़ी सुबह 4:30 बजे खुलती है तथा सुबह 10:30 बजे हावड़ा पहुंचती है।

[हिन्दी]

बिना टायलेट के कैसे ट्रैवल करेंगे। हमने एक इंसीडैन्ट का यहां जिक्र किया था। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, एक लड़की संभाल नहीं सकी, वह स्टेशन पर उतरी, इतने में ट्रेन चल पड़ी। जब वह चढ़ने लगी तो उसके पिता जी ट्रेन के अंदर थे, उन्होंने उसके हाथ पकड़ा, लेकिन वह लड़की ट्रेन के नीचे चली गई और उसकी मौत हो गई। अब आप आये हैं, आपने इन्नोवेटिव स्टैप लिया है, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। यह भी एक इन्नोवेटिव स्टैप होगा।

[अनुवाद]

आप ब्रिटेन जाकर देखिए। ब्रिटिश रेलवे में आपको दो प्रकार की मेमू-रेलगाड़ियां मिलेंगी। एक लंबी दूरी की और दूसरी छोटी दूरी की। छोटी दूरी की मेमू/ई.एम.यू. रेलगाड़ियों में टायलेट नहीं होते हैं। किन्तु, अगर आप दो घंटे से ज्यादा देर के लिए यात्रा करने जा रहे हैं तो रेलगाड़ी में टायलेट जरूर होगा।

[हिन्दी]

आप ऐसा कीजिए, कि यहां पर जो शार्ट डिस्टैन्स ई.एम.यू., मेमू और लांग डिस्टैंस ट्रेन्स हैं, उनमें टायलेट प्रोवाइड कराइये।

[अनुवाद]

लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के लिए आपको टायलेट प्रोवाइड करना चाहिए। कोई महिला यात्री पांच घंटे तक बिना टायलेट सुविधा के कैसे यात्रा कर पाएगी?

[हिन्दी]

आप इस पर जल्दी से जल्दी इंस्ट्रक्शंस दीजिए, इसका डिजाइन आर.डी.एस.ओ. और आई.सी.एफ. पेराम्बूर मैन्युफैक्चर करेंगे।

श्री लालू प्रसाद: तब तक ट्रेडीशनल ट्रेन चलवा देते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: वह आप जरूर करेंगे, हम जानते हैं। लेकिन कन्वैन्शनल रेक करवा दीजिए। आप लिख लीजिए रानी शिरोमणि फर्स्ट पैसेन्जर उसका नाम है। आप उसे उसे कम से कम कन्वैन्शनल रेक करवा दीजिए। इसमें आपका नाम रहेगा कि रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने ऐसा काम किया है, उन्होंने मेमू में टायलेट की सब व्यवस्था की है।

[अनुवाद]

महोदय, सोधपुर से सियालदाह तक चलने वाली एक लोकल ट्रेन है जो कार्यालय समय के दौरान चलती है।

[हिन्दी]

आपने मुम्बई के बारे में जिक्र किया, लेकिन सियालदाह और हावड़ा के बारे में भूल गये। हावड़ा का आपने नाम ही नहीं लिया। खाली पार्सल के वास्ते ढाई करोड़ रुपये रख दिये, बेकार खर्च करके क्या करेंगे, क्या फैसिलिटी डेवलप करेंगे। लेकिन हावड़ा स्टेशन की रियल प्राब्लम है,

[अनुवाद]

जब मैं स्थायी समिति का अध्यक्ष था तब मैंने इसका अध्ययन किया था। 30 करोड़ रुपये की एक योजना बनाई गई थी। महोदय, इसके साथ राशि-वितरण संबंधी समस्या है। पिछली बार, जब मैं रेल बजट पर बोला था, मैंने अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुझाव रखे थे। अल्पकालिक सुझाव यह है—रेलवे के पास हावड़ा में पर्याप्त जमीन है, पर्याप्त गुड्स-शेड हैं जिन्हें सामान रखने के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है। उस जमीन का उपयोग किया जा सकता है। आप चार या पांच प्लेटफार्म बनवा सकते हैं जिन्हें सिर्फ दक्षिण-पूर्व रेलवे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

[हिन्दी]

हावड़ा ईस्टर्न रेलवे के अंडर है और हम लोगों की ट्रेन साउथ ईस्टर्न रेलवे है, उसके साथ कभी-कभी सौतेला व्यवहार स्टैप मदरली ट्रीटमैन्ट हो जाता है। चार नये प्लेटफार्म जो अबेन्डंड गुडशैड्स हावड़ा में हैं, उन्हें आप एक साल के अंदर कर सकते हैं। आपने बहुत काम किया है, क्या आप हावड़ा के लिए इतना काम नहीं कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको 10-15 दिन पहले चिट्ठी लिखी थी कि मेहरहाट में एक दूसरा टर्मिनल स्थापित किया जाए।

[अनुवाद]

आपके शहर मुम्बई में कितने कोचिंग टर्मिनल हैं?

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: दिल्ली में पांच टर्मिनल हैं जबकि कोलकाता में सियालदाह और हावड़ा दो ही टर्मिनल हैं। चितपुर का प्रस्ताव है। मुझे नहीं पता इसके लिए कितनी निधि प्रदान की गई है।

महोदय, पिछले वर्ष रेल मंत्री ने पद्दपुकुर और शालीमार में नए टर्मिनल खोलने की घोषणा की थी। मुझे नहीं पता कि पद्दपुकुर और शालीमार को नए कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित करने के लिए उन्होंने कितनी निधि प्रदान की है। पद्दपुकुर, शालीमार और हावड़ा में कोचिंग टर्मिनल के अतिरिक्त महेरहाट में भी कोचिंग टर्मिनल बनाए जाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने आपको लिखा है। वह पत्र मैंने आपको अग्रेषित कर दिया है। मेहरहाट में एक कोचिंग टर्मिनल बन जाने से दक्षिण-पूर्व रेलवे की रेलगाड़ियों के लिए सीधे कोलकाता जाना सुविधाजनक हो जाएगा।

[हिन्दी]

अब आप सर्कुलर को कंप्लीट कर रहे हैं, सर्कुलर रेल से एयरपोर्ट तक जोड़ रहे हैं। हमारा न्यू टाउन जो मजेरहाट है, उसे भी रेल लाइन से कनैक्ट कर रहे हैं। उसका सर्वे हो गया है, एस्टिमेट हो गया है और रिपोर्ट भी आ गई है साउथ ईस्टर्न रेलवे से। इसके ऊपर आप देखिये महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपने एक घंटे से भी ज्यादा समय ले लिया है। कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं आपकी बात समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

मैं कनक्लूड कर रहा हूं। मैंने मजदूरों के बारे में जो कहा है, हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में, उनके लिए सोशल सिक्यूरिटी का प्रावधान किया गया है, लेकिन उन्होंने कोलकाता में बताया था कि वे जब रेल के काम से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाएंगे तो उनको पकड़ा जा सकता है। इसके लिए कुछ पास का बंदोबस्त होना चाहिए। आपने भी कहा था कि इसके लिए कुछ होना चाहिए इसलिए इनके लिए कुछ कीजिएगा। हाकर्स का जो हैरसमैंट होता है, उसे रुकवाइए।

[अनुवाद]

महोदय, हजारों प्रशिक्षु हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं कि उन्हें स्थानापन्न खलासी के रूप में नियुक्त कर लिया जाए किन्तु महाप्रबंधक रेलवे बोर्ड के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं तथा वे फाइल को दबाए बैठे हैं।

[हिन्दी]

तीन-चार साल रेलवे में ट्रेनिंग लेकर बैठे हैं, स्किल्ड हैं। जब आर्डर गया है तो उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, उनका एंगेजमैंट हो यह देखना चाहिए।

रेलवे में जो होम्योपैथिक डाक्टर्स हैं, रेलवे होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डाक्टरों का विरोधी क्यों है? आप तो आयुर्वेद में विश्वास करते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि कुल 142 डाक्टर हैं होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के, उनको 2500 से 3000 रुपये तक तनख्वाह मिलती है। एलोपैथिक डाक्टर्स को 15000 रुपये से 25000 रुपये तक तनख्वाह मिलती है। यह डिसक्रिमिनेशन क्यों है? यह भी इनोवेटिव होगा, जैसे खादी को आपने बढ़ावा दिया है, इसी प्रकार आयुर्वेद और होम्योपैथी के जो डाक्टर्स हैं,

[अनुवाद]

उन्हें मात्र 2,500 रुपये या 3,500 रुपये ही क्यों मिलेंगे? उनका वेतनाम एलोपैथिक डाक्टरों के वेतनमान के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? स्टेट गवर्नमैंट, सी जी एच एस में सब जगह ऐसा है, लेकिन रेलवे में हम देखते हैं कि उनको 2500 रुपये से 3000 रुपये तक तनख्वाह मिलती है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप सुझाव लिखकर मंत्री जी को भेज दीजिए।

श्री लालू प्रसाद: वे पार्ट टाइम डाक्सर्ट होंगे। दूसरी जगह भी कमाते होंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: नहीं, कुछ नहीं कमाते हैं। हम सबको लेकर आपके पास आएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ हम रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हैं। एक नया कदम उठाया गया है, आम जनता के बारे में सोचा है लेकिन हमारी जो मांग है, हम कहेंगे कि केरल का भी थोड़ा डिप्राइवेशन हुआ है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से उड़ीसा का भी उल्लेख करने को कहूंगा।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: उड़ीसा का भी हुआ है।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव: उड़ीसा में सारी ट्रेनें रुक गई हैं। उड़ीसा राज्य गतिहीन हो गया है। वहां रेलों का आवागमन नहीं है क्योंकि रेल मंत्री ने उड़ीसा को पूरी तरह से उपेक्षित किया है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: उड़ीसा के बारे में भी मंत्री जी सोचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

महोदय, मैं आपको बहुत-बुहत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना समय बोलने के लिए दिया। एक बार पुन: धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री विक्रम केशरी देव: उड़ीसा बहुत पिछड़ा हुआ है। उसके लिए पैसा नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

अत:, मैं रेल मंत्री से वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं ताकि उड़ीसा में रेल चलने लगे। उड़ीसा में रेल चलनी शुरू होनी चाहिए। रेल मंत्री महोदय, आप कृपया संतोषजनक वक्तव्य दें। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री रामजीलाल सुमन।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, कल श्री लालू प्रसाद जी ने रेल बजट प्रस्तुत किया। मैं समाजवादी पार्टी की ओर से *...(व्यवधान)* फिर लालू जी कहते हैं कि हमारी तारीफ नहीं करते। हम आपकी तारीफ करना चाहते हैं मगर आप सुन नहीं रहे हैं। श्री लालू प्रसाद जी ने कल जो रेल बजट प्रस्तुत किया, हम समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें धन्यवाद देते हैं।

[श्री रामजीलाल सुमन]

अपराह्न 4.00 बजे

महोदय, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कल जो रेल बजट प्रस्तुत किया, उससे आम जनता को यह अहसास हुआ कि यह बजट उनकी भावनाओं के अनुकूल है।

थोड़ी देर पहले यहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री सुशील कुमार मोदी तकरीर कर रहे थे। मैंने उनकी तकरीर को गौर से सुना और तकरीर करने के बाद वे फौरन चले भी गए। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं लालू जी से भी निवेदन करूंगा कि सवाल आंकड़ों का नहीं है, सवाल यह है कि पहले उस पक्ष के लोग सरकार में थे और अब एक नई सरकार बनी है। हम राजनीतिक लोग हैं। हम लोग क्या कहते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया आम आदमी की होती है और मैं समझता हूं कि जो आम आदमी अहसास करता है, उसकी जो भावना होती है, वह सियासी लोगों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए नया राज बनने के बाद, इस सरकार के आचरण में एक तुलनात्मक फर्क दिखाई देना चाहिए। यही निवेदन मैं करना चाहता हूं।

महोदय, किस तरह का बजट रामविलास पासवान जी ने पेश किया, वह क्या बजट था, नीतीश कुमार जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, वह क्या था और कल जो रेल बजट लालू जी ने प्रस्तुत किया, वह क्या था, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण सवाल यह है कि रेल में सफर करने वाले आम आदमी को नई सरकार बनने के बाद जो अहसास होना चाहिए, वह अहसास उसमें है या नहीं। आज आम आदमी सोचता है कि नई सरकार आने के बाद, रेलों में यात्रा करने में वह सुरक्षित है कि नहीं, नई सरकार आने के बाद रेलों में उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है या नहीं असली बिन्दु और सवाल यही है।

हमारे सामने हालांकि कुछ व्यक्तिगत परेशानियां हैं। अभी हमारे कुछ मित्र कह रहे थे कि समय बढ़ना चाहिए, नई सरकार बन रही है, यह अच्छी बात है, लेकिन मैं जब नए मंत्रियों को देखता हूं, तो मुझे बहुत दुख होता है। लालू जी आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपने डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी को मंत्री बनाकर अच्छा काम नहीं किया। उनकी उपयोगिता वहां की बजाय हमारे लिए यहां ज्यादा थी।

मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। मुझे मालूम है कि हमारी पार्टी के तमाम नए सदस्य आए हैं और उन सबकी इच्छा है कि रेल बजट पर बोला जाए। इसलिए मैं उनके हक को नहीं मारना चाहता।

महोदय, कल जब रेल बजट प्रस्तुत किया गया था, तो लालू जी ने कहा कि बजट का आर्थिक आधार मजबूत है, लेकिन मैं एक बात बड़ी विनम्रता के साथ उनसे निवदेन करना चाहूंगा कि रेलवे को आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए बहुत सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है और अगर वे सार्थक प्रयास नहीं हुए, तो मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा परिणाम आने वाले हैं।

यहां हमारे बहुत से राजनीतिक मित्र बैठे हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है और न मैं व्यक्तिगत आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि 22 मई को जब यह सरकार बनी और लालू जी मंत्री बने, तब से 25 जून तक अकेले बिहार में रेलवे में लूट और डकैती की सात घटनाएं हुईं। घटनाएं आठ हुई, सात हुई या पांच हुई, यह महत्वपूर्ण नहीं, है, लेकिन समाचारपत्रों में जब इस प्रकार की घटनाएं छपती हैं, तो आम यात्री के मन में यह भय पैदा होता है कि वह सुरक्षित नहीं है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि रेलवे में सफर करने वाले हम आदमी को, वह चाहे किसी भी सूबे का हो, देश के किसी भी हिस्से का वाशिंदा हो, यह अहसास होना चाहिए कि जब वह रेल में सफर करेगा, तो वह सुरक्षित रहेगा, उसे कोई खतरा नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सभी लोग जानते हैं कि ये सभी घटनाएं बिहार में हुई और वहां आपकी धर्मपत्नी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने रेलों में लूटपाट और डकैती की घटनाओं को रोकने में असमर्थता व्यक्त की है। मेरा आपसे आग्रह है कि रेलवे में लूटपाट और डकैती की जो घटनाएं होती हैं और समाचारपत्रों में जब इस आशय के समाचार छपते हैं, तो उससे आम आदमी भयभीत होता है। वह समझता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, लिहाजा इस ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आपने यात्रियों की सुविधा के लिए 2015 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की बात की और कहा कि 8000 रेलवे स्टेशन्स पर रेलवे यार्ड, सफाई, कैंटीन, रख-रखाव आदि तमाम चीजों का आपने जिक्र किया है। मैं यह मानता हूं कि रेलवे स्टेशनों की संख्या की दृष्टि से जो धन का आवंटन हुआ है, धन का आवंटन उस मात्रा में उचित नहीं है। काफी कम है।

अपराह्न 4.06 बजे

[श्री गिरिधर गमांग *पीठासीन हुए*]

आपने जो बजट प्रस्तुत किया, मंत्री जी, जो सबसे अधिक चिन्ता का विषय है, मैं चाहूंगा कि आप उस तरफ ध्यान दें। इसमें कहा गया है कि कुल मिलाकर, यातायात से, किराए और भाड़े से रेलवे को 45,000 करोड़ रुपए की आय होगी। आपको जो दौलत मिलने वाली है, आपका जो खर्च होने वाला है वह 41,000 करोड़ रुपए संचालन व्यय है और 11,000 करोड़ रुपए योजना व्यय है। कुल मिलाकर, मेरा कहने का मतलब है कि रेलवे को

45 हजार करोड़ रुपए की आय होगी और खर्च 52,000 करोड़ रुपए का होगा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अब रेलवे का काम घाटे में चलेगा। इस बीच के अंतर को पूरा करने के लिए आपको बाजार में जाना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा और उसका उदाहरण हमारे सामने है। उधार लेकर काम चलाने की जो प्रवृत्ति है, उसका परिणाम आपके सामने है। इस देश को चलाने के लिए भी हम लोग कर्ज लेते रहे हैं और उसका परिणाम यह है कि जो हमारे ऊपर कर्ज है, उसकी किश्त और ब्याज की अदायगी हेतु राजस्व का 80 फीसदी धन हमें देना पड़ता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब तक रेलवे के आर्थिक संसाधनों को आप नहीं बढ़ाएंगे, रेलवे को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे तब तक रेलवे का काम व्यवस्थित रूप से नहीं चल सकता। आज रेलवे को लाभकारी बनाए जाने की आवश्यकता है और इसकी कार्य-कुशलता को बढ़ा कर हमें बचत करनी होगी।

कल आपका जो भाषण हुआ, उसमें आपने कहा कि 33,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद सौ करोड़ रुपए का लाभ होगा। यह जो लाभ होने वाली राशि है, वह नहीं के बराबर है। इसलिए मेरा सुझाव है कि कोई आपको ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जो इन संभावनाओं का रेलवे में पता लगाए कि रेलवे की आय कहां-कहां से बढ़ सकती है। वे कौन से माध्यम हैं, जहां से रेलवे का मुनाफा हो सकता है। मुझे माफ करें, जब तक आप ऐसा तंत्र विकसित नहीं करेंगे तब तक रेलवे को व्यवस्थित रूप से नहीं चलाया जा सकता।

मैं उदाहरण के तौर पर आपसे कहना चाहता हूं कि तमाम अलाभकारी मार्ग हैं, जिन्हें लाभकारी बनाए जाने की आवश्यकता है और वह अलाभकारी मार्ग अगर लाभकारी बन जाएं तो उससे 200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष रेलवे को मिलेंगे। इस विषय पर आप जरा अपने विशेषज्ञों से बात करिए, दूसरे लोगों से जानकारी हासिल करिए, कोई ग्रुप एवं समूह गठित करिए, कुछ लोगों को लगाइये—इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ चीजों में विरोधाभास भी है—एक तरफ आपने सत्ता में केन्द्रीकरण की बात की और दूसरी तरफ विकेन्द्रीकरण की बात की है रीजनल मैनेजर से सामान खरीदने की ताकत आपने वापस ले ली है। भर्ती का काम, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करता था, अब वह काम स्थानीय आफिसर करेंगे। जरा इसको भी देखने की जरूरत है। इन दोनों चीजों में परस्पर विरोधाभास है। कुल मिलाकर कल आपने जो रेल बजट पेश किया, उसके चलते मैं कह सकता हूं कि आपकी नीयत तो ठीक है ही ...*(व्यवधान)* आप क्यों कह रहे हैं, आप तो रोज तारीफ करेंगे, आप तो लालू जी की पार्टी के आदमी हैं। थोड़ा हमें भी कुछ कहने दो। आप अपनी पार्टी के लोगों को समझाइये।

श्री लालू प्रसाद: ये आज हैं, कल नहीं थे।

श्री रामजीलाल सुमन: आप हमें बोलने दीजिए।

मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि कुल मिलाकर जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि तमाम जो अलाभकारी मार्ग हैं, ये लाभकारी कैसे बनें, इस पर निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है और दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो नई घोषणाएं हुई हैं, यह अलग बात है। पुरानी लम्बित परियोजनाएं हैं, आखिर ये भी कभी पूरी होंगी कि नहीं होंगी? पुराने मंत्रियों ने जो घोषणाएं की हैं, वे तमाम परियोजनाएं भी आप देखिये। मुझे माफ करना, यह सवाल कोई रेलवे का ही नहीं है। पंडित जवाहर लाल नेहरू के जमाने से पहली पंचवर्षीय योजना में जो सिंचाई की परियोजनाएं स्वीकृत हुई थीं, अब दसवीं परियोजना आ गई, लेकिन वे सिंचाई की परियोजनाएं आज तक पूरी नहीं हुईं। आप क्या घोषणा कर रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं, किन योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। जिन योजनाओं का आपने ऐलान किया है, वह समयबद्ध पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि जो योजनाएं लम्बित हैं, जिन पर काम करने की जरूरत है, उन पर भी प्राथमिकता के आधार पर आपको काम कराये जाने की जरूरत है।

हमारे मित्र चन्द्रपाल जी झांसी के एम.पी. हैं। इनका कहना है कि भोपाल से लखनऊ तक जो ट्रेन सप्ताह में दो दिन चलती है, वह प्रतिदिन चलनी चाहिए। झांसी से कानपुर तक के लिए दोहरी लाइन होनी चाहिए। आगरा को अभी आपने मंडल बना दिया है। पिछली सरकार ने आगरा में जो माडई जगह है, उस माडई जगह से लेकर इटावा तक, जहां प्रमुख तीर्थस्थल बटेश्वर है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी पैदा हुए थे, वह रेलवे लाइन स्वीकृत की। उसका शिलान्यास अटल जी ने किया था, लेकिन जिस गति से वहां काम चल रहा है, मैं नहीं समझता कि 10 साल में भी वह रेलवे लाइन बिछ पाएगी। उस रेलवे लाइन को बिछाने के लिए धन आबंटित करने का कोई जिक्र आपने अपने बजट में नहीं किया है।

श्री लालू प्रसाद: पहले उसमें कितना धन दिया हुआ था?

श्री रामजीलाल सुमन: हम दफ्तर में बैठकर आपसे बात कर लेंगे और आपको बता देंगे। पहले धन दिया है, आपको हम बता देंगे।

श्री लालू प्रसाद: अब काम क्यों रुका?

श्री रामजीलाल सुमन: आपको बता देंगे कि काम क्यों रुका। कुल मिलाकर उस पर भी तेजी से काम करने की आवश्यकता है। जैसा मैंने पहले आपसे पहले दिन निवेदन किया कि कुछ काम आपने

[श्री रामजीलाल सुमन]

ठीक किये हैं, प्रयास आपका अच्छा है। जैसाकि मैंने पहले आपसे कहा कि हम आपको बधाई देते हैं कि रेलवे में आपने खादी का प्रचलन शुरू किया है। खादी का सम्बन्ध हमारे स्वाधीनता संग्राम से रहा है और खादी सिर्फ कपड़ा ही नहीं है, इससे बुनकरों को काम मिलेगा। जो मिट्टी के बरतन बनाने वाले लोग हैं, उनको काम मिलेगा। कमजोर वर्ग के लोग जिनका तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण नहीं था, उनके आरक्षण को पूरा करने का जो आपने फैसला किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। शहीदों की विधवाओं को दूसरे दर्जे की यात्रा में 75 प्रतिशत पैसे की जो छूट दी है, उसके लिए आपको धन्यवाद। कुलियों का भी आपने ख्याल रखा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रेल बजट ठीक है।

अंत में मेरी आपसे प्रार्थना है कि रेल बजट प्रस्तुत करने के बाद रेलवे के आर्थिक संसाधन कैसे बढ़ें, रेलवे आत्मनिर्भर कैसे बने, रेलवे की आय कैसे बढ़े और पूरे हिन्दुस्तान में यह संदेश कैसे जाये कि अन्य मंत्रियों की तुलना में श्री लालू प्रसाद यादव बेहतर रेल मंत्री हैं, इसके लिए आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

मैं समझता हूं कि यहां जो भाषण होगा, तर्क प्रस्तुत होंगे, उनमें कुछ लोग आलोचना करेंगे और कुछ लोग तारीफ करेंगे लेकिन इसका ज्यादा मतलब नहीं है। इससे ज्यादा मतलब आपकी कार्य प्रणाली का होगा। इससे ज्यादा मतलब आपके काम करने के तौर-तरीके का होगा। नयी सरकार बनने के बाद हिन्दुस्तान के आम आदमी ने कहा कि श्री लालू प्रसाद यादव की गाड़ी और लोगों से बेहतर चल रही है तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से यह अच्छा बजट होगा।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): सभापति महोदय, वर्ष 2004-05 का बजट जो माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हूं। मैं ही नहीं बल्कि देश की 81 परसेंट से अधिक जनसंख्या ने इस बजट को सराहने का काम किया है। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो अच्छे से अच्छे काम को नकारेंगे। इसमें कोई दो बात नहीं हैं। हमारे मित्र श्री सुशील मोदी यहां से चले गये हैं। हमारी समझ में यह बजट हिन्दुस्तान के आम आदमी को राहत देने वाला, गरीबोन्मुखी, गांवोन्मुखी और बेरोजगारी मिटाने वाला बजट है।

पिछले 20 वर्षों में यह पहला बजट है जिसमें न माल भाड़ा बढ़ाया गया है और न किराया बढ़ाने का काम हुआ है। इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा सारे देश के लोगों ने की है। इसके लिए हम माननीय रेल मंत्री जी की सूझ-बूझ और बेरोजगारों के प्रति उनके ध्यान के प्रति कायल हैं कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाने का कार्य किया है। बुक स्टाल्स के एकाधिकार का जो काम चला हुआ था, उसे बदलकर, बेरोजगारों को, सैनिकों की विधवाओं को, रेलकर्मियों की विधवाओं को, अति पिछड़े वर्ग या दलितों को, 25 परसेंट आरक्षण देने का काम शायद श्री सुशील मोदी को नहीं भाया क्योंकि ये लोग पूंजीपतियों के रखवाले हैं, पूंजीपतियों के मददगार हैं। स्वाभाविक रूप से उनके मन में इसके लिए कसक हो सकती है कि आज उस एकाधिकार का तोड़ा जा रहा है और गरीबों को उस पर बैठाया जा रहा है, गरीबों की मदद करने का काम किया जा रहा है। उनकी इस आपत्ति को न सिर्फ सदन खारिज करेगा बल्कि सारे देश के लोग इसे नकारने का काम करेंगे।

हमारे मित्र श्री रामजीलाल सुमन बतला रहे थे, वे ठीक कह रहे थे कि रेलवे में आर्थिक संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है, उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि हमारे नेता ने जो स्क्रैप पहले गाजर के भाव में बेचा जा रहा था और जिस पर बड़े-बड़े जमींदारों का असर था, पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक का ठेका इन लोगों को मिलता था, ऐसे लोग ही इस काम को करते थे, अब उसकी रीसाइक्लिंग करके फिर से लोहा बनाकर, उसका इस्तेमाल करके, उस पैसे को बचाकर, जिस पैसे से बाहर से सामान मंगाया जाता था, उसे रेलवे में जोड़ने का काम रेल मंत्री जी कर रहे हैं। यह स्वागतयोग्य कदम है। इसके लिए हम इनको बधाई देते हैं।

महोदय, हम उस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं जहां से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, खादी ग्रामोद्योग और लघु उद्योग की शुरुआत की थी। बरसों भीतीहरवा एवं विन्दावन गांधी आश्रम में रहकर जिस चरखे से राष्ट्रपिता महात्मा गाधी और कस्तूरबा गांधी सूत कातने का काम किया करते थे, वही चरखा आज भी उक्त गांधी आश्रम में मौजूदा है। हम श्री सुशील मोदी से कहेंगे कि वे भीतीहरवा गांधी आश्रम में जाकर उस चरखे को देखें। इन्हें उसका क्या दर्द होगा। सैंकड़ों लूम चलाने वाले यही लोग भागलपुर दंगे में थे। इन लोगों ने उनके लूम को जलाने का काम किया। जो बुनकर थे, गांव के लोग थे, उनको जला कर रोजी-रोटी छीनने का काम किया। श्री लालू प्रसाद ने इस बजट में उन लोगों को अपने पैरों का खड़ा करने का काम किया, खादी को जीवित करने का काम किया जो सराहनीय है। इसके लिए इनको बधाई देते हैं।

महोदय, जब आपके स्थान पर उपाध्यक्ष महोदय बैठे थे, मैंने उस समय भी टोका था। राजधानी से आने वाले व्यक्ति को क्या पता लगता है क्योंकि पांच घंटे बाद उनका दूसरा स्टापेज आता है। उनको कुल्हड़ कहां मिलेगा। कुल्हड़ तो देश के सभी स्टेशनों, रेस्तराओं एवं ट्रेनों में मिल रहा है। जहां कैबिनेट की मीटिंग में चांदी की तश्तरी में चाय परसी जाती थी, वहां अब कुल्हड़ में

परसी जाती है। इसे भी आलोचना का विषय बनाया जा रहा है। लाखों गरीब कुम्हार जो अति पिछड़े लोग हैं, इससे उनको रोजगार मिलने का काम हुआ है। इस बात से इनकी नाराजगी स्वाभाविक है। ...*(व्यवधान)* प्रभुनाथ सिंह जी, आप शान्त रहिए। हम आपके विषय पर बाद में आएंगे। ...*(व्यवधान)* श्री लालू प्रसाद ने अपने बजट में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों, रेलवे के कमजोर वर्ग के लोगों, कुली, पोर्टर्स, वैंडर्स और उनकी पत्नियों को रेल यात्रा में सुविधा देने का काम किया है। उनको किराए में सहायता देने का काम किया है। इसके लिए हम इनको बधाई देते हैं। घोषणाएं पहले भी की गई थीं कि अगर कोई बेरोजगार युवक परीक्षा देने अपने घर से बाहर जाएगा तो प्रमाण-पत्र दिखाने पर उसे सेकेंड क्लास की टिकट में राहत दी जाएगी, लेकिन आज तक कहीं उसे कोई राहत नहीं मिली। हम रेल मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आपने जो घोषणा की, है, उसका इम्पलीमैंटेशन होना चाहिए। जो हजारों गरीब युवक शहर से बाहर इंटरव्यू देने जाते थे, हमारे यहां उनका क्या हुआ। बड़ी ईमानदारी की चर्चा होती रही और बात होती रही। पहले जो फोर्थ ग्रेड का एम्पलाई था, जो स्लीपर बिछाता था, दूसरा काम करता था, उसकी जीएम के लेवल पर बहाली होती थी, डीआरएम के लैवल पर बहाली होती थी, उसकी बहाली अब ऊपर से होने लगी। बिहार के लोगों को तमिलनाडु में बहाल किया गया।

सभापति महोदय, आप उड़ीसा से आते हैं। हमारे यहां के लड़कों को असम से मार-मारकर भगाया गया, महाराष्ट्र से मार-मारकर भगाया गया और बड़ी चालाकी से वहां अपने लोगों को बहाल करवा दिया गया। उनकी ट्रांसफर बिहार में करा दी गई और ईमानदारी का ढिंढोरा पिटाकर यश लेने का काम किया गया कि हम बहुत ईमानदार हैं। ऐसी ईमानदारी के खिलाफ मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को जांच कराने के लिए लिखित में दिया था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसकी जांच कराने का काम नहीं किया। जहां एक ओर हम माननीय रेल मंत्री जी के बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं, वहीं कहना चाहते हैं कि हमारा बिहार सर्वाधिक पिछड़ा इलाका है और रेलवे में हमारा हक मारा जाता रहा है। पिछले रेल मंत्री द्वारा घोषित जो कार्यक्रम हैं और आपने जो घोषणा की है, उनका इम्पलीमैंटेशन तेजी से होना चाहिए। उस काम को पूरा करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* अब हम नवीनगर पर आते हैं। अभी तो हमने नवीनगर पर शुरू भी नहीं किया है। हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि जमालपुर रेल कारखाना जो देश का गौरव था। कल आपने घोषणा की, इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। इसे और बढ़ाइए और इसके आधुनिकीकरण का काम शुरू करवाइए। इसी तरह से बिहार के मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में कारखाना है, उसे पुनर्जीवित करने का काम किया जाए। यहां नीतीश जी नहीं हैं, प्रभुनाथ जी हैं। जितने भी पुराने ए.सी. के डिब्बे थे, वे सब हमारे यहां बिहार में लगा दिये गये। ए.सी. के जितने भी पुराने और गंदे दिखने वाले तथा महकने वाले डिब्बे थे, वे सब बिहार को दे दिये गये और जितने भी बढ़िया-बढ़िया डिब्बे थे, वे सब कलकत्ता, मुम्बई में दिये गये और बिहार को सीधा नैगलेक्ट करने का काम किया गया। हम चाहते हैं कि इस काम को भी किया जाए। ...*(व्यवधान)*

छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर जो उत्तर बिहार का लाइफ लाइन है, उसमें सिंगल लाइन से काम नहीं चलने का है। उसे दोहरीकरण करावें। गोरखपुर-लखनऊ लाइन को दोहरी लाइन में बदलने का काम कीजिए। आप हमारी बात नोट नहीं कर रहे हैं। हमारी बात को भी रेल मंत्री जी कृपा करके नोट कर लीजिए। सब लोग अपनी बात नोट करा ले जाते हैं। हमारी बात भी नोट करिए। इसलिए इसको सिंगल लाइन से बड़ी लाइन में करिए, यह हमारे बिहार की लाइफ लाइन है।

श्री रामकृपाल यादव (पटना): हुजूर, इस काम को कृपा करके किया जाए।

श्री रघुनाथ झा: जब तक यह नहीं होगा तब तक हमारा काम नहीं होगा। हमारे यहां गंगा ब्रिज मुंगेर में बन रहा है। निर्मली-भवटियाही रेल पथ-कम-ब्रिज का निर्माण कार्य तत्कालीन प्रधानमंत्री ने करवाया। नरकटियागंज-जयनगर रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन का काम दस वर्षों से चल रहा है। उधर दरभंगा से लेकर बड़ी लाइन से आप देश के किसी हिस्से में जा सकते हैं और बीच में मिसिंग लाइन दरभंगा से रक्सोल छूटा हुआ है। इस 60-70 कि.मी. मिसिंग लाइन को बड़ी लाइन में करवा दीजिए तो देश के किसी भी हिस्से में जाया जा सकता है। सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर नई रेल लाईन दस वर्षों से बन रही है। मिट्टी का काम लगभग बहुत हो गया। फुल पुलिया बाकी है। इसलिए हम आपको आग्रह करेंगे कि इस पर विशेष ध्यान दीजिए। हमारे यहां नेशनल हाईवे उधर से बंद है। 250 कि.मी. तय करके सीतामढ़ी और शिवहर के लोगों को आना पड़ता है। हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने मोतिहारी से शिवहर होते हुए सीतामढ़ी तक नई रेलवे लाईन का सर्वे कराने का काम किया है लेकिन उसको व्यावहारिक रूप दिया जाए और जल्द से जल्द उस काम को कराने का काम किया जाए। उसी तरह से सकरी-निर्मली रेलवे लाईन का आमान परिवर्तन किया जाए। हाजीपुर-वैशाली-सुगौली-गया-अरेराज, ग्रामीण विकास मंत्री आपके पीछे बैठे हैं और बात करने में व्यस्त हैं। अरे! प्रधानमंत्री जी को ले जाकर शिलान्यास करवायें और रेल लाईन को आगे बढ़ाने के लिए काम शुरू होना चाहिए। उसी तरह से कप्तानगंज-थावे-सिवान-गोपालगंज होते हुए

[श्री रघुनाथ झा]

प्रभुनाथ सिंह जी के क्षेत्र छपता होते हुए छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम शुरू हुआ और यदि पैसे की कमी है तो पैसा देकर उस काम को पूरा करने का काम किया जाए। जितने भी बिहार में आर.ओ.बी. हैं, बिहार के 35 आर.ओ.बी. हैं जो नेशनल हाईवे पर हैं और उसके कारण ही घंटों आप जब छपरा जाते हैं तो आपको आठ फाटक क्रास करने पड़ते हैं। पटना से आठ फाटक क्रास करने पड़ते हैं। हम लोग पचास कि.मी. अधिक होकर जाते हैं। उसी तरह से जितने भी बिहार में आर.ओ.बी. हैं, उनक सबको बनाने का आदेश आपने दिया है। हम चाहते हैं कि उस काम को किया जाए। उसी तरह से झंझारपुर रेलवे पुल जो स्वर्गीय ललितनारायण मिश्रा जी के टाइम में कमला नदी पर रेलवे पुल पर ट्रैरिफ घेरकर रोड ब्रिज बनाया गया। आर.ओ.बी. के अभाव में काम नहीं है इसलिए मैं चाहूंगा कि उस काम को कराने का आप कष्ट करें। आपने चौकीदार रहित सभी समपारों को चौकीदार सहित और फाटक सहित बनाने की बात कही है, जोकि स्वागतयोग्य है। इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुगौली रक्सौल सेक्शन में शीतलपुर एवम् धर्मीनिया में चौकीदार सहित फाटक का निर्माण शीघ्र किया जाए। वहां पर कुछ दिन पहले 26 लोग मारे गए थे, क्योंकि वहां फाटक या चौकीदार नहीं था। मैं आपके चेम्बर में गया था और आपसे इस बारे में बात की थी। आपने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को आदेश दिया था। इसलिए मैं समझता हूं कि शीतलपुर एवम् धर्मीनिया में चौकीदार सहित फाटक होना चाहिए।

मैं एक निवेदन और माननीय रेल मंत्री से करना चाहता हूं। रक्सौल, सुगौली, बेतिया रेलवे स्टेशंस का आधुनिकीकरण किया जाए। सुगौली स्टेशन में कम्प्यूट्रीकृत आरक्षण केन्द्र की स्थापना शीघ्र की जाए। हमारे क्षेत्र में बेतिया और रक्सौल नेपाल की सीमा पर हैं, वहां फुटओवर ब्रिज प्लेटफार्म पर उतरता है। इस कारण बाहर से लोगों को काफी दिक्कत होती है। उसका विस्तार करने की जरूरत है। अन्य स्थान पर फुटओवर ब्रिज बनाया जाए।

हम आपके रेल बजट के लिए आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं और आपको बधाई देते हैं कि यह बजट गरीबों के हक में है। इसलिए पूरे सदन को सर्वसम्मति से इसे पास करना चाहिए।

मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं। नवीनगर बिहार में मेगा थर्मल पावर स्टेशन की आधारशिला रख दी गई और पावर रेलवे को सप्लाई करनी थी। लेकिन उसकी कोई औपचारिकता पूरी नहीं की गई। न तो केबिनेट से मंजूरी ली गई, न विधिवत स्वीकृति ली गई और घोषणा कर दी गई तथा शिलान्यास कर दिया गया। इसी तरह से अन्य जगहों पर भी शिलान्यास कर दिए गए और बिहार के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया। इसलिए मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि बिहार की इन सब योजनाओं को व्यावहारिक रूप देकर एक समय सीमा में पूरा किया जाए।

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): सभापति महोदय, मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत रेल बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। रेल बजट समाज के प्रत्येक वर्ग की सुविधाओं को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। प्रतिवर्ष जब रेल बजट का समय आता है तो जनमानस में एक भावना व्याप्त होती है कि आज रेल बजट संसद में पेश किया जाएगा, निश्चित रूप से कुछ न कुछ माल भाड़े में और यात्री किराए में वृद्धि होगी। लेकिन इस बार रेल मंत्री जी ने पूरे समाज को ध्यान में रखकर रेल बजट पेश किया, तो उसमें न माल भाड़े में वृद्धि की गई और न ही यात्री किराए में कोई वृद्धि की गई। इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा पूरे देश में हुई। मैं भी अपने दल की तरफ से इस अच्छा रेल बजट की प्रशंसा करता हूं।

सभापति महोदय, रेल बजट में कुछ ऐसे खास प्रावधान किए गए हैं जो निश्चित रूप से सम्मान योग्य हैं। जैसे बेरोजगार युवकों को साक्षात्कार के लिए जाने-आने में रियायत दी गई है। इससे हमारे बेरोजगार युवकों का मनोबल बढ़ा है और उनको रोजगार की खोज में सुविधा होगी। यह जो रियायत मंत्री जी ने उनको उपलब्ध कराई है, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। रेलवे स्टेशंस पर बुक स्टाल्स के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछले वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, युद्ध में मारे गए जवानों की विधवाओं, विकलांगों और रेल कर्मचारियों की विधवाओं के लिए जो 25 प्रतिशत का आरक्षण किया है, इससे समाज के कमजोर वर्गों को थोड़ा बहुत रोजगार मिलने में सहायता मिलेगी।

मैं रेल मंत्री जी को एक और चीज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मंत्री जी ने जो सर्विसेज में बैकलाग था, अनसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों का, उसको पूरा करने के लिए इस रेल बजट में प्रावधान किया है। उसको पूरा करने के लिए इस बजट में जो प्रावधान किया गया है, उसके लिए हम अपनी पार्टी की तरफ से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का बैकलाग पूरा करने में योगदान दिया है उसके लिए भी हम उनक धन्यवाद देते हैं।

दूसरा, मूक-बधिर व्यक्ति के साथ सहचर को साथ चलने की जो सुविधा मुहैया करायी है और जिसको किराये में 50 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है, उससे भी मूक-बधिर व्यक्तियों को यात्रा करने में सुविधा होगी। यह हमारे समाज के ऐसे वर्ग हैं जो अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं। इससे उनको मदद मिलेगी।

तीसरा, माननीय मंत्री जी ने रेलवे स्क्रेप में माफियागिरी को समाप्त करने का जो प्रयास किया है और इस स्क्रेप को रिसाइकलिंग करके जो विदेशों से पहिया आयात होता था उसे अपने देश में बनाकर विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी और देश में ही स्क्रेप को रिसाइकलिंग करके पहिये का निर्माण हो सकेगा।

चौथा, पर्यावरण अनुकूल टायलेट प्रणाली का बजट में प्रावधान किया जाना। ग्रामीण मंत्रालय द्वारा घोषित नीति के अनुसार सवारी डिब्बों में पर्यावरण अनुकूल टायलेट डिस्चार्ज प्रणाली का विकास किया जाने का प्रावधान आपने इस बजट में किया है। मेरी विनती है कि इसमें सैम्पल के तौर पर कुछ बड़े स्टेशनों को ले लिया जाए, जिन पर इस प्रणाली की ट्रेनें आयें जिससे लोगों को लगे कि तत्काल इसकी व्यवस्था हो रही है और इस-इस नम्बर के प्लेटफार्म साफ-सुथरे नजर आ रहे हैं।

अब मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में मेरा सीतापुर संसदीय क्षेत्र है। वहां आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लखनऊ, बरेली वाया सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत मार्ग जो मीटरगेज है उसको ब्राडगेज में परिवर्तित कराने का प्रयास मैं पिछले तीन वर्षों से करता आ रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने इस बजट में मीटर गेज को ब्राजगेज में परिवर्तित करने का प्रावधान किया है। मैं अपने क्षेत्र के लोगों की तरफ से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ ही बरेली, सीतापुर वाया बुरवल, गौंडा बड़ी रेल लाइनें हमारे क्षेत्र से निकलती हैं। इन लाइनों पर ज्यादातर मालगाड़ियां ही जाती हैं। केवल दो पैसेंजर और एक्सप्रेस गाड़ियां हैं जो हमारे संसदीय क्षेत्र सीतापुर होकर निकलती हैं। इनके ऊपर कोई नयी रेलगाड़ी चलाई जाए जिससे सीतापुर के लोगों को रेल सुविधा का लाभ मिल सके। मालगाड़ियां जाने की वजह से हमारे संसदीय क्षेत्र सीतापुर में जाम लगा रहता है। इसलिए वहां पर एक ऊपरगामी पुल बनाया जाए जिससे वहां के नागरिकों को इसकी सुविधा मिल सके और उन्हें कष्ट न हो।

दूसरी बात, सीतापुर से बहराइच मार्ग के ऊपर नई रेल लाइन का सर्वे हो चुका है, लेकिन यह प्रस्ताव ठन्डे बस्ते में पड़ा हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया उस प्रस्ताव को देख लें। इस लाइन की बहुत आवश्यकता है। बहराइच जिला नेपाल बार्डर पर है, यदि इस लाइन को जोड़ देंगे, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सुविधा होगी और उन्हें भी रेल सेवा मुहैया हो सकेगी।

अंत में, मैं रेल मंत्री जी को अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य के लिए उन्होंने जो भी घोषणायें की हैं, उनको समयबद्ध पूरा करने के लिए कदम उठायेंगे।

श्री लालू प्रसाद: गांव के गरीब लोगों के लिए भारत-दर्शन भी होगा।

श्री राजेश वर्मा: अंत में, मैं आपको धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती): माननीय सभापति जी, नई सरकार का पहला बजट लोक लुभावना है। बाहर लोगों में इस बजट की बहुत तारीफ हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले विधान सभा के चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट को पढ़ने से लगता है कि हम कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं? मैं शिवसेना पार्टी की ओर से अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं और मेरी पार्टी के अन्य माननीय सदस्य भी अपनी बात कहेंगे, इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा।

महोदय, वास्तव में देखा जाए, तो रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों की नजर रेल सुविधाओं पर होती है। हम जब भी स्टेशन्स पर जाते हैं, तो भारतीय रेल की स्थिति सामने नजर आती है। माननीय रेल मंत्री जी ने अपने बजट में मार्च, 2005 तक सारे स्टेशनों पर न्यूनतम अनिवार्य यात्री सुविधायें पूरी करने का वायदा किया है। पिछले तीन वर्षों में 522 करोड़ रुपए इस मद में विभिन्न स्टेशनों पर खर्च किए हैं और इस साल भी हमारे प्रदेश में 215 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। इतना रुपया खर्च करने के बाद भी हमें स्टेशनों पर सुविधाओं का अभाव दिखाई देता है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। मुम्बई सैन्ट्रल टर्मिनस, लोकमान्य टर्मिनस, भुसावल, नागपुर और बान्द्रा स्टेशनों पर सुधार के लिए 252 करोड़ रुपए पिछले तीन सालों में खर्च किए गए। इन स्टेशनों पर देश के कोने-कोने से यात्री आते हैं। नागपुर तो ऐसा स्टेशन है, जहां से सारी गाड़ियां टर्न होकर जाती हैं। मुम्बई सैन्ट्रल टर्मिनस, लोकमान्य टर्मिनस पर लाखों यात्री रोज आते जाते हैं। लेकिन वहां न उनको पीने का पानी मिलता है, न टायलैट की सुविधा है, न स्टेशन पर बैठने की कोई व्यवस्था है। यदि किसी यात्री को चक्कर आ जाता है या बीमार हो जाता है, तो उनके लिए वहां बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। सीएसटी का प्लेटफार्म बड़ा है। वहां पूरी गाड़ी खड़ी हो जाती है लेकिन वहां कोई सुविधा नहीं है। बिसलेरी वाटर के सिवा पीने को नहीं मिलता। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि हमने 252 करोड़ रुपए कैसे इस काम पर खर्च किए? हमने कई बार स्टैंडिंग कमेटी के साथ कई रेलवे स्टेशनों का दौरा किया। पैटिशन कमेटी जिस के पिछली लोक सभा में बसुदेव आचार्य चेयरमैन थे, मैं भी उस कमेटी का मैम्बर था। हमें कई स्टेशनों पर शिकायतें सुनने को मिली। हमने मुम्बई की सभी लोकल ट्रेनों की हालत देखी। यदि चर्चगेट से बोरीवोली जाना है तो 15 मिनट में बोरीवली पहुंच जाते हैं लेकिन यदि बोरीवली में टिकट लेना है तो वहां आधा घंटा खड़ा रहना पड़ता है। टिकट की चार खिड़कियां में से दो खिड़कियां बंद रहती हैं। ऐसे में आप कैसे यात्री सुविधाओं की बात करते हैं? आज देश भर में 8 हजार कर्मचारियों की कमी है। गाड़ियों के आने-जाने की सूचना स्टेशनों पर मिलती नहीं है। गाड़ी लेट चलने पर जब हम पूछते हैं तो कहा जाता है कि कर्मचारी नहीं हैं। इसलिए इसकी घोषणा नहीं कर सकते। स्टेशन पर फोन करते हैं तो कोई फोन नहीं उठाता है। पूछने पर पता चलता है कि कर्मचारी नहीं हैं। स्टेशनों में साफ-सफाई नहीं होती है। पूछने पर कहा जाता है कि कर्मचारियों की कमी है। मैं नहीं जानता कि

[श्री अनंत गुढ़े]

आठ हजार कर्मचारियों की क्यों कमी है? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आठ हजार कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए वह क्या कदम उठा रहे हैं? अगर यात्रियों को सुविधाएं देनी हैं तो सबसे पहले कर्मचारियों की नियुक्ति करना बहुत जरूरी है। वह कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे करने वाले हैं? पिछले साल रेलवे बोर्ड ने कहा कि यह काम एक साल तक चलता है। मई 2003 में जिस छात्र ने इंटरव्यू दिया था उसका आज तक नतीजा नहीं निकाला गया है।

श्री लालू प्रसाद: आप शांति से नहीं रहते हैं।

श्री अनंत गुढ़े: हम शांति से रहते हैं। अगर मुम्बई में नियुक्ति होनी है तो स्थानीय लोगों को ही नियुक्त करना चाहिए, यही हम चाहते हैं।

आज भी कई गाड़ियां ऐसी हैं जो सौ साल पुरानी हैं। वे दौड़ती चली जा रही हैं। कुर्ला-हावड़ा 8029, 8030 जो हावड़ा से कोलकाता और कुर्ला से हावड़ा चलती है, वह पहले सीएसटी तक चलती थी, वह पुरानी गाड़ी है। सीएसटी-कोलकाता 2089, 2810 सौ साल पुरानी गाड़ी है। उसकी हालत खराब है। उस गाड़ी के बाथरूम सड़ते हैं। जब गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती है तो यात्री बाथरूम करने के लिए प्लेटफार्म पर बने यूरेनिल्स में जाते हैं। वे बोगियों में बने यूरेनिल्स में नहीं जाते हैं। कुछ गाड़ियों की हालत तो इतनी बुरी है कि आदमी सोचने लगता है कि उसमें बैठकर जाना ठीक है या पैदल जाना अच्छा है। गोंदिया-पुणे-कोल्हापुर 1040 डाउन गाड़ी ऐसी ही है। आज ट्रेनों में सफाई नहीं होती, मरम्मत नहीं होती, सीटें टूटी हुई हैं। हम कहां सुख-सुविधा देने की बात कर रहे हैं जबकि रख-रखाव ही नहीं है। अगर यात्रियों को रेलों में सुख-सुविधा नहीं मिली तो जिस आम बजट की बात लोग कर रहे हैं कि किराया-भाड़ा नहीं बढ़ाया गया है, उससे खुश नहीं होंगे।

सभापति महोदय, नई दिल्ली से तमिलनाडु एक्सप्रेस, ए.पी. एक्सप्रैस चलती हैं। इन ट्रेनों की हालत भी कुछ वैसी ही है। इनकी बोगियां पुरानी हो गई हैं। मैं रेल मंत्री जी से दरखास्त करूंगा कि 50-100 साल पुरानी रेलगाड़ियों की बोगियां बदलना जरूरी है। उनकी अच्छी तरह से मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है ताकि यात्रियों को अच्छी सुविधा मिल सके।

सभापति जी, रेल मंत्री जी ने अपने भाषण में कई नई रेलगाड़ियां चलाये जाने की घोषणा की है। हर रेल मंत्री अपने रेल बजट में इसकी घोषणा करता है। हमारा दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र से कोई रेल मंत्री नहीं हुआ जबकि बिहार से कई हुये हैं। हमारे विदर्भ क्षेत्र से लोगों की कई सालों से मांग रही है कि अमरावती-नरखेड तक रेल लाइन बिछायी जाये। 1905 में इसका सर्वेक्षण हुआ था और 1995 में इसकी आधारशिला रखी गई। 1996 में जब मैं पहली बार सांसद बना, इसके लिये मैंने प्रयास किया, तब काम शुरू हुआ है। चूंकि यातायात के लिये कोई मार्ग नहीं था, इसलिये अमरावती-नरखेड रेल मार्ग की मांग की गई है। इससे 100 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है और इससे लोगों को अच्छी सुविधा मिल सकती है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि माननीय रेल मंत्री जी ने निर्णय लेकर अमरावती-नरखेड पूरा न करके अमरावती-चन्दुरबाजार तक क्यों किया? यह 138 किलोमीटर का मार्ग है, उसे पूरा करना चाहिये था। अगर यह पूरा नहीं होता तो, जो उद्देश्य है, वह कचरे की टोकरी में डाल दिया गया लगता है। मुझे आशा है कि अपने उत्तर में रेल मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि इसे केवल चन्दुरबाजार तक क्यों किया गया है?

सभापति महोदय, विदर्भ क्षेत्र के लोगों की कुछ नई रेल लाइन बिछाने की मांग रही है। रेल मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि तीर्थ स्थानों का रेलों से जोड़ने का काम किया जायेगा। हमारे महाराष्ट्र में सैगांव में तिरुपति के लिये अपने यात्री जाते हैं और अकोला-सैगांव तथा गजानन महाराज का जो महाराष्ट्र का बड़ा मंदिर है, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश से तीर्थ यात्री शिरडी गांव आते हैं लेकिन कोई सीधी ट्रेन नहीं होने के कारण यात्रियों को तकलीफ होती है। बड़ी मात्रा में यात्रियों को तिरुपति जाने के लिये रेनीगुंटा उतरना पड़ता है। मेरा आपसे निवदेन है कि सैगांव से तिरुपति सीधी रेल सेवा चलाई जाये।

सभापति महोदय, महाराष्ट्र में नागपुर के बाद अमरावती बड़ा शहर है। जहां से हजारों सरकारी कर्मचारी यात्रा करते हैं। इसके अलावा नान गवर्नमेंट सर्वेंट भी दैनिक यात्री हैं। कई लोग बिजनैस के लिये भी आते हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी से विनती करता हूं कि इस बारे में भी सोचने की जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। भुसावल डिवीजन के सारे स्टेशनों पर कर्मचारियों की भारी मात्रा में कमी है, कर्मचारियों की इस कमी को आप जल्दी पूरा करें, यह विनती करके मैं अपना वक्तव्य करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: महोदय, मैं 2004-05 के रेल बजट पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विभिन्न परिसीमाओं के रहते हुए भी माननीय रेलमंत्री ने यात्री किराए और माल भाड़े में बढ़ोत्तरी को छोड़ते हुए एक सौम्य बजट पेश किया है। मंत्री महोदय ने साक्षात्कार में शामिल होने के लिए आने वाले बेरोजगार युवकों को मुफ्त यात्रा सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पेश किया है और साथ ही

युद्ध के दौरान मृत सैनिकों की विधवाओं तथा बहरे और गूंगे लोगों को भी छूट देने का प्रस्ताव रखा है। मंत्री महोदय ने जरूरतमंद लोगों के कल्याण का विशेष ध्यान रखा है और इस तरह उन्होंने महान कार्य किया है। इस प्रकार की छूट देने के बावजूद भी, वह 92.6 प्रतिशत की दर पर परिचालन अनुपात में सुधार प्रस्तुत करने में सफल रहे हैं। 3500 करोड़ रु. के रेलवे लाभांश और सामान्य राजस्व को देय 300 करोड़ रु. की आस्थगित लाभांश देनदारी चुकाने के बाद, मंत्री महोदय ने अपने बजट में 873 करोड़ रु. का अधिशेष दर्शाया है। यह रेलवे राजस्व में युक्तिसंगत संतोषप्रद निष्पादन दर्शाता है। मंत्री महोदय ने रेलवे में खानपान सेवा में सुधार, रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में स्वच्छता और पर्यावरण-अनुकूल शौचालय प्रणालियों की शुरूआत करने के लिए अच्छा कार्य किया है। इस तरह, कुल मिलाकर, सामान्यत: लोगों पर बजट का अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, इतना कहने के बाद, मैं भारतीय रेल में व्याप्त कुछ दीर्घकालिक समस्याओं को उठाना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, कुछ बड़ी रेलवे दुर्घटनाएं घटी हैं और प्रशासन, दुर्भाग्यवश उन लोगों की तकलीफों की ओर जिनके साथ दुर्घटना घटी है असंवेदनशील रहा। जब-जब कोई दुर्घटना घटी, सरकार अपने विश्वासोत्पादक या अन्य जवाब के साथ तैयार रही। कभी आरोप प्रणाली विफलता पर और कभी तोड़-फोड़, खराब सिग्नल प्रणाली, बिना चौकीदार के रेलवे फाटक या पुराने रालिंग स्टाक पर मढ़ा गया। दुर्घटना के कारणों की जांच में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए गठित विभिन्न समितियों और जांच एजेंसियों के प्रतिवेदन बिना पढ़े और कार्यान्वित किए धूल खा रही हैं। अब तक राकेश मोहन समिति या जस्टिस खन्ना समिति की किसी भी सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया गया है। परिणाम यह है कि रेल पथ नवीकरण, तकनीक उन्नयन, नये रालिंग स्टाक का अर्जन और पुरानी सिग्नल प्रणाली के उन्नयन के कार्य नहीं हो पाए हैं। इनमें से सभी कभी न कभी रेल दुर्घटनाओं के कारक रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय रेल मंत्री रेल यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित करने का गंभीर प्रयास करेंगे।

महोदय, समय की कमी को ध्यान में रखते हुए, मैं, संक्षेप में, रेलवे की कार्यक्षमता को सुधारने के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगा। पहला और सर्वोपरि सुझाव है कि रेल प्रशासन को एक योजना बनानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा माल और यात्री देश के एक भाग से दूसरे भाग तक सड़क नेटवर्क के बजाए रेल नेटवर्क के जरिए परिवाहित किए जा सकें। उदाहरण के लिए, एक लारी 10 टन भार के साथ हैदराबाद से दिल्ली तक यात्रा करने में 400 लीटर डीजल की खपत करती है, जबकि एक ट्रेन समान भार के साथ समान दूरी तय करने के लिए 40 लीटर डीजल खपत करती है। राष्ट्र बहुमूल्य डीजल की बचत कर सकता है और इस प्रक्रिया में प्रचुर विदेशी मुद्रा बचा सकता है। पुन:, रेलवे के मामले में टूट-फूट के साथ-साथ दुर्घटनाएं भी कम हैं। यदि रेलपथ का दोहरीकरण हो जाता है तो हैदराबाद से दिल्ली तक की रेल यात्रा का समय लारी की तुलना में काफी कम हो जाएगा।

अपराह्न 5.00 बजे

इससे दुर्घटनाओं की संख्या कम होगी। इसके कई फायदे हैं। दुर्भाग्यवश, पूर्व की सरकार ने सड़क परिवहन को अधिक प्राथमिकता दी और चार लेन, छह लेन इत्यादि वाले मार्गों पर बड़ी राशि खर्च की। मैं समझता हूं कि राजग द्वारा की गई यह बहुत भारी गलती थी।

सड़क परिवहन से रेल परिवहन में माल ढुलाई को आकर्षित करने के लिए रेलपथ का दोहरीकरण किया जाना चाहिए। रेलपथ के दोहरीकरण के कार्य को अत्यावश्यक उपाय के रूप में और युद्ध स्तर पर शुरू किया जाना चाहिए। गत वर्ष, हमने इसमें 300 किलोमीटर पूरा किया है। श्री लालू प्रसाद को कम से कम प्रतिवर्ष 10,000 किलोमीटर को दोहरीकरण करना चाहिए। अगर आपको निधि चाहिए, मैं आपको सुझाव दूंगा।

अब मैं विद्युतीकरण की ओर आता हूं, मैं हैदराबाद से दिल्ली तक लगभग 8000 रु. खर्च कर हवाई जहाज से यात्रा करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। यदि मैं राजधानी एक्सप्रेस से 12 घंटे में यात्रा कर सकता हूं, मैं प्रसन्नतापूर्वक और आराम से 2000 रु. खर्च कर ट्रेन में सो पाऊंगा।

ऐसा करने से रेलवे भी पैसा कमा सकते हैं और मैं पैसे बचा सकता हूं। रेलपथ का दोहरीकरण अत्यावश्यक उपाय के रूप में किया जाना चाहिए और इसे युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। रेलपथ का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए।

मैं माननीय रेलमंत्री को एक और सुझाव देना चाहता हूं। आपने सैन्य ट्रकों को ट्रेनों पर ले जाते देखा होगा। सामान से लदी हुई लारी भी मालगाड़ियों पर क्यों नहीं ले जाई जाए? आप मालगाड़ियों में लारी के चढ़ने और स्थिर होने को सुगम बनाने के लिए रेलवे स्टेशन पर सिर्फ रेलवे साईडिंग रख रहे हैं। मालगाड़ी नियत स्थान तक ले जाती है। वहां लारी मालगाड़ी से उतरती है, माल उतारने के स्थान पर जाती है, माल उतारती है और एक नए स्थान के लिए कोई अन्य माल ले लेती है। नए माल के साथ नए नियत स्थान के लिए माल लदने के बाद लारी, पुन: आगे की यात्रा के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन पर चली जाएगी। इस प्रकार जबरदस्त यातायात बढ़ाया जा सकता है और रेलवे 800 करोड़ रु. के बदले 80,000 करोड़ रु. का लाभ कमा सकता है। मैं यह बात

[श्री एस.पी.वाई. रेड्डी]

आपसे कह रहा हूं। हां, इसके लिए हमें पैसे की आवश्यकता है। आप रेलवे बाण्ड जारी करें। मैं आपका सलाहकार रहूंगा। कृपया रेलवे बाण्ड जारी करें। जनता रेलवे की अर्थव्यवस्था के लिए उत्सुक है। निश्चित रूप से, आप खजाने के लिए मुख्य उपार्जक होंगे। आपके पांच वर्ष के कार्यकाल में—मैं प्रार्थना करता हूं कि आप यहां पांच वर्ष तक रहेंगे—आपको भारतीय रेल को खजाने का सबसे बड़ा उपार्जक बनाना चाहिए।

रेल मंत्री महोदय मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। चूंकि मैं पहली बार सदस्य बना हूं मेरे प्रथम भाषण के लिए मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): महोदय, काफी समय पूर्व हम चुटकुला सुना करते थे जो इस प्रकार है:

[हिन्दी]

''जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू।''

अब उड़ीसा के लोग कल से कह रहे हैं:-

''मान्यवर रेल मंत्री जी लालू, पकड़ाए हैं उड़ीसा को भालू।''

पहले मंत्री जी को हम नमस्कार करते हैं। टीवी चैनल्स कह रहे हैं जैनेरस लालू।

[अनुवाद]

इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि लालू जी देश के पूर्वी भाग से हैं और माननीय सभापति महोदय भी देश के पूर्वी भाग से हैं अत: वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे पूर्व भाग प्रभावित हो। उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ राज्य जो कांग्रेस पार्टी की केन्द्रीय सरकार द्वारा लगातार नदरअंदाज किये जा रहे हैं वे अब ऐसा महसूस नहीं करेंगे। अब समय आ गया है जब इन राज्यों के लोगों को ऐसा महसूस होगा कि कोई ऐसा है जो उनके हितों के बारे में सोचता है। कहा जाता है कि जीवन में तीन रास्ते होते हैं- अच्छा रास्ता बुरा रास्ता और रेल का रास्ता। श्री लालू प्रसाद जी ने रेल का रास्ता चुना है। इसलिए हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हम सिर्फ नेपथ्य कोलाहल कर सकते है अर्थात् पीछे बैठकर ताली बजा सकते हैं।

श्री लालू प्रसाद जी ने अपना बजट भाषण हिन्दी में पढ़ा था। उनके नाम से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दो 'ऊ' का लोप का श्रेय वास्तु को जाता है या नहीं मैं नहीं जानता हूं परन्तु इसने उनके निर्वाचन क्षेत्र और राज्य के लोगों के दिलों और दिमाग से व्यथाएं समाप्त कर दी है। परन्तु उड़ीसा और व्यथाओं से घिर गया है। मंत्री जी समृद्ध हों। हमें इससे प्रसन्नता होगी। हमें कोई परेशानी नहीं है। परन्तु उन्हें उड़ीसा को भी इस देश के भाग के रूप में देखना चाहिए जिसका प्रमाण माननीय मंत्री जी द्वारा इस सभा में प्रस्तुत बजट में नहीं है। इन्होंने इस बजट में यात्री सुरक्षा को अत्यंत महत्व दिया है। एक उड़िया अखबार के सम्पादक के तौर पर इस बारे में मैंने कई सम्पादकीय लिखे हैं। यह विषय इस सभा में हम सबसे संबंधित है। अब तक यात्री सुरक्षा भारतीय रेलवे के लिए अत्यंत कम महत्व का विषय था।

आज के आधुनिक वाहनों में काफी सुधार आया है। यदि हम एक वाहन या विमान देखते हैं, इसमें सतत विकास देखने को मिलता है। किसी वाहन में आप एयर बैग पाते हैं। यदि कभी टक्कर होती है तो वह एयरबैग ड्राइवर के चेहरे के सामने आ जायेगा। यात्री पिंजड़े भी हैं। यदि कभी कोई टक्कर होती है और वाहन नष्ट भी हो जाए तो पिंजरे में होने की वजह से यात्री बचा लिये जाते हैं। इसी प्रकार विमान में आपके पास सीटें लिनेन और चद्दरें होती हैं जो अग्निरोधी होती है। इसलिये यदि विमान में आग लग जाती है तो प्राय: आप देखते होंगे की विमान परिचारिकाएं तकिया उठाती हैं या सीट उठाती हैं और उसे आग पर रख देती हैं जिससे आग बंद हो जाती है। परन्तु दुर्भाग्यवश भारतीय रेलवे ने किसी विदेशी एजेंसी से सलाह नहीं ली या उन्होंने अनुसंधान और विकास विभाग से सलाह लेने की चिन्ता नहीं की जो कि डिब्बे, को आधुनिक बना देते। आज शायद हमारे या सामान्य से कुछ अधिक वातानुकूलित डिब्बे होंगे परन्तु फिर भी डिब्बों की गुणवत्ता ठीक वही है जो कि तीस या चालीस या पचास वर्ष पहले थी।

अत: यदि मंत्री जी वास्तव में यात्री सुरक्षा में रुचि लेते हैं तो उन्हें इन बुनियादी चीजों को देखना चाहिए। यह उनके लिए कठिन नहीं होना चाहिए। बजट में यह बताया गया है कि 2003-04 की सभी बड़ी छोटी दुर्घटनाएं कुल मिलाकर लगभग 325 होगी। इसलिए 325 दुर्घटनाएं प्रति वर्ष होती हैं यानि औसतन एक दुर्घटना प्रतिदिन होती है।

अपराह्न 5.07 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

इस स्थिति में रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड और अधिकारी आसानी से सर्वेक्षण कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और यह पता कर सकते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा हेतु क्या किया जा सकता है। इस बारे में बजट में कुछ नहीं है।

इसलिए ऐसा लगता है कि बजट महज बेतरतीब और बेजान है और माननीय मंत्री जी द्वारा बिना मन लगाये तैयार किया गया

है। यह नौकरशाहों द्वारा तैयार किया गया है था और इन्होंने इसे पढ़ दिया है। इसलिए डिब्बों में यात्री सुरक्षा का विचार जो कि दुर्घटना सहन नहीं कर सकता है असामान्य लगता है।

हम प्रसन्न भी हैं कि माननीय मंत्री जी ने रेलवे को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास किया। इन्होंने प्लास्टिक, थर्माकोल और इस प्रकार के सामान हटाने का प्रयास किया। जब कभी हम रेल द्वारा उड़ीसा से दिल्ली आते हैं तो दोनों तरफ हम गंदगो, प्लास्टिक और थर्माकोल पाते हैं। इसलिए, यह अच्छी चीज है। परन्तु हमें देखना है कि इस बारे में भूतपूर्व मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने क्या बताया है। उसकी बात महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जब आप सतह से मिट्टी का प्रयोग करते हैं तो आप मृदा नष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी के पात्र जैव-चक्रणीय नहीं होते हैं। यह बहस का विषय है। मुझे इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। इसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। इस विषय को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

हम सबको यह जानकारी है कि रेलवे के विकास में संसाधनों में पेंशन से काफी व्यय होता है। वास्तव में रेलवे के आधुनिकीकरण और परिवर्तन लाने के लिए हमें यात्री और माल-भाड़े में कुछ परिवर्तन करना होगा। ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि रेलवे का पेंशन-भार कम हो सके और धनराशि का निवेश करके कार्यनिष्पादन में सुधार किया जा सके, जो कि पटरियों, डिब्बों इंजनों और सामान्य ट्रैक्शन प्रणाली के विकास द्वारा इस क्षेत्र से बचाया जा सके।

ये कुछ बिन्दु हैं जिनके बारे में मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं।

महोदय, हम प्रसन्न हैं-मैं पहले ही तीन बार प्रसन्नता व्यक्त कर चुका हूं और यह चौथी बार है- कि आपने भाषण में स्वयं मंत्री जी ने विशेषकर बताया है कि उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में वे महसूस करते हैं कि विगत में उन्हें उपेक्षित किया गया है। यह अच्छी बात है कि उन्हें इस तथ्य की जानकारी है और वे इस बारे में चिंतित हैं। हम इनकी चिंता का स्वागत करते हैं, परन्तु मैं उस ओर से ध्यान नहीं हटाऊंगा। अब मुझे विशेषकर उड़ीसा पर ध्यान केन्द्रित करने दीजिए। यदि आप उड़ीसा को देखें तो यह खनिज समृद्ध राज्य है और आश्चर्यजनक रूप से यह तथ्य है जिसकी पुष्टि किसी के भी द्वारा की जा सकती है—उड़ीसा से प्राप्त होने वाले भाड़े से भारतीय रेलवे को 3500 करोड़ रु. की वार्षिक आय होती है। यह आंकड़ा पिछले सात वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2003-04 के दौरान यह 3,500 करोड़ रु. था। यह कम धनराशि नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी है मात्र यातायात भाड़े के मामले में भारतीय रेलवे को अन्य किसी राज्य से 3,500 करोड़ रु. नहीं मिलते हैं।

इसलिए, रेलवे की झोली में उड़ीसा का योगदान काफी है। परन्तु इसकी तुलना में जब आप उड़ीसा में निवेश को देखेंगे तो यह वास्तव में दयनीय है कि हम बुरी तरह उपेक्षित हैं। उदाहरण के लिए रेलवे मार्ग की प्रति हजार वर्ग किलोमीटर घनत्व को लीजिए। पश्चिम बंगाल राज्य में यह 43.10 किलोमीटर प्रति हजार वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य में यह 30.40 किलोमीटर है। अखिल भारतीय भारतीय आंकड़ा 19.11 किलोमीटर है। पंजाब राज्य अखिल भारतीय आंकड़े से कम है और उड़ीसा पंजाब से नीचे है। उड़ीसा में मात्र 15.03 कि.मी. है। इसलिए रेलवे मार्ग की प्रति हजार वर्ग किलोमीटर लम्बाई का घनत्व इतना कम है कि आप लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शीघ्र समाप्त कीजिए।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मैं बीजू जनता दल का प्रतिनिधित्व करता हूं। आप एक महान पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो देश के लिए लड़ी है। आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। कृपया मुझे और समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आपके दल की ओर से बोलने वाला एक और सदस्य है।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मैं कई सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता हूं। अपनी पार्टी की ओर से मैं एकमात्र वक्ता हूं और मैं सम्पूर्ण उड़ीसा राज्य की ओर से बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। आप भाषण जारी रखें।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, आपकी दया के लिए धन्यवाद। मैं आभारी हूं।

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार ने उड़ीसा में कई पुरानी लम्बित परियोजनाएं प्रारम्भ की थी परन्तु उन्हें मिलने वाले समर्थन में कुछ समय लग गया जोकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन नहीं ले पायी। परन्तु राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार से पूर्व यदि आप देखें तो उड़ीसा लगातार लम्बे समय तक सभी केन्द्र सरकारों द्वारा विशेषकर रेलवे के क्षेत्र में नदरअंदाज होता रहा है और भेदभाव का सामना करता रहा है और इसने हमें इतना नुकसान पहुंचाया कि अब तक भी हम उसकी भरपाई नहीं कर पाये हैं और स्वयं शेष राष्ट्र के बराबर नहीं ला पाये हैं। महोदय, हमें पूर्वी तट रेलवे दिया गया। इससे पूर्व यहां दक्षिण पूर्व रेलवे जोन था, जिसका मुख्यालय कोलकाता था। इसका क्षेत्राधिकार उड़ीसा और कोलकाता से विशाखापत्तनम तक था। फिर पूर्वी तट रेलवे का

[श्री तथागत सत्पथी]

गठन किया गया और उसका मुख्यालय भुवनेश्वर बनाया गया। परन्तु पिछले कई वर्षों से पूर्वी तट रेलवे को केन्द्र सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण विकास कार्य अपेक्षित स्तर का नहीं हुआ है। इस वर्ष हमें 8 करोड़ रुपये दिये हैं, परन्तु यह राशि बहुत कम है। विशेष रूप से जब आप एक स्वतंत्र रेल जोन प्रणाली स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से पूर्वी तट रेलवे तथा इसके निर्माण पर विशेष ध्यान देने का आग्रह करता हूं जिससे भुवनेश्वर एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र रेल मुख्यालय बन सके और बड़े पैमाने पर भारतीय रेल को सहयोग कर सके।

अब मैं कुछ विशेष रेलगाड़ियों की बात करता हूं जिनकी ओर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। 82 कि.मी. लम्बी हरीदासपुर-पारादीप रेल लाइन को 1996-97 में स्वीकृत दी गयी थी। पारादीप एक आर्थिक केन्द्र है। यह एक बन्दरगाह है और पारादीप का विकास पारादीप तक ही सीमित नहीं रहेगा वरन उड़ीसा के आन्तरिक क्षेत्रों, विशेषकर उड़ीसा के तटीय जिलों से उड़ीसा के केंद्रीय हिस्से तक पहुंचेगा। मेरा निर्वाचन क्षेत्र ढेंकानाल भी उड़ीसा के मध्य में स्थित है। इस रेल लाइन को वर्ष 1996-97 में स्वीकृति दी गयी थी। इस रेल लाइन को हर वर्ष कुछ लाख रुपये ही आवंटित किये गये हैं—जिसके कारण इसका विकास नहीं हुआ है।

उसी प्रकार सम्बलपुर से भुवनेश्वर के लिए इंटर सिटी नामक रेलगाड़ी चलती है। माननीय मंत्री ने इसे पुरी तक बढ़ा दिया है। भुवनेश्वर इस राज्य की राजधानी है। सम्बलपुर पश्चिमी उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण शहर है। अत: इन दो शहरों को जोड़ना इंटर सिटी एक्सप्रेस का मुख्य उद्देश्य है और इसे पुरी तक बढ़ाया जाना तकनीकी रूप से बहुत गलत निर्णय है, जिसका मैं घोर विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर पुनर्विचार करेंगे।

एक नई लाइन खुर्दा—बोलंगीर नई लाइन का कार्य आरम्भ होना था और कम से कम 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जाने थे। हमें आशा थी कि इस वर्ष इस कार्य पर खर्च करने के लिए मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि अतीत में भी उड़ीसा में रेल विकास के लिए धन दिया गया था, परन्तु क्या हो रहा है? उदाहरण के लिए किसी परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाती है, उसमें से 5 करोड़ अथवा 6 करोड़ रुपये ही खर्च किए जाते हैं, और वर्ष के अंत में 9 करोड़ रुपये से 10 करोड़ की राशि केन्द्रीय निधि को वापस भेज दी जाती है। पुन: अगले वर्ष 10 करोड़ रुपये दिये जाते हैं जो पुन: कम होता चला जाता है और इस प्रकार वहां कोई विकास नहीं हो रहा है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप जरा जल्दी खत्म कर दीजिए। आप वाइण्ड अप करिये।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मैं इसे जल्दी पढ़कर सुना देता हूं, क्योंकि आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं। सम्बलपुर, भुवनेश्वर इंटर-सिटी एक्सप्रेस का पुरी तक विस्तार नहीं किया जाना चाहिये था। यह रेलगाड़ी भुवनेश्वर स्टेशन पर रुकनी चाहिये। पुरी को पणजी से जोड़े जाने की आवश्यकता है, जिसे वैशाली एक्सप्रेस नाम दिया जा सकता है। यह पर्यटकों को गोवा से उड़ीसा की ओर आकर्षित करेगी। हमें राजस्थान में सम्बलपुर के रास्ते पुरी से जयपुर तक रेल सेवा शुरू करने की आवश्यकता है जो उत्तर भारत से आने वाले पर्यटकों की मदद करेगी। दक्षिणी उड़ीसा के बड़े हिस्से गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, नवरंगपुर, मलकानगिरी, बौद्ध, कोंडामन जिले और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा नहीं है। पांच संसद सदस्य इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे बेहरामपुर से नई दिल्ली तक रेल सेवा प्रारम्भ करें।

पूर्वी तट रेलवे ने हिराकुड एक्सप्रेस को बेहरामपुर से आरम्भ करने के लिए एक सुझाव भेजा है, अभी यह गाड़ी भुवनेश्वर से हजरत निजामुद्दीन के मध्य चलती है, इसे बेहरामपुर से आरम्भ किया जा सकता है। यह दक्षिणी उड़ीसा के बेहरामपुर को नई दिल्ली से जोड़ेगी। इसी प्रकार प्रशान्ति मैदान एक्सप्रेस जो वर्तमान में विजाग और बैंगलूर स्टेशनों के बीच चलती है, इसे भुवनेश्वर या कटक तक बढ़ाया जा सकता है और यह बेहरामपुर और उड़ीसा के दक्षिणी हिस्सों को पुन: दक्षिण भारत को बड़े पैमाने पर जोड़ेगी। सम्बलपुर के रास्ते राजस्थान जाने वाले पुरी-जयपुर रेलगाड़ी को सप्ताह में दो बार चलाया जाए और बेहरामपुर से टाटानगर के लिए एक नई रेल सेवा प्रारम्भ की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। आपको और अधिक समय देना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

श्री तथागत सत्पथी: राउरकेला, रायगंज, पारादीप, सम्बलपुर, नई दिल्ली रेल लाइन पर सम्बलपुर होते हुए रेल सेवा की आवश्यकता है। मंत्रालय ने हमें तीन राजधानी एक्सप्रेस दी हैं जो सप्ताह में तीन बार भुवनेश्वर से दिल्ली के मध्य चलती हैं। अब ये गाड़ियां खड़गपुर हो कर आती हैं परन्तु मेरा सुझाव है कि भुवनेश्वर से तीन और रेलगाड़ियां ढेंकानाल, अंगुल, सम्बलपुर और दिल्ली होकर आए जिससे राजधानी गाड़ियों की संख्या प्रत्येक

सप्ताह में छह हो जायेगी और यह उड़ीसा के विभिन्न भागों से होकर गुजरेगी।

तपस्विनी एक्सप्रेस जो भुवनेश्वर से सम्बलपुर के मध्य चलती है, इसे हटिया तक बढ़ा दिया गया है। मेरा सुझाव है कि इसे उड़ीसा की सीमाओं को पार नहीं करना चाहिये। तपस्विनी एक्सप्रेस जो पहले भुवनेश्वर और सम्बलपुर के मध्य चलती थी इसे राउरकेला पर रोका जाना चाहिए और इसे राउरकेला से आगे नहीं चलाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, कल रेल मंत्री द्वारा जो रेल बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसी पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। रेल बजट पर देश में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई है इसलिए हम भी मिश्रित बातें ही बोलना चाहते हैं। देश की भावना को मैं यहां पर रखना चाहता हूं। हालांकि लालू जी को हम उस बात के लिए बधाई देते हैं कि कम से कम, हमको लगता है कि जिंदगी में पहली बार वे डेढ़-पौने दो घंटे तक लिखित भाषण पढ़े होंगे। ऐसा इनको जिंदगी में पहली बार करने का मौका मिला होगा। यह इनके लिए इतिहास का विषय बना होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): यह इनकी मजबूरी भी है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: हां, मजबूरी भी है। हालांकि, देश के लोग आपको लिखित भाषण पढ़ते नहीं सुनना चाहते थे। वे चाहते थे कि आपके बोलने का जो स्टाइल है, उस स्टाइल में आप बोलिये। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: रिप्लाई में वही होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप बीच-बीच में कभी-कभी उस शैली में बोल रहे थे। हम आपको सुन रहे थे। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: आप लोग तो यहां नहीं थे। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमने आपके भाषण का एक-एक शब्द सुना है। टी.वी. पर बैठकर हम आपका भाषण सुन रहे थे। उस भाषण में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: ये सब हमारे पड़ोसी हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: ये मंत्री भी हैं, पड़ोसी भी हैं और एम.पी. भी हैं। इसलिए बीच में इधर से उधर थोड़ा बहुत तो चलेगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इससे गड़बड़ हो जायेगी। अब क्या करें?

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: जब लालू जी अपने लहजे में भाषण दे रहे थे तब उन्होंने उस क्रम में कहा था कि सदन में जब सदस्यों को आना चाहिए तो सोनिया जी को नमस्कार करके आना चाहिए और जब जाना चाहिए तब नमस्कार करके जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* आप सुनिये। ...*(व्यवधान)* आप बैचेन क्यों हो जाते हैं। ...*(व्यवधान)* मैं बताना चाहता हूं कि लालू जी की ऐसा कहने के पीछे नीयत यह थी कि सोनिया जी त्याग की मूर्ति हैं। उस त्याग की मूर्ति को बिना नमस्कार किये हुए इस देश का अपमान हो जायेगा। लेकिन ऐसी त्याग की मूर्ति को, हमको लगता है कि पहली बार इस देश में ऐसी घटना घटी है, जब यहां कोई सरकार गठबंधन की बनी हो और उस गठबंधन की सरकार की अध्यक्ष होने के नाते सरकार की सभी सुविधाएं उन्हें प्राप्त की जायें। इतना ही नहीं, जिस आसन पर सोनिया जी बैठी हैं, वे सरकार का आसन है, सरकारी बैंच है। ...*(व्यवधान)* जो कैबिनेट रैंक के बराबर होने का मतलब है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आप रेल बजट पर बोलने की कोशिश कीजिए।

...*(व्यवधान)*

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या यहां पर उपस्थित नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: आपसे ज्यादा हमें बोलना आता है। आप सुनने का काम कीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील: उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आप रेल बजट पर बोलिये।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो चर्चा हुई है, उस चर्चा पर मैं बोल रहा हूं। मैं कोई नयी बात नहीं कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या यहां उपस्थित नहीं हैं इसलिए उनका नाम नहीं आना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उनको पहले कह दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): क्या यह कल रेल बजट का विषय था? ...*(व्यवधान)* रेल बजट भाषण में जब उसकी चर्चा हो तो यहां उसकी चर्चा होगी। ...*(व्यवधान)* वह रेल बजट का पार्ट था। ...*(व्यवधान)* जब वह रेल बजट का पार्ट है तो उस पर चर्चा होगी। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एस. गढ़वी: उन्होंने क्या गलत कहा है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया टोका-टाकी न करें।

[हिन्दी]

प्रभुनाथ सिंह जी, आप बजट पर बोलिये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय सदस्य से कह दिया है कि वह बजट पर बोलें।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: यह रेल बजट क्या है? रेल बजट को देखने से लगता है कि रेल बजट घाटे का सौदा हो चुका है। हम एक बात पूछना चाहते हैं कि कोई भी संस्था हो, उनमें रेल इस देश की बहुत बड़ी व्यावसायिक संस्था है, इस देश की मुख्य चीज है जिससे देश का गांव-गांव जुड़ा हुआ है। जब रेल बजट आता है तो गांव के लोग इस उम्मीद से रेल बजट को देखते हैं कि हमारे राज्य को क्या मिला, प्रदेश को क्या मिला, सबको क्या मिला। रेल बजट में 80 प्रतिशत पेज इससे पहले के अंतरिम बजट की कार्बन कापी हैं। हम यह महसूस नहीं करते हैं कि इतने मोटे भानुमति के पिटारे को तैयार करने की जरूरत थी। रेल बजट में ऐसी नई बातें लाई जाती हैं जो देश की जनता को बताई जाएं, देश की जनता को दी जाएं और देश की जनता उन पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके कि हमें क्या मिला। एक बात जरूर है कि इन्होंने माल-भाड़ा और यात्री किराया भाड़ा नहीं बढ़ाया। इसके लिए हम इनको बधाई देते हैं कि इससे मध्यम वर्ग के लोगों को खुशी हुई है। लेकिन जहां भाड़ा नहीं बढ़ने की खुशी है, वहीं यदि रेल इस देश में घाटे का सौदा बन जाएगा तो कल इसका क्या होगा, इस पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत पड़ेगी। ...*(व्यवधान)* देवेन्द्र जी, इस पर हम बधाई देते हैं। हमने कहा है कि मिश्रित प्रतिक्रिया है तो मिश्रित बात बोलेंगे। लेकिन आप सुनते नहीं हैं, बेचैन हो जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

रेल देश की मुख्य परिवहन व्यवस्था है। माल ढुलाई से लेकर यात्री को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, जिसमें इस समय रेल में दो महत्वपूर्ण विषय सामने आ रहे हैं - एक सुरक्षा और दूसरा संरक्षा। माननीय रेल मंत्री जी का जो बजट आया है, उसमें उन्होंने दिया है कि 2001-2002 के बाद रेल दुर्घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा है कि 2001-2002 में जहां 414 था, वहीं 2002-2003 में 351 हुआ और 2003-2004 में 325 हुआ। यह 2003-2004 का वह हिस्सा है जो नई सरकार बनने से पहले का है। लेकिन जब से नई सरकार बनी है यानी 22 मई, 2004 को नई सरकार बनी, 22 मई, 2004 के बाद रेल में क्या दुर्घटनाएं घटीं, जरा एक नजर उस देखेंगे। 23 मई—जालंधर में अर्बन एस्टेट के निकट सुभाना गांव रोड के रेलवे क्रासिंग पर ट्रेन व वैन में टक्कर। 25 मई—धनबाद-फिरोजपुर किसान एक्सप्रैस मुगलसराय से वाराणसी के मध्य बगैर वैक्यूम ब्रेक के इंजन द्वारा चलाई गई और दुर्घटनाग्रस्त होते-होते बची। 27 मई—पटना के निकट फरक्का एक्सप्रैस में सशस्त्र लुटेरों ने यात्रियों को लूटा था तथा एक पुलिस सब-इंस्पैक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। 29 मई—सम्भलपुर (उड़ीसा) में एक टीटी ने राऊरकेला-सम्भलपुर डीएमयू में एक यात्री को चलती गाड़ी से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। 31 मई—पूर्व मध्य रेलवे में सोननगर-बरवाडीह क्षेत्र में सशस्त्र लुटेरों ने पटना-पलामू एक्सप्रैस के यात्रियों को मार-पीटकर लाखों रुपये लूटे। 3 जून—जमुई (बिहार) के झांजा स्टेशन के निकट केबिन मैन से मिलीभगत कर सशस्त्र लुटेरों ने पटना-पुरी एक्सप्रैस के यात्रियों से 1 लाख रुपये से अधिक लूटे। 7 जून—कैथल से दिल्ली गेहूं लेकर आ रही मालगाड़ी के 15 डिब्बे घरौंडा स्टेशन के पास पटरी से उतरे। इसके कारण दिल्ली-अम्बाला मार्ग पर कई घंटे गाड़ियां विलम्ब से चल रही हैं। इसी दिन मथुरा-भिवानी यात्री गाड़ी के एक डिब्बे में शार्ट सर्किट के कारण धुआं निकलने से अनेक यात्री चलती गाड़ी से कूद पड़े। 9 जून-हावड़ा-दानापुर एक्सप्रैस में सफर कर रहे दो व्यक्तियों की एक एयर कंडीशन्ड स्लीपर में हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 11 जून—नई दिल्ली आ रही केरल एक्सप्रैस की ब्रेकयान में आग लगने से लाखों का नुकसान। इसी दिन बरेली के पास सियालदाह एक्सप्रैस से दो यात्री नीचे फेंके गए। एक घायल व दूसरे का पता नहीं। यानी घटनाक्रम।

जब श्री नीतिश कुमार रेल मंत्री बने थे तो लालू जी कहा करते थे कि श्री नीतिश कुमार को लोहा नहीं धारता। इसलिए इन्होंने विश्वकर्मा की मूर्ति लगाकर पूजा की कि विश्वकर्मा इन पर कृपा करें। जो लोहे का व्यापार करता है, वह विश्वकर्मा की पूजा करता है। लालू जी, हमको लगता है कि आप विश्वकर्मा की पूजा ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर ठीक से पूजा करते तो रेल की जो घटनाएं घट रही हैं, उनमें कमी आती। हम चाहेंगे कि अगर आप ठीक से पूजा नहीं करते हैं तो ठीक से कीजिए ताकि लोहा आपको धारे। हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। कम से कम इन घटनाओं में कमी आए। देश की जनता इन घटनाओं के कारण काफी चिन्तित है। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसादः आपका सहयोग रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंहः हम आपको बताना चाहते हैं कि जो घटनाएं घटीं, रेल में अनेक तरह की समस्याएं होती हैं जिनके कारण घटनाएं होती हैं। कई बार जब रेल की घटनाओं की जांच हुई है तो कहा गया कि मानव भूल के चलते घटनाएं घटती हैं। लेकिन मानव भूल में जो जिम्मेदारियां तय की जाती हैं, वे जिम्मेदारियां चिन्हित करने में काफी नाइंसाफी की जाती है। जो छोटे कर्मचारी हैं, उनको दंडित किया जाता है और जो बड़े जिम्मेदार लोग होते हैं, उनको उसमें पुरस्कृत किया जाता है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जिम्मेदारी तय करने के समय यह चिन्हित किया जाए कि कौन लोग जिम्मेदार हैं। छोटे कर्मचारियों को दंडित करके और बड़े लोगों को पुरस्कृत करके कभी भी ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता।

जहां तक सुरक्षा की बात है, इन घटनाओं की चर्चा हमने की है और ये लोग कहते हैं कि विधि व्यवस्था का सवाल राज्य सरकार का होता है। होता भी है। लेकिन राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों मिलकर इन व्यवस्थाओं को देखती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री का एक बयान आया। उसमें कहा गया कि रेल में डकैती रोकना सरकार से संभव नहीं है। जहां तक अगर मुझे ठीक से स्मरण है, हमने पढ़ा था। हम कहना चाहते हैं कि जब राज्य सरकार यह कह रही है कि अगर इस राज्य में ट्रेन में डकैती होना या किसी तरह का अपराध होना राज्य सरकार से रोकना संभव नहीं है तो हम माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि आपने पल्ला झाड़ दिया। आप रेल मंत्री हैं। आप यात्रियों की सुरक्षा करने के लिए कौन से अलग से व्यवस्था करने जा रहे हैं, इस पर आपने रेल बजट में चर्चा नहीं की है। आप तय कीजिए कि जो यात्री ट्रेन में चलते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आप कौन सी कार्रवाई करेंगे, कौन सी व्यवस्था करेंगे?

श्री लालू प्रसादः आप सुझाव दे दीजिए कि क्या किया जाए।

श्री प्रभुनाथ सिंहः हम तो यह कहेंगे कि आप अपने आरपीएफ के लोगों को ...*(व्यवधान)* आप सलाह मांगते हैं तो हम सलाह-सुझाव दे दें लेकिन आप हमारी सलाह मानिएगा न, तब न। रघुवंश बाबू कान में कह देंगे, मान लीजिए उनकी बात तो मान लेंगे और नहीं कहेंगे तो नहीं मानेंगे।

श्री लालू प्रसादः सुझाव देना भी आपका दायित्व है। यह हम आपको बता रहे हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंहः हम बताना चाहते हैं कि लैवल क्रासिंग के चलते भी कई घटनाएं घटती हैं। 1280 घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां चौकीदार लैवल क्रासिंग पर नहीं थे। उन चौकीदारों की नियुक्ति के संबंध में आपने कहा है कि संवेदनशील स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी। हम जानना चाहते हैं कि संवेदनशील स्थानों की पहचान का फार्मूला क्या होगा? हमने पढ़ा है और उसमें कोई फार्मूला नहीं बताया है। फार्मूला नहीं बताया, इसका मतलब इतना ही होगा कि जिन लैवल क्रासिंग पर एक्सीडेंट हो जाएंगे और दस-बीस लोग मर जाएंगे, उनको संवेदनशील मानिएगा नहीं तो फार्मूला क्या है, आप अपने जवाब में बताइएगा, हम सुनना चाहेंगे। लेकिन हम कहेंगे कि जहां चौकीदार नहीं हैं, हर जगह चौकीदार की नियुक्ति की जाए और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां लैवल क्रासिंग नहीं बनी हैं, तो सर्वेक्षण कराकर जहां लैवल क्रासिंग नहीं हैं, वहां लैवल क्रासिंग बनाने का काम किया जाए। आपने बजट में कहा है कि एक्सल काउंटर ब्लाक ट्रेन में लगा रहे हैं जो चेतावनी देगा और कारीगर यदि चला गया है और यदि कोई खतरे की बात होगी तो यह सिस्टम ड्राइवर को पहले से सूचना दे देगा। उसमें यह भी बात है कि ड्राईवर यदि सही समय पर कदम नहीं उठा सका तो गाड़ी में अपने आप ब्रेक लग जाएंगे और यह काम 2004-05 में पूरा भी हो जाएगा। अगर यह काम सन् 2004-05 में पूरा हो जाता है तो लालू जी, हम लोग आपको बधाई देंगे। जो कार्य चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है और आप लगे हुए हैं कि इसे पूरा किया जाए तो आप पूरा करवाइए। हम चाहेंगे कि इसे पूरा किया जाए नहीं तो ऐसा न हो जाए कि आपका बजट भानुमती का पिटारा और आपका बजट का भाषण सिर्फ घोषणा के रूप में ही रह जाए।

श्री लालू प्रसादः आप स्टैप्स के बारे में बोलिए न।

उपाध्यक्ष महोदयः आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री प्रभुनाथ सिंहः ऐसा मत कीजिए। हम उसी पर आ रहे हैं। दस-पन्द्रह मिनट में समाप्त कर देंगे। सुनिए, हम बताना चाहेंगे कि आग लगने से बचने के लिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ये आपकी स्टेट के हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: स्टेट के नहीं, बगल के हैं। ...*(व्यवधान)* आग लगने की घटना ट्रेन में होती हैं। उसमें लिखा गया है कि विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थों को गाड़ी में ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन यह तो पहले से ही हर गाड़ी पर लिखा होता है और हरेक स्टेशन पर लिखा होता है। उसके बाद भी इस तरह का सामान जाता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका वहां की पुलिस की होती है। उसकी मिलीभगत से यह सामान गाड़ी से जाता है। आप जब उनको प्रशिक्षण दिलाते हैं तो नैतिकता का भी प्रशिक्षण उनको दिलाना चाहिए। आप कानून बनाते हैं, उस पर अमल भी होना चाहिए।

आप रेलवे सर्विस बोर्ड को भंग करके पुरानी पद्धति अपनाने जा रहे हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि पहले भी बिहार से कई रेल मंत्री हुए हैं। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन जब नियुक्ति होती थी तो दिल्ली में बड़े-बड़े होटलों में बैठकर दो लाख रुपए, चार लाख रुपए लेकर नियुक्ति-पत्र दिए जाते थे। इसलिए उस पद्धति में भी गड़बड़ी की सम्भावना बढ़ेगी। आपको यह देखना चाहिए। अगर आप इसको नियंत्रित नहीं कर सकेंगे तो आप भी बदनामी से बच नहीं पाएंगे। इसलिए अभी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, वही रहने दें और जो लोग ऐसा करते हैं उनको करने दें, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि गड़बड़ी नहीं रोकी जा सकती। अब मैं स्क्रैप वाले मुद्दे पर आता हूं। उसके लिए आपने अच्छा काम किया है, मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं।

श्री लालू प्रसाद: ठेके वाली बात भी है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: कल रेल बजट पेश करते हुए आंखें मोड़-मोड़ कर जब आप अपने अंदाज में बोल रहे थे हमने स्क्रैप को बाहर बेचने का काम बंद कर दिया है, इससे ए.के. 47 वालों को रोकने का काम हमने किया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यह ए.के.-47 वाला सिस्टम इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। होता यह है कि कोई अच्छा ठेकेदार अगर काम करने के लिए आता है तो उसको मोबाइल से फोन किया जाता है कि आप अगर इस टेंडर में भाग लोगे तो आपके बेटे का अपहरण कर लिया जाएगा। इस तरह की घटनाएं ज्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश में होती हैं। अगर ऐसे लोगों पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो हम कहते हैं आप चाहे जिस तरह का कानून बना लें, अमल में मजबूती नहीं हुई तो हम और आप इसको रोक नहीं पाएंगे।

मैं अंत में एक-दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। लालू जी आपने अपने रेल बजट में खानपान में सुधार करने की घोषणा की है। आपने मट्ठा और लस्सी का उपयोग करने की बात भी कही है। यह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमें इसमें एक चिंता है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दूध और दही का ज्यादातर काम यादव जाति के लोग करते हैं। आपने कहा है कि सहकारिता से दूध लेंगे, दही लेंगे। मेरा मानना है कि आप उन यादव जाति के लोगों के साथ ऐसा करके अन्याय करेंगे, जो इसका उत्पादन करते हैं। आप उनके द्वारा बनाया हुआ मट्ठा, दही का उपयोग रेलवे में करें। सहकारिता का दूध तो सारे देश में बिक रहा है और उसकी कमी भी है। इसलिए उसकी जगह जो लोग गांवों में भैंसों और गायों से दूध निकाल कर दही इत्यादि बनाते हैं, उसका उपयोग रेलवे में करें, तो हम समझेंगे कि आप उनके साथ भी न्याय कर रहे हैं। इसी तरह से आपने मिट्टी के बर्तन की बात कही है कि रेलवे में कुल्हड़ का उपयोग किया जाएगा। मैं टी.वी. में "आजतक" समाचार चैनल में देख रहा था कि गुजरात में मशीनों द्वारा मिट्टी के कुल्हड़ बनाए जा रहे हैं। लगता है कि आपके यहां उसकी सारी आपूर्ति वहीं से होती है। आपको चाहिए कि कुम्हार के द्वारा हाथ से बनाए गए बर्तन की आपूर्ति रेलवे में हो। जब आप अपना जवाब दें तो बताएं कि कितने गांव के कुम्हारों से रेलवे अधिकारियों ने ये कुल्हड़ लेकर आपूर्ति की है, अगर नहीं की है तो यह उन लोगों के साथ अन्याय होगा।

उपाध्यक्ष जी, हम एक दिन विक्रमशिला एक्सप्रेस से जा रहे थे। रास्ते पर हमने चाय ली तो जिस रफ्तार से वह कुल्हड़ में चाय डाल रहा था उसी रफ्तार से वह हमारे कपड़ों के ऊपर गिर रही थी। हमने कहा कि क्या कर रहे हो। उसने कहा कि लालू मार्का है, नीतीश मार्का चाहिए तो प्लास्टिक के ग्लास में दे देता हूं। रेलगाड़ी में अब लालू मार्का और नीतीश मार्का चल रहा है। लेकिन यह सब यात्रियों की सुविधा के हिसाब से होना चाहिए न कि लालू मार्का या नीतीश मार्का के हिसाब से होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जो किताब वाला अधिकार है वह अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ है। हमने माननीय नीतीश कुमार जी से भी इसे करने का आग्रह किया था लेकिन वे नहीं कर सके थे। अनुसूचित जाति, जनजाति, सैनिकों, पिछड़े वर्गों, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को जो आपने 25 प्रतिशत आरक्षण दिया है उसे चाहे आप 30 प्रतिशत कर दीजिए लेकिन किस वर्ग को कितना मिलेगा इसे चिन्हित कर दीजिए। नहीं तो यह योजना भी हाइजैक हो जाएगी। यह हमारा आपको सुझाव है कि आप प्रतिशत निश्चित कर दीजिए ताकि यह योजना हाइजैक होने से बच सके। आप निश्चित कर दीजिए कि अल्पसंख्यकों को कितना मिलेगा।

तीसरी बात, सब्जी-फल वगैरह की बात जो बात है तो गरीबों को फायदा जिससे पहुंचे वह कदम आप उठाएं। डीआरएम

वगैरह भी घूमते रहते हैं लेकिन लोग कहते हैं कि हम सब्जी ट्रेन से नहीं ले जाएंगे। आप उसके लिए पुख्ता इंतजाम करवाइये।

चौथी बात, नौकरी के लिए इंटरव्यू के समय जो आपने सैकिंड क्लास की टिकट की सुविधा दी है उसका गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो लोग पहले ही टिकट नहीं लेते हैं उनके लिए आपकी घोषणा गलती पर मुहर का काम करेगी। इसलिए इस बात के पुख्ता इंतजाम किये जाने चाहिए कि केवल वे लोग ही इस सुविधा का लाभ उठा सकें जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इतना कहकर हम लालू जी आपको धन्यवाद देते हैं तथा साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें बोलने के लिए समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खगेन दास ने अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति मांगी है। मैंने उन्हें अपना भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दे दी है।

***श्री खगेन दास** (त्रिपुरा-पश्चिम): महोदय, वर्ष 2004-2005 के रेल बजट की चर्चा में भाग लेते समय सबसे पहले मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान इसकी ओर दिलाना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं स्वतंत्रता के 56 वर्षों के पश्चात् भी संचार के क्षेत्र में वह भाग अभी भी अत्यंत पिछड़ा है।

अपनी टिप्पणियां करने से पूर्व मैं माननीय मंत्री द्वारा की गई साहसिक घोषणाओं जैसे आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए कदम, इलेक्ट्रानिक माध्यमों से खरीददारी, रद्दी के निपटान में पारदर्शिता, सुरक्षा उपायों में बढ़ोत्तरी यात्री सुविधाएं आदि की सराहना करता हूं। परन्तु रेल बजट में मूल-भूत विषयों जैसे ढांचागत सुधार और इसके संसाधनों के वित्तीय प्रबंधन का मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासनों को समय सीमा में पूरा कर लिया जायेगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर त्रिपुरा, के बारे में मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में त्रिपुरा की कुछ विशेष मांगों पर समुचित ध्यान दिया है।

त्रिपुरा के लोग और राज्य सरकार कुमारघाट से अगरतला तक जाने वाली रेल लाइन को निश्चित समय-सीमा में पूरा किये जाने की मांग कर रहे हैं। कार्य धीमी गति से चल रहा है, इसमें तेजी लाये जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस रेल लाइन पर सुरंग को छोड़कर शेष 85 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। पिछली सरकार के मंत्री ने सार्वजनिक रूप से दिसम्बर 2002 में घोषणा की थी कि मनु से अगरतला के मध्य सुरंग का काम (जो बहुत ही जटिल है) 37 महीनों में पूरा कर लिया जायेगा। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रगति अपेक्षित स्तर तक नहीं हुई है। कार्य बहुत तेजी से किया जाए इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे इसे निश्चित समय-सीमा में पूरा किया जा सके।

गिट्टियों का कार्य और अन्य वस्तुओं की खरीद जैसे कंकरीट के स्लीपर और पटरी संबंधी सामग्री पर कार्य तुरंत आरम्भ किया जाना चाहिये। इस प्रकार की सभी सामग्री राज्य के बाहर से सड़क मार्ग द्वारा ही लायी जाये। मानसून के दौरान सड़क आंतरायिक रूप से बन्द रहती है इसलिए ऐसे कार्य प्रारम्भ करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके। रेलमंत्री द्वारा परियोजना को विनिर्दिष्ट समय-सीमा में पूरा किये जाने की घोषणा अति प्रशंसनीय है।

त्रिपुरा के लोग और राज्य सरकार रेल लाइन को अगरतला से सुबरूम तक के विस्तार की मांग लम्बे समय से कह रहे हैं- जिससे इस क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। इस रेल लाइन का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी होगा क्योंकि बंगलादेश का बेलोनिया स्टेशन प्रस्तावित भारतीय बेलोनिया स्टेशन से दो किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है।

इसी प्रकार बंगलादेश का 'धुन' रेलवे स्टेशन हमारे प्रस्तावित सुबरूम रेलवे स्टेशन से 15 किमी. से भी कम दूरी पर स्थित है। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में चिटगांव बन्दरगाह तक पहुंचा जा सकता है जो सुबरूम और बेलोनिया के रास्ते केवल 75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा।

माननीय मंत्री ने अपने बजट में घोषणा की कि अगरतला-सुबरूम रेल लाइन से संबंधित सर्वेक्षण कार्य को अद्यतन किया जाएगा। मैं पुरजोर अनुरोध करता हूं कि इस कार्य को शीघ्रता से पूरा किया जाए। मैं रेल मंत्री से इस वित्त वर्ष के दौरान परियोजना की आधारशिला रखने का भी अनुरोध करता हूं।

अगरतला को अखौरा में बंग्लादेश के साथ जोड़ने संबंधी एक अन्य परियोजना केवल 12 कि.मी. के बारे में विदेश मंत्रालय द्वारा बातचीत की जाये। भारत की तरफ 5.4 कि.मी. का प्राथमिक अभियांत्रिकी-सह-यातायात सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। दोनों देशों के बीच व्यापार एवं वाणिज्य बढ़ाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके अलावा राज्य तथा निचले असम क्षेत्र के लोगों को कोलकाता, पूर्वी भारत का द्वार या देश के अन्य स्थानों पर जाने के लिए उत्तरी बंगाल के चक्करदार रास्ते से जाना पड़ता है, जिसमें न्यूनतम 48 घंटे का समय लगता है। इन लाइनों का कार्य पूरा हो जाने पर अगरतला और कोलकाता की दूरी 12 घंटे से भी कम समय में तय की जा सकती है। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को विदेश मंत्रालय के जरिए बंगलादेश में अपने समकक्ष के साथ उठायें।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री खगेन दास]

मनु और लुम्बडिंग के बीच दो एक्सप्रेस गाड़ियां चलाए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। वर्तमान में जो एक्सप्रेस गाड़ी नियमित रूप से चल रही है। वह असमान्य रूप से देरी कर देती है तथा इससे लुम्बडिंग से लिंक गाड़ी पकड़ने में यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है।

इस गाड़ी में यात्री सुविधाओं की भी अत्यधिक कमी है। रेलगाड़ी की सीटें क्षतिग्रस्त हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं एवं शौचालय में बिजली एवं पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे यात्रियों को हो रही सभी समस्याओं का तुरंत निदान करने के लिए उत्तर सीमांत रेलवे प्राधिकारियों को निर्देश दें।

मैं जो एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं वह यह है कि त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूरस्थ कोने में स्थित है तथा यहां सभी आवश्यक वस्तुएं और निर्माण सामग्री राज्य के बाहर से लायी जाती है। इस सारी सामग्री के परिवहन के लिए रेलवे वैगनों की बहुत अधिक कमी है। संसद सदस्यों तथा राज्य सरकार ने इस समस्या की ओर रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया है लेकिन अभी तक इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। यह भी मांग है कि माल गाड़ियों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले चल स्टाक प्रदान किये जायें। मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इन समस्याओं के निराकरण के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें।

मैं आशा करता हूं कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार राज्य के लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बजट में घोषित परियोजनाओं और कार्यक्रमों को पूरा करने से संबंधित वायदों को पूरा करेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात पूरी करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर): उपाध्यक्ष जी, वर्ष 2004-2005 का यूपीए गवर्नमेंट का पहला रेल बजट कल पेश किया गया। समाज के सभी वर्गों के लिए एक बैलेंस रेल बजट पेश करने के लिए मैं रेल मंत्री माननीय लालू प्रसाद जी को बधाई देता हूं।

इस रेल बजट में एक तरफ नई रेल लाइनें, सर्वेक्षण के साथ-साथ स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने को प्राथमिकता देना, इलैक्ट्रिफिकेशन, सुरक्षा के बारे में उपाय करना, स्वच्छता-सुविधा का ध्यान रखना, बेरोजगार युवकों को नौकरी के लिए यात्रा करते समय टिकटों में रियायत देना, शहीद जवानों की विधवाओं को योग्य रियायत देना, मूक-बधिरों के साथ गंभीर रूप से पीड़ित हिमोफिलिया रोगियों को राहत देना—यह सब इस रेल बजट का एक मानवीय रूप है।

मेरे ख्याल से परवाना कुलियों को पत्नी के साथ प्रवास के लिए दी गई रियायत सिर्फ यूपीए बजट में हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे रेल मंत्री जी ने सर्वप्रथम सभी राजकीय पक्षों के सांसदों से अनुरोध करके उनसे सुझाव मांगे हैं। यह एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, राष्ट्रहित में विचारों को और मांगों को बजट में समाविष्ट करने का। इस बारे में पहली सरकार का अनुभव अच्छा नहीं रहा।

महोदय, कोल्हापुर स्टेशन का नामकरण करने के लिए मैंने अथक प्रयास किये, लेकिन हर बार राजनीतिक रंग देकर नकारने की कोशिश की गई और अंत में जब राजर्षि छत्रपति शाहु महाराज के नाम से स्टेशन का नामकरण पूर्व उपपंतप्रधान जी द्वारा सम्पन्न होना था, तो सर्वपक्षीय लोग प्रतिनिधियों को सभा में बुलाना तो दूर, हमें उस सभा से जानबूझकर दूर रखा गया।

महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि आज तक बजट में महाराष्ट्र की रेल योजनाओं को, प्रस्तावों को पूरी तरह से न्याय नहीं मिला है। वे योजनायें उपेक्षित रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित योजनाओं पर प्रधानता से विचार होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं पिछले छः सालों से कोल्हापुर के सांसद के नाते कोल्हापुर स्टेशन के आधुनिकीकरण की बात उठाता रहा हूं। मुझे आशा है, उन पर प्रधानता से विचार किया जाएगा और आर्थिक सुविधा उपलब्ध करा कर वे काम पूरे किए जायेंगे। रेल मंत्री जी ने पुणे-मिराज-कोल्हापुर लाइन को डबलिंग करने के लिए आपने घोषणा की है। उसके लिए मैं सभी लोगों की तरफ से आपका अभिनन्दन करता हूं। पिछले कई सालों से यह मांग अधूरी थी। इसे पर्याप्त आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराकर शीघ्र गति प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र का यह सबसे आखिरी स्टेशन है, मुझे आशा है कि यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी। मेरी एक महत्वपूर्ण मांग न्यू-ट्रैक द्वारा कोल्हापुर को कोंकण रेलवे से जोड़ने की है। इस लाइन का भी सर्वेक्षण पूरा हो गया है, इस लाइन को जोड़ने से मुम्बई-कन्याकुमारी के लिए एक बाईपास वरदान साबित होगा। इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार कर शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिए।

श्रीमन्, कोल्हापुर का सांसद होने के नाते पिछले छः सालों से मेरी जो मांगे हैं, उनको मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं—

1. महालक्ष्मी एक्सप्रैस में रिजर्वेशन के लिए ज्यादा बर्थ उपलब्ध कराना।

2. महालक्ष्मी एक्सप्रैस की टाइमिंग जनहित के पक्ष में बदलना।

3. महालक्ष्मी एक्सप्रैस के प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी का एक-एक वातानुकूलित क्रोच जोड़ना।

4. अहिंसा एक्सप्रैस कोल्हापुर से पुणे-सूरत-राजकोट के लिए शुरू करना।

5. कोल्हापुर-मुम्बई के दरमियान यात्रियों की बढ़ती संख्या को नजर में रखते हुए एक और नई रेलगाड़ी शुरू करना।

इन मागों पर गौर करके पूरा करने से हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी—यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

अंत में, इस बजट में खादी और कुल्हड़ के साथ आपने जो मॉडरनाइजेशन के विधि मुद्दों पर जोर दिया है, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भारतीय रेल का नक्शा एक सही ढंग से बदल देंगे और मेरी सभी मांगों पर जल्द कार्यवाही करके उन्हें पूरा करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने वर्ष 2004-2005 का रेल बजट कल सदन में प्रस्तुत किया है। भारतीय रेल एक प्रबन्धन के अधीन पूरे विश्व में यातायात के क्षेत्र में सबसे बड़ी परिवहन व्यवस्था है, जिस पर हम सबको गर्व है। पूरे भारत की एकता और एकात्मकता का आधार है। हमने सामाजिक समरसता के एक आदर्श के साथ-साथ पर्यावरण व्यवस्था के लिए भी एक उत्तम साधन के रूप में रेल को स्वीकार किया है। अगर कहा जाए कि भारतीय रेल भारतीय जीवन की लाइफलाइन है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। महोदय, जहां हमने भारतीय रेल को भारतीय जीवन की लाइफ लाइन कहा है, वहीं साथ-साथ माननीय रेल मंत्री ने जो कल रेल बजट प्रस्तुत किया है, उसमें क्षेत्रीय असंतुलन के साथ-साथ राजनीतिक संकीर्णता भी देखने को मिली है। इसलिए मैं यहां माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत रेल बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

देश में दो बजट प्रस्तुत होते हैं। उसमें एक सामान्य बजट होता है और उससे पहले सदन में रेल मंत्री द्वारा रेल बजट प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय रेल के प्रति एक विश्वास ने ही उसे जीवन और राष्ट्र की रीढ़ के रूप में स्वीकार किया लेकिन साथ-साथ इस व्यवस्था को देने वाले देश के उन महापुरुषों ने इस बात का आभास अवश्य किया होगा कि रेल की इस लाइन को सम्पूर्ण राष्ट्र में व्यवस्थित तरीके से इस तरह फैलाएंगे जिससे संतुलित विकास पूरे राष्ट्र का हो सके लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद से ऐसा नहीं हो पाया। जिस प्रदेश या क्षेत्र के रेल मंत्री होते थे उस क्षेत्र विशेष तक वे योजनाएं लागू हुई और अन्य क्षेत्रों को छोड़ दिया गया। 1998 में पहली बार माननीय अटल जी के नेतृत्व में केन्द्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी थी। उस समय भी हम लोग प्रथम बजट के अवसर पर यहां उपस्थित थे। उस समय भी ये बातें सामने आई थीं कि जो असंतुलित विकास पूरे देश में केवल रेलवे के क्षेत्र में नहीं अन्य क्षेत्रों में भी हुआ है, उसे दूर करने के लिए क्या किया जाए। उस समय एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी। हमने निर्णय लिया कि एक यूनिफार्म पालिसी पूरे राष्ट्र के लिए तय की जाए। हमने स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाएं पूरे देश के लिए लागू कीं। ईस्ट, वैस्ट तथा नार्थ, साउथ कारीडोर का एक संकल्प लिया गया। पैसा कहां से आएगा? एक सतसंकल्प था। उसके कारण पूरे देश में इसका कार्य प्रारम्भ हुआ। 56 हजार करोड़ रुपए एकत्र हुआ और कार्य भी प्रारम्भ हुआ। विकास के पथ से भारतीय रेल जो भटक चुकी थी जिस का निजीकरण करने की मांग जोर-शोर से हो रही थी, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण तत्कालीन रेल मंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री के निर्देश पर जो कार्य प्रारम्भ किया, वह विश्वास का प्रतीक बनी थी लेकिन मुझे लगता है कि जो राजनीतिक घोषणाएं वर्तमान में हो रही हैं, ये निश्चित ही रेल को उसके विकास के पथ से पुन: एक बार भटका देंगी और इसके निजीकरण की मांग जो 1998 से पहले बड़े जोर-शोर से चल रही थी, वह एक बार पुन प्रारंभ हो जाएगी। कभी हमें लगता है कि हम लोग राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय हित और समाज हित को कब तक तिलांजलि देते रहेंगे। हम भूल जाते हैं कि सामाजिक प्रतिबद्धताएं जिस के माध्यम से रेल को जिस सामाजिक व्यवस्था से जोड़ना चाहते हैं, वह अगर इसी प्रकार से जारी रहा तो निश्चित ही रेल अपने पथ से स्वयं भटक जाएगी और सामाजिक प्रतिबद्धताएं भी स्वयं अपने मार्ग से हट जाएंगी। इसलिए रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट दिशाहीन है। क्या वह राष्ट्र और रेल मंत्रालय को नई दिशा दे पाएगा? मुझे इसमें बहुत संदेह है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भारतीय रेल की स्थिति उसी प्रकार से न हो जैसे माननीय लालू जी ने बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में आते ही चरवाह विश्वविद्यालय की घोषणा की थी और उसका परिणाम भी देखा। मुझे इसमें संदेह है कि कहीं न कहीं चरवाहा विश्वविद्यालय का सूत्र रेल पर भी चरितार्थ होकर दिशाहीन होकर भटक न जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र से आता हूं, वह देश का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। आजादी के बाद उस क्षेत्र की घोर उपेक्षा हुई है और इस क्षेत्र में आजादी के बाद विकास का कार्य नहीं हुआ है। यह भारत और नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है। एक तरफ बिहार और दूसरी तरफ नेपाल आता है। प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में बाढ़ आती है और विकास के बारे में आज तक नहीं

[योगी आदित्यनाथ]

सोचा गया। पिछली एन.डी.ए. की सरकार को छोड़ दिया जाये तो किसी सरकार ने इस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया। दुर्भाग्य से इस बार का रेल बजट भी इसी प्रकार देखने को मिला है। गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है लेकिन इस रेल बजट में गोरखपुर और पूर्वोत्तर रेलवे के लिये कोई सुविधा नहीं दी है। यह देखकर मन क्षुब्ध होता है। बार-बार संकीर्ण राजनीति और स्वार्थ के तहत निर्णय लिये जा रहे हैं। इसे देखकर आदमी विवश हो जाता है कि वास्तव में राजनैतिक विवशता, राजनैतिक संकीर्णता देश और समाज को कहां ले जायेगी? ऐसे बहुत से कार्य हैं जो होने चाहिये थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा तो माननीय रेल मंत्री बिहार का विकास कैसे कर पायेंगे क्योंकि बिहार के लिये जो भी रेल लाईन है, वह पूर्वी उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। माननीय रेल मंत्री जी ने न जाने किन कारणों से इसकी उपेक्षा की है और विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। इसमें सबसे पहले लखनऊ-गोरखपुर विद्युतीकरण का प्रस्ताव हम लोगों ने दिया था। लखनऊ से गोरखपुर जाने के लिये अभी 5-6 घंटे लगते हैं। यदि इस लाइन का विद्युतीकरण हो जाता है तो राजस्व में 17 प्रतिशत की बचत होने के साथ-साथ समय की भी बचत होगी। लेकिन दुर्भाग्य से अन्य क्षेत्रों से प्रस्ताव दिये गये हैं, इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है।

गोरखपुर-गोंडा लूप रेल लाईन के आमान परिवर्तन के लिये माननीय, नीतीश कुमार ने शिलान्यास भी किया था। यह रेल लाइन गोरखपुर-गोंडा लूप लाईन नौतनवां होते हुये जाती है। यह भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र होकर रेल लाईन जाती है। नेपाल में वर्तमान में माओवादी हिंसा से हम लोग परिचित हैं। हमारे देश के 11 प्रान्त एसे हैं जो नक्सली हिंसा से प्रभावित हैं। सब से पहले इस लाईन के आमान परिवर्तन का कार्य हम तीव्रगति से प्रारम्भ करेंगे, इस बारे में रेल मंत्री जी ने इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री योगी आदित्यनाथ कृपया एक मिनट प्रतीक्षा करेंगे। यदि सभा के माननीय सदस्य सहमत हो जाते हैं, तब मैं श्री योगी आदित्यनाथ के भाषण के समाप्त होने तक सभा का समय बढ़ा दूंगा।

श्री बिक्रम केशरी देव: जी, महोदय। उनका भाषण समाप्त होने तक सभा का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): महोदय, उन्हें अपना भाषण जारी रखने और इसे आज ही समाप्त करने के लिए कहा जाये।

अनेक माननीय सदस्य: जी महोदय। उनका भाषण जारी रहने दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: शेष भाषणों की अनुमति कल दी जायेगी।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: उपाध्यक्ष जी, गोरखपुर-गोंडा के बीच में दोहरीकरण के बारे में एक प्रस्ताव दिया गया था। वर्ष 1996 में डोमिनगढ़ में एक भीषण एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सैंकड़ों लोग मारे गये थे। तब से निरंतर इस तरह की मांग की जाती रही है कि इस लाइन का दोहरीकरण किया जाये। पिछली सरकार ने गोरखपुर से सहजवना के बीच 15 किलोमीटर मार्ग के दोहरीकरण का कार्य स्वीकृत किया था और 6 किलोमीटर के लिये धन भी उपलब्ध कराया गया था लेकिन इस मार्ग के बारे में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सायं 6.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। मुख्यालय के एक भाग को पहले ही हाजीपुर में एक अन्य मुख्यालय बनाकर स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा उपमहाप्रबंधक का जो पद गोरखपुर में था, उसे समाप्त कर दिया गया है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उपमहाप्रबंधक के पद को पुन: गोरखपुर में सृजित करने की व्यवस्था की जाए। पिछली सरकार ने गोरखपुर से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन गोरखधाम एक्सप्रैस दी थी। सप्ताह में तीन दिन यह ट्रेन चलती है। इसमें यातायात के लोड के देखते हुए मैंने माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध किया था कि सप्ताह में इसकी आवर्ती बढ़ा दी जाए और इसे सातों दिन के लिए कर दिया जाए। लेकिन बजट प्रस्ताव में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की गई है। गोरखपुर से श्री रामजन्म भूमि अयोध्या के लिए और अयोध्या से नई दिल्ली के लिए नई एक्सप्रैस ट्रेन की मांग की गई थी। दिल्ली से फैजाबाद के लिए की है, लेकिन फैजाबाद से गोरखपुर तक जिसकी मांग स्थानीय स्तर पर और पूरे देश से की गई थी, इस मांग का कोई उल्लेख इस बजट प्रस्ताव में नहीं हुआ है। गोरखपुर से इलाहाबाद के बीच वाया अयोध्या, सुल्तानपुर होते हुए एक इंटरसिटी चलाने की मांग पिछली सरकार के समय में हुई थी और तत्कालीन माननीय रेल मंत्री ने इसे स्वीकार भी किया था। लेकिन इस रेल बजट में उसका कहीं कोई प्रावधान नहीं है। गोरखपुर के दक्षिण में बांसगांव होते हुए दोहरीघाट तक रेल लाइन की मांग वर्षों से होती आई है। इसका सर्वे भी वर्ष 1996-97 में हुआ था, लेकिन सर्वे के बाद कार्य की स्वीकृति और अन्य कार्य आगे नहीं बढ़ पाया है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि गोरखपुर से दक्षिण बांसगांव होते हुए दोहरीघाट तक रेल लाइन बिछाने का कार्य प्रारम्भ हो और साथ ही साथ जनपद महाराजगंज के आनंदनगर से महाराजगंज जिला मुख्यालय होते हुए घुघली रेलवे स्टेशन पर नई रेल लाइन का कार्य प्रारम्भ हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही पिछली बार माननीय रेल मंत्री ने एक बात की घोषणा की थी कि जो संसद सदस्य रेलवे समपार फाटक पर जिन पर कोई कर्मचारी नहीं है, उन पर चौकीदार नियुक्त करने के लिए या जहां पर लैवल क्रासिंग नहीं बने हैं, वहां लैवल क्रासिंग बनाने के लिए सांसद निधि से धन देगा, वहां पर सांसद के प्रस्ताव पर एक लैवल क्रासिंग जो मानवविहीन है, उसे मानवयुक्त करने के लिए सांसद से आठ से दस लाख रुपये लिये जायेंगे और उन पैसों से लैवल क्रासिंग को मानवयुक्त करने की व्यवस्था की जायेगी। मैंने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जो लैवल क्रासिंग मानवयुक्त नहीं था, उसे मानवयुक्त करने के लिए धन की व्यवस्था की थी। लेकिन रेल मंत्रालय ने और रेलवे ने उसमें कोई रुचि नहीं ली। माननीय रेल मंत्री कहते हैं कि 1200 से अधिक ऐसे लैवल क्रासिंग हैं जहां चौकीदार नहीं हैं और यदा-कदा वहां पर दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। चूंकि रेलवे के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा और संरक्षा के क्षेत्र में हैं। जो लैवल क्रासिंग मानवयुक्त नहीं हैं, उन्हें मानवयुक्त करने के लिए सांसद विकास निधि के पैसे का आगे उपयोग हो सकता हो। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उसमें रियायत देते हुए माननीय संसद सदस्य सांसद विकास निधि के पैसे का भी उसमें उपयोग हो और और साथ ही साथ उनके प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर उन कार्यों को अगर सम्पन्न किया जा सके तो मैं समझता हूं कि रेलवे के उन कार्यों को आगे बढ़ाने में और रेलवे के संसाधनों को आगे बढ़ाने में भी काफी मदद मिलेगी और सुरक्षा और संरक्षा के क्षेत्र में माननीय संसद सदस्यों का योगदान भी हो पायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही एक अन्य कार्य रेलवे की फालतू भूमि के वाणिज्यिक उपयोग से संबंधित था, पिछली बार भी रेलवे मंत्रालय के बजट में इस बात का प्रावधान था, तब माननीय रेल मंत्री ने घोषणा की थी, तमाम लोगों के लिए माननीय रेल मंत्री जी ने घोषणा की है। रेलवे स्टेशन के बाहर पटरी पर जो लोग कार्य करते हैं जैसे ठेला लगाते हैं, खोमचा लगाते हैं, मोची का कार्य करते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। रेलवे स्टेशन के बाहर जो फालतू भूमि है, अगर वहां पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए शापिंग काम्पलैक्स बनाने की व्यवस्था रेल मंत्रालय द्वारा हो जाए तो मैं समझता हूं कि उस भूमि का बेहतर उपयोग हो पायेगा। इसके उसका सौन्दर्यीकरण भी हो जायेगा और तमाम ऐसे लोगों को रोजगार भी मिल जायेगा जो लोग रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटकते हैं, जिनके पास अपना कोई साधन नहीं होता है, उन्हें उपयोगी दुकानें मिलेंगी और वे रेलवे को किराया भी देंगे। इस प्रकार की व्यवस्था कर सकें तो मैं समझता हूं कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए रेलवे की फालतू पड़ी जमीन का उपयोग हो जाएगा।

इसके साथ ही मेरे केवल दो प्रस्ताव हैं। एक गोरखपुर कलकत्ता के बीच में नई ट्रेन चलाई जाए जो बिहार होते हुए जाएगी तो बिहार के लोग भी उससे लाभ उठाएंगे। अन्य बातों के साथ मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि खिलाड़ियों के बारे में माननीय रेल मंत्री जी ने कोई घोषणा नहीं की है। खिलाड़ियों में तीसरे और चौथे दर्जे में नौकरियों के संबंध में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को नियुक्त करने के संबंध में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं और एक अन्य जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वह यह है कि सुरक्षा के संबंध में सबसे बड़ी चिन्ता वर्तमान में जो आई है, वह बिहार से आई है। यदा-कदा सुनने में आया और जब मैं कोलकाता गया था तो उत्तर प्रदेश और इधर के काफी लोग मुझसे मिले थे। सबकी यह चिन्ता थी कि जिस प्रकार से घटनाएं बिहार में हो रही हैं, कैसे हम सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बिहार में आपकी ही सरकार है और आपकी धर्मपत्नी वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में हैं। इसलिए दो व्यवस्थाएं आप करा दें। एक सुरक्षा की व्यवस्था और दूसरा बिहार में जो बिना टिकट चलने की प्रवृत्ति चली है, इस पर रोक लगा सकें तो आपकी अति कृपा रेल यात्रियों पर होगी और मंत्रालय पर होगी। *...(व्यवधान)*

श्री रामकृपाल यादव: बिहार में बिना टिकट यात्रा की बात करते हैं, और ये लोग क्या टिकट लेकर चलते हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामकृपाल यादव, कृपया उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिये।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुन: माननीय रेल मंत्री जी द्वारा जो रेल बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करता हूं और माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार की व्यवस्था रेल मंत्रालय के अधीन चलाना चाहते हैं, उससे रेल विकास के पथ पर चलकर राष्ट्र की जीवनरेखा को मजबूती प्रदान नहीं करेगी, अपितु बिहार के चरवाहा विश्वविद्यालय की पुनरावृत्ति करेगी। इससे आप खासतौर से इस मंत्रालय को बचाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ, अपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 8 जुलाई, 2004/17 आषाढ़ 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद	41
2.	श्रीमती नीता पटैरिया	42
3.	श्री महेश कनोडीया	43
4.	श्री शिवराज सिंह चौहान श्री चन्द्रकांत खैरे	44
5.	श्री वरकला राधाकृष्णन श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	45
6.	श्री पी.के. वासुदेवन नायर श्री बृज किशोर त्रिपाठी	46
7.	श्री निखिल कुमार चौधरी	47
8.	डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य	48
9.	श्री वीरेन्द्र कुमार श्री दलपत सिंह परस्ते	49
10.	श्री सुकदेव पासवान श्री एस.पी.वाई. रेड्डी	50
11.	श्री बी. विनोद कुमार	51
12.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' श्री रामजीलाल सुमन	52
13.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	53
14.	श्री कैलाश मेघवाल श्री अधलराव पाटील शिवाजी	54
15.	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा श्री वाई.जी. महाजन	55
16.	डा. एम. जगन्नाथ श्री रायापति सांबासिवा राव	56
17.	श्री बसुदेव आचार्य प्रो. महादेवराव शिवन्कर	57
18.	श्री सुनील खां	58
19.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण श्री राजनरायन बुधौलिया	59
20.	श्री खीरेन रिजीजू	60

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2
आचार्य, श्री बसुदेव	401, 448
अहीर, श्री हसंराज जी.	436
आठवले, श्री रामदास बंडु	351, 422, 452, 471, 493
आदित्यनाथ, योगी	385, 434
'बचदा', श्री बची सिंह रावत	357, 416
बैठा, श्री कैलाश	350, 424
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	442, 466

1	2
बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर	484
चक्रवर्ती, श्री अजय	354
चालिहा, श्री किरिप	344, 430
चंद, श्री निहाल	365, 420
चन्देल, श्री सुरेश	335, 464, 492
चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	361
चौधरी, श्री निखिल कुमार	388, 442, 463, 476
चौहान, श्री शिवराज सिंह	404, 455, 492
चौधरी, श्री अधीर	396, 438, 446, 460, 481
चर्चील, श्री अलीमाऊ	381, 429
देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	340, 393
गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	338, 468
गढ़वी, श्री पी.एस.	372
गांधी, श्री प्रदीप	332
हसन, श्री मुनव्वर	367, 421, 490, 493
जगन्नाथ, डा. एम.	422, 486
झा, श्री रघुनाथ	331, 386, 398, 454, 494
कामत, श्री गुरुदास	352
कनोडीया, श्री महेश	342, 403
करुणाकरन, श्री पी.	371, 448
खैरे, श्री चंद्रकांत	395
खां, श्री सुनील	417, 456, 473, 495
कोया, श्री पी.पी.	378
कृष्ण, श्री विजय	331, 341, 398, 411, 446
कृष्णदास, श्री एन.एन.	360, 418, 449, 468
कुरूप, श्री सुरेश	369, 423, 481
महाजन, श्री वाई.जी.	359

1	2
महतो, श्री बीर सिंह	468, 483
माझी, श्री परसुराम	358, 433, 458, 474
मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	349, 425
मंडल, श्री सनत कुमार	427
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	411, 446, 466, 478
माने, श्रीमती निवेदिता	411, 446, 466
मरांडी, श्री बाबू लाल	370
मेघवाल, श्री कैलाश	412, 447, 467, 479
मेहता, श्री आलोक कुमार	376
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	382, 431, 457
मोदी, श्री सुशील कुमार	359
मोहले, श्री पुन्नू लाल	356, 415, 446
मोल्लाह, श्री हन्नान	377
मूर्ति, श्री ए.के.	336, 389, 435
नायर, श्री पी.के. वासुदेवन	406
नायक, श्री अनंत	343, 394, 437, 469, 480
निखिल कुमार, श्री	446, 481
निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	402
नीतीश कुमार, श्री	400, 465, 468, 477
ओवेसी, श्री असादूद्दीन	368, 432
पाण्डा, श्री प्रबोध	374, 414, 446, 457
परस्ते, श्री दलपत सिंह	485, 487
पासवान, श्री सुकदेव	410, 409
पटेल, श्री दिन्शा	383, 489
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	384
पाटील, श्री शिवाजी अधलराव	399, 450, 470, 482
पाटील, श्री श्रीनिवास	337, 390, 451
प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	353
प्रसाद, श्री हरिकेवल	364
राधाकृष्णन, श्री वरकला	405, 440
राजेन्द्रन, श्री पी.	406

1	2
राव, श्री के.एस.	373, 447, 479
राव, श्री रायापति सांबासिवा	379, 426, 453, 472
रावले, श्री मोहन	334, 427, 491
रावत, श्री कमला प्रसाद	347
रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	361, 419
रिजीजू, श्री खीरेन	353
सत्पथी, श्री तथागत	363, 488
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	362, 468, 487
शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम	408, 464
सिंह, श्री बृजभूषण शरण	366
सिंह, श्री दुश्यंत	333, 387, 446, 455
सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	411, 446, 466, 478
सिंह, श्री प्रभुनाथ	330, 398, 439, 461, 475
सिंह, श्री राजीव रंजन 'ललन'	400, 445, 465, 477
सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	342, 403
सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	355
सुब्बा, श्री एम.के.	345
सुमन, श्री रामजी लाल	445, 468
सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	352
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	339, 391, 443
थामस, श्री पी.सी.	360, 375, 406
तीरथ, श्रीमती कृष्णा	380, 428, 446
त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	407, 441, 462
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	413, 446
वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	348, 397
विनोद कुमार, श्री बी.	392, 436, 459
वीरेन्द्र कुमार, श्री	409, 444
यादव, श्री गिरिधारी	420
यादव, श्री राम कृपाल	364, 420, 487
येरननायडू, श्री किन्जरपु	486

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	41
परमाणु ऊर्जा	:	
कृषि और ग्रामीण उद्योग	:	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	53
विदेश	:	44, 46, 47, 52, 54, 58
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	42, 43, 45, 49, 51, 56, 57, 59, 60
अप्रवासी भारतीय कार्य	:	50
महासागर विकास	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	48
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
पोत परिवहन	:	
लघु उद्योग	:	
अंतरिक्ष	:	55
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	370, 387, 401
कृषि और ग्रामीण उद्योग	:	479, 488
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	332, 333, 336, 337, 346, 348, 354, 358, 366, 371, 372, 375, 383, 395, 397, 400, 402, 408, 410, 416, 426, 430, 432, 434, 448, 449, 451, 463, 465, 467, 477, 478, 481
विदेश	:	338, 352, 357, 360, 368, 369, 377, 417, 425, 427, 446, 453, 458, 466, 471, 485, 486, 490, 491
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	334, 335, 340, 342, 343, 347, 349, 350, 351, 353, 355, 359, 364, 380, 385, 391, 396, 399, 403, 404, 409, 413, 414, 418, 419, 420, 422, 424, 428, 435, 443, 444, 447, 457, 459, 470, 476, 487, 492, 493
अप्रवासी भारतीय कार्य	:	472
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन योजना	:	330, 331, 341, 362, 386, 388, 392, 398, 421, 423, 439, 454, 456, 461, 475, 494
योजना	:	361, 363, 382, 412, 415, 464
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	345, 356, 367, 374, 376, 390, 407, 411, 437, 438, 440, 442, 450, 455, 460, 468, 484, 489, 495
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	344, 373, 462
पोत परिवहन	:	381, 389, 393, 394, 405, 406, 429, 436, 469, 474, 480
लघु उद्योग	:	384, 431, 435, 445, 482, 483
अंतरिक्ष	:	339, 365, 378, 441
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	:	379, 452, 473

पी.एल.एस.–48.2.3/2004 (एन०)
280

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज एसोशिएट्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।